खण्ड-453, अंक-4
शुक्रवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(11 मार्च, 2005 ई0)

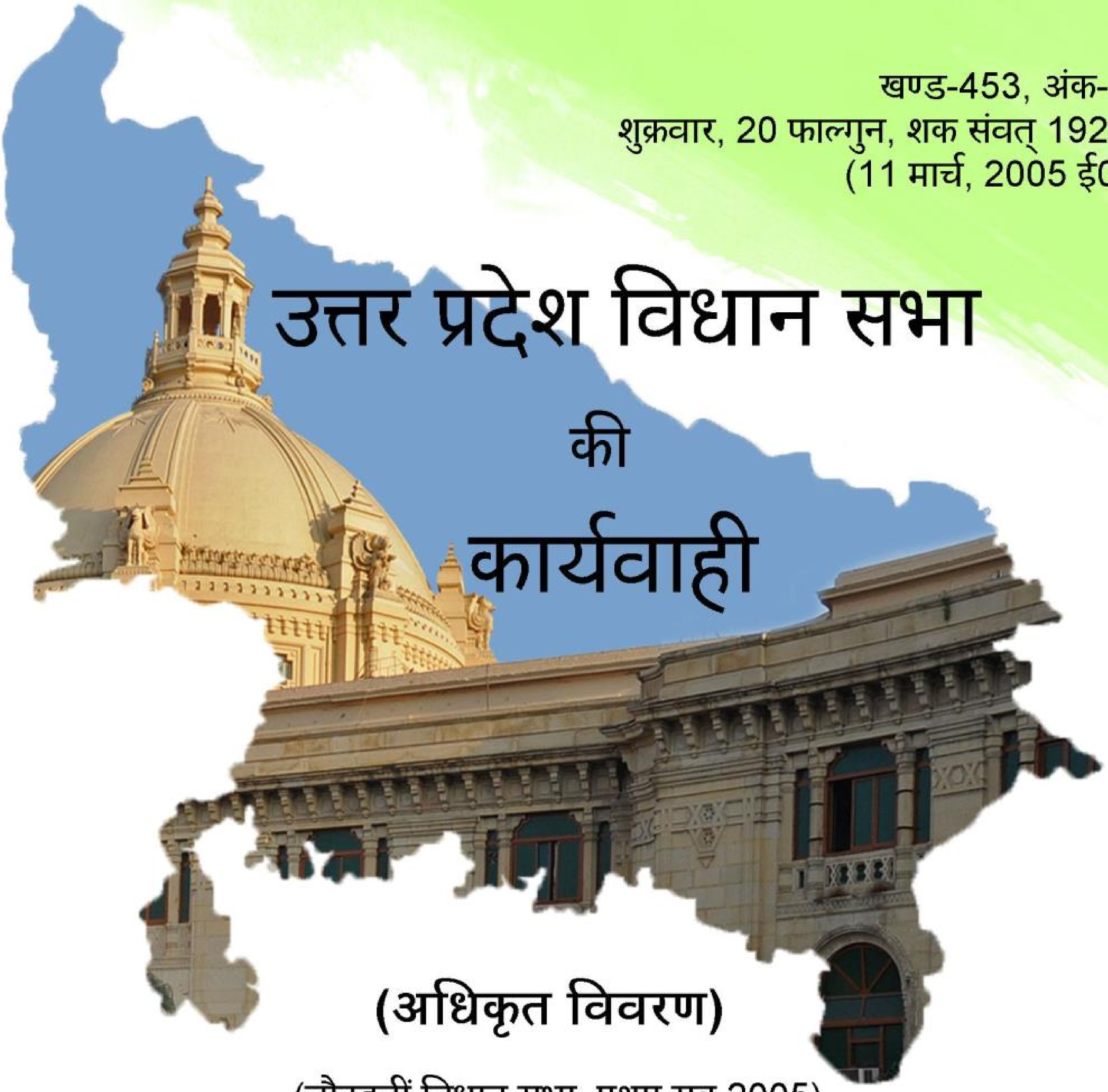

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 453 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	क-च
प्रश्नोत्तर (जारी)	..	1-6
कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 3 की पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	6-7
प्रश्नोत्तर	..	7-31
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	31-32
प्रदेश में भूमि जल स्तर में लगातार गिरावट तथा भविष्य में होने वाले जल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	32
बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत बारह खम्भा चौराहे के क्षतिग्रस्त रास्ते का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	32-33
जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत कालीन उद्योग की मार्केटिंग व प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	33
जनपद बहराइच के शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	33
प्रदेश के पी0 आर0 डी0 के जवानों को स्थायी करने और राज्य कर्मियों की भांति सुविधायें प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	34
जनपद खीरी के ग्राम बैलहा, ब्लाक निघासन के टूटे हुए पुल का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	34
जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां व भरावन के कतिपय ग्रामों को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने हेतु तटबांध बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	34-35
सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के टिकराजार के भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	35
गाजियाबाद दादरी के बीच स्थित पटवारी के बाग नामक चौराहे का नाम बदल कर स्व0 राजेश पायलट चौक करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	35
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	..	35-36
अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित कराने की प्रवृत्ति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..	36-37

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर की टाउन एरिया के चेयरमैन की हत्या विषयक उठायी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षण ..	37-38
बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	38-39
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ..	39-40
उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	40
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 31वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	40
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	41-42
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	42-51
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ..	51-77
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ..	77
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ..	77
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत) ..	78-89
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	89-90
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	90-91
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ..	91
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-[illegible]9, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ठ अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	91
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत) ..	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ..	92
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत) ..	92-93
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ..	93
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	93
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ..	94
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ..	94
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	94-95
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ..	96
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ..	96
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-78 (सचिवालय प्रशासन विभाग) (स्वीकृत) ..	96-97
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ..	97
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ..	97
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	98
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	98-111

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-9, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) . .	111-137
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) . .	137-141
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) . .	141-163
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) . .	163-166
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत) . .	166-167
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) . .	167-174
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	174-175
जनपद चित्रकूट के ग्राम-खोह, तहसील कर्वी में पुलिस लाइन के निर्माण में किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिगृहीत करके मुआवजा न देने के संबंध में श्री डी0 प्रसाद अहिरवार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य . .	175-176
संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस का रजिस्ट्रेशन बन्द किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	176-177
जनपद मुजफ्फरनगर के कण्डेला में पर्याप्त क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य . .	177
जनपद इलाहाबाद में स्थित शंकरघाट कालोनी तेलियरगंज के शवदाह गृह की चिमनी को ऊंचा करने के संबंध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	178

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला सोनभद्र के ग्राम पड़रछ में वन अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही रोक कर बालू मोरंग के खनन पट्टे के नवीनीकरण में अनापत्ति जारी न किये जाने के संबंध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य ..	178-179
जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित अम्बेडकरनगर, पुरौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	179
जनपद महोबा के डाक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में सर्वश्री प्रमोद कुमार एवं प्रदीप जैन "आदित्य" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य ..	180-181
श्रम विभाग में सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य ..	181-182
जनपद देवरिया की ग्राम पंचायत लाहिलपार उर्फ रतनपुरा स्थित स्कूल भवन को पंचायत भवन बनाये जाने एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री जी का केवल वक्तव्य ..	182-183
जनपद गोरखपुर स्थित धर्मशाला बाजार रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ..	183-184
जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 की अवशेष धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ..	184-185

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य--344

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2--अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3--अजय कुमार, डा0 — बागपत
4--अजय राय, श्री — वाराणसी
5--अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
6--अताउल रहमान, श्री — बरेली
7--अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
8--अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
9--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
10--अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
11--अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
12--अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
13--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14--अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
15--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16--अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
17--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
18--अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
19--अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
20--अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21--अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
22--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
23--अमरमणि, श्री — महराजगंज
24--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
25--अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
26--अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
27--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28--अरविन्द गिरी, श्री — खीरी
29--अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
30--अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
31--अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
32--अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
33--अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
34--अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
35--अशोक कुमार कटियार, श्री — का0 देहात
36--अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
37--अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
38--आदित्य विक्रम सिंह (वाकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
39--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
40--आर0 एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
41--आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
42--आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43--आलम बदी, श्री — आजमगढ़
44--आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45--आशीष यादव, श्री — बदायूं
46--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
47--इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
48--इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
49--इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
50--इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
51--उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
52--उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
53--उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
54--उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर

55–ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूँ
56–ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
57–ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
58–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
59–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
60–कपिल देव यादव, श्री मऊ
61–कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
62–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
63–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
64–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
65–कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
66–काशीराम, श्री रामपुर
67–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
68–किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
69–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
70–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71–कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
72–कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
73–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
74–कैलाश, श्री गाजीपुर
75–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
76–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
77–कौशल किशोर, श्री खीरी
78–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
79–गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
80–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
81–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
82–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
83–घूरा राम, श्री बलिया
84–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
85–चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
86–चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
87–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
88–चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
89–छेदी राम, श्री गाजीपुर
90–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
91–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
92–जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
93–जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
94–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
95–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
96–जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
97–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
98–जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
99–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
100–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
101–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
102–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
103–जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
104–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
105–जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
106–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
107–डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
108–तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109–दयाराम, श्री कौशाम्बी
110–दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
111–दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
112–दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
113–दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
114–दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
115–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116–देवकी नन्दन, श्री हाथरस
117–देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर

118 देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
119--देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
120--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121 द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर
122 धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
123--धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
124--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
126--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
127--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
128--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
129--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
130--नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
131--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
132--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
133--नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
134--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
135--नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
136--नारद राय, श्री बलिया
137 परमजीत, श्री मुजफ्फरनगर
138--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
139--पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
140--पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
141--पीतम राम, श्री पीलीभीत
142--पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
143--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
144--प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
145--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
146--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
147--प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
148--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
149--प्रमोद गोड़, श्री अलीगढ़
150--प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
151--प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
152--प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
153--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
154--फागू, श्री मऊ
155--बंशीधर राज, श्री खीरी
156--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
157--बाबू राम, एम0काम0, श्री जालौन
158--बाबू लाल, श्री गोण्डा
159--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
160--विजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
161--बीजू पटैनायक, श्री गाजीपुर
162--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
163--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
164--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
165--बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
166--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
167--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
168--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
169--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
170 भरत सिंह, श्री बलिया
171--भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
172--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
173--मनेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
174--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
175--मदन भैया, श्री बागपत
176--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
177--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
178--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
179--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
180--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

181–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
182–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झोन बाबू, श्री सीतापुर
183–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
184–महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
185–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
186–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
187–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
188–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
189–मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
190–मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
191–मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
192–मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
193–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
194–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
195–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
196–मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
197–मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
198–मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
199–यशपाल चौधरी, श्री खीरी
200–यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
201–याकूब, हाजी मेरठ
202–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
203–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
204–रणवीर राणा, श्री मेरठ
205–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
206–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
207–रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
208–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
209–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
210–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
211–राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
212–राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
213–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
214–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
215–राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
216–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
217–राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
218–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
219–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
220–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
221–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
222–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
223–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
224–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225–राजेश कुमार, श्री खीरी
226–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
227–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
228–राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
229–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
230–राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
231–राम करन आर्य, श्री बस्ती
232–राम किशुन, श्री वाराणसी
233–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
234–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
235–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
236–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
237–रामजी शुक्ला, श्री औरैया
238–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
239–रामपाल यादव, श्री सीतापुर
240–राम पाल वर्मा, श्री हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

241–रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
242–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
243--राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
244–रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
245–राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
246–राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
247–राम मगन, श्री — बाराबंकी
248–राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
249–रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
250–राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
251–राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
252–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
253–रामहेत, श्री — सीतापुर
254–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
255–रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
256–रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
257–लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0 — मेरठ
258–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
259–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
260--लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
261–लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
262–लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
263–वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
264–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
265–विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
266--विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
267–विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
268--विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
269–विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
270–विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
271–विनय शाक्य, श्री — औरैया
272--विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
273–विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
274–विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
275–विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
276--विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
277–विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
278–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
279–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
280–वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" — शाहजहांपुर
281–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
282–वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
283–वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
284–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर
285–शब्बीर, श्री — बहराइच
286–शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
287–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
288–शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
289–शाकिर अली, श्री — देवरिया
290–शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
291–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
292–शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
293–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
294–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
295–शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
296–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
297–शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
298–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
299–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज

300–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
301–शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
302–श्याम सिंह अहीरिया, श्री — मथुरा
303–श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
304–श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
305–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
306–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
307–श्याम सुन्दर उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
308–श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
309–श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
310–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
311–संजीव दरियावादी, श्री — कानपुर नगर
312–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
313–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
314–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
315–सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
316–सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
317–समरपाल सिंह, श्री — बागपत
318–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कु0 — मुरादाबाद
319–सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
320–सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
321–सियाराम सागर, डा0 — बरेली
322–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
323–सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
324–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
325–सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
326–सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
327–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
328–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
329–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
330–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
331–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
332–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
333–सुल्तान बेग, श्री — बरेली
334–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
335–सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
336–सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
337–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
338–हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
339–हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
340–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
341–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी
342–हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
343–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
344–होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर

नोट --(1) श्री अहमद हसन, परिवार कल्याण मंत्री,

(2) श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री,

(3) श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री तथा

(4) श्री अमित कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

रेनू सागर विद्युत् कम्पनी द्वारा रिहन्द जलाशय में छाही डालने से प्रभावित विद्युत् उत्पादन

*1.--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रिहन्द जलाशय प्रत्येक वर्ष रेनू सागर विद्युत परियोजना से निकलने वाली छाही से भरता जा रहा है, जिससे प्रदेश का विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलाशय में हो रही पटाई को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

जी नहीं।

रेनू सागर पावर विद्युत कम्पनी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है एवं किसी भी स्थान पर उनके द्वारा रिहन्द जलाशय में छाही नहीं डाली जा रही है। अतः इस कारण प्रदेश का उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिहन्द जलाशय उत्तर भारत के विद्युत सप्लाई के लिये विद्युत पैदा करने के लिये पूरे उत्तर भारत की आत्मा है। रेनू सागर में कोयले और पानी से बनने वाली बिजली से जो राख निकलती है श्रीमन्, वह पानी के माध्यम से डैम में गिरती है और धीरे-धीरे उसमें सिल्ट बनती है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या उस डैम के भरने से या अन्य कारणों से भी डैम भर रहा है जैसे जंगल के कटान से भी ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जंगल के कटान से भी अनेकों तरफ से मिट्टी कटकर डैम में आ रही है और डैम भर रहा है। आज 9 फिट पानी डैम में बचा है। क्या इस डैम को बचाने हेतु रेनू सागर की जो राख पानी में बहकर उसमें जा रही है उससे तथा जंगल के कटान की वजह से जो मिट्टी जा रही है तो उस एरिया में मिट्टी की कटान को रोकने का प्रयास करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, दो प्रश्न माननीय सदस्य ने किये हैं। माननीय सदस्य को ज्ञान है कि पेड़ों की कटान रोकने के लिये फारेस्ट ऐक्ट भारत सरकार का है जिसके अन्तर्गत पेड़ों का कटान नहीं हो सकता है और वैसे भी उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कम है इसलिये सख्ती के साथ पेड़ों के कटान पर रोक है। कहीं पर इल्लीगल कटान होता है और पता चलता है तो हम एक्शन लेते हैं। इससे रिहन्द के पानी का स्तर कोई कम नहीं हो रहा है। जहां तक दूसरा प्रश्न है, हमने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई छाही नहीं डाली जा रही है। मैं जब ऊर्जा मंत्री था तो स्वयं वहां देखने गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जितने भी मानक हैं, जब तक वह पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तब तक किसी भी पावर स्टेशन को राख डालने की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री राम इकबाल सिंह--

यह आती तो थी, आपके प्रयास से यह बन्द हो गया है। लेकिन यह छाही डैम में आती थी और उससे डैम भरता था। यह अलग बात है कि अब बन्द हो गया हो। मान्यवर, यह आश्वासन आप मंत्री जी से दिलवा दें कि छाही उसमें नहीं डाली जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरा कहना है कि यदि डैम में छाही जाना बन्द हो गया हो तो माननीय मंत्री जी सदन को अवगत करा दें। यदि अनवरत छाही जाना जारी हो तो उसको दिखवा लें। क्या उसे बन्द कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है ठीक है, नहीं भरा है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कहने से यथार्थ नहीं बदल जाता है। इस समय भारी समस्या प्रदेश के सामने है। जो कोयला जलाते हैं देश में सबसे ज्यादा कोयला वहां है, पहले उसकी राख बिल्डिंग मेटीरियल में इस्तेमाल हो जाती थी। सड़कों के खड़ंजे में इस्तेमाल हो जाती थी। अब उस राख का कोई यूज नहीं रह गया है सीमेन्ट में मिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने आदेश दिया है। ईंट-भट्ठा मालिकों को आदेश दिया कि ईंटे में इस्तेमाल करें तो उन लोगों ने हड़ताल कर दी और मामला खत्म हो गया। यह राख कहीं न कहीं तो जा रही है। वर्षा से बहकर रिहन्द में आ रही है। मंत्री जी जब इसके मंत्री थे तो उसको देख आये थे और सब ठीक हो गया था। यह कह देना काफी नहीं है। आप इसकी गम्भीरता को समझें। रिहन्द का जल स्तर गिर जायेगा तो वह बिजली देना बन्द कर देगा तब प्रदेश और ज्यादा घाटे में चला जायेगा। नई बिजली पैदा हो रही है वह तो ठीक है लेकिन यह जो हो रहा है इससे बहुत नुकसान होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं उनके जमाने में यह बात आई थी लेकिन मैं देख रहा था कि कहीं भी उन्होंने इस पत्रावली में अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं की है जहां तक यह कहना कि एरिया में जल स्तर गिर रहा है डैम का एरिया कम हो रहा है इसमें बता दूं कि एक प्रोसेस होता है उसमें पानी को छाना जाता है पानी छनकर पुनः प्लान्ट में आकर इस्तेमाल हो जाता है अगर वह एसीडिक होता, इस्तेमाल करने लायक न होता तो उसको प्लान्ट में भी इस्तेमाल न किया जाता। मान्यवर, वहां भारत सरकार की टीम जाती है पानी को रोज टेस्ट करती है प्रतिदिन रिपोर्ट आती है। जिस पावर स्टेशन की बात कही गयी है वहां कोयले की राख को अलग गड्ढे में डाला जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन--

शक्तिनगर का और जगह का सारा पानी जो बारिश के साथ आएगा उसके साथ मिट्टी-कचरा भी आएगा। शक्तिनगर की जितनी ऐश है वह कहां जा रही है ? बारिश के लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था है कि ऐश उसके साथ नहीं जाएगी ? ऐश जो है वह जाकर पानी में नीचे बैठती जा रही है। पानी का स्तर गिरता जा रहा है इसलिए टरबाइन जिस तरह से उठनी चाहिए वह नहीं उठ रही है। दूसरी बात आपने मेरे समय की कही तो उस समय तो राख के लिए झगड़ा होता था। टेण्डर भरे जाते थे राख को खरीदने के लिए। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आज मुफ्त में भी सरकार दे तो उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो नेचुरल प्रोसेस है उसको आप कैसे रोकेंगे ? इसका आपने जवाब नहीं दिया। यह तो वही बात हो गई--

"मारे घुटना, फूटे आंख"

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

क्या आपको इसकी जानकारी है कि रिहन्द बांध की गहराई कम होती जा रही है ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? इसके कई तथ्य और प्रमाण हैं कि दो-तीन सालों में रिहन्द की गहराई कम हुई है। जिस कारण यह प्रश्न खड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा कि यदि इसकी गहराई कम हुई है तो उसका कोई न कोई प्रबन्ध किया जाए जिससे पानी की क्षमता और बढ़ाई जा सके ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, हरीश जी का प्रश्न है, इसकी गहराई की जांच आप करा लेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, क्योंकि हरीश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आपका निर्देश है, वैसे भी अगर ऐसी आशंका है तो निश्चित रूप से जांच करा ली जायेगी। लेकिन ऐसी कोई चीज सामने आई नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो चीजें मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक--जब रिहन्द जलाशय बना था, तब उसकी गहराई कितनी थी और आज उसकी गहराई कितनी है ? और मेरा दूसरा प्रश्न है--मंत्री जी ने कहा है कि जब टण्डन जी ऊर्जा मंत्री थे, तब भी यह विषय आया था और उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, वह विषय किस दिन और किस वर्ष में आया था और उस पत्रावली पर क्या निर्णय हुआ था ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

चूंकि बाजपेयी जी को कल रैली में बोलने को नहीं मिला था इसलिए आज यहां बोल रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

आप इस पीठ पर बैठकर संरक्षण देने के लिए हैं, किसी मंत्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी सदस्य के ऊपर आक्षेप करे। रैली में बोलने के लिए कोई विधायक अधिकृत नहीं था। हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को ही उसमें बोलना था। मान्यवर, आप इस सदन की जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मंत्री जी ने जैसा कहा है, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और अपने उत्तर के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। मंत्री जी द्वारा इस प्रकार की भाषा बोलना उचित नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

अध्यक्ष जी, यदि इस सदन में सीनियर सदस्य और जूनियर सदस्य को अपनी हैसियत के हिसाब से बोलने के लिए कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाजपेयी जी, आप हमसे बहुत जूनियर हैं। आप हमें न सीख सिखाया करें। इस प्रकार की बात जूनियर लोग करेंगे, आप 10-15 साल हमसे जूनियर हैं और इस तरीके की बात कहेंगे तो इसको मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी जूनियर सदस्य को ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी, आप प्रश्न पूछिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी मेरे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई के बराबर हैं, उनकी आयु बहुत बड़ी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन किसी बड़े भाई को भी छोटे भाई के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, कोई प्रश्न है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न का उत्तर आप देना चाहेंगे, दूसरे के लिए मैंने नहीं कहा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मेरा पहला प्रश्न था कि जब रिहन्द बना था, उस समय उसकी गहराई कितनी थी ? माननीय टण्डन जी का रिफरेन्श तो मंत्री जी ने स्वयं किया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

इसकी सूचना नहीं है।

सरकार द्वारा प्रदेश में उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने की नीति में सरलीकरण

*2--डा0 सुशील चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यमियों द्वारा उद्योग लगाने की वर्तमान नीति में सरलीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

वर्तमान नीति का सरलीकृत करते हुए नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 घोषित की गई है। विशेषतौर पर उद्योग लगाने हेतु अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स/स्वीकृतियां निर्गत कराने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एकल मेज व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में सुविधा प्रदान करने का निर्णय

*3--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री कैलाश)--

प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर सरकार द्वारा निम्न प्रोत्साहन दिये जाने के प्राविधान किये गये हैं। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रु0 10 करोड़ या उससे अधिक लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की सुविधा दी गई है। जबकि अन्य क्षेत्रों में केवल खाद्य प्रसंस्करण व पशु सम्पदा आधारित इकाइयों को तथा 25 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश से स्थापित होने वाली अन्य सभी इकाईयों को ऐसी सुविधा अनुमन्य है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 में पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए विशेष प्राविधान किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

पूर्वांचल के चिन्हित 29 जनपद एवं बुन्देलखण्ड के 7 चिन्हित जनपदों में 15 वर्ष के लिए [illegible] गुड्स, प्लाण्ट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की जायेगी। 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों को प्रवेश कर पर पूर्ण छूट उपलब्ध रहेगी।

नवीन लघु एवं लघुतर इकाइयों को स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत पूंजी उपादान अधिकतम 5 लाख रुपये पूर्वी क्षेत्र के 29 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए पूंजी उपादान निधि प्रथम चरण में 250 लाख से सृजित की जायेगी तथा आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार प्राविधान किया जायेगा।

पूर्वांचल के 29 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में नई लघु तथा लघुत्तर इकाइयों को 100 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से छूट तथा 2 रुपये प्रति हजार की दर से पंजीकरण शुल्क (अधिकतम रुपये 5 हजार) अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। [illegible] जनपदों में नई मध्यम एवं वृहत्त औद्योगिक इकाइयों को 50 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क से छूट तथा पंजीकरण 2 रुपये प्रति हजार (अधिकतम रुपये 5 हजार) की दर से अदा करने पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। शेष जनपदों में औद्योगिक भूखण्डों के स्टैम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी।

इसके अलावा जो सुविधायें पूरे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध है वह पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड को भी उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(औद्योगिक विकास राज्य मंत्री द्वारा उत्तर पढ़ जाने के मध्य)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् यह प्रश्न पिछले शुक्रवार को पूरा उत्तरित हो चुका है। एक प्रश्न पर जवाब आ चुका है। यह उत्तरित हो चुका है। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड आ चुका है, पश्चिमांचल नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जवाब देने लगे। यह तो उन्हें कहना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, सामान्यत: जब प्रश्न होता है तो शासन इसका उत्तर देता है।

श्री अध्यक्ष--

यह हो जाने दीजिए तब आप अपनी बात कहिएगा। प्रश्न के बीच में न कहें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

ठीक है मान्यवर, न सुनें।

श्री अध्यक्ष--

तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर (प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर।)

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 की पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब यह प्रश्न उत्तरित हो चुका है तो शासन ने इसका उत्तर क्यों दिया ? मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने कह दिया तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया तो फिर आपने बाद में अपना कहा बदल दिया।

श्री अध्यक्ष--

एक सेकेण्ड। माननीय मंत्री जी, जब यह प्रश्न एक बार उत्तरित हो गया फिर यह दोबारा क्यों आ गया ? यह हमारे लोगों को भी देखना चाहिए और आपके लोगों को भी देखना चाहिए और इसे कार्य-सूची में नहीं आना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इस बार बुन्देलखण्ड शामिल है। उसमें बुन्देलखण्ड नहीं था। एक बात और कि जब माननीय मंत्री जी तमाम प्रश्नों को निरस्त करते हैं तो जब यह प्रश्न उत्तरित हो चुका था तो इसको क्यों नहीं निरस्त कराया ? जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया है तो उत्तर आने दीजिए। उत्तर दिलाएं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दें।

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री कैलाश)--

मान्यवर, अध्यक्ष जी, यह हो चुका है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह प्रश्न भले ही उत्तरित हो चुका है लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया है तो हो सकता है कि नये अनुपूरक आ जायें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसमें दोनों ही को कहा है, माननीय मंत्री जी को भी कहा है और अपने यहां भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर इसका परीक्षण करा लें कि क्या यह प्रश्न हूबहू दोबारा आया है ? अगर दोबारा नहीं आया तो यह दोबारा उत्तरित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। अगर यह प्रश्न उत्तरित हो चुका है तो ठीक है, नहीं उत्तरित हुआ है, तो इसको लगवा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, इसी सत्र में लगवा दें।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

पशुधन से आय बढ़ाने हेतु नई नीति बनाये जाने की मांग

*4--श्री राम करन आर्य (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003-2004 में पशुधन से प्रदेश की वार्षिक आय कितनी हुई ? क्या सरकार ने पशुधन से आय बढ़ाने हेतु कोई नयी नीति बनायी है ? यदि हां, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

वर्ष 2003-04 में पशुधन सेवाओं से लेवी से प्रत्यक्ष रूप में रु0 8,54,68,000 की आय हुई है। पशुधन से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि, इसमें दूध उद्योग, मांस उद्योग, अण्डा व ऊन उत्पादन इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है।

जी हां।

पशुधन विभाग द्वारा नौ (9) मिल्कजोन की स्थापना की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 व्यापार मण्डल द्वारा वैट प्रस्ताव का विरोध

*5--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ0 प्र0 व्यापार मण्डल तथा पश्चिमी उ0 प्र0 व्यापार मण्डल वैट प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार व व्यापारी नेताओं के बीच कोई वार्ता हुई है ? यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ? क्या सरकार वैट की कुछ धाराओं में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में तथा उनमें कब तक परिवर्तन कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

जी हां।

समय-समय पर व्यापारियों ने अपने विचारों से शासन को अवगत कराया है।

राज्य सरकार वैट के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार कर रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं दो सवाल करना चाहता हूं । एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार मण्डल और उ0 प्र0 व्यापार मण्डल ने कौन-कौन से मुद्दों पर विरोध जाहिर किया ? क्या वैट लागू करने की दिशा में यह एन्ट्री टैक्स लागू रहेगा ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

अभी तो जो प्रदेश सरकार का सिद्धान्त है उससे आप भिज्ञ हैं। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी जब तक वैट के लिए सहमत नहीं होंगे, प्रदेश सरकार जबरदस्ती थोपने का काम नहीं करेगी। लेकिन जो बिन्दु हैं, जिनकी ओर उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की है, तो उसमें एक तो यह है कि रजिस्ट्रेशन सीमा पर व्यापारियों को छूट की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था, जो पांच लाख की सीमा थी उसको एम्पावर्ड कमेटी ने 10 लाख करने पर विचार करने का काम किया है। कम्पोजिशन स्कीम में जो चालीस लाख की सीमा थी, उसको 50 लाख करने की व्यापारियों की मांग थी, कुछ और आपत्तियां हैं जिससे एम्पावर्ड कमेटी को अवगत करा दिया गया है। प्रदेश सरकार तब तक इसको नहीं लागू करेगी जब तक व्यापारी उससे सहमत नहीं होंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैंने, कौन सी उनकी आपत्तियां हैं ? इसको जानने के लिए प्रश्न किया था, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, व्यापारियों का पक्ष यह सरकार प्रारम्भ से ले रही है और वैट की चर्चा नहीं है। इनके कार्यकाल में यह प्रारम्भ हुआ था। उस समय यह संसद में आया था और उसी समय इम्पावर्ड कमेटी बनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट का अधिनियम बनाने की तैयारी भी कर ली थी लेकिन जब से हमारी सरकार आयी है हमने यह किया है कि जब तक व्यापारी सहमत नहीं होंगे तब तक हम इसे लागू नहीं करेंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्री स्वयं बात करने आये थे तब भी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब तक व्यापारी सहमत नहीं होंगे हम इसे लागू नहीं करेंगे। हमें कोई सिद्धान्ततः आपत्ति नहीं है। लेकिन हम व्यापारियों से सहमति लेने पर ही इसे लागू करेंगे। इस पर भारत सरकार के वित्त मंत्री और इम्पावर्ड कमेटी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से वह सीधा सम्पर्क करेंगे। अभी यह बात नहीं हो पायी है।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धान्ततः वैट लागू करना स्वीकार कर लिया है और यह नेगोसियेशन करके व्यापारियों को समझा लेंगे। इसीलिए सिद्धांत रूप में इसे स्वीकार कर लिया है। मैं भी इम्पावर्ड कमेटी का सदस्य रहा हूं, उस समय कहा था कि वैट नहीं लागू करेंगे। तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि जो राज्य नहीं लागू करना चाहते हैं वह न करें। आप

कहते हैं कि उस समय ऐक्ट का प्रारूप बना लिया था। मैं मम्बर रहा हूं असीम दास गुप्ता जी ने बात कही थी, बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा उत्तर प्रदेश में वैट नहीं लागू होगा और उसके ऊपर दोबारा मीटिंग नहीं हो पायी।तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सार्वजनिक बयान दिया था कि जो राज्य लागू नहीं करना चाहते हैं वह न लागू करें।

डा अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन के कथन के प्रति कहीं पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो स्थिति है, वह यही है कि आपके समय में वैट लागू करने की तैयारी कर ली गयी थी और सैद्धान्तिक रूप से सारे प्रदेश में वैट लगाने की तैयारी कर ली गयी थी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

श्रीमन् जिस इम्पावर्ड कमेटी का जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया है मैं खुद उसका सदस्य रहा हूं और सरकार का पक्ष भी यही रहा है, आपने भी इसका विरोध किया है, लेकिन हमारी सरकार भी इसका विरोध कर रही है और हम वैट को लागू नहीं करेंगे।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि व्यापारी वैट लागू करने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, तो केवल इतना माननीय मंत्री जी बता दें कि किन-किन मुद्दों पर व्यापारियों ने अपनी असहमतियां व्यक्त की हैं और सरकार का उन मुद्दों पर क्या रुख है ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, प्रदेश में छोटे व्यापारियों की संख्या अधिक है। अभी तक इम्पावर्ड कमेटी के तहत जो व्यापारी पांच लाख तक का व्यापार करेंगे उन्हें पंजीकरण से छूट की व्यवस्था की गई है, प्रदेश के व्यापारियों का मत था कि दस लाख का व्यापार करने वालों तक को यह छूट हो। अभी तक जो इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय है कि कम्पोजीशन स्कीम में जो 40 लाख रुपये की सीमा थी, अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया है। इसी तरह से वैट की इम्पावर्ड कमेटी ने यह प्रारूप तैयार किया है कि दस ऐसी वस्तुओं पर राज्य सरकार की छूट होगी कर निर्धारण के सम्बन्ध में, लेकिन हमारे यहां उसकी सीमा क्या हो ? क्योंकि हमारे यहां के व्यापारियों को मत था कि अलीगढ़ में ताले बनते हैं, लखनऊ में चिकन उद्योग है, मुरादाबाद में ब्रास वेयर का उद्योग है, इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, जो छोटे-छोटे उद्योग के रूप में हैं, तो ऐसी चीजों की संख्या दस में सीमित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ाने की बात थी। इसी तरह से हमारे यहां ईंट-भट्ठा उद्योग है, वह वर्ष में कितने ईंट का उत्पादन करेंगे ? कितने चक्कर चलेंगे ? इस सबका निर्धारण करना सम्भव नहीं है। तो ऐसे में हम उनका कर निर्धारण कैसे करेंगे ? दूसरे व्यापारियों की इतनी सारी चीजें जिनका व्यापारी प्रदेश के अन्दर ही निर्माण करते हैं और प्रदेश के अन्दर ही उनकी खपत करते हैं, तो उनको वैट की सीमा से बाहर करने से सम्बन्धित बात थी उस पर मुख्य रूप से ये आपत्तियां थीं जिनका जिक्र मैंने किया है और जिन पर व्यापारियों को चिन्ता थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इस वैट प्रणाली के सम्बन्ध में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार मण्डल की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, क्या इस सम्बन्ध में सरकार व व्यापारी नेताओं की बीच कोई वार्ता हुई है ? और इस प्रश्न का उत्तर सरकार की तरफ से आया है कि समय-समय पर व्यापारियों ने अपने

विचारों से शासन को अवगत कराया है। दो आपत्तियों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है। तीसरी आपत्ति, जो सजा का प्राविधान है और जुर्माने का प्राविधान है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। एक तो पंजीकरण के बारे में था, पांच लाख से दस लाख करने का और दूसरा कम्पोजीशिन स्कीम का 40 लाख से 50 लाख करने का, लेकिन सजा और जुर्माने के प्राविधान के साथ-साथ जो बाकी टैक्स इसके साथ-साथ आरोपित करने वाले हैं, उन सबकी स्थिति क्या होगी ? इसके बारे में मैंने स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा है।

डा अशोक बाजपेई--

मान्यवर, इस सरकार के रहते प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न असम्भव है। किसी भी कीमत पर हम प्रदेश के व्यापारियों का उत्पीड़न, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याया या उन्हें दण्डित होते देख नहीं सकते हैं।

मान्यवर, यह सरकार हमेशा व्यापारियों के हक में काम करती है जो किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, हम कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जो व्यापारियों के सम्मान के विपरीत हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, सजा और जुर्माने वाली बात का जवाब आ जाए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, सजा वाले मामले में बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें। हमने अगला प्रश्न ले लिया है।

जनपद गाजियाबाद के देहरा क्षेत्र में रिलाएंस विद्युत् परियोजना हेतु भूमि का विक्रय

*6--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद के देहरा क्षेत्र में रिलाएंस विद्युत् परियोजना हेतु किस दर पर कितनी भूमि विक्रय की गयी है और अब तक कितनी भूमि का कब्जा दे दिया गया है ? यह परियोजना कब तक पूरी होकर चालू हो जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जनपद गाजियाबाद की हापुड़ तहसील क्षेत्रान्तर्गत गैस आधारित विद्युत् उत्पादन संयंत्र की स्थापना तथा अन्य सुसंगत प्रयोजनों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा घोषित ऊर्जा नीति 2003 यथासंशोधित जून, 2004 की व्यवस्थाओं के तहत भू-अधिग्रहण की कार्यवाही की गई तथा उसके सापेक्ष 881.801 हेक्टेयर भूमि का कब्जा भू-अधिग्रहण के पश्चात् प्राप्त करके रिलायंस इनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम अन्तरण की कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त 92.276 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि का भी पुनर्ग्रहण किया जा रहा है। पुनर्ग्रहण से प्राप्त होने वाली भूमि 99 वर्ष की लीज पर विकासकर्ता कम्पनी को 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ की लीज पर दी जायेगी, अधिग्रहीत जमीन के लिये ऊर्जा नीति की व्यवस्थाओं के तहत दिनांक 16-6-2004 को निष्पादित स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट की व्यवस्थाओं के अनुसार लगभग 134 करोड़ रुपये का भुगतान अधिग्रहीत भूमि के काश्तकारों को जिलाधिकारी द्वारा वितरित किया गया है। भूमि के लिए काश्तकारों को रु0 150 प्रति वर्ग गज की दर से करारनामे के अनुरूप भुगतान किया जा रहा है। प्रतिकर के रूप में देय धनराशि जिलाधिकारी के पास उपलब्ध है।

लगभग 8 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के अन्तर्गत स्थापित होने वाली उक्त वृहत् परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन शीघ्र से शीघ्र एवं चरणों में होगा जो प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों जैसे भारत सरकार से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति, विभिन्न वित्तीय अनुबंधों आदि पर आधारित होगी।

श्री नवाब सिंह नागर--

मान्यवर, हमेशा सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है कि यह संयंत्र डेढ़ साल के भीतर चालू हो जायेगा लेकिन इस उत्तर में इस समय सीमा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि जब केन्द्र सरकार से बहुत सारी अनुमतियां प्राप्त होंगी उसके बाद ही आप इसको चालू करा पायेंगे ? तो इस तरीके से जवाब देकर बार-बार सदन को गुमराह करने का काम क्यों किया जाता है और यह स्पष्ट बताने की कृपा करें कि आपका यह संयंत्र कब तक चालू हो जायेगा ? मान्यवर, पिछले सत्र में भी कहा गया था कि यह जमीन सीधे किसान से हम क्रय कर रहे हैं, जब कि इसमें उत्तर में यह कहा जा रहा है कि यह जमीन ऊर्जा विभाग ने अधिग्रहीत की है और कब्जा करने की कार्यवाही की जा रही है, तो मान्यवर, किसी प्रकार से यह दोनों विरोधी बातें कही जा रही हैं इसको स्पष्ट कराने का कष्ट करें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, हम लोग का प्रयास था कि रिलायंस इनर्जी जेनरेशन लिमिटेड का पावर स्टेशन दो-ढाई साल में काम करने लगेगा और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है। मान्यवर, इसमें कुछ क्लियेरेन्स की आवश्यकता होती है जैसे स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से अनुमति, आज भारत सरकार के पोल्यूशन बोर्ड की बैठक है उसमें जैसे ही इसका क्लियेरेन्स होगा तो कार्यवाही आगे बढ़ेगी। मान्यवर, उस दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चिन्ता जाहिर की थी सब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था और उसके बाद तो मान्यवर, इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि हर चीज के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि किसानों से जो जमीन ली गई है वह आपस में एग्रीमेन्ट से ली गई है। किसानों को बताया गया है कि एग्रीमेन्ट के हिसाब से हम किस दर से इसका भुगतान कर रहे हैं। मान्यवर, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अगला सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है इसलिए उसी भूमिका में सवाल कर रहा हूं। आपने जिक्र किया किसी स्टेट स्पोट एग्रीमेन्ट के आधार पर सारी कार्रवाई यह चल रही है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह स्टेट स्पोट एग्रीमेन्ट है या स्टेट कमिटमेन्ट एग्रीमेन्ट है ? क्या आप उस स्टेट स्पोट एग्रीमेन्ट को पढ़कर सुनायेंगे ताकि सदन को उसकी जानकारी हो जाय कि कितना कमिटमेन्ट उनका है और कितना आपका है ? आप 8 अरब का बजट मांगने जा रहे हैं तो यहां लोगों को यह जानकारी हो कि जो स्टेट सपोट एग्रीमेन्ट है वह मूल रूप में है क्या ? अगर यह आपके पास हो तो बता दें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं बता दे रहा हूं। हमारे उनके बीच में जो कुछ हुआ है उसमें वह 3750 मेगावाट का पावर स्टेशन लगाने की बात थी बाद में उसे बढ़ाकर 8 हजार मेगावाट तक ले जायेंगे। यह मेगाप्रोजेक्ट के अन्तर्गत लगेगा जो भारत सरकार की नीति है। इसकी लागत आठ हजार करोड़ की

होगी। जो हमारी एनर्जी पालिसी 2003 की है, जो संशोधित 2004 है उसमें हमने दिया है कि कितनी कास्ट का पावर प्लांट लगेगा ? कितना स्टेट सरकार छूट देगी ? जो बिजली जनरेट करेंगे उसकी 40 प्रतिशत बिजली वह हमको देंगे, यह उनकी बाध्यता होगी उसकी फिक्स कास्ट 1.25 रुपया तय है, वेरिएशन कास्ट तब लगेगी जब उनका पूरा प्रोजेक्ट लग जायेगा बाद में उसका रेट नियामक आयोग तय करेगा इसमें उनको 2500 एकड़ लैण्ड देने की बात कही गयी है, 60 प्रतिशत लैण्ड की कास्ट उत्तर प्रदेश सरकार देगी और 40 प्रतिशत निवेशकर्ता देगा। यह हमारी ऊर्जा नीति में है कि 5 हजार करोड़ से ऊपर का जो निवेश करेगा उसमें जो लैण्ड होगी उसका 60 प्रतिशत राज्य सरकार देगी और 40 प्रतिशत निवेशकर्ता देगा 2500 एकड़ लैण्ड देने का हमने कमिटमेन्ट किया है। राज्य सरकार की जितनी अधिग्रहीत जमीन है वह 99 साल की लीज पर 100 रुपया प्रति एकड़ मानक के हिसाब से दी जायेगी। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर यू0पी0 गवर्नमेन्ट तैयार करेगी सड़क है, पुल है, उसको राज्य सरकार देगी, पानी राज्य सरकार देगी लेकिन जो डैम बनेगा पानी ले जाने के लिए प्रोसीजर एडाप्ट करेंगे उसकी जो भी कास्ट आयेगी वह निवेशकर्ता उस कास्ट को बेयर करेगा। हम व्यापार कर, इंट्री टैक्स, और स्टैम्प ड्यूटी की छूट देंगे जो उनको ऋण के रूप में चला जायेगा जो बिना ब्याज के हम देंगे यह मेन-मेन शर्तें थीं।

श्री हुकुम सिंह--

चूंकि लगभग एक हजार हेक्टेयर, इसमें आपने लिखा है इसका उल्लेख आपने किया है एक हजार हक्टेयर जमीन का उल्लेख किया है चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो मानकों के अनुरूप इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है ? आपने 850 एकड़ जमीन 134 करोड़ में दी है उसमें आपने यह भी किया है कि इसमें से कुछ प्रतिशत राज्य सरकार वहन करने जा रहा है यह राज्य सरकार ने दिया है। मान्यवर, मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दे रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है मानकों के अनुरूप इतने बड़े पावर स्टेशन के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है ? क्योंकि आपने तो आधा नोएडा ले लिया सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे हैं, सारी सुविधा दे रहे हैं, सुविधा देने के बाद निश्चित रूप से यह बिजली घर नहीं बन रहा है यह अलग से टाउनशिप डेवलप हो रहा है जो भी फायदा होगा, उनका होगा, यह मुझे बताया गया लेकिन मैं निश्चित रूप से जानकारी चाहता हूं कि कितनी जमीन की आवश्यकता है मानक के अनुरूप ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जितनी जमीन दे रहे हैं वह मानक के अनुरूप है। यह कंडीशन में है कि इसके अतिरिक्त अलग उपयोग करी जायेगी,तो वह उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो जायेगी। हमने 150 रुपये प्रति गज के हिसाब से किसानों को भुगतान किया है, जिसमें किसानों को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा सवाल बड़ा साफ है। यह इसको कहां ले गये उठाकर ? इन्होंने बता दिया कि जो बचेगी, वह राज्य सरकार में चली जायेगी, सवाल यह नहीं है। मान्यवर, यह हमारी कृषि भूमि है और इस खेती से सारे भारत का पेट भरता है। उसमें हम 10 साल तक प्रतीक्षा करें कि आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम ले लेंगे, यह कोई नीति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कोई सर्वेक्षण कराया ? कोई मानक आपके पास में हैं ? उन मानकों को आधार मानकर आपने अधिग्रहण किया होगा ? यह कह देना बहुत आसान है कि करार के आधार पर जमीन ली गयी है। वहां पूरा

प्रशासनिक दबाव बनाकर वहां के किसानों को मजबूर किया गया, और करार पर हस्ताक्षर करने के लिये दबाव डाला गया। जिस पर वहां हड़ताल हुई, घेराव हुआ यदि आप करार के आधार पर कर रहे हैं तो सम्भवत: ठीक नहीं कर रहें हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि क्या राज्य सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराने के बाद में मानकों के अनुसार यह तय किया कि इतनी जमीन की आवश्यकता है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् हमारी सरकार में न किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, न व्यापारियों को और न मजदूरों को। हम तो राहत देने की बात कर रहे हैं। अगर उत्पीड़न किया गया होता तो हमारा भी वही हाल हो जाता। अभी जितने भी उप चुनाव हुये हैं, उसके सब रिजल्ट्स से पता चल ही रहा है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया। मैं पूछ रहा था कि आपने कोई सर्वेक्षण कराया और कराने के बाद जो मानक निर्धारित है, उसके अनुसार तय किया कि इतनी जमीन की आवश्यकता है। इतनी बड़ी परियोजना लग रही है और आप अंधेरे में लाठी घुमा रहे हैं। कुछ तो जानकारी होनी चाहिये। वैज्ञानिक आधार पर कुछ तो सोच होनी चाहिये। हमने जो किया तो हम इधर आ गये और आप जो कर रहे हो तो इधर बैठने लायक भी नहीं रहोगे ?

श्री अध्यक्ष--

अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या-7 के श्री राम नरेश यादव जी नहीं हैं।

(कई सदस्यों द्वारा पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक पूछने के लिये अनुरोध करने पर)

आप लोग अगले में पूछ लीजियेगा। आठवां प्रश्न भी इसी से सम्बन्धित है।

प्रदेश में बन्द सीमेन्ट फैक्ट्रियों को पुन: चालू कराने की मांग

*7--श्री राम नरेश यादव (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क, डाला तथा चुनार सीमेन्ट की इकाइयां बन्द हो गयी हैं जिससे मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इकाइयों को पुन: चालू कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चुर्क, डाला एवं चुनार स्थित सीमेंट फैक्ट्रियां जो उ0 प्र0 राज्य सीमेंट निगम लि0 की इकाइयां हैं वर्ष 1998 से बन्द हैं और यह कम्पनी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) की संस्तुति पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को 8-12-1999 के आदेश से परिसमापनाधीन है तथा परिसमापन की कार्यवाही हेतु समापक के रूप में शासकीय समापक इलाहाबाद नियुक्त है।

जिलाधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचनानुसार इन इकाइयों के बन्द होने के कारण इनके मजदूरी/कर्मियों की आर्थिक स्थिति खराब है।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इस कम्पनी की तीनों इकाइयों की परिसम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य रु0 271.00 करोड़ निर्धारित करते हुए पुनर्निविदा का आदेश किया है, जिसके अनुसरण में कार्यवाही आफिसियल लिक्वीडेटर स्तर पर अभीष्ट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन इकाइयों को चलाये जाने के विषय में निर्णय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन होने के कारण इस प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप/कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गौतम बुद्ध नगर में गैस पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु अनुबन्ध

*8--श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 विनोद तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंकि कि 1 सितम्बर, 2003 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् का किसी कम्पनी/फर्म/व्यक्ति से दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर में गैस पर आधारित बिजली उत्पादन हेतु कोई अनुबन्ध हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस अनुबन्ध की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं। दिनांक 1-9-04 के बाद कोई अनुबन्ध नहीं किया गया।

दिनांक 16-6-04 को जनपद गाजियाबाद की हापुड़ तहसील के अन्तर्गत गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु रिलायंस इनर्जी जेनरेशन लि0 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक स्टेट सपोर्ट एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है, वह जानबूझकर इस सदन को गुमराह करने की कोशिश है। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसकी मूल प्रति मेरे पास है और जो कार्यसूची में प्रश्न छपा है, उससे उसमें फर्क है। मेरा प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 सितम्बर, 2003 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् का किसी कम्पनी/फर्म/व्यक्ति से और माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न और उत्तर मुझे मिला है, उसमें दिया है कि क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे 1 सितम्बर, 2004 के बाद, इसमें 2003 की जगह 2004 की बात कही जा रही है। अर्थात प्रश्न एकदम गलत छपा है। इसमें विधान सभा सचिवालय का कोई दोष नहीं है। बल्कि इसमें जानबूझकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है। उत्तर में कहा गया है कि ऐसा कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है और जबकि प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में बताया गया कि ऐसा एग्रीमेन्ट हुआ है और जब उसकी प्रतिलिपि मैंने सदन के पटल पर रखने की बात कही है तो उत्तर दिया गया है कि प्रश्न नहीं उठता। जबकि ऊपर कहा जा चुका है कि 16 जून, 2004 को एक एग्रीमेन्ट हुआ है। पहले तो आप इनकार कर रहे हैं और सदन में एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि की बात कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया उत्तर को संशोधित करें और साथ ही उस अनुबन्ध, जिसके बारे में बहुत विवाद है, उसके बारे में प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कितना लाजायज फायदा खैरात की तरह उन लोगों को दिया जा रहा है ? इसमें मेरा अनुरोध है कि सही उत्तर आ जाये।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जो प्रश्न आया था, वह 2004 का आया था लेकिन छपा 2003 है, इसमें कहां से गलती हुई है ? इसे मैं देख लूंगा और जिसने गलती की है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। मान्यवर, मैं उत्तर से सम्बन्धित सभी चीजें ले आया था, हम एग्रीमेन्ट की कापी उपलब्ध करा देंगे, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। यह पब्लिक डाकूमेंट है, कोई सीक्रेट डाकूमेंट नहीं है,

सरकार कुछ छिपाने नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग प्रदेश को अंधेरे में डालने की कोशिश करना चाहते हैं, वह लोग यह समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता भविष्य में उन्हें माफ नहीं करेगी। हम तो उत्तर प्रदेश में नया पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बिजली देना चाहते हैं और आज बजट में इसे रखा भी जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने व्यवस्था की बात की थी कि उत्तर में कुछ दूसरा छपा है और माननीय मंत्री जी भी इससे सहमत हैं कि कहीं कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, कब तक उत्तर आ जाएगा ?

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी ने गम्भीर बिन्दु की ओर इशारा किया है, इसका उत्तर जल्दी ही दिलवा देंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसमें हमारा आग्रह यह है कि जब सेप्रेट एग्रीमेन्ट आये तो सभी माननीय सदस्यों को भी उसकी एक कापी मिल जाए।

श्री अध्यक्ष--

आपका सुझाव माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पब्लिक डाकूमेन्ट हैं, इसलिए मेरा आग्रह है कि जब उत्तर आये तो लिखित उत्तर के साथ में कम से कम एग्रीमेंट की कापी भी लगाकर प्रश्नकर्ता को दी जाये, इतनी कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

अब कोई प्रश्न अवशेष नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*9--श्री भरत सिंह--

[4थे सोमवार के तारा0 प्र0 सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी को विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी पत्र

1--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी को 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0 वि0को0/एम0/109894/04, दिनांक 22-9-04 अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

*--तारा0 प्र0 सं0 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और वांछित सुधार होने के उपरान्त ही अनुरोधानुसार विशेषकर सायंकाल पीक अवधि में विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में घाटा तथा वेतन भुगतान की मांग

2--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को माह जनवरी, 2003 से वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख के बाद कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, उ0 प्र0 के प्रदेश मंत्री श्री अजय सिंह का पत्रांक 275/दिनांक 25-2-2003 मा0 मंत्री जी व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ, महाप्रबन्धक, औद्योगिक सम्बन्ध, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन वितरण प्रत्येक माह 01 तारीख से 15 तारीख के बीच धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

पावर कारपोरेशन में घाटे के कारण आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता नहीं रहती जिसके कारण भुगतान में विलम्ब होता है।

धन की उपलब्धता के अनुसार ही भुगतान करना संभव होगा।

जी हां।

वेतन भुगतान में यथासम्भव शीघ्रता का प्रयास किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, जौनपुर के द्वितीय/तृतीय मंजिलें आवासों में बाधित पेयजल आपूर्ति

3--श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, जौनपुर के द्वितीय/तृतीय मंजिलें आवासों में पेयजल आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो क्या उक्त आवासों में नई बोरिंग कराकर पेयजल आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, उ0 प्र0 के प्रदेश के मंत्री/प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह का पत्रांक 1284/भा0म0संघ, दिनांक 28-12-2002, पत्रांक 276, दिनांक 25-2-03, पत्रांक 857/दिनांक 19-8-03 तथा उ0 प्र0 विद्युत् मजदूर संघ, जौनपुर के मंत्री का पत्रांक 1145/दिनांक 15-11-02 तथा पत्रांक 615/दिनांक 5-6-03 मा0 मंत्री जी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महाप्रबन्धक (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्तमान में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं है।

जी हां।

नई बोरिंग कराकर पेयजल आपूर्ति ठीक करायी जा चुकी है। वर्तमान में 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, जौनपुर स्थित द्वितीय/तृतीय मंजिले आवासों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल व मेरठ मण्डल में स्थित उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के अलग-अलग डिपो में उपलब्ध करायी गयी बसें

4--डा0 सुशील चौधरी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल व मेरठ मण्डल मे स्थित उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम के अलग-अलग डिपो में वर्ष 2000 में कितनी बसें थी तथा फरवरी, 2004 में कितनी बसें हैं ? वर्ष 2000 से जनवरी, 2005 के मध्य कितनी नई बसें सरकार द्वारा इन डिपो को देने का लक्ष्य निर्धारित था, उसके विरुद्ध कितनी दी गयी है ? वर्तमान में कितनी बसें उक्त मण्डलों में निष्प्रयोज्य है ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा निष्प्रयोज्य बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

वर्ष 2000 तथा फरवरी, 2004 में सहारनपुर मण्डल व मेरठ मण्डल में स्थित उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के डिपो में उपलब्ध निगम बसों का विवरण निम्नवत् है :--

सहारनपुर मण्डल

जिला	डिपो का नाम	वर्ष 2000	फरवरी 2004
सहारनपुर	सहारनपुर	60	76
	छुटमलपुर	29	30
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	67	70
	खतौली	37	40

मेरठ मण्डल

जिला	डिपो का नाम	वर्ष 2000	फरवरी 2004
मेरठ	मेरठ	111	125
	सोहराबगेट	83	100
बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	66	77
	खुर्जा	59	75
	सिकन्दराबाद	37	50
गाजियाबाद	हापुड़	58	74
	लोनी	54	74
	साहिबाबाद	67	75
	गढ़	49	42

बागपत	बड़ौत	16	17
गौतमबुद्धनगर	इस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो नहीं है।		

परिवहन निगम के डिपोज को नई बसों के आवंटन का डिपोवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। बस बेड़े की आयु तथा यात्री उपलब्धता के दृष्टिगत नई बसों को डिपोज को आवंटित किया जाता है। प्रश्नगत अवधि में उक्त मण्डलों में स्थित डिपोज को दी गई निगम की नई बसों का विवरण निम्नवत् है :--

सहारनपुर मण्डल

जिला	डिपो का नाम	बसों की संख्या
सहारनपुर	सहारनपुर	61
	छुटमलपुर	17
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	42
	खतौली	26

मेरठ मण्डल

जिला	डिपो का नाम	बसों की संख्या
मेरठ	मेरठ	81
	सोहराबगेट	69
बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	42
	खुर्जा	62
	सिकन्दराबाद	23
गाजियाबाद	हापुड़	51
	लोनी	47
	साहिबाबाद	52
	गढ़	25
बागपत	बड़ौत	11
गौतमबुद्धनगर	इस जिले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का डिपो नहीं है।	--

वर्तमान (वर्ष 2004-2005) में उक्त मण्डलों में 98 बसें निष्प्रयोज्य घोषित की गयी हैं।

जी नहीं। उक्त मण्डलों को निष्प्रयोज्य बसों के स्थान पर 165 नई बसें उपलब्ध करायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिवहन निगम व निजी बस संचालकों पर पिछला बकाया यात्रीकर वसूलने संबंधी कार्यवाही

5--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम व निजी बस संचालकों पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 से 1 जनवरी, 2005 तक पिछला बकाया यात्रीकर कितना है ? सरकार उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

वित्तीय वर्ष 2003-2004 से 1 जनवरी, 2005 तक परिवहन निगम की वाहनों पर पिछला बकाया कुल रु0 591.80 करोड़, निजी वाहनों पर रु0 17.62 करोड़ यात्रीकर/अतिरिक्त कर का बकाया है।

बकाया जमा करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के बकाया की धनराशि को मांग पत्रों एवं जिलाधिकारियों को भेजे गये वसूली पत्रों के माध्यम से वसूल करने की परिवहन/प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगारों का पंजीकरण व सरकार द्वारा उनको रोजगार देने की मांग

6--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में नौकरी हेतु बेरोजगारों के वर्ष 2002 से 25 जनवरी, 2005 तक कुल कितने पंजीकरण किये गये हैं ? उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा रोजगार प्राप्त कराया गया है तथा कितने प्रतीक्षा सूची में हैं ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में वर्ष 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक किये गये पंजीकरण का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या
2002	4,16,653
2003	5,20,983
2004	3,52,579
जनवरी, 2005	67,856

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को वर्ष 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक सेवायोजित कराने का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	सेवायोजित अभ्यर्थियों की संख्या
2002	3,333
2003	3,493
2004	2,779
जनवरी, 2005	115

सेवायोजन कार्यालयों में प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जाती है। वर्ष 2002 से 31 जनवरी, 2005 तक वर्ष के अन्त में सजीव पंजी की स्थिति निम्नवत् थी :--

वर्ष	वर्ष के अन्त में सजीव पंजी की स्थिति
2002	18,16,801
2003	19,29,328
2004	19,02,066
31-01- 2005 तक	19,48,747

जनपद बलरामपुर व गोण्डा के पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की जमानत राशि वापस करने संबंधी जानकारी

7--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर तथा वि0 खं0 बभनजोत, जनपद गोण्डा के पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की जमानत राशि अभी तक वापस नहीं की गयी है ? यदि हां, तो सरकार उन सभी ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के उम्मीदवारों को जमानत धनराशि उन्हें वापस कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0 द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार जिन उम्मीदवारों द्वारा व्यय का विवरण एवं जमानत राशि की वापसी हेतु प्रार्थना-पत्र निर्वाचन परिणाम की तिथि से 03 माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया गया था, उनकी जमानत राशि वापस कर दी गयी है। जिन उम्मीदवारों द्वारा व्यय का विवरण तथा जमानत राशि की वापसी हेतु प्रार्थना-पत्र निर्वाचन परिणाम की तिथि से 03 माह के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उनकी जमानत राशि वापस नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य कराने की मांग

8--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा के ग्राम फतेहपुर, घनश्यामपुर, तरैनी, खम्हरिया नौडीहा, बड़हरा, सबना, तरैनी, सैदापुर, बढ़ौलीपुर, मघइपुर, तांबेपुर में विद्युतीकरण कार्य कई वर्षों से कराया जा रहा है किन्तु अभी तक स्टीमेट के अनुसार न तो ट्रान्सफार्मर लगाये गये और न लाइन पूरी बिछायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य स्टीमेट के अनुसार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रत्येक ग्राम की विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :--

विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम तरैनी का विद्युतीकरण अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में कर दिया गया था। ग्राम खम्हरिया नौडीहा का विद्युतीकरण जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में कर दिया गया था। ग्राम एबना का विद्युतीकरण अक्टूबर, 04 में आवश्यकतानुसार 10 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाकर पूर्ण कर दिया गया। ग्राम सैदापुर का विद्युतीकरण अगस्त, 04 में पूर्ण करा दिया गया। ग्राम बढ़ौलीपुर एवं मघइपुर का विद्युतीकरण दिसम्बर, 04 में पूर्ण करा दिया। ग्राम तांबेपुर का विद्युतीकरण अगस्त, 04 में पूर्ण करा दिया गया। ग्राम घनश्यामपुर, बड़हरा एवं फतेहपुर को विद्युतीकरण हेतु जिला योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया था परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका। आवश्यकतानुसार प्रत्येक ग्राम में स्टीमेट के अनुसार लाइन बनाई गयी है लेकिन 10 के0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं।

जिन ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है उनमें भार न होने के कारण यथावश्यकता एक या दो 10 के0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाये गये हैं।

अवशेष तीन ग्रामों को भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है तथा आगामी दो वर्षों में विद्युतीकरण करा दिया जायेगा। विद्युतीकृत ग्रामों में जब संयोजन लेने वाले उपभोक्ता आयेंगे तो अतिरिक्त 10 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

9--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 18-2-05 के अता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ में टेढ़ी पुलिया से जानकीपुरम् अटल चौराहा तक सिटी बस संचालन की मांग

10--डा0 अजय कुमार--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि टेढ़ी पुलिया से जानकीपुरम् अटल चौराहा, लखनऊ तक सिटी बस संचालन हेतु तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा पत्रांक संख्या 104/वी0आई0पी0/टी0एम0/03, दिनांक 4-11-2003 द्वारा आर0टी0ओ0, लखनऊ को आदेशित

किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर सिटी बस/टैम्पो का संचालन शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सिटी बस/टैम्पो का संचालन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

उक्त मार्ग पर संचालन हेतु 11 टैम्पो-टैक्सी परमिट जारी किये जा चुके हैं तथा टैम्पो-टैक्सियों का संचालन इस मार्ग पर हो रहा है।

संचालन आरम्भ हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

11--श्री दीनानाथ कुशवाहा--

[4थे सोमवार के अता0 पृ0 सं0 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा कराये गये सड़कों के निर्माण कार्य में तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

12--चौ0 मस्तराम एडवोकेट--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1994-95 में जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा कराये गये सड़कों के निर्माण कार्य में तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री अमीरचन्द दुबे द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच में शासकीय क्षति होना पाया गया था ? क्या इस क्षति की पूर्ति दोषी लोगों से की जानी थी ? यदि नहीं, तो क्या क्षतिपूर्ति की वसूली दोषी लोगों से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह सही है कि अमीरचन्द दुबे को पुन: जनपद उन्नाव के जिला पंचायत में प्रभारी अभियन्ता के रूप में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध बिना कार्यवाही किये किन परिस्थितियों में उन्हें पुन: उन्नाव में नियुक्त किया गया ?

श्री बलराम यादव--

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

कार्यहित में।

जनपद उन्नाव में जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन व अनुसूचित वर्ग के सदस्य को नामित किया जाना

13--चौ0 मस्तराम एडवोकेट--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में माह सितम्बर, 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जिला पंचायत के कार्यों के संचालन हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन शासन द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति में अनुसूचित वर्ग के सदस्य को नामित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 29 के अन्तर्गत संचालन समिति में किसी वर्ग विशेष के सदस्य को नामित किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ में खुर्रम नगर तथा कल्याणपुर के निवासियों के आवागमन हेतु सीधी बस सेवा का संचालन करने की मांग

14--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि खुर्रम नगर तथा कल्याणपुर, लखनऊ के निवासियों के आवागमन हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खुर्रमनगर रिंग रोड के गोल चौराहे से रहीमनगर होते हुए चारबाग तक नया रूट बनाकर नगर बस सेवा का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्टाम्प की कमी पर कलेक्टर को अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रदत्त अधिकार

15--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री को जानकारी है कि 8 दिसम्बर, 1997 को गिरजेश बनाम उ0 प्र0 सरकार के फैसले में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने स्टाम्प की कमी पर कलेक्टर को अर्थदण्ड लगाने के लिए सक्षम नहीं माना है ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी शाहजहांपुर के ए0डी0एम0एफ0आर0 द्वारा दिनांक 7-2-2004 को डा0 शैलेष द्विवेदी को नोटिस जारी करके स्टाम्प की कमी पर 10 गुना अर्थदण्ड लगाने की नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त नोटिस रद्द करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)--

जी हां। प्रश्न में सन्दर्भित निर्णय दिनांक 08-12-1997 के पारित किये जाने के समय भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में कलेक्टर को अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसे दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत व्यवस्था दी गयी थी। किन्तु दिनांक 01 सितम्बर, 1998 से प्रभावी हुए उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22 वर्ष 1998 की धारा 6 के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47ए में उप धारा 4 जोड़कर कलेक्टर को धारा 47ए के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार प्रदत्त कर दिया गया है।

जहां तक डा0 शैलेष द्विवेदी के सन्दर्भित प्रकरण का सन्दर्भ है, उपनिबन्धक सदर शाहजहांपुर कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेज सं0 6972/2003, दिनांक 14-10-2003 में स्टाम्प शुल्क अपवंचन का प्रथमदृष्टया प्रकरण पाये जाने के आधार पर क्रेता को नोटिस जारी किया गया तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए तथा विधिक प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर स्टाम्प, शाहजहांपुर द्वारा स्टाम्पवाद दिनांक 19-8-2004 को निर्णीत किया जा चुका है। जिसमें रु0 54,155 कमी स्टाम्प शुल्क, रु0 1600 कमी निबन्धन शुल्क तथा रु0 15000 अर्थदण्ड आरोपित हुआ है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/कलेक्टर स्टाम्प, शाहजहांपुर न्यायालय से सन्दर्भित प्रश्नगत स्टाम्पवाद सं0 78/2003 सरकार बनाम शैलेष द्विवेदी दिनांक 19-8-2004 को निर्णीत हो चुका है तथा प्रश्नगत निर्णय अद्यतन विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत पारित किया गया है। इसलिए नोटिस वापस लिए जाने का औचित्य नहीं है।

उ0 प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर की बाराबंकी स्थित कताई मिल में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

16--डा0 रामबाबू हरित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी राजकीय कताई मिल यूनिट में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी हैं ? अस्थायी श्रमिकों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर की बाराबंकी स्थित कताई मिल में कुल 2006 कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से 721 कर्मचारी स्थायी एवं 33 कर्मचारी अस्थायी हैं।

अस्थायी श्रमिकों को रिक्तियों तथा पात्रता के आधार पर नियमानुसार स्थायी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर के ग्रामों में अपराधियों को छिपने से रोकने हेतु योजना

17--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर के ग्राम खकूड़ा, हजरतपुर, रिवाड़ा, हिनौट, असावरी आदि ग्रामों में भयंकर जंगल होने के कारण अपराधी अपराध करने के बाद वहां छिपते हैं जिससे आम जनता में भय व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जंगल की झाड़ियों को कटवाने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

खकूड़ा, रिवाड़ा, हिरनोट, असावरी वन ब्लाकों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत वन विद्यमान है। हजरतपुर ग्राम के आस-पास कोई आरक्षित वन नहीं है। इस क्षेत्र में प्रभावी पुलिस गश्त व्यवस्था रहने के कारण अपराधियों के छिपने की संभावना नगण्य रहती है। फलस्वरूप इन गांवों में ऐसे कोई अपराध नहीं घटित हुए हैं, जिससे जनता में भय व्याप्त हो।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, इन जंगलों की झाड़ियों को कटवाने के लिए वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के आवास के लिए निर्मित करायी गयी समस्त श्रम कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व देने संबंधी प्रस्ताव

18--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को जानकारी है कि सन् 1952 के बाद श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के आवास के लिए निर्मित करायी गयी प्रदेश की समस्त श्रम कालोनियों में रह रहे श्रमिकों को स्वामित्व देने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्वामित्व सौंप दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी हां। प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

अन्तिम निर्णय के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अन्तर्विभागीय परामर्श निहित होने के कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम समाज की खाली भूमि, तालाबों के भीटों पर वृक्षारोपण कराये जाने की योजना

19--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्राम समाज की खाली भूमि, तालाबों के भीटों पर वृक्षारोपण कराये जाने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आजमगढ़ जनपद फूलपुर-तहसील, परगना माहूल के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली के पोखरी संख्या 815 के भीटों पर वृक्षारोपण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला सेक्टर में सामाजिक वानिकी योजना एवं राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विकास अभिकरण के माध्यम से ग्राम समाज की भूमि पर तथा तालाबों के भीटों पर भी वृक्षारोपण कराने की योजना समाहित है।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम कोहरौली के पोखरी संख्या 815 के भीटों पर वृक्षारोपण के लिए संबंधित ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वृक्षारोपण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त, बजट की व्यवस्था होने की दशा में वृक्षारोपण हेतु प्रथम वर्ष में अग्रिम मृदा कार्य तथा आगामी वर्ष में पौध रोपण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्रामों में ट्रान्सफार्मरों तथा विद्युत् लाइनों को ठीक करने संबंधी प्रकरण

20--श्री रामहेत--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम श्यामजीरा हाजीपुर, कठिघरा, टिकराजार, निमचेना तथा ब्लाक ऐलिया के ग्राम हाजीपुर बेलगांवा, हरिबसपुर, भेलावां, खुर्द अमरासी तथा ब्लाक हरगांव के ग्राम परसेहरानाथ, सुल्तानपुर सेमरीमोतिमपुर, भनवापुर के ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त ट्रान्सफार्मरों तथा विद्युत् लाइनों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विकास खण्ड महोली के ग्राम श्यामखीरा में खराब ट्रान्सफार्मर को बदल दिया गया है। ग्राम हाजीपुर ब्लाक महोली में कुल 65 उपभोक्ता हैं। फरवरी, 2001 में तार चोरी होने के कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द है। उक्त ग्राम में 2700 मीटर लगभग तार चोरी व 5 पोल टूट गये थे तथा 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है। समय से एफ0आई0आर0 न लिखाने के कारण संबंधित अवर अभियन्ता श्री ए0के0 गुप्ता को निलम्बित कर दिया गया है। ग्राम कटिघरा में परिवर्तक सही है एवं विद्युत् आपूर्ति सामान्य है। ग्राम टिकराबाजार में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर दिनांक 12-9-04 को खराब हो गया था जिसको दिनांक 5-3-05 को बदलकर विद्युत् आपूर्ति चालू कर दी गयी है। ग्राम निमचेना का लगभग वर्ष पूर्व तार चोरी हो जाने के कारण विद्युत् आपूर्ति बाधित है। एफ0आई0आर0 दर्ज न कराने के कारण संबंधित अवर अभियन्ता श्री ए0के0 गुप्ता को निलम्बित कर दिया गया है। इस ग्राम में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है जो कि सही है।

ब्लाक ऐलिया के ग्राम हाजीपुर व बेलगांवा में ट्रान्सफार्मर नहीं जला था बल्कि एल0टी0 लाइन एक पोल टूट जाने के कारण दिनांक 30-6-04 को बन्द हो गयी थी जिसको 2-3-05 को बदल कर आपूर्ति चालू कर दी गयी है। ग्राम हरिबसपुर में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर दिनांक 11-12-2004 को खराब हो जाने के कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हो गयी थी जिसको दिनांक 5-3-05 को बदल कर विद्युत् आपूर्ति सामान्य कर दी गयी। ग्राम भेलावां की विद्युत् आपूर्ति करने वाली 11 के0वी0ए0 लाइन में दिनांक 30-1-2005 को दोष आने के कारण बन्द हो गयी थी जिसको दिनांक 22-2-05 को सही कराकर लाइन चालू कर दी गयी है। इस ग्राम में स्थापित 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर सही है। ग्राम अमरासी में लगभग 3600 मीटर तार लगभग तीन वर्ष पूर्व चोरी चला गया था जिसकी एफ0आई0आर0 संख्या 160/05, दिनांक 7 मार्च, 2005 को थाना गमपुर, सीतापुर में दर्ज करा दी गयी है एवं 10 दिनों में कार्य पूर्ण कराकर लाइन चालू कर दी जायेगी।

ब्लाक हरगांव के ग्राम परसेहरा नाथ में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर दिनांक 21-11-04 को खराब हो जाने के कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हो गयी थी जिसको दिनांक 24-1-05 को बदल कर विद्युत् आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है। ग्राम सुल्तानपुर में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व तार 3779 मीटर व 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर चोरी हो गया था जिसकी प्राथमिकी संख्या 199311, दिनांक 1-5-04 को दर्ज करा दी गयी है एवं कार्य को दस दिनों में पूर्ण कराकर विद्युत् आपूर्ति चालू करा दी जायेगी। ग्राम सेमरीमोतिमपुर में दिनांक 22-12-04 को एक पोल टूट जाने के कारण इस ग्राम की आंशिक विद्युत् आपूर्ति बाधित हुई थी जिसको दिनांक 12-2-05 को बदल कर चालू कर

की गयी है। ग्राम भनवापुर में स्थापित 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर दिनांक 16-10-04 को खराब हो गया था जिसको दिनांक 5-3-05 को बदल दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, ग्राम बगियापुर, थाना जेठवारा में प्रश्नगत उपभोक्ताओं को बाधित विद्युत् आपूर्ति

21--श्री रामहेत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बगियापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ के श्री भगव प्रसाद पुत्र श्री शिवराज मौर्य, राम रतन मौर्य पुत्र श्री राम नरायन मौर्य, मुन्ना सिंह चौहान पुत्र श्री राम सुन्दर, राम सुख यादव पुत्र श्री भिखई, दयाराम पुत्र श्री नान्हूं यादव को वर्ष 1999-2000 में विद्युत् कनक्शन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उन लोगों को विद्युत् आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत उपभोक्ता पूर्व में भी विद्युत् उपभोग कर रहे थे, अत: इन कनेक्शनों को कटिया कनेक्शन नियमितीकरण योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा स्वत: घोषणा के आधार पर मार्च, 1999 में नियमित किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन उपभोक्ताओं की विद्युत् आपूर्ति पड़ोसियों के विवाद के कारण मार्च, 2000 से बाधित है।

जनपद मुख्यालय महराजगंज में परिवहन विभाग का डिपो व ईंधन भरने की टंकी स्थापित होने के बावजूद बसों का संचालन व ईंधन भरने की व्यवस्था निचलौल से कराये जाने का औचित्य

22--श्री चन्द्र किशोर--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय महराजगंज में परिवहन विभाग का डिपो व ईंधन भरने की टंकी स्थापित की गयी है ? यदि हां, तो महराजगंज से चलने वाली बसों का संचालन व ईंधन भरने की व्यवस्था निचलौल से कराने के क्या कारण हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

महराजगंज में परिवहन निगम के बस स्टेशन में ईंधन भरने की टंकी स्थापित है परन्तु वहां पर परिवहन निगम का डिपो कार्यशाला स्थापित नहीं है।

महराजगंज से निकटस्थ स्थान निचलौल है जहां पर परिवहन निगम का डिपो कार्यशाला एवं ईंधन की टंकी स्थापित है। निगम में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ईंधन देने का कार्य केवल डिपो कार्यशाला में ही किया जाता है। महराजगंज में डिपो कार्यशाला स्थापित नहीं है। महराजगंज से चलने वाली/गुजरने वाली बसें निचलौल एवं अन्य डिपोज से सम्बद्ध हैं। अत: महराजगंज में ईंधन भरने की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद सीतापुर के ग्राम कल्लापुर, मजवारा, बरखेड़वा, विकास खण्ड हरगांव में त्रुटिपूर्ण भेजे जा रहे विद्युत् बिलों का प्रकरण

23--श्री बाबूलाल कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम कल्लापुर, मजवारा-बरखेड़वा, विकास खण्ड हरगांव ऊर्जीकृत नहीं हैं, क्या श्री सुरेश प्रकाश सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह तथा अन्य उपभोक्ताओं को घरेलू विद्युत् कनेक्शन दर्शाकर विद्युत् बिल भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर त्रुटिपूर्ण भेजे जा रहे विद्युत् बिलों को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। उक्त ग्राम ऊर्जीकृत नहीं है, लेकिन श्री नरेश सिंह पुत्र श्री लल्ला सिंह के नाम ग्राम कल्लापुर, मजरा बरखेड़वा, विकास खण्ड हरगांव में एक निजी नलकूप से निम्न व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से लम्बी केबिल खींचकर विद्युत् का उपभोग करते पाये गये, जिनका संयोजन 6/98 में कटिया कनेक्शन नियमितीकरण योजना में नियमित कर दिया गया था :--

1--श्री सुरेश प्रकाश सिंह	0904/155223
2--श्री विजय पाल राठौर	1301/157370
3--श्री अश्विनी कुमार	0902/156925

उक्त तीनों उपभोक्ताओं पर विद्युत् का बिल क्रमश: रु0 9,930, रु0 10,361 तथा रु0 9,936 बकाया था।

श्री नरेश सिंह के पम्प सेट की लाइन का तार 11/01 में चोरी हो गया। सभी उपभोक्ताओं की लाइन तभी से बन्द है।

श्री नरेश सिंह के पम्प से की लाइन बकाये के कारण 3/97 में काट दी गयी (3/97) तक बकाया राशि रु0 27,983 है।

तार चोरी की एफ0आई0आर0 संबंधित जे0ई0 तथा एस0डी0ओ0 ने दर्ज नहीं करायी तथा पम्प सेट को कई वर्षों से चोरी से चलवाते रहे, जबकि पी0डी0 किया जाना 3/97 बता रहे हैं जिसके लिये उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र को जांच हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

चूंकि सभी उपभोक्ता बकायेदार हैं अत: उनके कनेक्शन को परमानेन्ट काटकर धारा 3 की नोटिस जारी कर दी गयी है :--

1--श्री नरेश सिंह	रु0 27,983	3/97 तक
2--श्री सुरेश प्रकाश सिंह	रु0 3,820	11/01 तक
3--श्री विजय पाल राठौर	रु0 3,620	11/01 तक
4--श्री अश्विनी कुमार	रु0 3,620	11/01 तक

विद्युत् उपभोग की अवधि का बिल नियमानुसार देय है।

जी हां, तीनों उपभोक्ताओं की जांच उपखण्ड अधिकारी, तृतीय से करायी गयी तथा 11/01 (तार चोरी की घटना के बाद) के पश्चात् का बिल माफ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने की कार्य योजना

24--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 31 जनवरी, 2005 तक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में 31 जनवरी, 2005 की स्थिति में सजीव पंजी पर शिक्षित बेरोजगोरों की संख्या 15,26,446 थी।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की रोजगार सृजन की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि की जाती है।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत बेरोजगारों को नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध नाम सम्प्रेषित कर उन्हें सवेतन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में समाज के निर्बल वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को टंकण, आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि की जाती है।

शासन के कतिपय विभागों यथा–ग्राम्य विकास विभाग, उद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, दुग्ध विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि द्वारा बेरोजगारों को स्वत: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न योजनायें संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

व्यापार कर भवन, मीराबाई मार्ग, लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों का भुगतान संबंधी जानकारी

25--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) व्यापार कर, लखनऊ अपने आदेश सं0 925, दिनांक 31 मई, 2000 द्वारा सर्व श्री इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज, पिकनिक स्पाट रोड, लखनऊ को व्यापर कर भवन मीराबाई मार्ग, लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या माह अप्रैल व मई 2000 में की गयी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) व्यापार कर, लखनऊ के आदेश सं0-925, दिनांक 31-5-2000 द्वारा सर्वश्री इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज, पिकनिक स्पाट रोड, लखनऊ को दिनांक 1-6-2000 से उक्त भवन की सुरक्षा व्यवस्था का कार्य सर्वश्री हरदोई गार्ड सर्विसेज, हरदोई को सौंपने के आदेश निर्गत किये गये थे।

जी नहीं।

कार्य संतोषजनक नहीं था। अत: भुगतान न करने का निर्णय लिया गया।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गाजियाबाद के कार्यालय से कर्मचारियों को हटाने विषयक शिकायती-पत्र

26--श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र जो विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गाजियाबाद के कार्यालय से कर्मचारियों को हटाये जाने विषयक था दिनांक 7-7-04 को आपको भेजा गया था, जिसको आपके पत्र संख्या 103442/वि0को0/04, दिनांक 8-7-04 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

स्थानान्तरण सत्र, 2005 में इस कार्यालय के कर्मचारियों को हटाये जाने पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत ग्राम सभा सरकन्डेडीह इस्लामगंज, वि0 खं0 कुड़वार एवं ग्राम सभा बन्धुआ विकास खण्ड दुबेपुर में अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों के खिलाफ कार्यवाही

27--डा0 राम बाबू हरित--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सरकन्डेडीह इस्लामगंज वि0 खं0 कुड़वार एवं ग्राम सभा बन्धुआ विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर में कितनी आरा मशीन हैं ? उनमें से कितनों ने लाइसेंस प्राप्त किया है तथा कितनी अवैध रूप से चल रही हैं ? क्या अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ग्राम सभा सरकन्डेडीह, इस्लामगंज, विकास खण्ड कुड़वार में 05 एवं ग्राम सभा बन्धुआ विकास खण्ड दुबेपुर में 01 आरा मशीन है। यह सभी आरा मशीन लाइसेंस प्राप्त हैं। वर्तमान में कोई भी अवैध आरा मशीन संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

28--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

[तीसरे सप्ताह के अता0 प्रश्न सं0 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के वि0 स0 क्षेत्र मलिहाबाद में हैण्डपम्पों के ठीक करवाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

29--श्री कौशल किशोर--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0स0 क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ में हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-11-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोर धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोर हेतु धन की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ0 प्र0 विद्युत् मजदूर संघ के निलम्बन, स्थानान्तरण तथा वेतन रोकने संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

30--श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ का निलम्बन कार्य अवधि का वेतन रोकने तथा स्थानान्तरण की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-5-2001 एवं 3-3-2003 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0 को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

श्री नन्द लाल जायसवाल को उनके समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है उनका निलम्बन वापस लिया जा चुका है। उनके स्थानान्तरण को संशोधित कर पुन: लखनऊ में तैनात किया जा चुका है। प्रकरण में सी0बी0आई0 जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुयी। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी :--

पहली सूचना श्री अनिल कुमार पाण्डेय जी की है, वह अनुपस्थित हैं दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है। डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर ने अपनी सूचना सदन में पढ़ी। तीसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम, चौथी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, पांचवी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा, छठीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, सातवीं सूचना श्री आर0 एस0 कुशवाहा, आठवीं सूचना श्री राजेश कुमार की है, वह अनुपस्थित हैं। नवीं सूचना श्री राम पाल वर्मा, दसवीं सूचना श्री बीजू पटनायक व ग्यारहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, दोनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। बारहवीं सूचना श्री रामहेत, तेरहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है। अनुपस्थित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई । इस प्रकार डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री मुंशी लाल गौतम, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री राम पाल वर्मा, श्री रामहेत व श्री नवाब सिंह नागर जी की, कुल 9 सूचनायें स्वीकृत हुई ।

श्री लालजी वर्मा व श्री रामकरन आर्य जी की सूचनायें पहले आ चुकी हैं इसलिए ये दोनों सूचनायें अस्वीकार की गयी। श्री लालजी वर्मा जी आपकी सूचना पहले आ चुकी है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जो सूचना है, वह मैंने पहले नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है कि किसी और माननीय सदस्य ने दी हो। हम इसको दिखवा लेंगे, अगर होगी तो आपकी सूचना ले लेंगे। डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना को छोड़कर शेष स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।

प्रदेश में भूमि जल स्तर में लगातार गिरावट तथा भविष्य में होने वाले जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

महोदय, प्रदेश में बड़े शहरों एवं कस्बों में स्थित पोखरों-तालाबों को पाट कर भवन निर्माण कराये जा रहे हैं तथा घरों में प्रयोग किये जाने वाला जल भी नालियों द्वारा बहा दिया जाता है। बरसात का पानी भी नालियों द्वारा बह जाता है तथा वह भूमि के अन्दर नहीं जा पा रहा है। नलकूपों, हैण्ड पम्पों से लगातार जल का जमीन से दोहन भी हो रहा है। इस सबके कारण प्रदेश में जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। शासन ने पानी भूमि में जाये इसके लिए भवनों के निर्माण में कतिपय संशोधन करने के लिए घोषणा भी की है, परन्तु इस दिशा में अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश व प्रदेश के विभिन्न भागों में भूमि जल स्तर में गिरावट की रिपोर्टों एवं भविष्य में पैदा होने वाले जल संकट पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है और इस मामले में गत सप्ताह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1 जुलाई, 1952 को राजस्व बही में दर्ज जंगलों, तालाबों, पोखरों, गड़हियों, जल स्रोतों तथा नदी तल आदि पता लगाने के लिए विशेष् अन्वेषण टीम गठन करे, जिसमें राजस्व अधिकारी व पर्यावरणविद् शामिल हों। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 1 वर्ष के भीतर आदेश का पालन करते हुए 6 मार्च, 2006 को न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही मुख्य सचिव इस आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं चकबन्दी अधिकारियों को प्रेषित करें।

उपरोक्त विषय प्रदेश के जन-जन से जुड़ा है, लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है। अत: नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत बारह खम्भा चौराहे के क्षतिग्रस्त रास्ते का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र तथा नगर पालिका शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में बारहखम्भा चौराहा जो मेरठ - बदायूं रोड से अन्दर रास्ता शहर को जाता है इस पर पूर्णरूप से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुस्लिम आबादी पड़ती है। इस रास्ते पर कई मदरसे, पब्लिक स्कूल, जू0 हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज भी हैं लेकिन बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह रास्ता पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल रहता है। इसी रास्ते पर कब्रिस्तान व ईदगाह भी पड़ता है और दूसरा कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं है। नगर पालिका, शिकारपुर के रिवाल्विंग फण्ड या किसी अन्य मद से इस रास्ते को ठीक कराना अत्यन्त आवश्यक है। इस रास्ते को ठीक कराया जाए। लम्बाई लगभग 500 मी0।

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त रास्ते का पुन: निर्माण कराने की मांग करता हूँ।]

जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत कालीन उद्योग की मार्केटिंग हेतु प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[जनपद जालौन के कालपी कस्बे एवं इसके आस-पास के ग्रामों में कालीन कुटीर उद्योग के रूप में विगत कई वर्षों से चल रहा है। जिसमें प्रतिमाह लगभग दस हजार मीटर कालीन बनाया जाता है। कालीन बनाने से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है।

कालीन निर्माण से जुड़े कारीगरों को सिर्फ मजूदरी ही मिल पाती है, क्योंकि कालीन बनने के बाद फिनिशिंग के लिये ग्वालियर मध्य प्रदेश चला जाता है तथा कालीन का मोटा मुनाफा मध्य प्रदेश के व्यापारियों को मिलता है। इसका कारण यह है कि इतनी मात्रा में कालीन निर्माण के बाद भी कालपी में कालीन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है और न ही कालीन की मार्केटिंग के लिये कोई मार्गदर्शन उपलब्ध है। प्रोसेसिंग यूनिट की तत्काल आवश्यकता है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण जो कि कालीन कारीगरों की रोजी-रोटी से जुड़ा है, को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

[महोदय, बहराइच जनपद के कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बन्द पड़े हैं। विशिष्ट बी0टी0सी0-2004 के प्रशिक्षत अध्यापक मा0 उच्च न्यायालय तथा सरकार के आश्वासनों के बीच झूल रहे हैं, चयन समिति द्वारा चयनित 315 बी0एड0 स्नातकों में से 167 शिक्षकों को मा0 उच्च न्यायालय के बहाल करने का आश्वासन देने के बाद भी बहाल नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय शिक्षक विहीन हैं तथा कतिपय विद्यालयों में एक भी शिक्षक न होने से विद्यालय पूर्ण रूप से बन्द हैं। बहराइच जनपद पहले से ही पिछड़े जिलों में है शिक्षा ही उसे पिछड़ेपन से उभार सकती है किन्तु उस पर भी शासन का ध्यान नहीं जा रहा है।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बहराइच जनपद के शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति किये जाने हेतु मांग करता हूँ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के पी0आर0डी0 के जवानों को स्थायी करने और राज्य कर्मियों की भांति सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

[मान्यवर, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट कराते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रान्तीय रक्षक दल संगठन, उ0प्र0 के जवान जो कि सुरक्षा का कार्य करते हैं पुलिस एवं होमगार्ड की तरह उनसे कार्य लिया जाता है परन्तु पी0आर0डी0, ऐक्ट 1948 लागू नहीं किया जाता न ही उन्हें पुलिस की ही श्रेणी में रखा जाता है। पी0आर0डी0 के जवानों को आकस्मिक दुर्घटना होने पर सामूहिक बीमा लागू किये जाने एवं परिवार को कम से कम पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दिये जाने की आवश्यकता है। पी0आर0डी0 के जवानों को स्थायी कर राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधा प्रदान करने, ठण्डक में गर्म वर्दी, ओवरकोट प्रतिवर्ष दिये जाने, जवानों को प्रतिदिन 65 रुपये दिया जा रहा है जबकि होमगार्ड के जवानों को 85 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। पी0आर0डी0 के जवानों को भी ड्यूटी लगाने पर 150 रुपये तथा पी0आर0डी0 के जवानों की भी जीवन बीमा कराये जाने की आवश्यकता है।

पी0आर0डी0 और होमगार्ड के जवानों में कार्य की समानता होने के बावजूद सुविधायें बराबर न होने के कारण पी0आर0डी0 के जवानों में अत्यधिक असंतोष है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद खीरी के ग्राम बैलहा, ब्लाक निघासन के टूटे हुए पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के ग्राम बैलहा तक जाने के लिए नाले का पुल पूरी तरह से टूट गया है। लगभग 10 हजार लोगों का रास्ता बरसात के समय छ: माह तक बन्द हो जाता है। आम जनता को कपड़े उतार कर आना-जाना पड़ता है या फिर नाव ही दूसरा विकल्प है। उक्त टूटे हुए पुल का निर्माण कार्य जनहित में अति आवश्यक है। उक्त टूटे हुए पुल का निर्माण कार्य न कराये जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी विस्फोटक हो सकती है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम बैलहा, ब्लाक निघासन का टूटा [illegible] पुल निर्माण व [illegible] की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई [illegible] विकास खण्ड कोथावाँ एवं भरावन के कतिपय ग्रामों को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने हेतु तटबांध बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम पाल [illegible]

[महोदय, विनम्र निवदन के साथ आपका ध्यान जनपद हरदोई के अन्तर्गत वि0खं0 कोथावाँ व भरावन के सीमावर्ती गोमती नदी के किनारे पर स्थित ग्रामों की दयनीय दश[illegible] आर अग्रसर [illegible] गोमती [illegible] के जल स्तर बढ़ने से बरसात में किनारे के सभी ग्राम डूब जाते हैं, मकान व फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, किसान तबाही के कगार पर पहुंच गये हैं। अत: उक्त

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या के निदान हेतु वि0खं0 कोथावां में टिकुरी, मांझया, हरैया, उमरिया भीखपुर, ऐमा, गठिया लालपुर, अमरगंज, शेखवापुर, तथा विकास खण्ड भरावन में भटपुर, तुलसीपुर, गौढ़ी, छाक कूढ़ा, धनाखेड़ा, रसुलवा, भभुआ, कटकी-कटका, महीठा ग्राम पंचायत कौड़िया कठौनी आदि के किनारे तट बांध बनाने की आवश्यकता है जिससे हजारों किसानों को राहत पहुंचेगी।]

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गोमती नदी के किनारे तट पर बाँध बनाये जाने की मांग करता हूँ।

सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के टिकराजार के भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती--

[महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक ऐसा स्थान होता है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवायें सुलभ होती हैं, परन्तु जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के टिकरा जार में भवन विहीन प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र चलाया जा रहा है। जहां पर न तो डाक्टरों की बैठने की व्यवस्था है और न ही दवाईयों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था है। टिकरा जार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर मातृ शिशु कल्याण के भवन में बैठने के लिए विवश हैं। परिणाम स्वरूप दवाइयों तथा वेक्सीन आदि के रखने की व्यवस्था के अभाव में क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होती है।

अत: जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

गाजियाबाद दादरी के बीच स्थित पटवारी के बाग नामक चौराहे का नाम बदलकर स्व0 राजेश पायलट चौक करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर--

[महोदय, जनपद गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत गाजियाबाद, दादरी के बीच में पटवारी के बाग नाम का चौराहा है, यहां से स्व0 श्री राजेश पायलट के गांव वेदपुरा को ग्रामीण मार्ग स्तर की सड़क जाती है, क्षेत्र के लोगों की भावनात्मक मांग है कि इस चौक का नाम पटवारी के बाग के स्थान पर स्व0 राजेश पायलट चौक रख दिया जाय। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति होते हुए डी0एम0 गौतमबुद्धनगर की संस्तुति पत्र संख्या-1542/जे0ए0, दिनांक 16-1-2004 जो प्रमुख सचिव, सांस्कृतिक अनुभाग में पत्रांक नं0 12/1542 जे0ए0, दिनांक 20-10-2004 को प्रेषित की गयी है और अब शासन की अनुमति हेतु लम्बित है। इसकी अनुमति मिलनी बहुत आवश्यक है।

अत: मैं इस अति महत्वपूर्ण विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11 मार्च, 2005 को नियम 300 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से कोई भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अत: किसी भी सूचना को नहीं सुना जायेगा।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर निर्धारित तिथि पर वक्तव्य न दिये जाने के सम्बन्ध में है। इसमें मैं बता दूं एक वक्तव्य आज ही लगा है, एक 15 तारीख को लगा है। माननीय मंत्री जी उस दिन नहीं थे क्योंकि वक्तव्य पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए उन्होंने स्थगित करने का अनुरोध किया था।

दूसरी सूचना श्री रामहेत जी की है। मा0 सदस्य छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि बैंक में जमा होने से इन्कार करने की बात नियम 300 में कैसे आ जायेगी ? इसको आप नियम 51, नियम 301 व नियम 56 में दीजिए। धनराशि न जमा होने से कौन सी नियमावली या संविधान की धारायें बाधित हो रही है ?

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी की शासन द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित कराये जाने की प्रवृत्ति के संबंध में है। बाजपेयी जी इसमें भी काफी चर्चा हो चुकी है और अब बहुत प्रश्न लगने लगे हैं। इसके बहुत से कारण हैं और आप मंत्री रहे हैं, सब जानते हैं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नियमित कराने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, जब नियमावली के संबंध में और विधान सभा की कार्यवाही के संबंध में औचित्य के प्रश्न आते हैं तो सामान्य परम्परा यह है कि उसको सुना जाता है और सुनने के बाद मा0 अध्यक्ष द्वारा एक व्यवस्था दी जाती है। उनकी कृपापूर्ण व्यवस्था सूचना देने वाले सदस्य और सरकार के प्रति बाध्यता होती है। मान्यवर, यदि बहुत प्रगति हो गयी है तो बात और है। यह प्रश्न पिछले सत्र में आया था और आपने इस पर निर्देश दिया था। आपके निर्देशों का पालन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तो इसके कायल हैं कि उत्तर दिए जायं। लेकिन अधिकारियों द्वारा उत्तर न दिए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मान्यवर, नियम 29 के अन्तर्गत अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्यों को करने का अधिकार है। इस सत्र में कुल 630 प्रश्न अल्पसूचित के रूप में दिए गए हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त विधान सभा सचिवालय द्वारा मात्र 36 प्रश्न अल्पसूचित प्रश्नों के रूप में स्वीकार किए गए हैं और शासन को सूचित कर दिया गया है। लेकिन 36 प्रश्न जो शासन को भेजे गए हैं, उसमें शासन द्वारा कुल 11 प्रश्न उत्तरित किए गए हैं, 19 प्रश्न शासन ने नियमित करा लिए हैं। मैं यह मानता हूं कि शासन के मंत्रियों को प्रश्नों को नियमित कराने का अधिकार है लेकिन शासन द्वारा यदि प्रश्नों को नियमित कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो आपको अधिकार है कि आप अपने अनुसार इस पर निर्णय ले सकते हैं।

मान्यवर, 13 उपवेशन हो चुके हैं और 12 उपवेशन और बचे हैं। 12 उपवेशनों में केवल 2 प्रश्न और बचे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न जनहित से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसमें से वित्त विभाग के 5, गृह विभाग के 5, चिकित्सा विभाग के 4, ऊर्जा विभाग के 3, चीनी उद्योग का 1, उद्योग विभाग के 2, परिवहन विभाग के 2, योजना विभाग का 1, नगर विकास विभाग के 2, पर्यावरण विभाग का 1, राज्य सम्पत्ति विभाग का 1, उच्च शिक्षा का 1, सतर्कता विभाग का 1 स्वीकार हुआ है। आज की कार्यसूची देख लें एक भी अल्पसूचित प्रश्न नहीं हैं। अगले 12 उपवेशनों में केवल 2 प्रश्न हैं जिसमें से 1 को नियमित कराने के बारे में प्रार्थना आ चुकी है। इस तरह से केवल एक प्रश्न बचा है। पिछली बार इस सम्बन्ध में आपकी पूर्ण व्यवस्था

आ चुकी है। उसके बावजूद यदि कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो तो अलग बात है। लगता है कि सरकार के अधिकारियों की मंशा नहीं है कि उत्तर आयें। इसलिए कृपा करके आप निर्देश दें और जो अधिकारी ऐसा करते हैं वह इस सदन के कोपभाजन बनें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कुल 36 प्रश्न स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 11 प्रश्न उत्तरित किए गए हैं। नियम 29 (4) के अन्तर्गत 20 अल्पसूचित प्रश्नों को नियमित कराया गया है। शासन द्वारा 4 प्रश्न निरस्त कराए गए हैं, अब 1 का उत्तर आना है। आप नियम 29(3) को भी देख लें इसमें है कि "यदि मंत्री अल्पसूचना पर उत्तर देने के लिए सहमत हों तो वह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्यसूची में रख दिया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें।" तो बहुत सी परिस्थितियां हैं, मैं आपको बता दूं कि 36 प्रश्न स्वीकार किए गए थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं केवल इस पर आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं। नियमावली के अन्तर्गत सभी सदस्यों को अधिकर प्राप्त है और पीठ का संरक्षण भी दोनों को प्राप्त है। नियमावली के तहत 600 प्रश्न दिए गए जिसमें 36 प्रश्न अल्पसूचित के थे जिसमें 20 प्रश्न चले गए। नियमित करने का आपको अधिकार है लेकिन इस तरह से प्रश्न नियमित किये जाएंगे तो या तो नियमावली में संशोधन कर दिया जाय या अल्पसूचित प्रश्नों की कैटेगरी खत्म कर दें।

श्री अध्यक्ष--

नियमावली के नियम 29(4) में लिखा है यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने की स्थिति में न हो।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मैं आपके नियमित करने के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं बल्कि मेरा निवेदन है कि इस नियमावली के तहत माननीय सदस्यों को भी संरक्षण दें इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसका परीक्षण करके इसको निस्तारित करेंगे। आपकी बात मैंने पूरी तरह से सुन ली है।

जनपद मुजफ्फरनगर की टाउन एरिया के चेयरमैन की हत्या विषयक उठायी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। मैंने पहले हफ्ते में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में एक बहुत ही संवेदनशील मामला उठाया था। हमारे जनपद के टाउन एरिया के चेयरमैन जो हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी थे उनकी दिन दहाड़े एक से डेढ़ बजे के बीच स्टेट हाइवे पर हत्या कर दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा था कि हम सुरक्षा का इंतजाम करेंगे और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाएंगे। सुरक्षा का इंतजाम तो हो गया एक सिपाही चला गया लेकिन दोषी व्यक्तियों को बजाय गिरफ्तार कराने के इस सारे प्रकरण को गड्ढे में डालते हुए इस मामले को सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया। आज वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। सारा परिवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आतंकित है और सब लोग डर के मारे घर में छिपे बैठे हैं जबकि हत्यारे खुले आम हथियार लिए घूम रहे हैं। यहां पर नेता सदन ने खड़े होकर आश्वासन दिया था और उनकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था लेकिन अब मामले को सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दिया गया ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के हिफाजत के लिए मैं आपसे ही आग्रह कर सकता हूँ। अगर ऐसे संवेदनशील मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाई न हुई तो लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहेगा। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिए गम्भीर है क्योंकि सदन के अन्दर नेता सदन ने आश्वासन दिया था और उसके बाद भी इस पर कोई कार्यवाही न हो तो सदन का औचित्य क्या रह जायेगा ? इस पीठ का महत्व क्या रह जायेगा ? अगर राजनीतिक खेल में इस तरह की बातें हो जायेंगी, तो यहां पर कोई बात कहने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले को सी0बी0सी0आई0डी0 से वापस ले लिया जाय व पुलिस ही इसकी जांच करें।

श्री अध्यक्ष--

इस मामले में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को सामने बिठाकर वार्ता कर ली जायेगी।

बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अध्यक्ष महोदय, कल शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत होना है लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग का बजट साहित्य हम लोगों को नहीं मिला है। प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का तो मिल गया है।

*श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

मान्यवर, मैं आ गया हूँ। मेरी नियम 301 की सूचना ले लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। माननीय सदस्य की सूचना स्वीकार की जाती है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

साहित्य माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का नहीं मिला है। शासन को इसके लिये निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

साहित्य तो मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी साहित्य तो उपलब्ध करा दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, साहित्य बजट के चार दिन पहले मिल जाना चाहिए लेकिन आज बजट है और अभी तक नहीं मिला है। व्यवस्था है कि चार दिन पहले मिल जाना चाहिए यदि यह हमको आज मिलता है तो आपको यह व्यवस्था देनी चाहिए कि इसको अगले चार दिनों के लिये स्थगित कर दें। साहित्य अभी तक नहीं मिला है तो इस व्यवस्था का क्या फायदा ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपके पिजन होल में रखवा दें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, ऊर्जा का बजट आज है और अभी तक पिजेनहोल में ऊर्जा के बारे में कोई लिटरेचर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह लिटरेचर पहले मिल जाना चाहिए और अभी भी नहीं मिला। चार दिन पहले तो कभी नहीं मिलता था हम भी रहे हैं और हमने भी देखा है। लेकिन आज तो अभी उपलब्ध करा दें। ऊर्जा विभाग के लोगों को निर्देशित करें। हमारे सचिवालय में आया कि नहीं। शायद आ गया है, मिल जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, बजट समाप्त होने के बाद तो मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

अभी मिल जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11 मार्च, 2005 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद लखनऊ में नकली दवाएं बेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी विषय गम्भीर है कि 7 वर्ष के लड़के के अपहरण का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसको नियम 51 में परिवर्तित कर दिया है।

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, हमारी भी एक सूचना है। पत्रकार के बारे में दी थी।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले मुझे कह तो लेने दीजिये। सुन तो लीजिये। आप विद्वान सदस्य हैं। पत्रकार के बारे में चर्चा हो चुकी है और सरकार का उत्तर भी आ गया था। सुरेश कुमार खन्ना जी ने उठाया था। मेरे हाथ में कार्यवाही है। 15 फरवरी को इस पर बात आ चुकी है आज दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार, चौधरी धूराम लोधी, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री शिवचरन प्रजापति, श्री अशोक सिंह चौहान की बुन्देलखण्ड क्षेत्र स्थित जनपद झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बाँदा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ललितपुर आदि स्थानों पर हुई ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की कुख्यात अपराधी अनुराग को पुलिस द्वारा वाराणसी पेशी पर ले जाते समय बमों से हमला करने एवं हमले में पुलिस के लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई, अत: अस्वीकृत हुयी। पहली श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री रामहेत की, दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, चौथी सूचना श्री रामपाल वर्मा की, पांचवी सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की, छठवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की, सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की (नियम 51 में परिवर्तित की दी गयी)। आठवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की (नियम 51 में परिवर्तित की दी गयी), नवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की (नियम 51 में परिवर्तित की दी गयी)।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है जो यहां पर पहली बार प्रस्तुत हुई है। अमर उजाला के पत्रकार नीलू के बारे में है। चर्चा नहीं हुयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

हो गयी बात।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

इसको आप ले लें दो मिनट में सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-सूची में आगे बढ़ गये हैं पहले इसको ले लें।

उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004 को विलम्ब के कारणों सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (केन्द्रीय) की धारा 10 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 31वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक) † †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 31वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 (01 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक) को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 4, 5 में कुछ नहीं है।

नोट :-†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 मार्च, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 09 मार्च, से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :

मार्च, 2005

9 बुधवार 10 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
11 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
12 शनिवार	1--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण : (क) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005, (आधा घण्टा) (ख) एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005, (आधा घण्टा) (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग विधेयक, 2005, (आधा घण्टा) 2--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार	1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2--3.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
15 मंगलवार 16 बुधवार 17 गुरुवार 18 शुक्रवार	बैठक होगी।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।

मार्च, 2005

21 सोमवार	असरकारी दिवस।
22 मंगलवार	1--असरकारी दिवस (आधा दिन) 2--विधायी कार्य (आधा दिन)
23 बुधवार 24 गुरुवार	विधायी कार्य।
25 शुक्रवार 26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी (होली का अवकाश)।
28 सोमवार 29 मंगलवार	विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, नियम 56 में सूचना दी है एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली उसका 36 महीनों का वेतन बकाया है।

श्री अध्यक्ष--

पहले जो स्वीकार है उसको सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मेरा आपसे अनुरोध है कि विशेष उल्लेख में दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, समय दे दीजिएगा। आदेश शिरोधार्य है। मैं 120 सेकेन्ड से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जन-जीवन से जुड़ी चीजों से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। यह उससे संबंधित विषय है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की दवा का जो निर्माण करते हैं ऐसे लोगों में इंडियन फार्मासिटिकल एलाइन्स एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की जाती है कि उनके हमारी कम्पनी की जो दवायें बनती हैं उनके नाम से नकली दवाइयाँ बाजार में बेची जा रही है। उस पर सी0बी0आई0 दल सक्रिय होता है और मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। वह गिरफ्तार व्यक्ति यह बयान देता है कि मैं यह दवाइयाँ नाका हिंडोला और अमीनाबाद के व्यापारियों को बेचता हूं। इस पर सी0बी0आई0 दल और यहां के जो ड्रग इन्सपेक्टर और ड्रग कन्ट्रोलर हैं, उनके द्वारा अमीनाबाद, राजाजीपुरम् और कई अन्य स्थानों पर छापा मारा जाता है और इस छापे में कई लाख रुपये की नकली दवाएं बरामद की जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति है, यह तो एक प्रकरण सामने आया है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में है और मेरा तो यह मानना है कि यहां के जो ड्रग इन्सपेक्टर और ड्रग कन्ट्रोलर हैं और इनका जो अमला है, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि सही दवा का निर्माण हो, वहीं यह भी जिम्मेदारी है कि सही दवा लोगों तक पहुंचे और सही दवा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिक्री हो। लेकिन निहित स्वार्थ और आर्थिक लाभ के कारण यह लोग इसकी अनदेखी करते हैं। जिसके कारण बाजार में अधोमानक दवाएं बिक रही हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि जो व्यक्ति पैसा लगा कर खरीदता है, उसकी आर्थिक हानि होती है और बीमारी की हालत में जब उस दवा का इस्तेमाल करता है तो उसको फायदा नहीं होता है और कई बार अस्पतालों में मारपीट की घटनाएं भी हो जाती हैं और कई बार मरीज दवा देते ही या इन्जेक्शन लगाते ही मर जाता है।

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए और इसे गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि सही दवा वितरित हो, सही दवा बाजार में बिके ताकि लोगों को उचित मूल्य पर सही दवा मिले। इसलिए जिनके कन्धों पर यह जिम्मेदारी है, ड्रग इन्सपेक्टर और ड्रग कन्ट्रोलर की, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। मान्यवर, जब सी0बी0आई0 दल छापा मारता है तो नकली दवाएं मिलती हैं, क्यों नहीं हमारे प्रदेश के जो ड्रग कन्ट्रोलर और ड्रग इन्सपेक्टर हैं उनको यह जानकारी मिलती ? क्यों नहीं उनको यह नकली दवाएं दिखायी देती ? क्यों उनको यह अधोमानक दवाएं नहीं दिखती हैं ? क्या आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है, उनको दण्डित करने के कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है, और जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है, और मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, उसकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रकरण पर कठोर कार्यवाई करे। नकली दवाएं मिल रही हैं, अधोमानक मिल रही हैं तो इससे लोगों को गम्भीर हानि हो रही है, जानें जा रही हैं, वह अपनी बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह गम्भीर प्रकरण है। इसलिए इस गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा देने का कष्ट करें।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

आप भी इसी पर बोलेंगे ? आप तो ओला पर दिए हैं ? दवाओं पर तो नहीं है।

*श्री प्रमोद कुमार--

है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आपका रिजेक्ट हो गया था।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, हम नियम 56 में नहीं बोलेंगे। हमें इसमें बोलना है। मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है कि जब एक मरीज को दवा दी जाती है तो उसका उपचार होना चाहिये। लेकिन कहीं न कहीं शिथिलता के कारण एक रैकेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो पेटेंट दवायें हैं जो ज्यादा चलती हैं उन्हें पहले तो चमकीला बनाकर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के ब्राण्ड के नाम पर बेचा जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कह सकता हूं कि यह काम साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। यह काम जो लोग करते हैं उन्हें तो मौत के सौदागर की संज्ञा दी जानी चाहिये इसके अलावा उन्हें और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह मौत के सौदागर चोरी-छिपे काम नहीं कर रहे हैं बल्कि यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। उनकी थोक की दुकानें हैं, रिटेल की दुकानें लखनऊ में हैं। लखनऊ में सी0बी0आई0 ने छापा मार कर करोड़ों रुपये की नकली दवायें पकड़ी हैं। मान्यवर, जब लखनऊ में यह हालत है तो कस्बों की क्या हालत होगी ? लखनऊ में जबकि यहां पर सबसे अच्छी व्यवस्था है सारा सरकारी अमला है अगर इसके बावजूद नकली दवायें यहां पर मौत के सौदागर बेच रहे हैं तो गांवों की क्या हालत होगी ? मैं कहना चाहता हूं कि यह खराब दवायें पहली बात तो असर नहीं करतीं और दूसरा कि इन दवाओं का जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इनमें जो तत्व मिलाये जाते हैं वह पूरे तरीके से जहर के रूप में हैं। उनका आफ्टर इफेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट भी होता है। उनका तत्काल इफेक्ट के रूप में यह होता है कि उसकी बुरी प्रतिक्रिया शरीर में हो जाती है और अगर उसको बाद में खाना बन्द भी कर दिया जाये तो भी उनका शरीर पर कुप्रभाव होता है। यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, आज देश में ऐसा कौन सा इन्सान है जो दवायें न खाता हो। हां एक-आध प्रतिशत को छोड़ दें तो अलग बात है लेकिन 98-99 प्रतिशत लोग दवायें खाते हैं। मान्यवर, भारत सरकार की सी0बी0आई0 लखनऊ में आती है और बड़े पैमाने पर कई जांचें होती हैं। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रकरण नहीं है, यह कई प्रदेशों में चल रहा है। यह व्यापक पैमाने पर है और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मौत के सौदागर हैं वह देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। मेरा अनुरोध है कि कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिये और ऐसे मौत के सौदागरों को, ऐसे जो भी अपराधी हों ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने का प्राविधान किया जाना चाहिये जो दवा के नाम पर जहर बेच रहे हों ? मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है और इसकी गम्भीरता के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इस पर आधे घण्टे की चर्चा करा देंगे। अब श्री प्रागी लाल अहिरवार जी और एक बात आप सभी ध्यान रखें कि दो-दो सूचनाओं पर हस्ताक्षर न हों। अगर दो सूचनायें होंगी तो दोनों अस्वीकृत हो जायेंगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 311 में दी है और एक सूचना नियम 56 में दी है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, क्या नियम 311 लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं। संक्षेप अपनी बात कहें। इसके महत्व को देखते हुये अपनी बात कहें जिससे सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में यह बात आ जाय।

*श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ओला, पानी और हवा से किसानों की फसल नष्ट हो गयी है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

किस तारीख को यह हुआ है ?

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, नौ तारीख को यह घटना हुयी है और रोजाना हो रही है। कल भी ओलावृष्टि हुयी है। किसान बिल्कुल भुखमरी की कगार में आ गया है, फसल खेतों में सड़ गयी है। मान्यवर, वहां पर अधिकारी लोग मौके पर जा नहीं रहे हैं और फर्जी तरीके से मनगढ़न रिपोर्ट बना कर कम नुकसान दिखाया जा रहा है, इससे किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी और जो किसानों का फसल बीमा है उसका भी लाभ उनको प्राप्त नहीं हो पायेगा। पूरे बुन्देलखण्ड जनपद में झांसी में हमारे क्षेत्र मऊरानीपुर में सौ प्रतिशत नुकसान हो गया है। लगातार मान्यवर, तीन साल से ऐसा हो रहा है। कभी सूखा, कभी वर्षा और इस साल यह ओलावृष्टि हुयी है। मान्यवर, वहां पर अधिकारी मौके पर जायें और उस फसल की बरबादी को देख कर किसानों को सहायता दी जाय। हमारा यह भी अनुरोध है कि उनसे राजस्व की वसूली न की जाये और इस पर चर्चा करायी जाय।

*चौधरी धू राम लोधी--

मान्यवर, बुलन्दशहर क्षेत्र में राठ, मदौहा, हमीरपुर, मौदहा, उरई में भयंकर ओला पड़ा है, मकानों के छप्पर टूट गये हैं और खेतों में पानी भर गया है। वहां पर मटर, मसूर, चना, लाही की फसल पैदा होती है उसमें एक डेढ़ फिट पानी भरा पड़ा है। सैकड़ों लोग वहां पर घायल पड़े हैं और अस्पतालों में पड़े हैं। वहां का प्रशासन चुप है। अधिकारी गाड़ी में बैठ कर सड़कों में जाकर देखते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा की एक समिति बनाकर इसकी जांच करा लें। वहां पर किसानों को सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी से बात की जाती है तो वह मौके पर मिलते नहीं हैं। एडीएम और एसडीएम भी नहीं मिलते हैं। लोग घायल पड़े हैं ऐसी स्थिति में यदि आपका आदेश हो जाय तो अच्छा होगा क्योंकि यह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और पानी दो तीन फिट तक भरा है। मटर और मसूर की फसल बरबाद हो गयी है। आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करा दें ताकि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिल जाय। जितने भी खपरैल मकानों के थे वह टूट गये हैं उसके लिये कोई कार्यवाही हो।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, आपने मुझे प्राथमिकता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 78.27 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। विगत तीन दिनों से लगातार वहां पर ओले का कहर बरस रहा है। हजारों एकड़ जमीन नष्ट हो गयी है। फसल बरबाद हो गयी है।

(सदस्य द्वारा सरसों का सड़ा पौधा दिखाया गया)

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रदर्शन न करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, पूरी फसल वहां की नष्ट हो गयी है। घरों में ओले पड़े हैं। जो मटर, लाही, मसूर, सरसों की फसल है वह नष्ट हो गयी है। सब आदमी परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी बात आ गयी है।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, लोग हमको घरों से निकलने नहीं दे रहे हैं। कोई मंत्री वहां गया नहीं है। वहां पर अधिकारी जायें और प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है। आप बैठ जायें।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होते ही श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' सरसों का पौधा लेकर सदन के वेल पर आ गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी, मैं इस पर एक घण्टे की चर्चा कराना चाहता हूं और आपकी मांग भी यही है।

(श्री मुंशीलाल गौतम, श्री प्रागी लाल अहिरवार तथा डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा तथा श्री अशोक सिंह चौहान आदि विपक्ष के कई सदस्यगण सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जायें, मैंने खुद ही इस विषय की महत्ता को देखते हुये इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिये अगर इस पर चर्चा हो जायेगी तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख देंगे।

(वेल में आये हुये माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर वापस चले गये।)

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

जब तक आप राहत देना स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अहिरवार साहब तो कह रहे हैं कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, उनका कहना है चर्चा जब होगी, तब होगी, लेकिन सरकार राहत कार्य तो आरम्भ कर दे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, पूर्व प्रदेश में बहुत ही भीषण तरीके से ओलावृष्टि हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय धू राम जी ने कह दिया है और मैंने चर्चा स्वीकार कर ली है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके गले में कुछ दिक्कत है, नहीं तो वह इस विषय पर कुछ जरूर कहते, इसलिये मैंने इस पर चर्चा स्वीकार कर ली है। अब यह बुन्देलखण्ड के लोग कह रहे हैं कि चर्चा न कराइये अगर उनकी यही इच्छा है तो हम चर्चा नहीं करायेंगे।

*श्री शिव चरन प्रजापति--

मान्यवर, यहां के कुछ लोग हमारे साथ वहां चलें जो यहां विधान सभा के अन्दर बैठे हैं और चल कर देख लें वहां की क्या स्थिति है ? मान्यवर, किसी ने ऐसा ओला आज तक नहीं देखा है। घर में लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है। मान्यवर, मेरी मांग है कि राहत कार्य चलाये जायें और सदन में इस विषय पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष--

हमने नियम 56 की सूचना को नियम 52 में परिवर्तित करके इस पर चर्चा स्वीकार कर ली है। मैं समझता हूं कि जब आप क्षेत्र में जायेंगे तो किसान आप को घेरेंगे यहां पर चर्चा हो जाने से आप लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्रीमन्, सदन के सभी माननीय सदस्यों को मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि जब मैं राजस्व मंत्री था, तब से मान्यवर, ओलावृष्टि में मुआवजा देने का प्रावधान शुरू किया गया था, वह मेरा ही जमाना था। सुनामी के बाद हमारे देश के मौसम में बड़ा बुनियादी फर्क आया है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाये ? इस मौसम की खराबी से सबसे ज्यादा असर किसानों पर ही पड़ा है। इस पर वैसे तो अध्यक्ष जी ने चर्चा स्वीकार कर ली है, लेकिन इसके अलावा भी जरूरत हो या न हो, किसानों को जितना अधिक से अधिक मुआवजा दिया जा सकता है, दिया जायेगा।

*श्री लालजी वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष--

पहली बात तो यह है कि आपकी सूचना अस्वीकार है। दूसरी बात आप अपनी सूचना अलग से दे दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था . . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौर साहब आप विद्वान सदस्य हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि कानून पर बहुत चर्चा हो चुकी है, अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आज प्रदेश की पुलिस बहुत असहाय हो चुकी है, इसलिये मैं कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करता हूं। मान्यवर, इसी 5 मार्च को इलाहाबाद से दो दरोगा और 6 सिपाही कुख्यात अपराधी अनुराग उर्फ अन्नू त्रिपाठी को स्वराज माजदा गाड़ी पर वाराणसी पेशी के लिये ले जा रहे थे। पेशी के बाद वे 3 बजे के लगभग नैनी जेल के लिये चले। गोपीगंज के दहियापुर गांव के पास निर्माणाधीन सड़क पर स्वराज माजदा गाड़ी पर 3 मोटर साईकिलों पर सवार 9 लोगों ने बमों से हमला कर दिया। हमलावरों के बम से ड्राइवर सर्वजीत सिंह यादव आयु 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गयी और आगे बैठे दरोगा राधेश्याम सिंह उम्र 51 वर्ष गम्भीर रूप से घायल हो गये। इसी तरह से पीछे बैठे दरोगा राम लखन मिश्र, सिपाही राम शंकर गिरि, दीनानाथ, गोविन्द, शीतला प्रसाद तिवारी, श्याम सुन्दर तिवारी गम्भीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मान्यवर, इस घटना से आज इलाहाबाद में भय का वातावरण व्याप्त है। जब पुलिस और दरोगा सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगी ? मान्यवर, आज हालत यह है कि विधायक अपनी सुरक्षा के लिये आपसे मदद की मांग करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आज कैसी है इससे आप और हम सब अवगत हैं। मान्यवर, इस घटना के पीछे उन अपराधियों का मोटिव क्या रहा है इसका पता लगाना जरूरी है ? अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी हुयी है और न ही कोई कड़ी कार्यवाही हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

14 तारीख को गृह विभाग का बजट लगा हुआ है और उसके बाद ही कानून व्यवस्था पर चर्चा लगी हुयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस चर्चा में इस विषय को भी जोड़ देंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

उनका गला खराब है और मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने इसको उस दिन की चर्चा में जुड़वा दिया है।

श्री माहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मननीय सदस्य बिल्कुल परेशान न हों और भयभीत न हों। इस सदन के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और पूरा सदन सुरक्षित है। इस तरह की वारदातें होती रहती हैं और होती रहेंगी। लेकिन सरकार निष्पक्ष रहे और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे इसके लिये आपको आश्वस्त रहना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस सदन में कई महत्वपूर्ण पद हैं जैसे आपका सर्वोच्च पद है। माननीय नेता सदन हैं। मा0 नेता विरोधी दल हैं और अन्य दलीय नेता हैं। आज मा0 संसदीय कार्य मंत्री का गला कुछ खराब है। अब यह किसके संसर्ग में आये हैं और किन कारणों से इनका गला खराब हुआ है यह देखने की बात है। मान्यवर, इनके चेहरे से लग रहा है कि यह कहीं से कोई इन्फेक्शन ले आये हैं। आप एक समिति बना दें जिसमें मा0 नेता विरोधी दल भी

रहें और हम लोग भी रहें और इसकी जांच कर लें। कोई गलत सोहबत में लगता है चल गये हैं। मा0 खन्ना जी, आप बैठ जायें। आपका गला कभी खराब होता नहीं क्योंकि आप कहीं कुछ करते नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। आप इसे नियम 51 में दे दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यहां के कर्मचारियों को प्रदेश में जगह-जगह 6 माह से लेकर 36 महीने तक का वेतन नहीं मिला है और उनके एक कर्मचारी श्री राजपाल यादव ने तो आत्महत्या भी कर ली। मान्यवर, इसी 11 फरवरी, को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एक फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नियम 51 में इसकी सूचना देंगे तो पूरा वक्तव्य आ जायेगा और आपको सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। आप कल सूचना दे दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह 1185 कर्मचारियों के वेतन का मामला है। बरेली में 11 माह से वेतन नहीं मिला है इसी प्रकार गोण्डा में 36 माह, बहराइच में 36 माह, फैजाबाद में 36 माह, सुल्तानपुर में 28 माह, हमीरपुर में 32 माह, बाराबंकी में 26 माह, लखनऊ में 11 माह, मिर्जापुर में 18 माह, इलाहाबाद में 12 माह, वाराणसी में 8 माह, गोरखपुर में 6 माह, सहारनपुर में 12 माह से वेतन नहीं मिला है। मान्यवर, 11-2-2005 का हाईकोर्ट का फैसला है। यह सुन लें इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह आ चुका है, मैंने देखा है। यह आपकी बात आ गयी है अब आप बैठें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, चार लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं--

द अपोजिट पार्टी नं 1 सेल मेक अरेन्जमेन्ट फार प्रोवाइडिंग वजेटरी ग्रान्ट टू द अपोजिट पार्टी नं0 2 टू इनेबल टू मेक पेमेन्ट आफ द पे एण्ड अलाउन्सेज टू इट्स इम्प्लाइज।

मान्यवर, एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, 6 माह से लेकर 3 साल तक का कर्मचारियों का वेतन बकाया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है। चतुर्थ वेतनमान की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है और पंचम वेतनमान की रिपोर्ट भी नहीं लागू है। उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। अभी हम लोग जाते हैं तो वही लोग खाना देते हैं नाश्ता कराते हैं। यह जनजीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1185 लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें मान्यवर, मृतक के परिवार को कुछ राशि दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें, मेरा निवेदन है नहीं तो आपका यह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा तो कोई फायदा नहीं होगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, अगर कुछ अनर्गल हो तो आप निकाल दीजियेगा। मैं अब मेन बात पर आ रहा हूं। एक तो मृतक परिवार को सहायता और दूसरे उसके परिवार को योग्यता के अनुसार नौकरी। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है उसके परिवार के सामने भुखमरी का संकट है। उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिली है न उसके परिवार को नौकरी दी गयी है तो यह दिया जाये और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ आपकी बात आ गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, निगमों की हालत बहुत दयनीय है, सदन जानता है निगमों की हालत के बारे में यही नहीं बल्कि सारे निगम जर्जर अवस्था में हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टंडन)--

आप भी तो किसी निगम के चेयरमैन हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

पहले से उसका परीक्षण कर लें सदन की समिति बना दें और उसकी हानि का और उसके पहले की हालत में अगर जमीन आसमान का फर्क न हो तो मैं सदन छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, अगर जमीन आसमान का अन्तर न हो। उस चेयरमैन का जो अब बनाया गया है एक प्याली चाय नहीं पीता है, एक कागज नहीं खर्च करता है, एक पैसा उस निगम के चेयरमैन ने अब तक अपनी कलम से परिवर्तित नहीं किया है वह ऐसे तबाह हो चुके निगम को बचाना चाहता है। एक लाख रुपये का जनरेटर में तेल जलता था आपके जमाने में एक लाख रुपये का तेल जलता था मैं उस जनरेटर को बिकवा रहा हूं, उसकी नीलामी करा रहा हूं। सारी गाड़ियां रोक दी हैं, सारी की नीलामी करा रहा हूं। आपके जमाने में जितने मोबाइल थे वह सारे मोबाइल आपने वापस ले लिये हैं। मैंने एसटीडी खत्म कर दी है, बहुत कुछ किया है इसलिये सदन की एक समिति बना दीजिये तो इसको देख ले इतर इस संस्था की कोई खामी निकले तो सजा तजवीज कर दीजियेगा लेकिन बेहतर हो रहा है तो स्वागत कीजिये। जैसा जल निगम में हो रहा है वैसा दूसरे निगम में होगा तो उसकी स्थिति बेहतर होगी।

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे और जो कुछ भी हो सकता है, करेंगे।

श्री लालजी टंडन--

अगर इस सदन में इसकी मर्यादा बनाये रखनी है तो कुछ करना होगा। एक छोटा सा विषय है, बाकी तो आप उसे जिस रूप में लें। इतनी सी बात है कि वेतन न मिलने के कारण एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। इसमें चर्चा जब चाहें करायें, या न करायें लेकिन इतना कहने में क्या है कि जो बकाया है, वह तुरन्त भुगतान कर दिया जायेगा और जैसा मृतक आश्रित नियमावली में है, उसके अनुसार उसके एक वारिस को नौकरी मिल जायेगी। यह तो एक सामान्य बाबू कह सकता है, एक अधिकारी कह सकता है, लेकिन क्या सदन नहीं कह सकता ? मान्यवर, आपको संवेदनशील होकर यह निर्देश देना चाहिये और संसदीय कार्य मंत्री को यह कहना चाहिये कि यह कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय नेता विरोधी दल का जो सुझाव है, उसका खासतौर से पालन करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या--37, नगर विकास विभाग

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--37--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,88,23,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, क्योंकि नेता विरोधी दल खुद भी नगर विकास मंत्री रहे हैं और सारी कार्यवाही के अलावा भी हमारी कोशिश रहती है कि उनसे मार्गदर्शन मिलता रहे और यही वजह रही कि कोई बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा नहीं हुआ। वरना इस विभाग की विडम्बनाओं के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी है। मान्यवर, स्टेट फाइनेन्स कमीशन से 880 करोड़ मिलता था, इस साल 183 करोड़ ज्यादा मिलने की संभावना है। मान्यवर, इस विभाग का नाम नगर विकास विभाग है, लेकिन वह छोटे नगर, वह छोटे निकाय, जिनका विकास होना चाहिये था, जितने बड़े पैमाने पर, वह नहीं हो सका। मैं साथियों को खुद अवगत कराना चाहता हूं कि जो अपने मुकदमें को आज जिस मजबूती से मैं रखना चाहता था, जो मैं काम कर रहा हूं बहुत संजीदगी से, लेकिन स्वास्थ्य खराबी की बिना पर नहीं रख पा रहा हूं। एक बड़ी परेशानी नगर निकायों में यह है कि उनको पैसा तो दे देंगे, लेकिन वह चला कहीं और जायेगा। यहां लखनऊ के ही पास बसा हुआ है बाराबंकी। वहां सफाई कर्मचारियों को डेढ़ साल से ज्यादा हो गया, वेतन नहीं मिला है। हालांकि इन निकायों को पैसा तो चला जाता है और जो पैसा तनख्वाह में जाना चाहिये, सैलरीज में जाना चाहिये, वह उसमें न जाकर दूसरे कामों में दे दिया जाता है। इस तरह की शिकायत एक नहीं, अनेकों जगहों से है। यूं तो हमारा विभाग सफाई का विभाग है, पानी पिलाने का विभाग है। सफाई में नाली सफाई, नाला सफाई, सड़क बनाना, यह इसके काम हैं। लेकिन इतना काम हो नहीं पाया है जितना जरूरत है। हमारी मुख्तलिफ योजनायें हैं, इन योजनाओं में कामों में प्रगति पहले से ज्यादा है, कामों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाहियां भी की गयी हैं। हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं, कारण बताओ नोटिस देंगे। अध्यक्ष के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन हालात यहां आकर खड़े हो गये हैं, जहां पर हम बहुत बेबस हैं और इस हद तक बेबस हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने शो-काज-नोटिस को भी जारी करने पर पाबन्दी लगा दी है, हम किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को शो-काज-नोटिस भी जारी करें तो उसे आसानी से स्टे मिल सकता है, मिलना भी चाहिये। मैं न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखता हूं लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्ट से भ्रष्ट अध्यक्ष के खिलाफ भी कारंवाई की जाये तो आज की तारीख में उसको भी शो-काज-नोटिस देने का अधिकार सरकार को नहीं है। फिर भी हम शो -काज-नोटिस जारी कर रहे हैं और कारंवाई भी कर रहे हैं, जो लोग न्यायालय चले जाते हैं, वह न्यायालय से फायदा ले लेते हैं और जो नहीं जा पाते हैं, उनके खिलाफ कारंवाई भी हो जाती है। सड़कों की कार्यवाही के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप देखेंगे तो कुछ न कुछ हालात बेहतर जरूर पायेंगे।

हमने यह निर्णय लिया है कि जहां पर भी डामर रोड बने वहां पर पानी की निकासी के लिये नाली की व्यवस्था जरूर की जाये। इसी के साथ-साथ हमने सीमेण्ट की रोड्स को खत्म किया है, क्योंकि सीमेण्ट की रोड्स की लाइफ नहीं होती है और 6 महीने के अन्दर यह रोड उखड़ना शुरू हो जाती है। बाद में जब उसे फिर से बनाया जाता है तो वह 8, 10 या 12 इंच ऊपर उठकर ही बनती है, जिसके कारण नालियां नीचे चली जाती हैं, रोड ऊपर हो जाती है, और घरों का लेविल भी कम हो जाता है। नालियों के गहरे हो जाने से उनकी सफाई भी नहीं हो पाती है। हमने यह व्यवस्था की है कि इनमें इंटरलाकिंग ईंटों का प्रयोग किया जाये, इसमें जाहिर है कि काम कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक बार यह ईंटें लग जाने के बाद 10--20 साल के लिये छुट्टी हो जायेगी। इसमें यह सुविधा भी रहेगी कि अगर कहीं पर एक ईंट भी टूट जाये तो उसे बदला जा सकता है। हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी, जिन्हें डूडा या सूडा कहते हैं।

मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि पहले कुछ खास शहरों को डीगत किया जाता था, पहले यह होता था कि जिन शहरों के बारे में यह ख्याल रहता था कि यहां पर हमारा वोट बैंक ज्यादा है, उन्हीं को लिया जाता था, लेकिन हमने प्राविधान किया है कि इन कामों में पूरे उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाये और अब डूडा के तहत पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों में काम कराया जायेगा। वन वे स्कीम के तहत भी ज्यादा काम किये जाने का प्राविधान है, यह भारत सरकार की स्कीम है, आप भी जानते हैं कि इसमें 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से मिलता था और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होता था। अभी मेरी बात भारत सरकार के सचिव साहब से हुयी थी, उन्होंने कहा था कि इन दोनों स्कीमों को एक जगह कर दिया जायेगा तथा उसमें 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार देगी और 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार देगी। लेकिन उसमें जो शर्तें उन्होंने लगाई हैं, उनको देखकर मुझे उनकी नीयत पर शक होता है। अगर आप एक गली का भी प्रस्ताव देते हैं तो उस गली के प्रस्ताव की मंजूरी भारत सरकार से होगी और जब तक भारत सरकार से उसे मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वह गली नहीं बन सकेगी। इसमें यह भी हो सकता है कि हमने प्रस्ताव भेज दिये लेकिन भारत सरकार से वही प्रस्ताव पास हुये, जिनमें उनका कुछ लाभ हो, इसमें मुझे कुछ राजनीतिक भेद लगता है। इसके लिये हमने कह भी दिया कि मैं आपका अप्वाइन्ट किया हुआ क्लर्क नहीं हूं, अगर कोई राज्य सरकार के अधिकारों को लेना चाहे तो हम ऐसी शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे, यह शर्तें हम नहीं मानेंगे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी जरूरत होगी, वहां पर काम करेंगे। भारत सरकार के आदेशों से काम नहीं करायेंगे।

मान्यवर, इस तरह 'सूडा' में इण्टरलाकिंग ईंटों का प्राविधान कर दिया है। बड़ा मुकाबला करना पड़ता है ठेकेदार साहबान से, क्योंकि वे हमारे राजनीति का एक बड़ा हिस्सा हैं। हमारे [illegible] ओ0 इस [illegible] हिस्सा हैं, वोट हमारे पास आते हैं और मुझे समझाने को

कोशिश करते हैं कि सीमेण्टेड रोड ज्यादा अच्छी है बनस्पित इण्टर लाकिंग ईंटों से बनी सड़कों के। मैं बराबर यह कहता रहा हूं कि हमारा जो तजुर्बा है जिन्दगी का या दुनिया का, एक-दो साल में इसके अच्छे नतीजे आयेंगे. हमने इसको लागू किया है। इसलिये भी किया है क्योंकि हमे बाहर जाने का मौका मिला है, हमने आमतौर पर देखा है जितने भी विकसित देश हैं, सभ्य देश हैं वहां पर सीमेण्टेड रोड्स नहीं के बराबर मिलती हैं या तो हाट-मिक्स रोड्स बनती हैं या इण्टर लाकिंग ईंटों से रोडों का निर्माण होता है। उसी को सामने रख कर यह काम किया है। इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि 'सूडा' और 'डूडा' के तहत होने वाले कामों में कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिये विचार चल रहा है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिये। मिसाल के तौर पर हमारे यहां सर्टीफिकेट दिये जाते हैं, ट्रेनिंग और कुछ थोड़ा सा पैसा भी दिया जाता है, उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और खास तौर से महिलाओं को लेकिन उनके सर्टीफिकेट की कोई हैसियत नहीं होती। उनको कोई लोन नहीं मिलता क्योंकि वह मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं वह सर्टीफिकेट जो अचार-मुरब्बा बनाने के लिये होता है। सर्टीफिकेट जारी होते हैं लेकिन लगता है कि सिर्फ कागजी खानापूरी है। हम उससे समाज का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। इस स्कीम के बारे में सभी सदस्यों से विचार-विमर्श करके निर्णय लेने की जरूरत होगी।

पानी के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थान के बारे में कहना चाहूंगा बहुत सी योजनायें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और बहुत सी पुरानी योजनायें हैं जिनमें व्यवधान पैदा हुआ है, सरकारें बदल जाने से। उतर प्रदेश सरकार की ओर से उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करने की न तो नीयत थी न नीयत है और न हो सकती है। मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले, मेरी ऐसी मिजाज रही है जिसे हम लोगों की भलाई का काम कहते हैं उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। पानी जैसी चीज को लेकर जब दो प्रदेशों में पानी के बंटवारे का झगड़ा होता है, वे चीजें जो कुदरत की तरफ से मिली हैं, अगर इंसान उसे रोकना चाहता है तो वह चीजें तो इंसान के कब्जे में होंगी उसके लिये वह कितना जालिम होगा ? पानी, हवा, रोशनी और ऐसी मफादे आम की चीजें जिन्हें कुदरत देता है, उसमें अगर हमारी तरफ से कोई रोक या कमी होती है तो यह घटिया सोच होगी। कहीं भी इस बात पर वहम भी नहीं होनी चाहिये कि पानी की व्यवस्था करने में उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं कोई कमी उठा कर रखेगी या किसी धर्म, वर्ग या राजनीतिक सोच का कहीं कोई साया पड़ सकेगा। मान्यवर, लखनऊ, कानपुर में बड़े काम चल रहे थे, सरकटा नाले का काम जो रोका गया था, जानबूझ कर रोका गया था इसलिये कि उसमें कमियां थीं लेकिन जितने भी पैसे की बाद में जरूरत पड़ी वह दिया गया है। नेता विरोधी दल मुहमन होंगे, उनका मशविरा मिलता रहा और काम होता रहा। काम में तेजी लायी गयी है और उसे बहतर ढंग से कराया जा रहा है। कानपुर गंगा बैराज का, मैं कई बार मुख्य मंत्री जी को उसकी [illegible] करा चुका हूं। सतीश महाना जी सामने बैठे हैं, मैं इसमें कोई सफाई नहीं देना चाहता।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

लेकिन अगर कोई एतमाद का अधिकारी वहां है तो आप उनसे यह जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह का मजबूत स्टैंड हमने लिया है। मैं प्रोसीडिंग ले गया था। मुख्य मंत्री के सामने मैंने कहा कि एक साल हो गया है सिंचाई विभाग ने काम नहीं किया है। लेकिन उसके बाद से सिंचाई विभाग के काम में काफी तेजी हुयी है और हमने उसके उद्घाटन की एक डेड लाइन तय कर दी है ताकि वह काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके और गंगा बैराज का काम जल्दी हो सके। मैं ज्यादा तफसील से

अपनी बात नहीं रख सका हूं लेकिन कहीं कोई अच्छा सुझाव मिलता है तो उसको दिखवाकर उस काम को पूरा करवाया जायेगा। इससे उन लोगों का मन बदलने में हम कामयाब होंगे जो हमारे खिलाफ गलत धारणा रखते हैं।

मान्यवर, रिवाल्विंग फण्ड से बहुत बड़ी रकम आज सरकार तकसीम कर रही है। मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सरकार आती है या जो मंत्री होता है उसका काम करने का अपना तरीका होता है। पहले की सरकार में रिवाल्विंग फण्ड का बजट बड़ी मात्रा में कुछ जगहों पर जाता रहा ताकि जितना काम है वह मुकम्मल हो जाय, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बेईमानी में इतना आगे निकल गये हैं कि हमें कुदरत का भी कोई खौफ नहीं रहा है। हम किस तरह से समाज को और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं इसका हमें ज्ञान नहीं है। जितना ज्यादा पैसा चला जाता है उतनी ज्यादा धन की लूट होने लगती है, जो पकड़ने वाले हैं वह खुद लूटने में लग जाते हैं। बहुत सी जगहों पर शिकायतें पायी गयीं। अगर किसी इम्तियाज से चिट्ठी आती है कि अमुक अधिकारी बड़ा भ्रष्ट है, चोर है, पार्टी विरोधी है, बड़ा असामाजिक है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और हम कार्यवाही करते हैं तो उन्हीं मान्यवर, की चिट्ठी कुछ दिन बाद आ जाती है कि वह बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता है, ईमानदार है। उसकी ईमानदारी का सर्टीफिकेट दे दिया जाता है। उसके बारे में जो एडवर्स सर्टिफिकेट या चिट्ठी आती है उसकी जगह उसकी तारीफ की चिट्ठी आ जाती है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये, कोई रियायत नहीं करनी चाहिये। मैंने इस बारे में कोशिश की है कि उन लोगों को राहत पहुंचे जो राहत से एक जमाने से वंचित हैं। हमारे यहां पिछले 56-57 सालों से काम हो रहे हैं, लखनऊ को लखनऊ बनाने के लिये फिरंगियों ने कोई काम नहीं किया, कानपुर को कानपुर बनाने के लिये फिरंगियों ने कोई काम नहीं किया, इलाहाबाद को इलाहाबाद बनाने का लार्ड बहादुर ने कोई काम नहीं किया। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में बनारस की उपेक्षा जरूर हुयी है। बनारस दुनियां का सबसे पुराना शहर है। जब मैं हिन्दुस्तान से बाहर निकला तो लोगों ने हमसे जगह-जगह बनारस की कैफियत के बारे में पूछा। बनारस के बारे में जिन्होंने पूछा वह हिन्दुस्तान के लोग नहीं थे, यहां के मुसलमान नहीं थे और हिन्दू नहीं थे, वह हिन्दुस्तान के बाहर के लोग थे। उन्होंने बनारस के बारे में जानकारी चाही जो दुनियां का सबसे पुराना शहर है और जिसकी सबसे पुरानी आबादी है। उसका उतना विकास नहीं हो सका, इसलिये कि फिरंगियों की ज्यादा आमद और जामद वहां नहीं रही।

हमारा असली हिन्दुस्तान जो है, वह गांव में रहता है। जो आबादी टाउनशिप, टाउन एरियाज, नगर पंचायतों में रहती है वह भी उपेक्षित रही है। मैंने कोशिश की है कि रिवाल्विंग फण्ड से पैसा दिया जाय। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि तकरीबन 375 नगरपालिकाओं को पैसा दिया गया है। जो खुद में एक इतिहास है। मैंने ऐसा इसलिये किया है कि बड़े-बड़े शहरों को बड़ा बनाने में अब कोई बहुत विकास नहीं होने वाला है। कुछ बातों का मैं विरोध करता हूं मिसाल के तौर पर हमें एक सुझाव मिला वित्त विभाग से कि अमुक-अमुक शहरों में सीवर लाइन बिछाने के लिये इतना पैसा दे दिया जाय हमने जानना चाहा कि अमुक-अमुक शहरों में सीवर लाइन बिछी हुयी है तो मालूम हुआ कि लोग ऐसी जगहों पर सीवर लाइन बिछवाना चाहते हैं जो शहर से 15-20 कि0मी0 दूर है लोगों ने इतनी दूर अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, फार्म हाउस बनाने के लिये खेत खरीद रखे हैं और ऐसे माफिया लोग अपने फार्म हाउसों तक सीवर लाइन ले जाना चाहते हैं। यह बात समझ में नहीं आती है। पुराने शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी सीवर लाइन नहीं हैं। वहां सीवर सिस्टम होना चाहिये। लेकिन अगर शहर से 15--20 कि0मी0 दूर जहां लोगों ने अपने प्लाट ले रखे

है या फ्लैट बना रखे हैं वहां तक सीवर लाइन ले जाने के लिये हम पैसा खर्च करेंगे तो यह छोटे शहरों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, बड़ी ज्यादती होगी। पुराने शहर में जहां सीवर लाइन नहीं है जहां सीवर लाइन डल सकती है उसकी कोशिश की जायेगी और उस काम को कराया जायेगा। पुराने लखनऊ का वैसे तो टंडन जी ने ख्याल रखा है लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी रहे हैं जो टंडन जी की मेहरबानी से नजरन्दाज रहे हैं। उन इलाकों में बड़ी तेजी से काम कराया गया है। इसी के साथ में यह बजट आपके समक्ष रख रहा हूं और इसमें चर्चा के दौरान जो भी आपके सुझाव आयेंगे उन पर ध्यान देंगे और जो कमियां आप बतायेंगे हम उन कमियों को दूर करेंगे।

जल संस्थान भी हमारी एक बड़ी संस्था है जिसके बारे में मैंने कोशिश की थी कि जल संस्थान का एक अलग सेट अप तैयार कर लिया जाय अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं जल निगम का मामला खराब था, तनख्वाहें थीं और हद यह है कि जैसा मैंने आजमगढ़ में कहा था कि हमारा सीवर सिस्टम रुका पड़ा है और एक करोड़ 75 लाख का डायवर्जन कर दिया गया था जिसकी बिना पर सिस्टम अधूरा पड़ा था अब अगर उसे पूरा कराया जाय तो तकरीबन पांच करोड़ रुपये उसमें देना पड़ेगा। आई0ए0एस0 और दूसरे अफसर जो हैं मैं उनके बारे में नेता सदन के अहसास को आप तक पहुंचा रहा हूं। हमारे अन्दर कितनी भी कमियां आ जायं, राजनीति करने वाले लोगों में जो इस सदन में बैठे हैं इसके बावजूद हमारे अन्दर वह कमियां नहीं आयेंगी जो आमतौर पर अधिकारियों में आ जाती हैं। यह इसलिये नहीं आयेंगी क्योंकि हम लोग किसी न किसी के प्रति जवाबदेह हैं। हम कितने ही मजबूत क्यों न हों लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारी पार्टी का और हमारा कुछ न कुछ काम हो जाय। यही वजह रही कि जो अधिकारी वहां बैठे जल निगम की कुर्सियों पर उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय किये जिनको जानकर शर्म आती है। इतने पढ़े-लिखे लोग, इतने वरिष्ठ पदों पर बैठे हुये लोग इतना गन्दा काम करें इतनी ढिठाई और बेरहमी के साथ उसको लूटा है, उसे बरबाद किया है। चेयरमैन की कोठी में ऐसे दरवाजे और शीशे लगाये जो सात सितारा होटलों में भी न हों। ऐसे में कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिलीं। चेयरमैन जल निगम की कोठी जल निगम के परिसर में है, निदेशालय के परिसर में है। कर्मचारियों के डर से उनके दबाव में वह निर्णय लिये गये जो नहीं लेने चाहिये। हमारे ऊपर पूरा दबाव है फर्मों का जो आज के दिन टेंडर डाल रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था करने के साथ-साथ चारों तरफ वीडियो कैमरा लगा रखा है ताकि ऐसे तत्व जो नुकसान पहुंचा सकते हों उन्हें पहचाना जा सके। इस तरह से हमने जो फैसले लिये हैं, जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। हमने कहा है कि जल निगम के पास क्या काम रह गया है ? जल निगम के पास सिर्फ मार्क-2 नल लगाने के और कोई काम नहीं रह गया है। जल निगम ने अपनी ख्याति ऐसी जगह पहुंचा दी है जहां से वापसी के लिये बहुत मुश्किल है। कोई आपसे इमारत नहीं बनवाना चाहता। आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहता ऐसी ख्याति में। इतना लम्बा तकरीबन 16 करोड़ रुपये का महीने का वेतन कहां से दिया जा सकता है ? इनके पास कोई जवाब नहीं है।

हमने एक समिति बना दी है पूर्व प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में और उसमें कई बिन्दु हैं जैसे कि जल निगम को खत्म होने से, बर्बाद होने से, कैसे बचाया जा सकता है ? उस समिति को बने हुये डेढ़ महीने हो गये हैं और डेढ़ महीने उस समिति की रिपोर्ट आने में और लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर निकलेगा जिससे जल निगम को खत्म होने से, बर्बाद होने से बचाया जाय। लेकिन कभी ऐसा हो मासूम बच्चा जिद करता है गर्मी के मौसम में बर्फ खाने को या ठंडा पानी पीने को तो या तो उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाय तो जाहिर है कि वह

अपनी हत्या का इंतजाम कर लेगा। उस वक्त परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को किसी ऐसी बात करने से बाज रखें जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है। मान्यवर, जल निगम के कर्मचारियों ने भी अपने बारे में कुछ ऐसा तय कर रखा है लेकिन उन्हें इससे बाज रखने का काम करने के लिये हम आपके सहयोग से डटे हुये हैं। मैं तो इस सदन को पूरे विश्वास में लेकर बहुत सी बातें कहता हूं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप मेरे काम करने के तरीके से वाकिफ हैं। जल निगम का अध्यक्ष होना मेरे लिये कोई सम्मान का विषय नहीं है क्योंकि मैं इसी विभाग का मंत्री भी हूं। अध्यक्ष बना हूं महज इसलिये कि अध्यक्ष जितने भी वहां रहे कुछ को छोड़ कर उन्होंने जो कुछ भी किया है वह बयान से बाहर है। मेरे पास एक अध्यक्ष महोदय का अंग्रेजी और हिन्दी का खत रखा है जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों को मानते हुये उसके साथ-साथ मुझे माफीनामा लिख कर दिया है। इसलिये कि वे बहुत अधिक ऐसे मामलों में पाये गये जिनसे बहुत सख्त नतीजे निकल सकते थे उन्होंने यह भी चाहा था कि उन्हें अध्यक्ष पद से न हटाया जाय लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बावजूद इसके महामहिम राज्यपाल महोदय की तरफ से मुझे कुछ इस प्रकार का नोटिस मिला है कि मेरी सदन से सदस्यता भी जा सकती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के बारे में इतना क्यों दबाव में हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा अनर्थ करने के लिये भी आमादा हो गये। उन्होंने अकायदा अध्यक्ष पद के मिसयूज का नोटिस दे रखा है और मुझे ऐसी सूचना है कि सदन से सदस्यता भी समाप्त करना चाहते हैं। मुझे उनके फैसले का स्वागत रहेगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझ जैसे आदमी के ऊपर बेईमानी का दाग लगे तो मैं यह समझूंगा कि यह जिन्दगी जीना बेकार है और मर जाना अच्छा है। मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने इस विभाग में मैं जो कुछ भी कर सकता हूं सुधार के लिये, करता हूं। जो कमियां रह गयी हैं, जो सुझाव मिलेंगे उसको लागू करने की कोशिश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य रखें उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 35 अनुदानों पर मतदान होना है। 15 पर विचार होगा। अत: प्रत्येक के लिये आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है इस तरह से जोड़ा जाय तो साढ़े सात घंटे लगेंगे। शेष 20 पर विवाद नहीं होना है, केवल मतदान होना है। इसलिये कटौती प्रस्तुत करने वाले सदस्य से मेरा आग्रह है कि वे अपना भाषण 10 मिनट में और अन्य सदस्य दो मिनट के अन्दर अपनी बात निश्चित रूप से समाप्त कर लें। धन्यवाद।

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अनुदान का विवरण पढ़ दीजिये।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--37--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी प्रकार की समय सीमा इसमें तय नहीं हो सकती है। ताकि बाद में किसी तरह की कठिनाई न हो। जिस समय पहले बजट प्रस्तुत किया जाता था उस समय रात के 12.00 बज जाते थे प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता था। इस पर भी आप प्रतिबन्ध न लगायें, प्रतिबन्ध हटा दें।

मान्यवर, मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है उसमें किसी प्रकार का संशय मुझे नहीं है। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक होता तो और बात कहते। इनके अधिकारी भी नहीं बैठे हैं इस विभाग के अधिकारी होते तो वह सुझाव नोट करते पीछे बैठकर। कुछ नोट करते तो उसका अच्छा परिणाम निकलता। आपके अधिकारी पीछे नहीं बैठे हैं तो आपका विभाग पर कितना दबाव है उसको समझा जा सकता है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

दीर्घा का संज्ञान लिया गया वहां अधिकारियों द्वारा हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति को दर्शाया गया, यह कोई नियम नहीं है। अधिकारियों द्वारा हाथ उठाकर अपनी उपस्थिति का संज्ञान कराया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

बाजपेयी जी द्वारा जिस तरह से उंगली उठा कर पीठ की तरफ कहा गया, बाजपेयी जी का यह तरीका गलत है। भविष्य में आशा करेंगे कि वह सदन को सीख सिखाने से पहले ध्यान रखें जो पीठ की ओर उंगली उठा कर कह रहे हैं। इस तरह इंगित करना धमकाना होता है यह सभ्य तरीका नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यह भी तो उंगली उठा कर बता रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ऐसा नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

अधिकारियों द्वारा खड़े होकर अपना हाथ उठा कर उपस्थिति का एहसास कराना यह उचित नहीं है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, किसी भी विकसित देश के लिए, विशेष रूप से हमारे हिन्दुस्तान के लिए जिसकी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, उसके विकास के सम्बन्ध में, किसानों के अधिकारों के संबंध में बात नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। यह शाश्वत सत्य है कि जब तक इनका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मान्यवर, साथ ही साथ यदि हम शहरों के विकास के बारे में विचार नहीं करेंगे, तब भी देश और प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शहरों का विकास होगा, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो हम वहां पर किसी भी प्रकार की इन्डस्ट्री को लगा सकते हैं, उद्योगों को लगा सकते हैं और इससे जो रिवेन्यू मिलेगा, [illegible] यदि हम शहरों के विकास की ओर ध्यान नहीं देंगे और यह कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी [illegible] है क्योंकि वहां पर मात्र 20 प्रतिशत लोग ही रहते हैं, तो यह उचित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी सहमत होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो सर्वे कराये गये हैं, उसके अनुसार वर्ष 2020-25 तक प्रदेश की आबादी ढाई गुनी हो जायेगी। शहरों के अन्तर्गत रहने वाले जो लोग हैं, क्या उनका यह दोष है कि वे शहर में रह रहे हैं। शहरों का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ग्रामीण क्षेत्रों का है। इसलिए मैंने यह बात कही थी कि जब हम शहरों के विकास की बात करते हैं तो किसी को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। अगर रिवेन्यू नहीं होगा, उद्योग नहीं होंगे, इन्डस्ट्री नहीं होंगी तो हम किस प्रकार से देश और प्रदेश का संतुलित विकास करेंगे। मान्यवर, हम इस बात को अवश्य कहना चाहते हैं और जैसा मंत्री जी ने कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन किसी भी प्रदेश के विकास के लिए लैण्ड स्केल परिवर्तन नहीं बल्कि माइन्ड स्केल परिवर्तन को बदलना पड़ेगा। शहरों में नई-नई बस्तियां बनती जा रही हैं और समय-समय पर इन बस्तियों को रेगुलराइज करने की योजनाएं भी बनायी जाती रही हैं लेकिन आज भी उन बस्तियों की स्थिति वैसी ही है। यदि हम अपनी सरकार की बात करें, माननीय नेता प्रतिपक्ष टण्डन जी यहां बैठे हैं, उनकी एक कल्पना थी कि शहरों का विकास केवल बड़ी सड़कों से नहीं नापा जा सकता है। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, वर्ष 1991 में नगरीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था, उसके बाद से लेकर 1998-99 में लोगों को पता चला कि मुडा विभाग के अन्तर्गत कार्य भी होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था कि नगरों के विकास के लिए और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, आप उस बात को याद दिलाकर शहरों की ओर अच्छी व्यवस्था करायें तो अच्छा रहेगा।

मान्यवर, यहां पर नगरीय क्षेत्र के सदस्यों की संख्या भले ही कम हो, जब हम हैण्डपम्प की बात करते हैं, यहां पर नगरीय क्षेत्र से मात्र 26 विधायक ही हैं, 403 की संख्या में मात्र 26 विधायक नगरीय क्षेत्र से आते हैं लेकिन आबादी के मामले में यदि तुलना की जाए तो इन शहरी क्षेत्र की एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 6-6 लाख की आबादी है, हमारे गाजियाबाद और कानपुर की। मान्यवर, व्यक्ति के हिसाब से सुविधा देनी है तो जहां पर व्यक्ति अधिक रहते हैं उनको सुविधा देने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। माननीय मंत्री जी, आपने शहरों की चिंता की। आपके मन और भाव के ऊपर शंका नहीं करते। आप शहरों का विकास करना चाहते हैं लेकिन कैसे करना चाहते हैं। बड़े-बड़े शहरों को उपेक्षित करके केवल टाउन एरिया का विकास करना चाहते हैं या उन्हें भी टाउन एरिया के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े महानगरों में से एक

है। आपकी सरकार का लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मैंने नवम्बर, 2003 में निवेदन किया था। मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मेरा निवेदन स्वीकार करके कानपुर में आकर एक समीक्षा बैठक की थी। डेढ़ वर्ष हो गये। आप कानपुर महानगर जाते हैं लेकिन आपने कभी वहां के अधिकारियों के साथ बैठकर नगर निगम की चिंता नहीं की। डेढ़ साल से वहां के अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। वहां पर चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं। मैंने नियम 51 के अंतर्गत एक सूचना दी थी। उस सूचना का जवाब आ गया। मेरा अनुरोध है कि आप वहां के अधिकारियों से पूछें कि क्या वह अधिकारी कानपुर महानगर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं ? केवल यह कहकर कि यह नगर निगम, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है इससे बात समाप्त नहीं हो जाती। वह स्वयं कहें कि वह अपने महानगरों को अपनी आमदनी से विकास करेंगे। ऐसे तो वहां का विकास नहीं होगा। इस तरह से वहां का विकास होगा कि जो नगर निगम की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का सही से निर्वहन हो तो विकास होगा। वहां पर जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जो मेयर हैं, वह आपके किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए वहां कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उस पर केवल आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं कि एक अधिकारी की चिट्ठी आती है तो उस अधिकारी के फेवर में वह चिट्ठी दे। हमने भी फाइलें देखी हैं। एक ही पत्रावली में अलग-अलग राजनीतिक परीकारों की चिट्ठी लगी होती है। आप चाहेंगे तो आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। कम से कम इन बड़े शहरों की समीक्षा करें। कूड़े के कारण वहां पर डेंगू फैला था। आपने कहा था कि आप डेंगू नहीं फैलने देंगे, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने कहा था लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपने सख्ती की थी तो उसका संदेश दूसरे अधिकारियों तक जाने दीजिए कि हमने अधिशासी अधिकारियों को निलंबित किया था और उसने यह-यह पाप किये थे। हम जनप्रतिनिधि सड़क बनवाते हैं तो सड़कें बनाने का काम तो एक्सएन, ए0ई0, जे0ई0 का होता है। लेकिन जब सड़कें खराब हो जाती हैं तो जनप्रतिनिधि गाली खाते हैं। उनके पापों की सजा उन्हीं को मिले यह आप निर्धारित कर सकते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करके देखें। आपका एक स्टेटमेंट अखबार में पढ़ा था जब आप शायद बलिया या प्रदेश के किसी अन्य जिले में थे कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं वह सारे के सारे बकवास हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट था आपका।

श्री मोहम्मद आजम खां--

क्या स्टेटमेंट था ?

श्री सतीश महाना--

आपका स्टेटमेंट था कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं वह सारे के सारे बकवास हैं। मैं नहीं कहता हूं आपने कहा है और यह अखबारों में छपा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बस मैं सफाई में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं, हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार रिवाल्विंग फंड का है, कुछ देने का अधिकार है तो वह रिवाल्विंग फंड का है, उसकी सूची उपलब्ध करा दूंगा जिसमें यह आप देख सकेंगे कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को मिला है। आपके सामने डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी बैठे हैं, आपकी सरकार में तो इन्हें नहीं मिला लेकिन हमने इनको दिया है आप इनसे पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय महाना जी, आप संक्षेप में करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको यदि अंकुश लगाना है तो उन अधिकारियों पर लगायें न कि छोटे-छोटे जनप्रतिनिधियों पर जो जनता से चुनकर आते हैं। अगर सभासद अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में प्रस्ताव दे दें, तो क्या बुरा है ? लेकिन आपका कहना है कि इनको प्रस्ताव देने का अधिकार ही नहीं है। जनता चाहती है कि जो उनके छोटे-छोटे काम हैं, जैसे--नाली बनाना, बल्ब लगवाना, ट्यूबलाइट लगवाना यह छोटे कार्यों के लिए सभासद के पास जाती है तो आप कहते हैं कि इनको अधिकार नहीं है, मुख्य नगर अधिकारी को है, तो फिर इनके चुनकर आने का क्या औचित्य रह जाता है ? आप उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर क्यों अंकुश लगा रहे हो ? संविधान में जो चौहत्तरवां संशोधन किया गया था उसका क्या मतलब रह गया ? आप अंकुश लगायें लेकिन उसके तरीके पर अंकुश लगायें।

मान्यवर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की रिकमन्डेशन के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। उसने कुछ रिकमन्डेशन की थी उसको तत्कालीन कैबिनेट ने कुछ सुझाव देकर क्या ठीक हो सकता है और क्या गलत हो सकता है, कहा था यह मानकर लागू करेंगे। इसको आप लागू करें इससे निश्चित रूप से नगर निकायों को बहुत से क्षेत्र में फायदा होगा। द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा जो धन देना है वह देना है। इसके साथ-साथ आपने अपनी किताब में जो 2004-2005 उसमें आप देखें उसमें है वसूली के पथ पर नगर निकायों के बढ़ते कदम 1999-2000 में नगर निकाय की मद में 93 करोड़ दिखाया, 2000-2001 में सत्ताइस प्रतिशत बढ़ा है। 2002-2003 में लगभग 65 प्रतिशत बढ़ा, आप देखें यह 2003-2004 में यह घटकर 15 प्रतिशत रह गया है, तो यह कैसे बढ़ायेंगे ? आप उन पर अंकुश नहीं लगायेंगे जो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी सीटों पर बैठकर तनख्वाह जो लेना चाहते हैं। जनता द्वारा जो सुविधाओं पर टैक्स मिलना चाहिए उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपने कहा है कि रिवाल्विंग फंड सब जगह दे देंगे लेकिन आप देखें कि हमारे क्षेत्र कानपुर में काट दिया गया। आप पिछला रिकार्ड उठाकर देख लीजिए आप पायेंगे कि जो आबादी का मानक है उसके अनुसार मिला है। आप 15,20 लाख को भी वहीं देंगे और जो 40 लाख की आबादी है उसको भी उतना ही देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो वहां के रहने वाले लोगों की मांग और क्षेत्रफल है उसके अनुसार दें। पिछले सात-आठ सालों में आप देखें कि आठ-दस करोड़ से कम नहीं मिला लेकिन इस साल दो करोड़ दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप खत्म करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, अभी तो मेरा पूरा भी नहीं हुआ है। मैं खत्म कर दूंगा। आपसे निवेदन है कि अभी मैंने नगर निगम और नगर विकास के ऊपर अपनी बात पूरी नहीं की है। आप सफाई व्यवस्था पर देखें, उसकी क्या स्थिति है ? ड्राप्सी के बारे में आपने कहा कि हम दोषियों को सजा देंगे, कितने लोगों को आपने सजा दी ? आपने कूड़े से बिजली पैदा करने की बात कही, आपने संयंत्र तो लगा

दिया, लेकिन उसे चालू आज तक नहीं किया गया तो उसे आप चालू करायें। मान्यवर, इस बात की बहुत प्रशंसा हुई, सारे सदन ने की, जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम पालीथीन के ऊपर अंकुश लगायेंगे। आज तक कितना अंकुश लग सका उसके ऊपर ? सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पालीथीन के ऊपर पांच से दस प्रतिशत भी अंकुश नहीं लगा है, बल्कि उसका प्रयोग और बढ़ गया है, लेकिन अंकुश नहीं लगा। जिस पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी अंकुश लगाने की बात कहें और उस पर अंकुश न लगे तो यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ? मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी कर दें और उसको सख्ती से लागू कराने की बात कर दें, तो अच्छा होगा। जल संस्थान के अधिकारियों के बारे में आपने बात कही, उन्हें स्वायत्तता देना चाहते हैं, अलग से बोर्ड गठित करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में जरा हम लोगों को भी जानकारी दे दें ताकि शायद हम भी उस पर कुछ सुझाव दे सकें, लेकिन जब तक हम उसका प्रारूप नहीं देख लेंगे, उस पर कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हैं। मान्यवर, आपने कानपुर जैसे महानगर में वहां पर 12 इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर चाहिए, लेकिन दो हैं और बीस जूनियर इन्जीनियर चाहिए, लेकिन चार हैं। मान्यवर, इस तरह की विसंगति है, अमूमन सभी बड़े शहरों की यही हालत है, तो आप पहले इस तरह की विसंगतियां तो दूर करें, तभी तो काम होगा।

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लखनऊ में रहते हैं, मंत्री होने के नाते, अन्यथा सभी लोग जानते हैं आप रामपुर से आते हैं, नगर विकास मंत्री होने के नाते आप लखनऊ में ज्यादा समय देते हैं। मान्यवर, लखनऊ में जो काम हो रहा है, सड़कों के ऊपर जो लाइट लगी हुई है, उसमें आपने देखा होगा, उस पर लिखा है कि माननीय फला अधिकारी की प्रेरणा से लगा है। मान्यवर, तो यह प्रेरणा अधिकारी दे सकता है ? वह भी इस समय का अधिकारी ? यह प्रेरणा मंत्री दे सकते हैं, विधायक दे सकते हैं, मेयर दे सकते हैं, अधिकारी नहीं। अगर इन अधिकारियों की प्रेरणा से काम होगा तो वह प्रदेश को अन्धकार की ओर ले जायेंगे। मान्यवर, सूडा के बारे में जो आपने आज बताया अगर वह इन्होंने कुछ दिन पहले बताया होता तो हम भी एक-आध एप्लीकेशन दे देते। मान्यवर, सूडा के जो काम होते हैं उसके लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन दे देने से काम नहीं होते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्रीमन्, ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया था।

श्री सतीश महाना--

मैं कार्यवाही निकाल कर दिखा सकता हूं, आपने एप्लीकेशन के बारे में कहा था। मान्यवर, सूडा के सारे के सारे काम मानक के अनुसार और नियमों के अनुसार होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समय का ध्यान रखें, आपका समय हो रहा है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मान्यवर, आपने सी0सी0 रोड के बारे में कहा, हम मानते हैं आप निष्पक्ष तौर से इस मामले में सचेत हैं, यह अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो

सकता है, यह तो अपनी-अपनी मत भिन्नता है। आप अगर सी0सी0 रोड से सहमत नहीं हैं तो मत बनवायें, सीमेण्ट रोड से सहमत नहीं है तो मत बनवायें, लेकिन अप सीमेण्ट से ब्लाक तो बनवा रहे हैं। मान्यवर, सीमेण्ट से ब्लाक बनवायेंगे तो वह बढ़िया हो जायेंगे और बाकी सीमेण्ट से अगर सड़क बनवायेंगे तो वह खराब हो जाएंगी ? विकलांगों की सहायता, आपने यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जिस प्रकार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है पापड़ बनाने का, इसके सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। मेरा सुझाव है कि हमने भी जिस प्रकार का प्रशिक्षण आई0टी0आई0, कानपुर के द्वारा उनके साथ मिलकर हमने सूडा से इस प्रकार का प्रशिक्षण दिलवाया था। आई0टी0आई0 को जो उनके साथ उस सर्टिफिकेट की सुविधा दिला सकें तो उसका महत्व बढ़ जायेगा, इस पर विचार कर लीजिएगा क्योंकि जो मेहनत हो रही है जो पापड़ बनाने के लिए, टूल्स के लिए या मोटर मैकेनिक का उसको सूडा के द्वारा दिया गया तो उसका कोई बड़ा महत्व नहीं है किन्तु टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ क्लब करके उसको देंगे तो महत्व बढ़ जायेगा।

मान्यवर, बेनवे के अन्तर्गत 600 मकान बने थे और बनकर तैयार होकर उसका आवंटन होना था, 300 मकान कानपुर में बने हैं। जो भी अभ्यर्थी आता है पात्रता के साथ में आता है, मान्यवर, बनवाया हमने तो आपको तो कम से कम बना बनाया मिल गया उसका श्रेय तो ले लें बांट तो दें। ये 600 मकान हमारे बनाने के बाद उसका आप आवंटन नहीं कर पाये। मान्यवर, ट्यूबवेल खराब हो जायेगा तो उसको रिपेयर नहीं करा पायेंगे, हैण्डपम्प का वासर खराब हो जायेगा तो आप कहते हैं कि पैसा आपके पास नहीं है, उसको बनवा नहीं पाते हैं। मान्यवर, अंतिम बात जल निगम की कहकर बैठ जाता हूं।

मान्यवर, मैं शहरी जल निगम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े शहर, मान्यवर, शहरी क्षेत्रों की कल्पना होती है वह बड़ी नदियों के किनारे अधिकांशत: बसे हुए हैं, प्रदेश में नहीं, देश में नहीं विश्व भर में जहां पर नदियां होती थीं वहां पर बड़े शहर विकसित हुए, बड़े शहर बनाये गये ताकि उन नदियों से पीने का पानी, सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके और आवश्यकता पड़ने पर बिजली का बांध बनाया जा सके। इसलिए जितनी बड़े शहरों की कल्पना करते हैं उनमें से अधिकांशत: बड़ी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उन बड़ी नदियों को जिनके किनारे शहर बसे हुए हैं उनकी चिन्ता करने का काम हमारा होना चाहिए। कानपुर में आपने कहा जल निगम के बारे में, बहुत अच्छा काम किया है हम साधुवाद देते हैं, आपने कहा, आपने क्या अंकुश लगा दिया। एक लाख रुपये का खर्च था, आप उस जनरेटर को नीलाम करने जा रहे हैं आपने अंकुश लगा दिया। अधिकारियों की गाड़ियां खिचवा लीं जो अधिकारी एक लाख रुपये का डीजल लेते थे उनको 25 हजार का डीजल देना शुरू कर दिया। यह जो बाते हैं लेकिन यह बात सत्य है कि जब से आपने यह गाड़ियां खींचनी शुरू की तब से उनकी तनख्वाह बन्द हो गयी, 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर वहां उस पर बड़ी क्षति होती थी, आपने अंकुश लगाया लेकिन जो पैसा बच गया है तो उसको तनख्वाह पर देकर दिखाइये। कानपुर में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत उनका एक पाइप टूट गया डेढ़ दो माह गंगा एक्शन प्लान के अन्दर पूरा-पूरा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बन्द पड़ा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात नजर आई वहां पर एक कंट्रोल यूनिट थी उसमें कुछ एयरकंडीशनर लगाये गये थे। मेरा निवेदन है कि एक-डेढ़ साल में वहां के ए0सी0 वहीं के अधिकारी उठाकर ले गये, आप इसकी जांच करा लें। मान्यवर, कन्ट्रोल रूम, जो 130 एम0एल0डी0 पानी के लिये है, जहां से सारे का सारा काम चलना है, अगर वहां का ए0सी0 नहीं चल पायेगा तो यह कन्ट्रोल यूनिट कैसे काम

करेगी ? ए0सी0 अधिकारी घर ले जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अगर वहीं की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो यह 100 करोड़ का पूरे का पूरा यूनिट ही ठप हो जायेगा। वहां पर डेढ़-दो महीने काम ठप रहा, मैं वहां गया और मैंने देखा तो दबाव में काम चालू हो गया, लेकिन वहां जो क्लास-4 इम्प्लाई थे, उनसे अधिकारियों ने कह दिया कि चूंकि डेढ़ महीने काम नहीं हुआ है, इसलिये तुमको डेढ़ महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। ठीक है मत दीजिये, लेकिन जब प्लान्ट नहीं चला तो वहां के जे0ई0, ए0ई0, एक्सईएन0 और चीफ इंजीनियर को भी तनख्वाह मत दीजिये, वह बड़े अधिकारी हैं, उनको तनख्वाह मिलेगी, आप उनकी भी तनख्वाह काट लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मंत्री जी, इसके ऊपर आप अंकुश लगायें। अन्तिम बात कहना चाहता हूं। मैंने सीवेज सिस्टम के बारे में कह दिया, गंगा एक्शन प्लान के बारे में कह दिया। गोमती एक्शन प्लान का काम पिछले एक साल से बंद है। आप चालू कराने जा रहे हैं, इसके लिये बहुत धन्यवाद, साधुवाद। काम चलता रहना चाहिए। व्यवस्था के अन्तर्गत आदमी आता है, जाता है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया, पैसा चाहे हमने लगाया या आपने लगाया, वह जनता का पैसा है और वह काम रुकना नहीं चाहिए। आप कानपुर महानगर आये थे और आपने कहा था कि गंगा बैराज मामले की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से जांच करायेंगे। जिन्होंने पाप किया है, उनको सजा मिलनी चाहिये, लेकिन आप काम मत रोकिये। काम को आगे बढ़ाइये। मान्यवर, इसी तरह गोकुल बैराज बन जाने के बाद भी चालू नहीं हो पाया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, अभी माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने गंगा बैराज की तरफ बहुत ध्यान दिया। मैं आपकी इस मंशा के लिये आभारी हूं, कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कई बार बात की, धन्यवाद। लेकिन आपकी ही कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। आप जब नवम्बर, 2003 में आये थे तो आपने वायदा किया था कि जनवरी, 2004 में पानी आ जायेगा और आपके अधिकारियों ने कहा था कि 303 करोड़ की अभी आवश्यकता है। मेरे पास उस बैठक के कार्यवृत्त की कापी है, उस 303 करोड़ में 250 करोड़ मिल भी गया था और यह भी कहा गया था कि इस 303 करोड़ में हम गंगा बैराज को कम्प्लीट कर देंगे। मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन है कि इस बैठक के 6 महीने बाद यह कहा गया कि यह 303 करोड़ की जगह अब 426 करोड़ चाहिए, अब आप ही बतायें कि क्या किसी भी योजना की लागत 6 महीने में 125 करोड़ बढ़ जायेगी ? अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल में यह लागत बढ़ी होती तो समझ में आता लेकिन मात्र 6 महीने में 125 करोड़ की लागत बढ़ गयी, जबकि 95 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका था। यह महोदय जांच का विषय है। आप गंगा बैराज की जांच के लिये आदेश देकर आये थे, आप इसकी जांच जरूर करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

सतीश जी, अब आपकी बात आ गयी, समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पीने के पानी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मान्यवर, आपने उसके उद्घाटन के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दी, मैं उस तिथि का स्वागत कर रहा हूं। लेकिन मुझे पता नहीं कि आपने कौन सी तिथि निर्धारित कर दी है। इसके पहले भी आपने तिथि निर्धारित की थी, उसके बाद भी निर्धारित की थी, पहले वाली तिथि तो मुझे मालूम थी आप फिर तिथि निर्धारित कर रहे हैं, निर्धारित तिथि के अन्दर आपने उसका उद्घाटन नहीं किया। आप इस बात की जांच कराइये कि जो 61 करोड़ रुपया आपने दिया था, कहीं आपके द्वारा किये गये प्राविधान में कोई डाका तो नहीं डाल रहा है, इस पर भी आप विचार कर लीजिए। मैं अन्त में इतनी सी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसका 95 प्रतिशत कार्य हो गया है, केवल 5 प्रतिशत शेष है, अगर आप उसे भी करा देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास मंत्री आदरणीय खां साहब द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। जहां देश-प्रदेश में 20 प्रतिशत जनता नगरों में रहती है और जहां के विकास से पूरे प्रदेश का विकास सम्भव है। इसके पूर्व कटौती के प्रस्ताव के रूप में मुझे तीन बार इसी सदन में अपना मत रखने का अवसर मिला है। उस समय महाना साहब ने कहा था कि जो कटौती का प्रस्ताव रखता है, ध्यान रखियेगा, वह सदस्य पुन: सदन में नहीं आता, आपने मेरे लिए नहीं बल्कि मुन्ना सिंह के लिए कहा था। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जहां 11 नगर निगम हैं, 195 नगर परिषदें हैं और 417 नगर पंचायतें हैं। पिछले आठ-दस वर्षों को हम देखें तो एक बार मैंने कटौती के प्रस्ताव पर भाषण देते समय, उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, मैंने एक शब्द कूप-मंडूक कह दिया था, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैंने छोटे मुंह बड़ी बात कह दी है। लेकिन आज के सम्बन्ध में जब मैं अपनी सरकार के नगर विकास मंत्री के निर्देशन में जो पूरे प्रदेश के नगरों के विकास में लगे हुए हैं, उनको देखकर मैं कह सकता हूं कि वह मेरे द्वारा कहे गये शब्द अतिशयोक्ति नहीं थे। हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री ने सिर्फ नगर निगमों को देखा है, उसमें महाना साहब का कानपुर हो सकता है या लखनऊ हो सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने जो 195 नगर परिषदें थीं, उनके बारे में विचार करने की कोशिश की थी ? वहां बिजली कैसी है ? वहां पर जलापूर्ति कैसी है ? वहां जो स्थानीय स्तर पर चाहे वह सभासद हों या अध्यक्ष हों, उनके मामले में विवाद भी है या नहीं, जो अधिशासी अधिकारी के मामले में विवाद है, जनपद स्तर पर इनको कौन संरक्षण करेगा, इन सभी बातों को सोचने वाला कोई नहीं था ? जो नगर पंचायतें थीं, उनका सुख-दु:ख कोई नहीं देखता था। आज जब प्रतिपक्ष में बैठे हुए साथी अपनी समस्याओं को उठाते हैं और नगर विकास मंत्री जी उन्हें समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को सोचना होगा कि इसी सदन में विपक्ष के लोगों ने भी समस्याएं उठायी थीं लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी ओर नहीं देखा, मैं बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि कभी भी उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की गई। उनके सुख-दु:ख में झांकने की कोशिश नहीं की गयी। आज जब इस तरीके का बजट आया है, चाहे पंचायतें हों या नगर परिषदें हों, विकास के दरवाजे इस बजट के माध्यम से खुले हैं और उनके आंसू पोछने का काम हुआ है। महाना साहब राज्य मंत्री रहे हैं वह जितनी देर बोले हैं

उन्होंने पंचायतों और परिषदों का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल कानपुर नगर निगम को अपने कटौती के भाषण में दर्शाया है। अभी महाना साहब ने 'सूडा' की बात कही, सीधे पैसा दिये जाने की बात कही है, आपने तो कभी पैसा दिया ही नहीं। पैसा होगा तभी तो स्थानीय समितियां योजना व कार्यक्रम तय करेंगी। 'सूडा' के नियम वही हैं नीति वही है। आज किसी भी नगर अध्यक्ष या परिषद् के अध्यक्ष को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वित्तीय संसाधनों की पूर्ति कैसे होगी ? चाहे वह नगर अध्यक्ष या परिषद् का अध्यक्ष किसी भी दल से क्यों न जुड़ा हो ? माननीय मंत्री जी ने उसके आंसू पोछने का कार्य अपने कार्यों के माध्यम से किया है और इस बजट में सभी जनपदवार अगर देखें तो चाहे रिवाल्विंग फण्ड हो या दूसरे फण्ड हों पूरे प्रदेश के नगरों की तरफ झांकने की कोशिश की गयी है। जहां तक सीमेन्ट की सड़कों की बात आयी है कि इण्टर लाकिंग ईंटों द्वारा बनाये जायेंगे यह अच्छी सोच का परिणाम है। पिछली बार 3 बातें मैंने कही थीं कि गोला गोकरणनाथ छोटी काशी कहलाती है वहां पर पीने के पानी की समस्या है। पानी की समस्या पूरे जनपद की समस्या है। स्थानीय निकाय संस्थाओं व विधायक निधि के द्वारा कुछ काम हुआ है। पूर्व जल संसाधन मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र जी द्वारा ओवरहेड टैंक स्वीकृत कराने के बावजूद यहां से स्वीकार नहीं हुआ। मान्यवर, इस सरकार के बजट में जहां-जहां से मांग आयी है, जलोत्सारण या जलापूर्ति की, उसको किया गया है और उसका उदाहरण है। हमारे नगर गोला में इसकी स्वीकृति हुई है और शिलान्यास होने के साथ-साथ बनने की स्थिति है। अगर आप जनपदों की स्थिति देखें तो जो जिलों के अध्यक्ष हैं उनका भी आंसू पोछने का काम नगर विकास मंत्री जी ने किया है। सदन में बैठ करके बातें और भाषण तो आप कुछ कर लें लेकिन उनका सही क्रियान्वयन हो, अधिकारियों को सही रास्ता दिखाकर उन सभी चीजों को जनता को लाभ पहुंचाने की नीयत हमारी सरकार की है। . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है। अब बैठिये।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने कटौती का प्रस्ताव रखते समय यह कही थी और आदरणीय टंडन जी ने एक प्रस्ताव दिया था वह यह था कि चाहे कोई प्रदेश की नगरपालिका हो, पंचायतें हों उनकी जिले के स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति हो जाये जो इसकी देखभाल करे। इससे कोई ज्यादा भार शासन पर पड़ने वाला नहीं है। अगर इन पंचायतों या नगर पालिका परिषदों को जहां अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष के मध्य सभासद या अध्यक्ष या जिले अधिकारियों के साथ विवाद को जिला स्तर पर कोई सुनने वाला नहीं होता है उनको लखनऊ आना पड़ता है उन परिस्थितियों में चाहे नगरपालिका के अध्यक्ष की बर्खास्तगी का मामला हो, सभासदों के विवाद का मामला हो इसका निपटारा स्थानीय स्तर पर हो सकता है। उस समय जब मैंने सुझाव दिया था तो माननीय टण्डन जी ने कहा था कि इस सुझाव से सहमत हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैं यह जरूर चाहूंगा कि हर एक जनपद पर पंचायत और परिषदों को देखने के लिए एक अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति हो। माननीय मंत्री जी से उस पर बात हुई है और उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है मुझे विश्वास है कि कोई न कोई कार्यवाही जरूर होगी। जिले स्तर पर एक कार्यालय व एक अधिकारी की वार्षिक बचत से ही इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो पालिका परिषद

व पंचायतों के विवादों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही हो सके। मैं श्रद्धेय नगर विकास मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर निकाय के साथ-साथ उनके सुख-दुख में आप शामिल रहे हैं और उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया है इसलिये उत्तर प्रदेश के नगर विकास के इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, स्थानीय निकाय के खातों के संबंध में गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये दोहरी लेखा प्रणाली लागू करें। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुयी है। यदि स्थानीय निकाय व्यय भार उठाने में सक्षम हों तो सफाई कर्मचारियों और मृतक आश्रित कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाय। मेरठ याचिका समिति के निर्देश पर शासन की कमेटी गयी थी, वहां पर नाले की जांच करायी गयी थी। जांच रिपोर्ट में यह संस्तुति की गयी थी कि इस पर विस्तृत जांच करायें । जांच रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही की जाय। 11वें वित्त आयोग के अनुसार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है उनमें विधायकों, नगर निगमों, स्थानीय निकायों के क्षेत्रों के सदस्यों को उस समिति का सदस्य बनाने का विचार करना चाहिए। मार्ग प्रकाश और सफाई उपकरणों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। दिन में बत्तियां जलती रहती हैं उसके लिए विद्युत पोलों पर फेज वायर का प्राविधान किया जाना चाहिए जिससे ऊर्जा की बचत हो। कहीं-कहीं नगरपालिकाओं, निगमों में अधिशाषी अधिकारी और नगर आयुक्त नियम विरुद्ध काम करते हैं। इनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। मेरठ में पांच ट्यूबवेलों की रि-बोरिंग का प्रस्ताव गया है। जिला योजना में उसके लिए परिव्यय की व्यवस्था 80 लाख हो गई, 80 लाख रुपये रिवालविंग फण्ड से दिया जाना चाहिए। मेरठ में नालों की सफाई के लिए सुझाव है कि मण्डलायुक्त की देखरेख में, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल निगम, सिंचाई विभाग, नगर निगम मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर सफाई का काम 15 अप्रैल से 30 जून तक करा देना चाहिए और जब यह चारों लोग सत्यापित कर दें तभी भुगतान किया जाना चाहिए। हाउस टैक्स के निर्धारण में पहले जनप्रतिनिधियों के सामने सुनवाई होती थी अब यह अधिकार उनसे छीन लिया गया है और यह कार्य निगमों के अधिकारी-कर्मचारी कर रहे हैं जिससे अनेक दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जी ने हमारे यहां का दौरा किया था और अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे लेकिन उन जैसे दृढ़निश्चयी मंत्री होने के बावजूद अधिकारियों ने वहां मैनेज कर लिया और परिणाम नहीं आ सका, कोई न्यायालय चला गया और परिणाम नहीं आया। मान्यवर, 6 बड़े शहरों लखनऊ, आगरा, बनारस, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद की जनसंख्या बढ़ने का प्रतिशत 48.9 था जब कि पूरे प्रदेश में यह प्रतिशत 28 था। इन शहरों में जो रोजगार, शिक्षा की दृष्टि से आमद हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। इन शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो समस्या भयावह हो जायेगी और विकास कार्यों के लिए अन्ततोगत्वा बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं की वह सदस्यों की बात को सुन कर संसाधनों की व्यवस्था कर देते हैं इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, माननीय सतीश महाना जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, जिस दिन खां साहब ने शपथ ली थी मुझे इस बात की उम्मीद थी कि वह न्याय का तराजू लेकर न्याय करेंगे। उन्होंने महानगरों की उपेक्षा की है। पता नहीं क्या हुआ किन अधिकारियों ने झूठी बातें बनाकर, किन लोगों ने कान में बात कही कि लखनऊ के साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जो बजट रखा गया है उसमें लखनऊ की सबसे गम्भीर समस्या [illegible] की समस्या के लिए एक पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है जबकि और नगरों के [illegible] सीवर का प्राविधान किया है। लखनऊ में पानी का मुख्य स्रोत गोमती है। गोमती की सफाई के लिए हमारी सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री जी ने कार्य प्रारम्भ किया था लेकिन गोमती सफाई का अभियान बन्द हो गया है। उस समय नालों के डायवर्जन का कार्य प्रारम्भ किया गया था उसमें एक नाले के डायवर्जन का कार्य नहीं हो पाया है मैं आग्रह करूंगा कि जिस नाले का डायवर्जन नहीं हुआ है उसके डायवर्जन की कृपा करें। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है लेकिन कभी वह प्लांट चलता है कभी बन्द रहता है अत: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की देखभाल करने का कष्ट करें जिससे वह हमेशा चलता रहे। हमारे यहां मोतीझील में एक बूचड़खाना बना हुआ है जिसके कारण उस क्षेत्र के आस-पास गन्दगी रहती है। इस सम्बन्ध में मैंने विधान सभा में एक प्रश्न लगाया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हरदोई रोड पर भमरौली शाहपुर गांव में आधुनिक वधशाला के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है वहां पर कार्य भी प्रारम्भ हुआ केन्द्र सरकार से पैसा मिला लेकिन अब पता नहीं किसके दबाव में उस कार्य को बीच में रोक दिया गया। मुझे एक पत्र नगर विकास मंत्री जी का प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस जमीन को स्थानान्तरित करने पर विचार किया जा रहा है एक बार जब जमीन का चयन हो जाय केन्द्र सरकार से पैसा मिल जाय उसके बाद कार्य प्रारम्भ हो जाय तो कार्य पूरा किया जाय। इस कार्य को न कराने की साजिश है। मेरी मांग है कि जमीन क्यों बदली जा रही है ? हमारे लखनऊ नगर निगम में 110 वार्ड हैं जिसमें कुछ वार्ड काफी बड़े हैं आपने सदन में लिखित रूप से अवगत कराया कि 80 वार्डों की सफाई की व्यवस्था है इसके अतिरिक्त सफाई की व्यवस्था नहीं है । मैं मांग करता हूं विशेष वार्डों में सफाई व्यवस्था करायी जाय। मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूं जल निगम की हालत यह हो गई है मेरे क्षेत्र राजाजीपुरम् में अन्डर ग्राउन्ड वाटरिंग रिसोर्सेज वाटर प्लांट बन गया था यह इंडेपेंडेन्ट वाटर जोन बनेगा इससे राजाजीपुरम् क्षेत्र को पानी मिलेगा हमारी सरकार के कार्यकाल में इस संबंध में 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था किन्तु शेष कार्य अधूरा है इस कार्य को पूरा कराने का कष्ट करें। रिवाल्विंग फण्ड के बारे में कहना चाहूंगा। हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे। किन्तु रिवाल्विंग फंड जहां-जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभासद नहीं हैं वहीं पर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर सड़कें भी चयनित की जा रही हैं। मैंने एक रोड समराही रोड का प्रस्ताव दिया था जो अब तक नहीं बनी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

उस रोड को बनाया जाय। लखनऊ में 10 जोनल पम्पिंग स्टेशन हैं उनकी हालत यह हो गयी है कि उनके बीच नाला बहकर जा रहा है लखनऊ को पानी साफ नहीं मिल पा रहा है पानी में कीड़े आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया समाप्त करें। अब आप मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

जोनल पम्पिंग स्टेशन की दीवारें गिर रही हैं, बाउंड्री वाल गिर रही है उपकरण में जंग लग रहा है और वह ठीक से नहीं चल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में जनता को पानी नहीं मिल रहा है। इन जोनल पम्पिंग स्टेशन को ठीक किया जाय। डूडा की हालत लखनऊ में यह है इसके परियोजना अधिकारी हटा दिए गए हैं। यहां के परियोजना अधिकारी लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट को बना दिया गया है। विभाग में ताला लगा है । एक पैसा भी मलिन बस्तियों के सुधार के ऊपर खर्च करने के लिये डूडा के द्वारा नहीं दिया गया है। मेरी सरकार के समय में मलिन बस्तियों के सुधार के लिये जो योजनायें चालू की गई थीं वह सब योजनाएं ठप्प हो गई हैं। मैं आपके मध्यम से आग्रह करता हूं कि मलिन बस्तियों के सुधार के लिये कुछ पैसा खर्च किया जाय। धन्यवाद।

श्री रामहेत--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सीतापुर की टाउन एरिया हरगांव जहां पर ओवर हेड टैंक बनकर तैयार हो गया है और कई वर्ष हो गये हैं लेकिन सरकार का लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी हरगांव के नागरिकों को जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। वहां पर पाइप लाइन बिछा दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य विस्तृत जायेंगे तो आपकी बात रह जायेगी। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रामहेत--

मान्यवर, टाउन एरिया एक पौराणिक नगर है। प्रत्येक माह की अमावस्या को वहां पर मेला लगता है। आज वह टाउन एरिया खस्ता हाल है। वहां पर सड़कों पर चलना दूभर है, गन्दगी का साम्राज्य हो गया है। कूड़े की सफाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से टाउन एरिया महोली में भी ओवर हेड टैंक बनकर तैयार है सरकार का लाखों रुपया जो इसमें लगा था पाइप लाइन न होने की वजह से बेकार हो गया है। लोगों को जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री रामहेत--

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर, मलिन बस्तियों में न तो डूडा, न किसी नगरीय विकास अभिकरण के द्वारा सड़कों के निर्माण का कार्य किया गया है। वहां पर मलिन बस्तियों की हालत बहुत खराब है। गलियों और नालियों की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर गन्दगी का साम्राज्य है। महोली टाउन एरिया जो लखनऊ से होते हुए जी0टी0 रोड होते हुए दिल्ली जाने वाली सड़क पर बसा है यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है लेकिन यहां पर विकास के कोई कार्य न होने के कारण से हालत बहुत खराब है। वहां पर पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है।

जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद् है यहां पर नगर विकास की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन भी आ गये हैं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिला मुख्यालय जहां से हमारे विधायक भी हैं और वे नगरपालिका परिषद् के चेयरमैन भी हैं। सीतापुर में जो प्रमुख सड़कें हैं, चौराहे हैं वहां पर कूड़े के ढेर लगे हैं। महामारी फैलती है। कई बार मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया है। नेता सदन को लिखकर दिया है और नगर विकास मंत्री को भी लिखकर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य समाप्त कीजिये। वरना मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रामहेत--

मान्यवर, वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारियों को कई माह का वेतन नहीं मिला है। सफाई कर्मचारियों की काफी समय से भर्ती नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त मृतक आश्रित के लोगों को नौकरी में नहीं रखा गया है। यह हमारे सीतापुर नगर पालिका परिषद् की जो दशा है वह बहुत खराब है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि पुरानी पाइप लाइन्स सब टूटी हुई हैं, नल की टोंटियों से गन्दा पानी आता है। लोग गन्दा पानी पीते हैं उसमें कचरा आता है। मैं इस पर पुन: ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंत में कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती अरूणा तोमर--

मान्यवर, आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरसाल में नगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत 200 गांव से ज्यादा ग्राम और मजरे आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरसौल, सचेण्डी और मंझावन है यहां ग्राम प्रधानों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। बाजारों में वसूली होती है विकास का काम कोई नहीं हो पाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वहां पर प्रधान को अधिकार नहीं है जिससे वहां का काम रुकता है वहां ग्राम प्रधानों को अधिकार दिए जाएं जिससे वहां का काम न रुके। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरी नगरपालिका परिषद् शिकारपुर पड़ती है लेकिन जो इस विभाग की पुस्तिका है उसमें नगरपालिका परिषद् शिकारपुर का कहीं नाम नहीं दिया गया है। तीन वर्षों का विवरण है। मेरे जनपद में जो नगरपालिका हैं उनका नाम दिया गया है। न कुछ प्रकाश में लाया गया है। सड़क, भवन, निर्माण, जलापूर्ति, सफाई की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं दर्शाया गया है। सी0डी0एस0 का पालन नहीं हुआ है। जो सामुदायिक विकास समिति होती है वह नहीं बनी इसमें यहां कोई काम नहीं हुआ है। बाल्मीकि अम्बेदकर आवासीस योजना का कोई कार्य नहीं हुआ है। रिवाल्विंग फंड से मेरी नगर पालिका परिषद् शिकारपुर से बारहखम्भे से रोड गई है वहां मुस्लिम आबादी रहती है वहां कई जूनियर हाई स्कूल मदरसे वगैरह हैं वहां सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं लगभग पांच सौ मीटर

का रास्ता है उसे रिवाल्विंग फंड से बनवाया जाए। सी0डी0एस0 का चयन कराया जाए। यह जो पुस्तिका है इसको मैं रात भर पढ़ता रहा मैं देखना चाहता था कि शिकारपुर नगरपालिका परिषद् का नाम कहीं आ जाए तो मैं आभारी होता लेकिन इस पुस्तिका में कोई विकास कार्य के बारे में नहीं दर्शाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

रिपीट न करें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां क्यों काम नहीं हुआ है इसकी जांच कराई जाए आडिट कराया जाए और मुझे भी अवगत करा दिया जाए कि कहां-कहां क्या काम किया गया है ? किस मद में कितना खर्चा किया गया है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उस संदर्भ में खासतौर से ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र शास्त्रीनगर मोहल्ला में एक करोड़ 80 लाख का अवर जलाशय बना है वहां 6 नलकूप लगाने थे लेकिन दो नलकूप वहां लगाए गये हैं चार नलकूप नहीं लगाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था करायें। इसके लिए एक करोड़ 80 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ है इसका उपयोग होना चाहिए। इसी तरह से मेरे नगर पालिका क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्र में चार वर्ष पहले नलकूप लगाए गए थे उसको चालू नहीं किया गया। कुछ दिन पहले जिला विकास निधि से पैसा दिया गया कि वह मोहल्लों में पानी सप्लाई करे इसको भी नहीं किया गया। मेरे क्षेत्र कुडवार में स्वजल पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत मनियारी गांव में टंकी बनाई गई 10 वर्ष के बाद भी उससे पाइप लाइन नहीं जोड़ी गई । जिनको पाइप लाइन जोड़नी थी उन्होंने पाइप लाइन को बेच दिया। इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कुरवाड़ में जिन गांवों में पाइप लाइन आच्छादित करनी थी वहां पाइप लाइन नहीं बिछाई गई। पैसा खर्च हो रहा है तो वहां पानी की आपूर्ति होनी चाहिए।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, इसी तरह से डूडा के अन्तर्गत हमारे नगर क्षेत्र सुल्तानपुर में कोई भी पैसा अवमुक्त नहीं होता है। वहां पर दरियापुर मोहल्ले में एक बहुत बड़ा नाला है, उसको बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मंत्री जी सुल्तानपुर का भी थोड़ा ध्यान देंगे और जो विकास का पैसा होगा उसका बराबर-बराबर वितरण करायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री प्रदीप माथुर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बड़े भाई आजम खां साहब जब से नगर विकास विभाग संभाले हैं, नगर का बड़ा विकास करने में लगे हुए हैं लेकिन क्या किया जाए, नगर पालिकाओं की स्थितियां इतनी खराब हैं, [illegible]सर की तरह हो गई हैं, कई जगह के चेयरमेन को सस्पेंड भी किया, उनके

खिलाफ कार्यवाहियां भी की परन्तु हमारी न्यायपालिका ने बीच में आकर ऐसे निकम्मे चेयरमैन को रद्द कर दिया। मैं चाहूंगा कि नगर विकास मंत्री जी कोई ऐसा कानून बनायें और ऐसे चेयरमैन के खिलाफ लगाम कसें जो विकास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने मथुरा नगरपालिका परिषद को एक करोड़ रुपये और वृन्दावन को एक करोड़ रुपये दिए हैं तथा हमारे यहां की जो हड़ताल चल रही थी उसको समाप्त कराने का काम किया है। गोकुल बैराज पर टोल टैक्स लगवाया जिससे गोकुल बैराज चलाया जा सके। मान्यवर, नगर पालिकाओं को जो पैसा दिया जाता है, वह समय पर उसे खर्च नहीं करती हैं और समय बढ़ाने की मांग करती हैं। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मथुरा और वृन्दावन की हालत बहुत खराब है, यहां पर मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक नगर हैं, उनके लिए विशेष पैकेज बनायें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में धार्मिक नगरों की संख्या बहुत ज्यादा है, यदि इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा तो एक अच्छी दृष्टि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लिए होगी। इसके अतिरिक्त विदेशों में जो छवि धूमिल हो रही है, वह छवि ठीक होगी।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मथुरा में जो गोकुल बैराज है, उसकी बड़ी दुर्दशा है। हमारे नेता विरोधी दल वहां जाकर उद्घाटन तो कर आए थे, बिना सोचे-समझे कि उसका नाम कहीं साहू जी बैराज न रख दिया जाए। लेकिन इसके लिए 35 करोड़ रुपये की जो आवश्यकता थी, वह लालजी टण्डन जी देकर नहीं गए। मैं आजम खां साहब और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर पेयजल की जो गम्भीर समस्या है, उसे दूर करने के लिए गोकुल बैराज परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायें। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह वृन्दावन धाम के लिए विशेष पैकेज दें, मथुरा धाम के लिए विशेष पैकेज दें और नन्दगांव-बरसाना के लिए विशेष पैकेज दें।

मान्यवर, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मथुरा की जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और जो अविकसित कालोनियां वहां बन रही हैं और ऐसे कालोनाइजर्स हैं जिनकी वजह से पूरे प्रदेश में दिक्कतें आ रही हैं और ठीक प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे कालोनाइजर्स हेतु सख्त नियम बनवायें जो मिनिमम सुविधाएं भी लोगों को उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका पुन: आभार व्यक्त करता हूं। आजम खां साहब जिन्होंने मथुरा, वृन्दावन का विशेष ध्यान रखा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आजम खां साहब, इनकी विशेष कृपा बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा पैसा विकास के लिए मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

डा0 पी0के0 राय--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने नगर पंचायतों को बिना भेदभाव के धन आवंटित किया। मान्यवर, मैं बिहार के संभावनी क्षेत्र से आता हूं। बड़े-बड़े शहरों की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं कि नगर पंचायतों की तरफ इससे पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, व्यवस्था संचालित करने के लिए नीयत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी नीयत के बल पर श्री आजम साहब के द्वारा उत्तर प्रदेश में इकबाल कायम करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से

कहना चाहता हूं कि हमारी सेवरही नगर पंचायत में, वहां पर पानी की टंकी खराब पड़ी हुयी है उसको ठीक कराने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इसी के साथ में बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री किरनपाल कश्यप--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नेता सदन भी सदन में मौजूद हैं और माननीय नगर विकास मंत्री जी भी हैं।

*श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर, आपने मुझे पुकारा है और मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब देवी मेरा नाम नहीं है बल्कि मेरे भाई जो खड़े हो गये हैं उनका नाम गुलाब देवी है।

श्री किरनपाल कश्यप--

मान्यवर, आवास विभाग का बजट है और नेता सदन, सदन में मौजूद हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नगर विकास विभाग के सचिव श्री जय शंकर मिश्रा महाभ्रष्ट हैं। नहीं-नहीं बढ़िया आदमी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको तत्काल हटाया जाये। वह भ्रष्ट हैं। हम नेता सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी गम्भीर बात कही है माननीय सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य ने। मैं कहूंगा कि अगर कोई आपके पास तथ्य हों तो वह तथ्य मुझे दीजिए। अनावश्यक नाम लेकर इस तरह से कहना उचित नहीं है। आप कोई तथ्य दीजिए। तथ्य देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी अधिकारी हो, हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती गुलाब देवी--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगी कि जिन्होंने चन्दौसी के मार्ग प्रकाश के लिए 2 लाख, सड़कों के लिए 49 लाख, जल आपूर्ति के लिए 2 लाख 25 हजार और सफाई के लिए 5 लाख 35 हजार रुपये दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि चंदौसी विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। वहां की सुरक्षित सीट है। बहुत मुश्किल से चुनकर हम आते हैं। वहां पर चंदौसी के मध्य में एक कच्चा नाला बह रहा है। कुछ नाले का निर्माण हो चुका है और कुछ नाला जो अवशेष रह गया है उसको आप पूरा करवाने की कृपा करेंगे और दूसरी बात कि चंदौसी के बीच में मुख्य मार्ग जो माननीय मंत्री जी ने देखा है।

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लगभग आठ सौ मीटर का मार्ग है, कुछ विधायक निधि से हमने बनवा दिया है, थोड़ा सा और है इसे बनवा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

आप नगरपालिका से इस्टीमेट भिजवा दें हम पैसा रिवाल्विंग फंड से दिलवा देंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्रीमती गुलाब देवी--

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत समानता से नगरपालिकाओं के लिए कार्य करते हैं, मैं आपकी आभारी हूं।.

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगी कि मुरादाबाद जिला योजना का जो पैसा आवंटित किया गया था सड़क मार्ग निर्माण के लिए, उसमें 20 लाख रुपया चन्दौसी के हिस्से में आया था। इसमें जो सड़क चयनित की गयी थी न जाने किस प्रभाव से उस पैसे को संभल भेज दिया गया। मंडी समिति का भी पैसा संभल को भेज दिया गया है। वहां के सांसद आपके भ्राताश्री हैं। मान्यवर, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए मैं चाहूंगी कि जो पैसा भेज दिया गया है, अधिकारियों ने खुद को भला बनाने की लिए यह किया होगा, इसको दिलाया जाय। सत्तर करोड़ रुपये की योजनाओं का संभल में शिलान्यास वैसे ही हो चुका है, उनके लिए दस बीस लाख वैसे भी महत्व नहीं रखते हैं। यह चंदौसी राजमार्ग से छावड़ा राजमार्ग है, यह मुख्य मार्ग है शाहबाद के लिए, तो माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि जिला योजना का वह पैसा वहां पर लगाया जाय। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सदन में यह तय हुआ था कि जो भी कार्य सड़क के विधायक द्वारा कराये जायेंगे वह उनकी अध्यक्षता में कराये जायेंगे, उनके प्रस्ताव पर कराये जायेंगे और जो शिलान्यास किया जायेगा उसमें विधायक का नाम डाला जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक बात और कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। जब मैं मंत्री थी तो मेरे ऊपर तीन बार हमला हुआ था। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने हथियार सहित हमलावरों को पकड़ लिया था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था और उन्होंने यथावत् रहेगी यह आदेश किया था। लेकिन मुझे एक गनर तो दिया जा रहा है लेकिन जो दो सुरक्षा कर्मी थे उनको हटा लिया गया है। पिछली बार भी हमने अनुरोध किया था। आप अगर चाहें तो गनर हटा दें केवल दो सुरक्षा कर्मी ही हमारे घर पर तैनात कर दें । वैसे तो ईश्वर ही मालिक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय गुलाब देवी जी, हमारी ओर आपकी पार्टी की एक नीति है महिलाओं के बारे में। लेकिन कभी-कभी आश्चर्य होता है दुःख तो नहीं होता है कि इटावा में पैसा चला जाय, गुन्नौर में चला जाय या संफई में चला जाय तो लोगों को पता नहीं क्यों जलन होती है ? खैर मैं आपको बता दूं कि आपकी सड़क एप्रूव हो गयी है। आप अगर हमसे अकेले में भी मिल लेती तो मैं बीस लाख के बजाय चालीस लाख आपको दे देता। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तो आपको पता ही है कि अगर किसी ने भी मुझसे सुरक्षा की बात कही है -- मैंने तुरन्त उसको दी है। आपका तो मैं आदर करता हूं। हम और आप एक ही जिले के हैं। हमें पता नहीं क्यों संभल क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है ? बीस लाख में तो एक किलोमीटर ही सड़क बनती है जहां तक नाम का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो भाजपा-बसपा की सरकार ने मिलकर जी0ओ0 जारी किया है कि वहां पर किसी का नाम नहीं होगा, तो यह जी0ओ0 तो आप ही की सरकार ने किए हैं। कृपा करके हम लोगों पर थोड़ा रहम करें। हम आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। बीस लाख से सम्भल का कुछ भला होने वाला नहीं है, अगर सम्भल को जरूरत होगी तो हम आपकी सहमति से ही बीस करोड़ दे देंगे। हम दस लाख अगर बीस लाख की जगह चालीस लाख की जरूरत होगी, तो वह भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

सतीश महाना जी आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, यह नये सदस्य हैं, इन्हें बोल लेने दीजिए।

श्री राजेश कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बस एक मिनट में बोल कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मैं जनपद लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत नगर पंचायत मेलानी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो आपको क्षेत्र की समस्या हो, उसको आप लिख करके दे दीजिएगा।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, वहां जो रिवाल्विंग फण्ड से काम किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए, मानक के अनुरूप कार्य नहीं किए गये हैं। पुराने ईंटे और पत्थर से काम किया गया है और नगर पंचायत, मेलानी में सफाई नहीं की जा रही है, वहां मनमाने ढंग से काम हो रहा है और मीटिंगें भी नहीं होती हैं, सम्पूर्ण विकास कार्य की जांच की जाए। मान्यवर, यूको स्थानान्तरित करके सारे विकास कार्यों की जांच कराई जाए। मान्यवर, यूओ अहमद पुत्र खलील अहमद, निवासी पुरानी बाजार वार्ड नम्बर 08 मेलानी, मान्यवर, इनका पानी काट दिया गया था, जबकि इनके ऊपर कोई जल मूल्य बाकी नहीं था। मान्यवर, इनके द्वारा दिनांक 08-11-2004 को एक प्रार्थना-पत्र रिसीव कराया गया है और 10-11-2004 को एक रिमाइन्डर भी दिया गया था कि रमजान का महीना है यह पानी जोड़ा जाए इसके उपरान्त भी पानी नहीं जोड़ा गया है और इनके ऊपर आर0सी0 काट दी गई है। इसकी जांच की जाए।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया था उसके ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है उसके ऊपर ग्यारह माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस पर अपने विचार रखें और जिन्होंने मूक रूप से मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान्यवर, बजट का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों की संख्या कम थी इसलिए यह मुझे लगा कि वह लोग मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे थे, इसलिये मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोला है और जिन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैंने प्रारम्भ में कहा था कि कटौती का प्रस्ताव कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए रखा था। एक उदाहरण है अगर पानी की टंकी की कैसे टूट जाती है, ऊपर ओवर आल टंकी को छत जिसमें एक लाख जनता की

पीने का पानी दिया जाता है उसकी मरम्मत के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इससे चिन्ताजनक बात और क्या हो सकती है ? मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाव पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे अगर वह मेरे सुझावों पर विचार करेंगे तब तो हम अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे ? नहीं तो हम अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुत अच्छे सुझाव आये हैं, मैं श्री सतीश महाना जी का जिन्होंने कि कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनका भी आभारी हूं। उनके अलावा डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री राम हेत जी, श्री मुंशी लाल गौतम जी, श्री ओ0 पी0 पाण्डेय जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री अरविन्द गिरी जी, श्रीमती अरुणा तोमर जी, श्री प्रदीप माथुर जी, डा0 पी0 के0 राय जी, श्री किरनपाल कश्यप जी का भी आभारी हूं और इसके अलावा मैं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें भाषण के तौर पर नहीं सुझाव दिये हैं लेकिन वह मन से इस बजट के समर्थन में हैं मैं उन सबका आभारी हूं।

मान्यवर, महाना जी ने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर और महानगर का जिक्र किया है जिसे हम सब कानपुर के नाम से जानते हैं। कानपुर बड़ा शहर है महानगर है महाना जी वहां रहते हैं आपके पूर्वजों ने, बड़ों ने, माता पिता ने आपके नाम की शुरुआत ही महाना से की है। तो यहां भी महाना शामिल है और आपके कारनामे भी महान हैं। तो फिर हम आपकी महानता को कैसे नहीं मानेंगे ? जो भी कमियां रहती हैं कानपुर महानगर के बारे में, जिसकी तरफ आपने इंगित किया है उसको दिखवायेंगे और जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने नगरपालिका के पार्षदों और सदस्यों के बारे में कहा कि उनकी सिफारिशों पर काम नहीं होता है। मान्यवर, यह पूरी तौर पर संभव नहीं है ऐसा आश्वासन दिया जाना क्योंकि हर चीज की अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस सदन को चलाने की भी अपनी एक प्रक्रिया है। अब जैसे विधायक निधि है तो उसके जरिये आपके काम होते हैं, पार्लियामेंट में सांसद निधि बनी हुई है उसके जरिये सांसदों के काम होते हैं। लखनऊ में यहां के मेयर ने कुछ पार्षद निधि की स्वीकृति दी थी, जिसके जरिये काम होने लगे थे और वह बात दूसरे निगमों में पहुँचने वाली थी लेकिन हमने उसे कड़ाई से रोक दिया है। यह कहा गया कि सदन में रेजोल्यूशन पास होगा सड़क के काम के लिए, नाली के काम के लिए, वह काम होगा। मान्यवर, पार्षदों और सदस्यों को वहां अलग से कोई धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से नहीं है क्योंकि हमारे सीमित संसाधन हैं। माननीय नेता सदन ने रिवाल्विंग फंड के नाम पर काफी बड़ी रकम हमें दे रखी है, उसमें कोशिश यह की जा रही है कि इस बजट का बराबरी के साथ उपयोग हो, उस पैसे का उपयोग हो।

मान्यवर, एक आपने कूड़े से चलने वाले बिजली घर के बारे में कहा है मैं तो शुरू दिन से यह मानता हूं कि कूड़े का बिजली घर गोया यह कहें कि यह पैसा कूड़े में मिला दिया गया और प्रदेश की, देश की जनता की गाढ़ी कमाई कूड़ाघर बनाकर एक पाप किया गया है तो गलत न होगा। वह भाग गये इसको चलाने वाले मशीन लगाकर, उसमें हजार की मशीन थी और दो हजार का बिल पास कराया मैंने जब उसको देखा है पहले दिन तो इस नतीजे पर पहुँचा कि कूड़े के कारखाने से बिजली नहीं बन सकती अलबत्ता कूड़े की सफाई की जा सकती है। मैंने कहा कि बिजली न बनाकर कूड़े की सफाई, उसका रोड़ा पत्थर अलग करके पोलीथीन और दूसरी गंदगी अलग कर दें ताकि उससे खाद बनाई जा सके। रोड़ा पत्थर कहीं जमीन सड़क या बुनियाद में [illegible]

आ जायेगी। वह एक फ्लाप स्कीम थी। उससे महंगी बिजली बनती थी और एनटीपीसी को सस्ते दाम पर बेची जाती थी। दोनों जगह पर नुकसान हो रहा था न बरदाश्त कर सके, न प्रदेश सरकार बरदाश्त कर सकी, न जनता बरदाश्त कर सकी उस नुकसान को।

जहाँ तक आई0टी0आई0से मिलकर प्रशिक्षण देने की बात का सुझाव है, इसमें हम कोशिश करेंगे। कानपुर में बेनवे की स्कीम के तहत आपने बतलाया है कि कानपुर के बने हुए मकान का एलाटमेन्ट नहीं हो सका, यह गलत बात है एलाटमेन्ट हो जाना चाहिए था। जहाँ-जहाँ नहीं हुए हैं मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ विभागीय अधिकारी इसको सुन रहे होंगे इनका एलाटमेन्ट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। कानपुर में नहीं हो सका जहाँ आपके रहते हुए, इसमें आपकी राजनीतिक मर्दानगी पर मेरी उंगली उठ रही है।

जल निगम में आपने गाड़ियों के सिलसिले में फरमाया कि गाड़ियां तो हमने कम कर दी है लेकिन इसके बावजूद सैलरी नहीं दे सके। मान्यवर, यह पुरानी गाड़ियाँ हैं। संदेश यह देना था आज हमारे पास यह सूचना है कि एक गाड़ी में 60 हजार रुपया जल निगम की मरम्मत का लगा और 35 हजार वाली में उसके लगे तो अब आप मुझे आदेश कर दीजिए कि मैं 60 हजार का बिल अदा कर दूँ और 35 हजार में न बेचूँ। वह दोनों काम होंगे तो कहीं न कहीं शिकायत जरूर होगी पुरानी बिकने वाली गाड़ियों से कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी जा सकती। अभी तक शिकायत नहीं हुई उसका कारण मैंने बता दिया। जो आईएएस अधिकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता था वह आगे अपने को करके स्कीमों का पैसा डाइवर्जन कर देता था यानि अगर मैं यह कहूँ कि माँ अपनी कोख से पैदा होने वाले बच्चे को काटकर खा ले तो आगे वंश कैसे चलेगा ? तो जो भी स्कीमें आई अध्यक्ष ने क्या किया उसका फायदा अपना और कुछ कर्मचारयों को करा दिया जिसकी वजह से निगम बरबाद हो गया, तबाह हो गया। मैं आप सबके सुझाव का स्वागत करता हूँ। आपने जिक्र किया और अरविन्द गिरि जी ने भी जिक्र किया है कि एनएसडीपी के तहत योजनाएँ हैं जिसमें मलिन बस्तियों का काम होता था। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितनी मलिन बस्तियाँ हैं सारी जगह पर काम कराया जायेगा और कहीं उपेक्षा नहीं होगी। मैं कटौती के प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने वाले साथियों का आभारी हूँ और कटौती का प्रस्ताव रखने वालों का भी आभारी हूँ। निवेदन तो मेरा यह है कि कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें और सिर्फ इस एक बात पर वापिस ले लें कि जो उनकी बड़ी जीवन की एक प्रस्टीजियस योजना थी, काम था, गंगा बैराज का जो हमारा है। आप मेरा कहते हैं और मैं हमारा। समाजवादी में हमारा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने नेता जी के गैरमौजूदगी में कहा, दो बार समीक्षा बैठक की, यह बहुत सारी कार्यवाही की है और आपको मालूम है कि उस कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बदला भी गया और सजाएँ दी गयी हैं। नेता जी ने एक महीना तय कर दिया है इस महीने में उसका उद्घाटन हो जायेगा। नेता जी खुद सदन में बैठे हुए हैं अगर आपको इस बात पर भरोसा है तो फिर आपकी शराफत का तकाजा यह है और महानता का तकाजा यह है कि आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और अपना सहयोग दें। मैं एक बार फिर आप सबका आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं ? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,88,23,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,79,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,79,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,11,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,11,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-02, आवास विभाग

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02, आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 01,25,66,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए)

मान्यवर, पहले तो नगर विकास और आवास विभाग एक साथ रहते थे, इसलिये दोनों का एक साथ जिक्र हो जाता था, लेकिन इस समय आवास अलग है तो मैं आपके समक्ष आवास का बजट प्रस्तुत करते हुये कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, इस विभाग की मूल मंशा प्रदेश में रहने वाले उन लोगों को, जिनके पास आवास नहीं है, मैं यह समझता हूँ कि शायद यही सोचकर यह विभाग बना होगा कि प्रदेश में रहने वाले ऐसे लोग, जिनके पास मकान नहीं है, छत नहीं है, उन्हें घर दिया जा सके। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे तरक्की होती गई और विचारों की भी तरक्की होती गयी, इस विभाग ने अपने काम करने के तरीकों को भी बदलना शुरू किया। मैं क्योंकि काफी समय तक इस सदन में विपक्ष का सदस्य रहा हूँ और बहुत सी चीजों को मैं उस निगाह से भी देखता रहा हूँ, हमेशा इस राय का रहा हूँ कि हम जब भी कोई विकास करें, जब भी हम लोगों से कोई वायदा करें तो उसके पीछे हमारी मुनाफे की मंशा नहीं होनी चाहिये। मसलन आयोजनागत पक्ष में 110.50 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 56.24 करोड़ यानि कुल मिलाकर 166.74 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, यह हमें एक बड़ी रकम लगती है लेकिन 18 करोड़ की जनता का प्रदेश है, आज भी इतनी बड़ी धनराशि का इस बजट में प्राविधान करने के पश्चात् भी हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि यह धनराशि बहुत कम है। इसी के साथ-साथ आई0डी0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत 150 नगरों को आच्छादित करने हेतु 250 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। इन्दिरा प्रतिष्ठान, इसमें 107 करोड़ रुपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 36.79 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 60 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2005-206 में आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न श्रेणी के एक लाख भवन/भूखण्ड विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें 43 हजार दुर्बल आय वर्ग, 29 हजार अल्प आय वर्ग, 16 हजार मध्यम आय वर्ग और 12 हजार उच्च आय वर्ग के लिए होंगे। निजी और सरकारी क्षेत्र में क्रमशः 25 हजार तथा एक लाख 25 हजार भवन/भूखण्ड सृजित किये जाने प्रस्तावित हैं।

आवास के इस बजट में वर्ष 2005-2006 में शेष दो महायोजनाओं के पूर्ण करने के अतिरिक्त 15 नगरों बरेली, सहारनपुर, बुलन्दशहर, खुर्जा, उन्नाव, फिरोजाबाद तथा जौनपुर नगरों की पुनरीक्षित महायोजनाएं एवं शामली, खतौली, नौगढ़, शिकोहाबाद, कपिलवस्तु, दुद्धी, गोवर्धन तथा राधाकुण्ड की नयी महायोजनाएं तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके साथ प्रदेश में नगरीय विकास के नये मापदण्ड स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की संस्तुतियों एवं मा0 मंत्रिपरिषद् के निर्णय के क्रम में प्रदेश की राजधानी तथा अन्य विकासशील महानगरों एवं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके समीपवर्ती नगरों में 15 सौ एकड़ या अधिक भूमि पर न्यूनतम 750 करोड़ रुपये के निजी पूंजी निवेश से एक से सवा लाख जनसंख्या हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त हाई-टेक टाउनशिप के विकास की नीति घोषित की गई है। इस पर मैं समझता हूँ कि सदन में वह सारे साथी जो विचारों की राजनीति करते हैं और जो इस बात पर सहमत होंगे कि 55-56 सालों में, जैसा कि मैंने नगर विकास का बजट पेश करते हुए कहा था कि कुछ क्षेत्रों, नगरों में ज्यादा नजर रही है और उनका विकास हुआ है। महाना जी ने कहा है कि कानपुर का बजट रिवाल्विंग फण्ड को घटाकर कम कर दिया गया है। यह बात सही है, लेकिन महाना जी आप इस बात को भी मानेंगे कि कुछ जगहों को जरूरत से ज्यादा दिया गया था, उनमें आप भी थे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस बात के आंकड़े उपलब्ध करा दूँगा, कि अवस्थापना निधि से अच्छा पैसा जाता था, लेकिन वह खर्च नहीं हो पाता था और लैप्स हो जाता था। इस प्रकार से नुकसान भी होता है और यह भी कहा जाता है कि अमुक जगह को ज्यादा पैसा दिया गया। इस प्रकार से यदि यही पैसा किसी दूसरी जगह पर चला गया होता तो उसका विकास हो जाता। इस हाई-टेक टेण्डरशिप के जरिये इस बात की कोशिश हुई है कि जो छोटी बस्तियाँ हैं, उनका भी विकास हो सके। मैं इसमें आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि आवास परिषद् के ऊपर बड़ी उँगली उठ चुकी है। मैं वैचारिक आधार पर इसका पूरा विरोधी रहा हूँ कि किसी भी समाजवादी विचारधारा के तहत चलने वाली सरकार में या किसी देश में जहाँ पर लोकतन्त्र हो और ऐसे लोकतान्त्रिक देश में, जो एक लम्बी आजादी की लड़ाई लड़कर पिछले 56-57 सालों से आजादी की साँसें ले रहा हो, लेकिन उसी के पड़ोस में एक ऐसा भी देश, जो भारत से पिछड़ा रहा हो और आज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया हो। हमें इस बात पर अवश्य ही विचार करना होगा कि वे कौन से ऐसे काम चीन में रहे, जिससे वह एक तरक्कीयाफ्ता देश बना और हमारे निर्णयों में कहाँ कमियाँ रही कि हम अपने देश को वहाँ तक नहीं ले जा सके जहाँ तक ले जाना चाहिए। मेरे दिल ने कभी इस बात का गंवारा नहीं किया कि बड़े शहरों को विकसित करने के लिए या बड़े लोगों को कोठियाँ फराहम कराने के लिए गरीब का खेत छीन लिया जाये। मैं भुक्तभोगी रहा हूँ, वर्ष 1980 में जब पहली बार विधायक बनकर आया था तो नवाबों के शहर में एक बस्ती थी, गंगापुर। रियासत के जमाने में वहाँ किसानों को, सब्जी उगाने वालों को शहर के एक इलाके में जमीन के सामने नवाब साहब के बड़े बेटे का महल बन गया और बाद में यह महल रामपुर में कचेहरी का शक्ल अख्तियार कर गया और वह इलाका सिविल लाईन कहलाने लगा। अब उन कोठियों के सामने सब्जी उगाने वालों की झोंपड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थीं तो यह जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी और एक रुपये नौ पैसे प्रति गज में उनका अधिग्रहण हुआ। मैं यह कहना चाहूँगा कि बावजूद तमाम इल्जामात के इस गंगापुर में एक भी व्यक्ति हिन्दू धर्म के अलावा नहीं रहता था। मैं इस सदन की वेल में अकेला निकलकर आता था और कार्यवाही रुकवाता था और जब तक उस जमीन के मुआवजे को बढ़वा नहीं लिया उस वक्त तक चैन से नहीं बैठा। तब से मेरे मन में एक सवाल रहता था कि कभी भी सत्ता में आयेंगे तो किसानों की जमीनें या बड़े शहरों से लगी हुई जमीनों को, जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम नही लेने देंगे। पिछली बार मैं दोनों सरकारों में इस बात के लिए कोशिश करता रहा हूँ कि किसान को उसकी अपनी जमीन का सही मुआवजा मिले। मैं इस बात से मुतमुइन नहीं हूँ कि आवास-विकास परिषद् जो जमीन लेता है उसका सही मुआवजा देता है। अगर हम आवास-विकास परिषद् का कार्यालय देखें तो एक शानदार इमारत को देखेंगे और उसमें रोज आल्ट्रेशन होते हैं। उससे अंदाजा होता है कि आवास विकास परिषद् का कार्यालय कितना मंहगा, विकसित और कीमती कार्यालय है। लेकिन अफसोस यह होता है कि यह भव्य इमारत

इसलिए भव्य है कि गरीब किसानों की जमीन लेकर मँहगे दामों में बेची गयी है। कभी आप इस कार्यालय में बैठे हुए अधिकारियों के कमरे को देखें आपको यूरोप के अधिकारी भी अपने कार्यालयों में बैठे हुये छोटे नजर आयेंगे, इतना शानदार कार्यालय है। मैं सही बात कह रहा हूँ अगर हम इस बात को स्वीकारेंगे-नहीं तो आने वाले समय में सुधार नहीं कर सकेंगे। हमने डेढ़ साल की सरकार में पुरानी गल्तियों को अपने ऊपर थोपकर नहीं मानेंगे तो आने वाले दिनों में सुधार नहीं हो सकेगा। बराबर कोशिश करते रहें और अधिकारियों से बात करते रहें और यह कहते रहें कि किसानों से जब भी उनकी जमीन छीनें तो उनको मुआवजा इतना दें कि उनको गम न हो।

मान्यवर, किसान जिस जमीन में अपना हल चलाता है उससे अपने बच्चों को रोजी देता है, उसे उस जमीन से प्यार हो जाता है। यही वजह है कि मेड़ पर कब्जे के छोटे से मामले में कत्ल हो जाता है और किसान चाहे हेकड़ हो या बदमाश हो उसे मेड़ छीनने की इजाजत नहीं देता है। इतना लगाव जिस जमीन से हो और जमीन को हमारी कोई व्यवस्था लेना चाहती है तो उस किसान को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि पहली बार यह व्यवस्था की गयी है जिसके तहत पाबंद किया गया है कि किसान की सहमति के बगैर उसकी जमीन नहीं ली जायेगी और किसान जमीन लेने वाली संस्था के बीच करार होगा। अब भूमि का अधिग्रहण जबरजस्ती नहीं होगा बल्कि दोनों के इकरार से होगा इसीलिए हमने इसका नाम करार नियमावली रखा है। करार के आधार पर ही जमीन ली जा सकेगी। किसान के मुआवजे के बारे में किसान नाराज होता है कि उसकी जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। अगर इस सम्बन्ध में कहीं से शिकायत मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें कड़ी कार्यवाही से हम गुरेज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया मकानात, प्लाट्स बनाकर देने की हमारी वचन बद्धता है। इसी के साथ-साथ इस विभाग का योगदान पार्कों के बनाने में रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी पार्क जो नामी-गिरामी रहे हैं उनके बनाने और रख-रखाव का काम इसी विभाग का है इसके बिना पर, जेब के इतबार से इस विभाग की जेब मोटी है। हम इस विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बेसहारा लोग हैं उनको बड़ी मात्रा में मकानात बनाकर देने का हमारी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी विडम्बना थी कि हम किसान को सस्ती जमीन लेकर महंगे दामों पर बेचते थे, ऐसा लगता था गोया यह विभाग नफे और घाटे का विभाग है और बनिये की दुकान लगाता था। बनिया शब्द मैंने किसी जाति को इंगित करने के लिए नहीं कहा है परन्तु सच्चाई यह है कि किसान से सस्ती जमीन लेकर उसको महंगे दामों पर बेचा जाता था। हम उस स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस सरकार का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला है और बजट को पेश करते समय इसमें सभी सुविधाओं के बारे में व्यवस्था की गयी है। हम इस बजट को ऐतिहासिक मान रहे हैं, किसान को सही कीमत दे रहे हैं, मकानात बना रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। कटौती के इस प्रस्ताव को इस लिहाज से रखें कि हमारे इन कामों को आपकी तरफ से भी सराहना मिले।

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-2, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं भी यही चाहता था, जैसा मंत्री जी ने कहा कि दोनों विभागों को एक साथ रखना चाहिए था, क्लब करके रखना चाहिए था, क्योंकि दोनों विभाग एक-दूसरे के पूरक के रूप में हैं, यह होता तो अच्छी बात हो सकती थी। समय कम है मैं अपनी बात कम समय के अन्दर कहने का प्रयास करूंगा। जब से यह नयी सरकार पदारूढ़ हुई तो एक बात का सन्देश देने का प्रयास किया गया कि विकास परिषद के माध्यम से प्रदेश का विकास किया जायेगा। आपकी मंशा विकास परिषद के जरिए प्रदेश के विकास की रही होगी उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में जनता को कुछ नहीं मालूम है। उसका परिणाम खराब है, यह कहने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं। लेकिन यह बात देखने को जरूर मिल रही है कि इस विकास परिषद के कुछ माननीय सदस्यों का विकास जरूर हुआ है। आवास के बजट के अन्तर्गत जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है कि विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों का निश्चित रूप से यह उद्देश्य था कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी के अन्तर्गत रहने वाले उन आम गरीब आदमियों के लिए एक मकान उपलब्ध कराया जा सके मंत्री जी ने बजट में कहा है कि आने वाले वर्ष में हम इतने लाख मकान उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए इतना पैसा निर्धारित किया है तो अगले वर्ष का आश्वासन देने से पहले पिछले वर्ष जो आपने किया है उसकी तरफ ध्यान दें। इकोनामिक वीकर सेक्सन के लिए जितने मकान बनने चाहिए थे तो कितने आवास विकास परिषदों ने और कितने विकास प्राधिकरणों ने बनाए उसके बाद आगे की योजना के बारे में ध्यान दें। पिछले दो सालों में कितनी योजनाएं बनी हैं और उन पर कितने पर अमल हुआ है ? प्राधिकरणों के गठन के बाद उसमें बड़े-बड़े अधिकारी बैठ जाते हैं और यह अधिकारी अपने को सबसे ज्यादा विद्वान समझते हैं वह यह सोचकर योजनाएं बनाते हैं कि उससे जनता का भला होगा और प्राधिकरण का भला होगा किसी भी योजना को बनाने में उस पर पैसा खर्च होता है करोड़ों रुपये खर्च कर दिया जाता है। लेकिन जब अधिकारी योजना बनाता है और उसके क्रियान्वयन के समय वह दूसरी जगह चला जाता है तो जो दूसरा अधिकारी आता है वह उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देता है। मान लीजिए किसी अधिकारी ने शहर के उत्तर के विकास के लिये योजना बनाई और किन्हीं कारणों से उसका स्थानान्तरण हो गया तो दूसरा नया अधिकारी पश्चिम के विकास की योजना बना देता है यह प्रासेस है। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी निर्णय व्यक्तिगत हैसियत से नहीं लिया जाता है। वह कुर्सी का निर्णय होता है। अगर कोई अधिकारी किसी परियोजना की स्वीकृति कराता है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है और दूसरा अधिकारी दूसरी योजना पर पैसा खर्च करता है तो जो पुरानी योजना पर जो पैसा खर्च होता है वह उस अधिकारी से वसूलना चाहिए। क्योंकि यह जनता का पैसा होता है। बड़े-बड़े शहरों का विकास आवश्यक है आपने कानपुर की ओर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि कानपुर में आप राजनीतिक स्तर पर मजबूत नहीं हैं इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। आपके समय में अतिक्रमण हटाया गया लेकिन गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया हमारे समय में भी अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन विस्थापितों की ओर ध्यान दिया गया था और नालों के किनारे व फुटपाथों पर जो लोग रहते हैं उनको 5, 10 रुपयों की किश्तों पर मकान उपलब्ध कराए गए थे। हमने हजारों की संख्या में लोगों को मकान दिए थे। विस्थापितों के लिए योजना बनाई थी। आपने जो भी स्कीम बनाई उसमें उन गरीब आदमियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की। आप कोई योजना, कोई मानक, कोई लाभ इन लोगों को भी दीजिये ताकि आपकी योजना का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा। अभी आपने यहां पर बताया कि पूरे प्रदेश में आपने 116 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है लोवर इनकम ग्रुप के लिये, ई0डब्ल्यू0एस0 के लिये।

मान्यवर, प्रदेश का 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति या तो निम्न आय वर्ग का है या अल्प आय वर्ग का है आपने उनके लिये 116 करोड़ रुपये की योजना बनाई और बड़े आदमियों के लिये जो बड़ी-बड़ी कालोनियाँ बनती हैं जिसमें व्यक्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्ट कर सकता है वहां पर आप 700 करोड़ रुपये की कालोनी बना रहे हैं। आप समानता की बात करते हैं लेकिन इसके अन्तर्गत आपके बजट में, आपके भाषण में कहीं समानता नहीं दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं कि आपने ई0डब्ल्यू0एस0 के लिये 700 करोड़ रुपये की योजना बनाई है और बड़े आदमियों के लिये 5 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप किसी को फायदा देना चाहते हों, किसी के पास बड़ा पैसा होगा वह खरीद लेगा लेकिन गरीब आदमी की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से विकास प्राधिकरण के बारे में कहना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से विभिन्न समय पर तरह-तरह के शासनादेश जारी कर दिये जाते हैं। शहरों में जमीन की बढ़ती हुई दर की तरफ आपने ध्यान दिया है ? शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत जमीनों के दाम क्यों बढ़ गये ? जब आप इस तरफ ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं पर आपको अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जमीन के दाम बढ़ने के कारण हो सकते हैं आपकी नीतियां। आप कह देंगे कि शहर में किसी मल्टी स्टोरी काम्प्लेक्स को बनाने के लिये आप इसको 2/4 की अनुमति दे देंगे, आप अपने हिसाब से कानून बना देंगे लेकिन कोई आम आदमी अपनी एक छोटी सी दुकान बनाना चाहता है तो आप कह देंगे कि 1.25 से ज्यादा कवर नहीं कर सकते हो। मल्टीप्लेट्स बनाने के लिये, मल्टी स्टोरी बनाने के लिये आप नियम में परिवर्तन कर देंगे लेकिन एक आदमी जो छोटी सी दुकान बना रहा है उसको आप 1.25 से अधिक कवर नहीं करने देंगे उसको इससे अधिक की इजाजत नहीं मिल सकती है। आप इन बड़े लोगों को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आपकी मंशा साफ जाहिर हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आप जरा संक्षिप्त करें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, एक नया शासनादेश जारी हुआ कि कोई मकान बन रहा है तो उसमें बालकनी नहीं बनेगी। मान्यवर, आप इसको नोट कर लें। बालकनी बनाई जायेगी तो नक्शा पास नहीं होगा। मकान की छत से आदमी सीधे नीचे आयेगा। बालकनी में जाने की जरूरत नहीं है। कितने विद्वान अधिकारी बैठे हैं आपके। आप उनको कुछ ज्ञान क्यों नहीं देते।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

आवास विकास परिषद् के बारे में भी कुछ कहना चाहता था। मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अरविन्द गिरी जी आप कह रहे थे तो आपको टोका नहीं गया था। मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात तो कह लेने दीजिये। यह आवास विकास परिषद् का जूरिसडिक्शन कालोनी बनाने का है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह जुड़ी हुई है कि जो सोसाइटियां हैं वे फर्जी तरीके से बना लेते हैं और एक बीघा जमीन लेकर सात बीघा जमीन बेच देते हैं। इन सोसाइटियों को बहुत छूट दी जा रही है, स्टेम्प रजिस्ट्रेशन की भी। इस तरफ भी ध्यान

देने की आवश्यकता है। जितने भी अपराध है इन सोसाइटियों की वजह से हो रहे हैं। जितने भी माफिया हैं, इनका इन सोसाइटियों के ऊपर कब्जा है। इन सोसाईटियों के बारे में पत्रावली मँगवाकर ध्यान डाल दें।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

आप इस पर ध्यान डालेंगे तो पता लगेगा कितने बड़े लैप्सेस हैं। इन पर आप अंकुश लगाने का काम करें क्योंकि वास्तविक सोसायटी जो एल0आई0सी वगैरह है और सोसायटियां हैं जिसके डिपार्टमेंट बने हैं उसके अन्दर बाहर का व्यक्ति जमीन...

(किसी सदस्य के बैठे-बैठे विषयान्तर हो रहे हैं, कहने पर)

आपको पता नहीं है मैं क्षमा चाहता हूँ । मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ मैं 101 परसेंट सही हूँ। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर बात है। आप सोसायटियों पर ध्यान दें। क्योंकि एक व्यक्ति तो सोसायटियों का मालिक बन जाता है। आपके अधिकारी सेट हो जाते हैं, जिसकी जमीन चाहते हैं कब्जा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं, सचिव बना देते हैं। जो सम्बन्धित लोग होंगे वह सहमत होंगे तो मंत्री जी इस पर अंकुश लगायेंगे तो कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे और आप अपनी मंशा पूरी कर सकेंगे। पिछले दो वर्ष के अन्तर्गत कहा जाता है...

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

डेढ़ साल से आपकी सरकार है इन डेढ़ सालों से सबक लेकर आप इस पर विचार करें कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, जितनी बातें कही हैं उसको कराकर दिखाएगा। आप कमजोर वर्ग के लोगों को मकान देना चाहते हैं आपने 1 लाख करोड़ की बात कही है। गरीब लोगों के प्रति जितना भाव प्रकट करते हैं, आप उन 750 बड़े लोगों का रजिस्ट्री शुल्क माफ कर देंगे। प्राधिकरण में रहने वाले लोगों को आप जमीन बेच सकते हैं लेकिन जो कमजोर वर्ग का आदमी है उसको आप जमीन नहीं दे सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना--

इसी के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, जो बजट माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है आपने मुझे उस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, नगर विकास के बजट पर जब चर्चा हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी ने उस समय, समय ही नहीं दिया। इसमें समय दिया गया है इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ और कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जब से सूबे में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी है आज़म खाँ जैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी को माननीय नेता जी ने नगर विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया यह मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वह जमाना याद है जब टण्डन जी मंत्री थे मेरे इलाके की जिला पंचायत के दो चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी के थे सिकन्दरपुर और मनिया जिला पंचायत, इसके सम्बन्ध में मैं इनके पास गया कि आपकी सरकार है रिवाल्विंग फंड से जो बजबजाती नालियाँ हैं इनके लिए पैसा दे दें कुछ सुधार करा दें लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मलिन बस्ती का सुधार नहीं हुआ, प्रश्न लगाया तो जवाब आता है कि संसाधन का अभाव है विचार नहीं किया जा सकता है एक पैसा नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय महाना जी से, जो भा0ज0पा0 के बड़े नेता हैं। भा0ज0पा0 सरकार में मंत्री भी रहे हैं।...

मान्यवर, हम लोग भी जानते हैं, क्या कारण है कि जब कुर्सी बदल जाती है और उसी कुर्सी पर एक ऐसा शख्स जो गरीब की पीड़ा को दिल में रखे हुए है, जिसकी मंशा दुरुस्त है, नीयत दुरुस्त है और वह अपनी पूरी नेकनीयती से नगरों का विकास करना चाहता है और हुआ भी है। चाहे बसपा, भाजपा या सपा के लोग हों, यहाँ तक कि हारने वाले भी लोग जब गये तो 5 लाख से कम आजम खाँ ने नहीं दिया। भले ही कभी हम लोगों को मना कर दिया है लेकिन विपक्ष का काम वह जरूर करते हैं, कहते हैं कि मित्र लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों। हमारे राधामोहन अग्रवाल जी से पूछ लीजिए, हिन्दू महासभा से हैं, बहुत अच्छे डाक्टर हैं, वह भी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और आजम खाँ की तारीफ करते हैं। भले ही वह भाजपा में हों। मान्यवर, जिसके पाँव में बेवाई फटी है, जो गरीब है, उसके लिए भी हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने प्रावधान किया है। आज हमारे गाँव का जो अन्तिम आदमी है, किसान है, चौधरी चरण सिंह का जैसा सपना था कि देश और प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब गाँव का अन्तिम आदमी खुशहाल होगा। वह मुख्य मंत्री और आजम खाँ को दुआयें दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्टवादी आदमी हैं, कभी हमारे नेता से लड़ भी लेते हैं, हम लोगों की हैसियत नहीं है। हम लोग भी नेता जी का बहुत लिहाज करते हैं, कभी-कभी वह डांट भी देते हैं। मगर आपके बगल में इतना बड़ा कार्यालय, मल्टी परपज स्टोरी, जब कदम रखेंगे, जो आपके सचिव महोदय का कमरा है, लगता है कि राष्ट्रपति का कमरा है, मुझे एक बार राष्ट्रपति भवन में जाने को मिला था और उसके बाद नहीं। हमारे नेता जी ने अध्यक्ष जिसको बनाया था, उनका कमरा सिमटा हुआ और पिछवाड़े से जाना पड़ता है। एक शिकायत थी जो फ्री होल्ड का काम गोरखपुर में किया गया, उसको मैंने लिखकर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी जाँच करवा लीजिए कि इतने बड़े पद पर एक आदमी इतने दिन से क्या बैठा है ? आपके यहाँ निगम का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया था, आपको लगा कि यह उचित नहीं है और उसको हटाने के लिए नेता जी से कहा। लेकिन एक आवास सचिव इतने दिन से बैठा है। मान्यवर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मकान का वादा किया था, इसकी जाँच करा लें। मुख्य मंत्री जी आपकी छवि जनता में है और आपकी छवि को कुछ मुट्ठी भर अधिकारी खराब कर रहे हैं। आवास विकास में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी जाँच कराई जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की जमीन जो पिछले वर्ष ली गई है, उसका मुआवजा आवास विकास ने नहीं दिया है। मंत्री जी ने कहा है कि पहले इकरारनामा पर दस्तखत होगा। मान्यवर, सिंचाई विभाग का जो बजट आया है, किसानों ने उसका स्वागत किया है।

मान्यवर, 20 सालों से 8 सालों से उनकी सरकारें थीं। अभी तक उनकी सरकारों में किसान रो रहा था। किसानों की जमीनों का मुआवजा नहीं मिला। हमारी सरकार ने कहा कि पहले उनका

मुआवजा देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक आदमी पूरे विकास परिषद् को लूट रहा है उसको हटायें और जांच करवा लें उनकी तमाम सम्पत्तियों की और मुआवजे की कि 30 हजार अल्पसंख्यकों के मकान क्यों नहीं बनाये गये। इसकी जांच भी हो। माननीय नगर विकास मंत्री जी, अगर आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से नेताजी आपकी बात मान लेंगे और उनके खिलाफ जांच करवाने की कार्यवाही करेंगे। चाहे छोटे कस्बे हों, मलिन बस्ती की योजना हो उन्हें देने का काम किया जाये। यही कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय नेता जी को धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गरीब लोग जिनके चेहरे पर झुर्रियां फैली थी उनके चेहरों पर मुस्कान आ रही है और आने वाले समय में करोड़ों लोग आपके साथ होंगे और आप का सपना पूरा होगा। जयहिन्द, जयभारत।

मुख्य मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव --

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि हमारी तरफ से बहस का उत्तर देने का काम नगर विकास मंत्री जी करेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे इंगित करते हुए कहा कि आप बैठे हुए हैं, जब यह विभाग आपके पास है। हम उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। यह सही है कि उन्होंने पत्र लिखा है। उस पत्र को हम निकलवायेंगे और जांच भी करायेंगे और जो भी तथ्य आपने दिये हैं, वह आप लिखकर आज शाम या कल सुबह तक दे दें। क्योंकि इस सरकार में पहली बार सत्तापक्ष के माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है तो यह गम्भीर बात है। लेकिन अभी तक माननीय नेता विरोधी दल या विपक्ष के किसी माननीय सदस्य की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ऐसा विभाग जो हमारे पास हो और हमारे माननीय सदस्य ने जो बातें रखी है हम उसकी निश्चित रूप से जांच करा देंगे और जांच के बाद दोषी होने पर कड़ी कार्यवाही भी करेंगे।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल --

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं तीन मुद्दों की चर्चा करूंगा। मान्यवर, मैं गोरखपुर नगर की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। यह इसलिए कि गोरखपुर में पीलिया का प्रकोप हुआ था और हजारों की संख्या में जनता खतरे में आ गयी थी। उस समय मैंने गोरखपुर से माननीय मुख्य मंत्री जी से फोन पर बात की। उन्होंने सीधे फोन पर बात की और कहा कि आप क्या चाहते हैं ? मैंने सारी आवश्यक कार्यवाही के बारे में फोन से अवगत कराया और इसके बाद सुखद आश्चर्य यह था कि 24 घण्टे के अंदर गोरखपुर में पीलिया की महामारी रोकने के लिए जो सुझाव मैंने दिये थे वह सारे कदम उठाये गये और इतना ही नहीं उसके दो दिन बाद एक जूनियर अधिकारी को सस्पेंड किया गया तो

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

मैंने दुबारा माननीय मुख्य मंत्री जी को फोन किया तो वह पुन: सीधे फोन पर आये तो मैंने कहा कि उस जूनियर अधिकारी को क्यों सस्पेंड किया जो वास्तविक दोषी अधिकारी थे उनको तो छोड़ दिया गया। और इसके बाद तीन घण्टे के अन्दर उस नगर आयुक्त को भी सस्पेंड कर दिया गया। मान्यवर, वहां के नगर पार्षद उस अधिकारी के सस्पेंशन का विरोध कर रहे थे। एक महीने तक वह नगर आयुक्त वहां पर कब्जा जमाये रखे। राजनीतिक दबाव सत्ता पक्ष का माननीय मुख्य मंत्री जी पर भी था कि इस नगर आयुक्त को वापस बुला लिया जाये। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि यह भी होना चाहिए कि सत्य को कहा जाना चाहिए। अगर राजनीतिक हित से हटकर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदाधिकारी, मंत्री काम करता है तो मेरा यह दायित्व है कि मैं स्वीकार कर कहूं सदन में, क्योंकि यह परम्परा है और इसका सीधा सम्बन्ध आवास से है इसलिए इस बात को कह रहा हूं।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, मैंने एक नेता विरोधी दल के साथ घटी घटना पर आपको और माननीय मुख्य मंत्री जी को दोनों को अवगत कराया था। यह देश भर के अखबार में एक कहानी के रूप में प्रकाशित हो रहा है और इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं चाहूंगा कि जिस पद पर आप आसीन हैं, जिस पद पर माननीय मुख्य मंत्री जी आसीन हैं और जिस पद पर मैं आसीन हूं यह संवैधानिक पद है अगर इसका सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका होगा ? अखबारों में इन्टरव्यू छप रहे हैं और फोटो भी छप रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। यह सदन भी नेता विरोधी दल के बिना नहीं चल सकता, उनका सहयोग आवश्यक है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक परम्पराओं को मानने वाले हैं, उसकी विचारधारा रखने वाले हैं उन्हें यह पद महत्वपूर्ण मानकर चलना पड़ता है। हम माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान इसलिये नहीं करते कि वह नेता विरोधी दल है बल्कि इसलिये करते हैं कि हमारे उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। अगर कभी कुछ ऐसा हो जाये तो नेक्स्ट हमारे मुख्य मंत्री वही होंगे। उनका अपमान अगर कोई हमारा अधिकारी करता है तो वह हमें और हमारी सरकार को स्वीकार नहीं है। अगर साक्षात्कार दिया है तो यह अशोभनीय है और अपमानजनक बात है। आपने कहा भी है और हम भी मैगजीन मंगाकर देख लेंगे। नेता विरोधी दल का पद एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद है अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है, इसमें गहरी आस्था है, तो अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो माननीय मंत्रियों का, विधायकों का सम्मान नहीं हो पायेगा। अभी हमने आई0 ए0 एस0 की समीक्षा बैठक की थी तो उसमें भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि किसी भी विधायक, लोक सभा के मेम्बर या फिर किसी भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी को अपनी जनता की बात को रखने का अधिकार है। यह परम्परा है। इसमें राजनीति हस्तक्षेप की बात नहीं आती है। यह जिम्मेदारी अधिकारी की है, यह उसका विवेक है कि सही काम करें, गलत काम न करें। अगर अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप है तो यह सही नहीं है। अगर नेता विरोधी दल का कोई साक्षात्कार दिया गया है और यह सही नहीं है। अगर नेता विरोधी दल का कोई साक्षात्कार दिया गया है और यह सही है तो हम इसको गम्भीरता से लेंगे और मैं यह आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा कोई भेदभाव नहीं होगा। कभी भी जो-जो हुआ है, क्या-क्या नहीं हुआ है ? ठीक है, आपने सच्चाई कह दी कि आज मुलायम सिंह हमारी बदौलत यहां बैठे हैं, नहीं तो पोटा लग जाता। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि बदले की भावना से हमने काम नहीं किया। हमारे ऊपर दबाव है और यहां तक दबाव है कि जरायम के कुछ लोग हमसे मिले और पूछा कि हमारी रिपोर्ट का क्या हुआ, उसके बावजूद भी हम किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सदन को, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको अधिकारी से अपनी बात करने का अधिकार है। हम जानते हैं कि सदन का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है तो किसी भी अधिकारी से अपनी बात कहे और अधिकारी यह कह दे कि हम यह काम नहीं कर पायेंगे। अगर कोई अधिकारी ऐसा कह दे तो हमारे किसी भी नेता द्वारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या सदस्य द्वारा उस अधिकारी पर दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के और माननीय नेता विराधी दल के असम्मान में कोई भी बात हुई है तो उसको हम गम्भीरता से लेते हैं और उससे आपको संतुष्ट करेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, मैं अन्य जगहों की बात तो नहीं बता सकता हूँ कि लेकिन हमारे गोरखपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, वहां एक ओर निर्माण होता है तो दूसरी ओर टूटता है मैंने स्वयं वहां पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है, वहां काफी दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है, पार्क बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक वहां लोग रहना शुरू करते हैं तब तक न तो वहां कोई पार्क रह जाता है, न तो नल रह जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में यह गारण्टी की शर्त बढ़ा सकते हैं कि जब तक कालोनियां बन कर के हैण्डओवर न हो जाएं तब तक उनके विकास कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रहनी चाहिए। मान्यवर, विकास प्राधिकरण पर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं है। द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने इस बात को स्पष्ट रखा है कि विकास प्राधिकरण के कामों को नगर निगमों के नियन्त्रण में देने का काम किया जाए। संविधान की बारहवीं अनुसूची भी इसके बारे में जिक्र करती है, बावजूद इसके भी हमने उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग कर दिया है। नगर निगम के अन्तर्गत अगर वह न आ पाएं, तो प्रधिकरण के बोर्डों पर विधायक का नाम लिखा जाए जिससे विधायकों का उनकी कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण हो, जिससे लोकतांत्रिक सिद्धान्त वहां लागू हो सके। दूसरी बात जो नगर निगम की सम्पत्तियां हस्तांतरित होती हैं उस पर स्टाम्प ड्यूटी दो प्रतिशत लगती है, उसमें एक तिहाई विकास प्राधिकरण ले लेता है, यह गलत है, यह पूरा का पूरा पैसा नगर निगम को मिलना चाहिए, इसलिए यह बेहतर होगा कि नगर निगम को पूरा पैसा मिलने की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, नजूल की जमीन जो फ्री होल्ड की जाती है उसकी आय का पचास प्रतिशत धन नगर निगम को दे दिया जाए, मुझे विश्वास है कि सरकार इस सुझाव पर जरूर विचार करेगी। जो नगर निगम की जमीनें हैं उसका पैसा नगर निगम को मिले। एक अन्तिम बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गोरखपुर में जहां लोग जाकर रुकते हैं जो सर्किट हाऊस है, उसके ठीक बगल में बहुत बड़ा रामगढ़ ताल है, अगर उसको थोड़ा विकसित कर दें तो पर्यटन के विकास और गोरखपुर के विकास का रास्ता खुल जाएगा। श्री रामगढ़ ताल परियोजना के चारों ओर सड़क बनाकर के वहां वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के रूप में विकसित किया जाए। मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसकी योजना आपके कार्यालय में आ चुकी है उस पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं आभारी हूँ श्री रिजवी साहब का, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का और ऐसे सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मौन रूप से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मान्यवर, जो रिजवी साहब ने बात कही उसका संज्ञान माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है मैं उनका आभारी हूँ। डा0 अग्रवाल जी ने कुछ बातें कही हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह विभाग न विकास के साथ है। माननीय मंत्री जी को अगर माननीय मुख्य मंत्री जी आवास विभाग भी साथ में दे दें तो अच्छा हो जायेगा और शायद यह अच्छी शुरुआत होगी। ऐसी मेरी आपको शुभकामना है।

मान्यवर, टास्क फोर्स यहां पर गठित की गई है इस उद्देश्य से कि नगरीय क्षेत्र के सभी विभागों का आपस में समन्वय हो सके यह टास्क फोर्स बड़े शहरों में कमिश्नर की अध्यक्षता में और छोटे शहरों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित है। वह चाहे नगर विकास का काम हो सूडा का काम हो, जल संस्थान या जल निगम का काम हो या विकास प्राधिकरण हो अथवा आवास विकास परिषद् हो--वह टास्क फोर्स सभी कार्यों का आपस में समन्वय कराती है। लेकिन वह समन्वय का काम नहीं हो पा रहा है। उस टास्क फोर्स की पिछली डेढ़ वर्षों में कोई बैठक भी नहीं हुई है तो आपस में फिर समन्वय कैसे होगा एक विभाग कुछ बनायेगा और दूसरा खोदेगा तो फिर उससे तो जनता के धन का अपव्यय ही होगा। मान्यवर, आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की बात कही है। मान्यवर, विकास प्राधिकरणों में वह जिस क्षेत्र से पैसा आता है चाहे वह नक्शा पास कराने के नाम पर हो, सुदृढ़ीकरण के नाम पर हो या शमन के नाम पर हो, उसी क्षेत्र के विकास कार्यों में लगे तो उसका अच्छा उपयोग होगा और वह एक नए स्वरूप में नजर आयेगा। मान्यवर, बहुत से अच्छे सुझाव आये हैं यह बड़े आदमियों का पैसा जो था उसमें कुछ कटौती कर दी जाए और गरीब आदमी के पैसे को बढ़ा दिया जाए इतना कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमारे साथी महाना जी ने, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने, रिजवी साहब ने जो सुझाव रखे हैं, जो भी अच्छे सुझाव होंगे उनको न मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। आपने बालकनी के बारे में बताया, इसकी इजाजत नहीं है। आच्छादित क्षेत्र में बालकनी साइड बैंक में एक मीटर की सीमा में बालकनी बनाई जा सकती है। यह एक नई चीज सामने आई है। ऐसी बालकनियां जो जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं और दूसरे लोगों को उससे इतराज होता है वह तो ज्यादती है। कभी-कभी इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि दूसरे के लिए रास्ता नहीं बचता है। इसका परीक्षण कर लिया जायेगा और जो भी वाजिब तरीका होगा वह हम अख्तियार करेंगे। आपने टास्क फोर्स की बात कही है। अब चाहे नाम कुछ भी रख लीजिये मैं उस टास्क फोर्स के बाद कोई और फोर्स बना दूँ तो उसमें अधिकारी बढ़ते जायेंगे, कमेटियां बढ़ती जायेंगी, चाय-पानी का खर्चा बढ़ जायेगा और गाड़ियों पर खर्च बढ़ जायेगा। बेहतर यह होगा कि एक फोर्स जो पहले से मौजूद है हम उससे काम लें। दस निकम्मों से करामात का काम नहीं होगा बल्कि उन निकम्मों को करामात बनाना जरूरी होगा। बड़े शहरों की आज रौनक बढ़ी है क्योंकि उसमें पलायन बहुत हुआ है। वहां छोटे शहरों से और गांव देहातों से लोग आये हैं। इस बिना पर भी उसकी रौनक बढ़ी है। मानकों के खिलाफ मंजिलें बनती चली गयी हैं, बनी, पिछले दिनों बहुत बनी, गलत हुआ, इधर रोक लगायी गयी है इस तरह नहीं बन रही है। एक बात जरूर है कि टंडन जी ने एक बार मुझसे कहा था मैं नहीं कर सका प्रभावी तरीके से, क्योंकि मेरा ऐसा अधिकार नही है। मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई जो अनधिकृत कालोनियां हैं या जिनके अन्दर पूरी व्यवस्था नहीं है, हैण्डओवर कर दी जाती है। सहूलियत न होने के बावजूद हैण्डओवर कर दी जाती हैं उन पर कोई अंकुश लगना चाहिए। डाक्टर साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया है रामगढ़ ताल के बारे में, खुद भी अक्सर जाता हूँ तो वहीं ठहरता हूँ बहुत सुन्दर व्यू है, कोई शिकायत नहीं है। गोरखपुर ऐतिहासिक तौर पर बहुत अहमियत का शहर है। मैं इस पर बात करूँगा और जितनी जल्दी पैसे की व्यवस्था हो जायेगी इस पर काम हो जायेगा, मैं इसके पक्ष में हूँ। फ्री होल्ड के मामले का कभी पक्षधर नहीं रहा। फ्री होल्ड जमीन से माफिया लोगों को बड़ी मदद मिली है और फ्री होल्ड पालिसी के तौर पर मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। कोई शख्स अपनी ताकत और पैसे के बिना पर जमीन पर कब्जा कर ले और कानून उसे

वाजिब करार दे दे। इससे यह तो नुकसान हुआ ही और हमने फ्री होल्ड जमीनों के जरिये बाहुबलियों और पैसे वालों को जमीने दे दी। इसके साथ एक पुरानी शिकायत कहे कि आने वाले कल में एक रास्ता दिखा दिया। जो लोग जमीनों पर कब्जा कर लेंगे उनकी जमीन फ्री होल्ड कर दी गयी आगे भी दे दिया जायेगा। इसलिए मैं फ्री होल्ड के पक्ष में नहीं हूँ। अगर किसी खास जमीन को फ्री होल्ड किये जाने की जरूरत है तो उसका और भी कोई तरीका हो सकता है कैबिनेट के जरिये उसका एप्रोवल हो सकता है। अगर चैरिटेबिल परपज है तो दिया जाना चाहिए लेकिन फ्री होल्ड के नाम पर जमीनों का दुरुपयोग हो, यह सही नहीं है। मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूँ। इसके साथ कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं था, महाना जी की तरफ से बजट के बारे में हुआ हो, न डाक्टर साहब की तरफ से कुल मिलाकर सबने इसका स्वागत किया है। जो उंगलियां उठी हैं विभाग के ऊपर उसके सिलसिले में नेता सदन ने आश्वस्त कर दिया है कि जांच कराने की कार्यवाही करेंगे। एक चीज रिजवी साहब ने कही जो बात गौर से शायद सुनी नहीं गयी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव के बजट भाषण में 20 हजार मकान अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाने की बात आई थी। उस समय याद होगा कि आपके फैजाबाद में विरोध हो गया था कि यहां क्यों बनाई जा रही है ? तब उन्होंने इस सदन में कहा था कि अगर किसी अमुक जाति के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उनको कमजोर समझकर जमीन ली जा रही है, तो उनको नहीं लिया जायेगा और जाहिर है उनकी जमीन नहीं ली गयी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह जमीनें नहीं ली गयी लेकिन जहां अल्पसंख्यकों के इलाके में वह मकानात बनाये जा सकते हैं वह नहीं बनाये गये जो बड़ा काम है उसको इस साल पूरा करेंगे और जो मकानात नेता जी की बजट घोषणा में हैं उनको भी इस साल में पूरा करायेंगे इसके साथ मैं पक्ष और विपक्ष के साथियों को, जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल नहीं दिया बल्कि बजट का समर्थन किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, प्रश्न रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को शून्य घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 01,25,66,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 86, सूचना विभाग

(संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री) श्री मोहम्मद आजम खां --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 35,57,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं केवल दो सुझाव देना चाह रहा हूँ। सूचना विभाग आईना होता है किसी भी सरकार का और उस आईने में निर्भर इस बात पर करता है कि कैसी रोशनी आप डाल रहे हैं ? यह आईना यहाँ तक सीमित रह गया कि सारे सूचना जगत को आप नियंत्रित करके अपने विज्ञापनों के आधार पर केवल उसको सरकार का भोंपू बना दें तो यह आईना नहीं रहा। इसलिये कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां हो चुकी हैं, कुछ निलम्बित भी हुये हैं। लेकिन आप समीक्षा कर लें, कुछ अधिकारी अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय हुकुम सिंह जी बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और उनकी शिकायत संज्ञान में अवश्य ली जायेगी। यह सही है कि सूचना विभाग सरकार का आईना होता है और सरकार को अपनी शक्ल इसमें दिखती है और यदि अपनी शक्ल में कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिये। मैं इनका धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि यह इनका कटौती का प्रस्ताव नहीं है बल्कि समर्थन का प्रस्ताव है। मैंने इनकी बात मान ली है और वह मेरी बात मानेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 35,57,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य-व्यय)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,71,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,91,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान के मांग पर मतदान

अनुदान संख्या 20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,82,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं अपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,27,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,27,51,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान

अनुदान संख्या 40, नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,63,23,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,63,23,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर

मतदान अनुदान संख्या 41, निर्वाचन विभाग

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,93,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,93,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर

मतदान अनुदान संख्या 42, न्याय विभाग

*(राजस्व मंत्री)--श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,30,50,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूँ, केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो फास्ट ट्रेक अदालतें थीं, वह अब समाप्त हो गई हैं और केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव किया था कि वह समाप्त हो गई हैं। मान्यवर, समाप्त होने का परिणाम यह हुआ कि सारे के सारे मुकदमों का जो अम्बार लग रहा था, वह और भी लगेगा। प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था, तो मान्यवर, आज आप कुछ तो आश्वासन दें, जब प्राविधान करा रहे हैं तो इस बात का भी प्राविधान होना चाहिए था कि जो न्यायालय समाप्त कर दिये गये थे, उनके स्थान पर अब क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई विवाद नहीं था, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर तैयार नहीं होंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, विवाद न होने का यह मतलब होता है कि कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां (संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री)--

मान्यवर, जिन मदों पर विवाद नहीं होता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। कोई तो कारण होता है, जिसकी बिना पर कोई विवाद नहीं होता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उसका संज्ञान लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,30,50,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 46, प्रशासनिक सुधार विभाग

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,23,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,23,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 34,02,64,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 34,02,64,57,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 32,17,54,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 32,17,54,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 62,70,43.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 62,70,43.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*अंग्रेजी में अनूदित। पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मद संख्या 9 (16) प्रस्तुत हो। मेरा इसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। आप देखेंगे कि राज्य लाटरी के मद में 75 लाख रुपये की मांग की गयी है। उत्तर प्रदेश में लाटरी प्रतिबंधित है, जब लाटरी प्रतिबंधित है तो किस लिए 75 लाख रुपये मांगा जा रहा है ? यह सदन का मत हासिल कर रहे है तो क्या सदन को इतना भी आधिकार नहीं है जानने का कि जिस प्रदेश में लाटरी पर प्रतिबंध है वहां इतनी धनराशि क्यों मांगी जा रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी वरिष्ठ और सर्वाधिक अनुभवी सदस्यों में से हैं। मान्यवर, सरकार का पक्ष सुन लें। जितनी भी मदें यहां रखी जाती है, प्रत्येक पर संसदीय कार्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर तय करते है कि किस मद पर विवाद होगा, किस पर विवाद नहीं होगा ? नेता प्रतिपक्ष बगल में बैठते हैं। होते तो मैं कहता कि कान में बता दीजिए कि इन मदों पर चर्चा का अवसर नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

श्रीमन्, अवसर है। मद पर सदन की सहमति है लेकिन चौधरी साहब ने जो कहा कि नेता प्रतिपक्ष मिल करके तय करते हैं, तो यह प्रक्रियात्मक मामला है। मान्यवर, इस सदन में ग्रांट पेश की जाएगी तो सदन को जानने का अधिकार है कि जब लाटरी प्रतिबंधित है तो किस बात के लिए पैसा मांगा जा रहा है ? यहां पर यह सवाल नहीं है कि इस पर विवाद होगा कि नहीं, यह 75 लाख से अधिक धनराशि क्यों मांगी जा रही है ?

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, परम्परा से परे हटकर यह एक नयी शुरुआत की जा रही है। लाटरी निदेशालय अभी समाप्त नहीं हुआ है। लाटरी निदेशालय के जो आवश्यक खर्चे हैं उनको चलाने के लिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, लाटरी निदेशालय तो है नहीं, उसका वजूद नहीं है, तो यह खाली तनख्वाह देने के लिए आप पैसा ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, अभी सभी प्रकरण निस्तारित नहीं हुए हैं, पुराने मामले पड़े हैं इसलिए निदेशालय को चलाने के लिए राशि मांगी जा रही है, इन मांगों के सम्बन्ध में भरपूर विचार करके बजट लाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 75,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 64,65,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 64,65,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 78, सचिवालय प्रशासन विभाग

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,63,55,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,63,55,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 82, सतर्कता विभाग

*(राजस्व मंत्री) श्री अम्बिका चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,86,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,86,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या 38, नागरिक उड्डयन विभाग

(होमगार्ड सैनिक कल्याण प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री) श्री ब्रहमाशंकर त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 45,28,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 45,28,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

(होमगार्ड सैनिक कल्याण प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री) श्री ब्रहमाशंकर त्रिपाठी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53 राष्ट्रीयकरण एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 43, परिवहन विभाग

(परिवहन राज्य मंत्री) श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,54,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, जब से सरकार सत्ता में आई है, किसी भी राज्य की परिकल्पना यह होती है कि उस राज्य की आर्थिक विकास की परिकल्पना कैसी हो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण राज्य में संचार की व्यवस्था कैसी हो तथा दूसरे अति महत्वपूर्ण राज्य की परिवहन की कैसी व्यवस्था है ? जब से समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में आई है और हमारे योग्य परिवहन मंत्री श्री नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने अपना काम संभाला है आप पिछले साढ़े आठ साल का इतिहास देखें इतनी भयावह परिस्थिति परिवहन विभाग की हो गई थी कि परिवहन विभाग और परिवहन निगम जैसे दो महत्वपूर्ण अंग जिसमें 40 हजार कर्मचारी प्रदेश में काम करते हैं उसको रुग्ण घोषित कर दिया, उसको बीमार घोषित कर दिया यह कल्पना की जाने लगी कि परिवहन निगम यथा शीघ्र बन्द हो जायेगा और उसमें जो लोग काम करते थे उनके परिवार के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार जब से सत्ता में आई है जो जनकल्याण का फैसला लेने में सक्षम है। आज विश्वबैंक के दबाव में जबकि दूसरे प्रदेशों में नौकरी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और मुनाफे की दिशा में है। इतना ही नहीं हमने 6 हजार नए पदों को भी भरने की प्रक्रिया भी शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दी है। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है। हमारे नेशनल हाईवे अच्छे होंगे।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

उत्पादन अच्छा होगा, उनकी संचार व्यवस्था अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश की तरक्की में सहयोग होता है।

आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया है। हमने भारत सरकार से यह मांग की है कि उत्तर प्रदेश की व्यापकता को देखते हुए जहां पर 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं कई बार इस तरह के हादसे होते हैं कि सड़क पर लोग लावारिस पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है चिकित्सा सुविधा के लिये कोई स्थान नहीं है। भारत सरकार से मांग की है कि विभिन्न राज्य मार्गों पर ट्रामा सेन्टर खोलने के लिये 14 स्थान हमको उपलब्ध करायें ताकि यदि कोई आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में लोग लावारिस पड़े रहते है। ऐम्बुलेंस होगी तो उनको ले जाकर चिकित्सा सुविधा देकर जान बचाई जा सकती है। यह बहुत संवेदनशील मसला है और सरकार इसके लिए चिन्तित है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि हम लोगों के लिये, पेट्रोलिंग के लिये 16 क्रेन और 16 एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। यदि इस बात का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होगा और नई छवि उभरेगी। महानगरों के लिये 20 क्रेन और 10 एम्बुलेंस की अतिरिक्त व्यवस्था के लिये कहा है। जहां इतने बड़े प्रदेश में इतनी जनसंख्या रहती है यहां पर कोई भी ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने आग्रह किया है कि यथाशीघ्र यहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता की मांग की है। जहां तक उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों की बात है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके संज्ञान में होगा कि 54 चेक पोस्ट ऐसे हैं जहां विभिन्न राज्यों से मालकर, यात्रीकर चुकाने के रूप में अनेक वाहन गुजरते हैं और राजस्व देते हैं लेकिन उन चेक पोस्टों की हालत बहुत दयनीय है। न वहां पर काम करने के लिये जगह है, न रहने के लिये व्यवस्था है, न संचार की व्यवस्था है। हम लोगों ने यह क्रांतिकारी निर्णय लिया है कि इन 18 चेक पोस्टों को उच्चीकृत किया जाय, जिससे प्रदेश की कायाकल्प होगा। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन के लिये आज पूरा विश्व चिन्तित है और हम भी इस ओर चिन्तित हैं। इसलिये हमने निर्णय लिया है कि पोल्यूशन चेक करने के लिये केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, कुछ इस्टेबलिशमेंट करना होगा। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि जहां तक ड्राईविंग लाइसेंस के बारे में तमाम बातें आती हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि किस तरह की बातें होती थी कि लाइसेंस मिलना कितना आसान है। कोई दलाल को थोड़ा सा पैसा दे दिया और लाइसेंस हासिल कर लिया। हमारे मा0 जनसेवक जी कह रहे थे कि मैं एक हाथ से भी चला सकता हूँ । और यहां से कह रहे थे कि जहेन्नुम तक जा सकता हूँ। हमने उनसे कहा कि आप भाई बहिन की जोड़ी ही जाय। हम लोग जहेन्नुम में नहीं जाना चाहते। जो लोग इस तरह का गलत काम करेंगे वही जहेन्नुम में जायेंगे। हम लोग तो कल्याणकारी काम कर रहे हैं। हां, एक काम जरूर करियेगा जब आप जहेन्नुम जाइयेगा तो हमको जरूर बता दीजियेगा हम आपको हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। तकनीकी दृष्टि से भी हमने काफी क्रांतिकारी काम किये हैं कई सालों से इस तरह से काम नहीं हुए थे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस आदि के काम को एक काम्पैक्ट के रूप में, एक स्मार्ट कार्ड के रूप में, शुरू करना चाह रहे हैं और धीरे-धीरे इसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में हाई स्पीड गाड़ियों के आने से प्रदेश में युवकों को और अधिक आकर्षित किया है, जिससे ड्राइविंग में बहुत ज्यादा खतरे पैदा हुए हैं। लेकिन हाई स्पीड गाड़ियों पर कंट्रोल के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं हाई स्पीड गवर्नर इन्सेटॉल किया जाएगा। इससे गाड़ियां अनियंत्रित नहीं हो सकती है। जहां तक गाड़ियों की सुरक्षा का मामला है गाड़ियां चोरी हो जाती है, नम्बर प्लेट बदल जाती हैं। दूसरे राज्यों में बेच दी जाती है और पुलिस

हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है उसके बारे में भारत सरकार का दबाव होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को हाई सिक्यूरिटी प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हाई स्पीड गवर्नर इन्टालेशन पर विचार कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त डाकुमेन्ट्स की बात होती है, इस्तावेज चोरी होते थे उनकी अलग-अलग प्रतियां रखनी पड़ती थीं। अगर दस्तावेज की प्रति कही खो गई तो परेशानी होती थी। उसकी डुप्लीकेट कापी बनानी पड़ती थी इसके लिए हमने होलोग्राम व्यवस्था की है। कई बार जानकारी में आता था कि गाड़ियों के नम्बर बदलकर उन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार वचनबद्ध है हमने होलोग्राम की व्यवस्था की है। हर दस्तावेज पर होलोग्राम होगा इससे जो दस्तावेज चोरी होते थे उस पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी तरह से राष्ट्रीकृत मार्ग हैं कुछ किलोमीटर का पैसेज अगर बीच में पड़ता था तो निजी क्षेत्र के जो मार्ग हैं उनके लिए बहुत गम्भीर समस्या उतपन्न हो जाती है। इसमें प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 16 किलामीटर का राज्य मार्ग या और कोई ऐसा मार्ग पड़ेगा तो उसमें निजी क्षेत्र के संचालन के लिए अनुमति देने पर विचार करेंगे। बहुत विस्तृत प्रदेश हैं पढ़े-लिखे लोग हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट पालिसी किसी प्रदेश में नही हैं किसी प्रदेश में ट्रांसपोर्ट पालिसी नहीं है। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पालिसी शुरू की है और इसके लिए मैं नरेश जी को बधाई देना चाहता हूँ। यह आपकी ही सोच है, आपका विचार है आपका सकारात्मक विचार से ही परिवहन नीति बनाने का कार्य हुआ है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ? हमारे प्रदेश में इतने बड़े-बड़े महानगर हैं। इनका कायाकल्प कैसे होगा ? नई आवासीय कालोनियां बनी हैं, कालोनियों में सुविधाएं विकसित करने की कोई सोच नहीं थी। मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देशन में अर्बन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की व्यवस्था की बात सोची गई है। इसका कार्य प्रगति पर है। बहुत से महानगरों में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य शुरू होगा। शहरी सुविधायें विकसित होंगी। यह शहरी नागरिकों के लिए अच्छा कदम होगा। हमें लोगों की शिकायतें मिलती हैं, जहां-जहां परिवहन कार्यालय हैं वहां दलालों की भरमार रहती है। अपने छोटे से समय में हमने 20 जिलों में छापे मारकर कितने ही लोगों के खिलाफ मुकदमें चलाए हैं। कितने ही लोगों को सस्पेंड किया है। कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जिस तरह से इल्लीगल तरीके से लाइसेंस दिए जाते थे उस पर प्रतिबन्ध लगाने का काम किया है। इसी तरह से मान्यवर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और बरेली के लिए प्रदूषण के लिए चिन्ता व्यक्त की गई । बढ़ते प्रदूषण से जनता की जान को खतरा उत्पन्न हो रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील है, हमने जनता की सुरक्षा के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाया है। सी0 एन0 जी0 वेस्ट वेहिकिल्स को हम चलाने की अनुमति देंगे, इससे प्रदूषण कम होगा। नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य से निकलकर जब हम दिल्ली जाते हैं। किसी भी राज्य का नागरिक हो, इतना भयभीत होता है कि वह तत्काल हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट लगा लेता है। वह जानता है कि दिल्ली पुलिस अभी पकड़ लेगी और चालान कर देगी, परेशानी होगी ही, पैसा भी उसका जायगा। उत्तर प्रदेश में आठ-साढ़े आठ साल में कानून-व्यवस्था लचर हो गयी थी, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा था, इसको ठीक करने में समय लगता है लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और अब हेलमेट का कड़ाई से पालन हो रहा है। जो लोग लाल-नीली बत्ती लगाये मुंगेरी लाल के सपनों में जी रहे थे, उनके लिए भी जरूरी था और हमने सख्ती से कदम उठाये हैं।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए उपयोगी हो ताकि जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं, बच्चों के स्कूल में उनके पाठ्यक्रम में इस तरह का एक छोटा सा चेप्टर शामिल कर लिया जाए ताकि सड़क सुरक्षा की जानकारी बेसिक स्तर से ही बच्चों को होने लगे। यदि माननीय सदस्य सहमत हों, लर्निंग लाइसेंस की एक निर्धारित प्रक्रिया है और उसको पूरा करने के बाद ही यह लाइसेंस जारी होता है। यदि सहमति बनती है तो जो इण्टरमीडिएट कालेज हैं और डिग्री कालेज हैं, उनके प्रिंसिपल को अधिकृत कर दिया जाए कि वह लर्निंग लाइसेंस निर्धारित शुल्क जमाकर निर्गत कर दे और पर्मानेंट लाइसेंस हम लोग बनायेंगे। जहां तक यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बात है, पहले बसें चलती थी तो उनमें हार्न की आवाज कम आती थी, बसों की आवाज ज्यादा आती थी। हमने उसके मॉडल में परिवर्तन किया है और कलर के बारे में भी परिवर्तन किए हैं। अपको ताज्जुब होगा कि आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में एक तरह की बसें नहीं चलती हैं। आज हिमानी गोल्ड, हिमानी शीतल आदि कई तरह की बसें चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नई ऊँचाइयों को छू रहा है। आज 6497 बसों का बेड़ा उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2004-05 में 968 बसें खरीदी गई है और अगले वर्ष 1200 बसों के खरीदने का लक्ष्य है।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, अभी आपको उत्तर भाषण भी देना है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

अध्यक्ष जी, उसके लिए भी तैयार हैं, वह भी देंगे। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का यदि हम लेखा-जोखा दिखायेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि कल क्या परिस्थितियां थी और आज क्या है ? आप लोगों ने 40 हजार कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लगा दिया था लेकिन हम लोगों ने उनका पुनर्वास किया है। यदि अन्य निगम भी इस तरह से प्रगति करें तो प्रदेश का कायाकल्प हो जायेगा। मान्यवर, अप्रैल, 2004-05 तक 81.67 प्रतिशत केश प्राफिट हुआ है जो पिछले साल से 44 करोड़ रुपये अधिक है। तो इस तरह की उपलब्धियां ऐसे नहीं मिलती हैं। नई बसों के लिए 110 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। 12 सौ नई बसों को खरीदने का लक्ष्य रखा है। हम लोगों ने 10 करोड़ रुपये बसों के मेंटीनेंस और जनसुविधाओं के लिए रखा है। हमारे परिवहन निगम में ऐसे अधिकारी हैं कि मैं समझता हूं कि अगर ऐसे अधिकारी प्रदेश में हो जायें तो प्रदेश की तरक्की बहुत तेजी से हो सकती है। मान्यवर, यह लोक कल्याणकारी सरकार है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से कोई कटौती का प्रस्ताव न आये।

*श्री अमर जीत सिंह (जनसेवक)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बसों की सर्विसेज की बात कही है। शायद बसों के शोर की वजह से वह मेरी बात सुन नहीं पाये। मैंने उसमें कहा था कि केवल एक स्थान को छोड़कर, वह स्थान है जहन्नुम, वहां नहीं ले जा सकता।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43, परिवहन विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, किसी भी प्रदेश के जनजीवन को प्रभावित करने का काम यातायात का होता है। निःसंदेह पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संवाद स्थापित करने का काम परिवहन करता है। और मान्यवर, अगर हमारी परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो, सुरक्षित हो तो निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता और अखण्डता मजबूत करने का काम करेगी। लेकिन परिवहन की दुर्व्यवस्था से सम्वादहीनता और मेलमिलाप की कमी से प्रदेश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। हमारे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सबसे पहला साक्षात्कार परिवहन व्यवस्था से होता है। अगर परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो निश्चित रूप से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों में प्रदेश की नकारात्मक छवि बनेगी। मान्यवर, मैंने सोचा था कि ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर कुछ गम्भीरता होगी और प्रदेश के 17 करोड़ लोगों के जीवन को सुखमय बनाने की कोई योजना होगी। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें इस सरकार की चिंतनहीनता नजर आयी है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवहन के चार साधन हैं। रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग और जल परिवहन। मान्यवर, इनमें से केन्द्र सरकार के अधीन रेल और वायु मार्ग है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सड़क परिवहन और जल परिवहन हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2 लाख 40 हजार 928 किमी0 है। प्रदेश में 17 मण्डल हैं, 70 जिले हैं और 17 करोड़ की आबादी है। कई वर्षों से जल परिवहन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष विचाराधीन है लेकिन जल परिवहन के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। मैं सोच रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जल परिवहन की घोषणाओं के माध्यम से कम से कम प्रदेश की गंगा, यमुना नदियों को समायोजित करते हुए कुछ घोषणा करने का काम करेंगे लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुयी है। यह आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप अपने प्राकृतिक साधनों का प्रयोग नहीं कर पाये और यह भी दर्शाता है कि आप राज्य की जनता के प्रति चिंतित नहीं हैं। प्रदेश में 70 जनपद हैं और इनमें से 70 फीसदी जनपदों में ट्रान्सपोर्ट की सुविधा नहीं है। मैं जनपद सुल्तानपुर से आता हूँ। मान्यवर, हमारे जनपद सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का बस अड्डा है। मान्यवर, बस अड्डे के आस-पास बीचों बीच में अगर आप निकलने का प्रयास करेंगे तो वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां से निकलना दूश्वर हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी विभागों के साथ सामंजस्य बनाकर इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो बस अड्डे शहर की आबादी के क्षेत्र में आते हैं उन्हें आबादी से दूर करने पर विचार करेंगे। मान्यवर, यहां पर 430 बस अड्डे हैं और इन बस अड्डों में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें खड़ी होती हैं। इसमें निजी बसें नहीं आती हैं। जो बस अड्डे बने हैं उसमें अन्य सुविधाएं जैसे बिजली पानी की बुरी स्थिति है। मोटर वेहिकिल एक्ट की धारा 129 में यह व्यवस्था की गयी है कि द्विपहिया वाहन में हेल्मेट पहनना आवश्यक है। जब वह दिल्ली जाते हैं तो पहन लेते हैं। आपने यह व्यवस्था लागू कर दिया लेकिन मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई भी हेल्मेट नहीं पहनता है। इसको न पहनने से दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें। दूसरा मैं यह कहना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा समितियों का गठन सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। आपने 17 करोड़ की इस आबादी को इस सम्मानित सदन की ओर से आंकड़ों के जरिये हसीन सपने दिखाकर गुमराह करने का काम किया है, यह नहीं होना चाहिए। जो कमेटियां बनी हैं जैसे-पामुल कमेटी, कर्नेल कमेटी, मुख्य सचिव की कमेटी, न्याय सचिव की कमेटी और पाण्डेय समिति अगर इनका अध्ययन करायें तो इस लचर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास आप करते हैं। हमारा यह सुझाव है

कि इन कमेटियों का अध्ययन करायें और इसको लागू करने का विचार करें इससे प्रदेश में परिवहन की व्यवस्था सुधरेगी। निजी बस संचालकों के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि इनकी समय सारिणी बनायी जाये। क्योंकि इनके कई फेरे हो जाते हैं और इससे राजस्व की हानि हो रही है। जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह परिवहन विभाग के अधिकारियों के जेब में जाने का काम हो रहा है। मान्यवर, परिवहन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जहाँ-जहाँ आर0 टी0 ओ0 और ए0 आर0 टी0 ओ0 के आफिस हैं, जहाँ पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है, लाइसेंस बनते हैं वहां पर बिना दलालों के काम नहीं हो पाता है। मान्यवर, आज आप आर0 टी0 ओ0 और ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस में जाकर देखें वहाँ पर दलाल कुर्सी मेज लगाकर बैठे रहते हैं और माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है और उन्होंने यह कहा है कि हम इनको मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह हुआ तो यह बड़ी खराब परम्परा होगी। मान्यवर, गोल्डन कार्ड योजना बन्द होने से दो सौ करोड़ के राजस्व की हानि हो रही है। मैं भी इसका हिमायती नहीं हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि ओवर लोडेड बसों के चलने से उत्तर प्रदेश की सड़कें खराब हो रही हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कांग्रेस का विलय हो गया है। प्रमोद कुमार जी बैठे हैं।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं तो इनके लिए लड़की के सम्बन्ध में बात करने आया हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि तीन लड़कियों के प्रस्ताव आये थे लेकिन इन तीनों लड़कियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, जो प्रमोद कुमार जी प्रस्ताव रख रहे हैं मैं उस पर भी कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूँ।

*श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री)--

यह उनकी कविताओं में फूट कर बात आई है। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के यहां से जो सूचना आई है, उस कविता की पंक्तियों को पढ़कर मैं सुना सकता हूँ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

विवाह में उम्र का कोई बन्धन तो नहीं है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

सी0 एल0 सी0 के लीडर भी उधर ही जाकर बैठ गए हैं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड योजना बन्द करने से दो सौ करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है और प्रदेश को इतनी राजस्व हानि होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में ओवर लोडेड ट्रकों का अम्बार लगा हुआ है, और इससे जो राजस्व की हानि हुई है वह उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, लेकिन उनके विभाग के अधिकारियों की जेबें गर्म होने लगी हैं और आर0 टी0 ओ0 तथा ए0 आर0 टी0 ओ0 प्रदेश में आपना कार्ड चलाने लगे हैं। प्रदेश के भीतर जो ओवर लोडेड ट्रकें चल रही हैं यह सब उनके अधिकारियों की ही कृपा पर चल रही हैं। मान्यवार, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डग्गा मार वाहन के सम्बन्ध में तो कुछ पूछना ही नहीं है, उनकी तो पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ ही लगी हुई है, जब जी चाहे अपने दल का झण्डा लगा लेते हैं और इधर-उधर वाहन चलाने लगते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि ये डग्गा मार वाहन बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि कर रहे हैं। मैं अपने सुल्तानपुर जनपद के बारे में बताता हूं वहां परिवहन की बसों के लिए जो अड्डे बने हुए हैं, जहां बसें आकर रुकती हैं, तो डग्गा मार वाहन चलाने वाले परिवहन की बसों के सामने ले जाकर अपनी जीपें खड़ी करते हैं और हद तो तब हो जाती है जब वह परिवहन की बसों में बैठने वाले यात्रियों की बाहें पकड़ कर अपने डग्गा मार वाहन में बैठाने लगते हैं और यह सब अधिकारियों की मिली भगत से ही होता है। वह राजस्व की हानि कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाय। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि बजट में जो योजनाएं परिलक्षित होनी चाहिए थी उनकी छवि नहीं दिखाई दी, मान्यवर, इसमें दूरदर्शिता का अभाव रहा, आपकी व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि पूरे प्रदेश में अगर सर्वे कराया जाए तो निश्चित तौर पर आप तीसरी श्रेणी में पहुँचने का काम करेंगे। मान्यवर, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने समर्पण और त्याग से इस बजट को बनाने का काम किया है मैं इतना चाहूँगा कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो जिस तारीख से समर्पण और त्याग की भावना उनके अन्दर मन में घर कर गई है उस तारीख को बता दें तो मैं मान लूँगा कि उनके अन्दर समर्पण और त्याग की भावना आ गई है। उन्होंने अभी कहा है कि उन्हें अपने अधिकारियों पर गर्व है, निश्चित तौर पर उन्हें अपने अधिकारियों पर गर्व होगा जो गोल्डन कार्ड योजना बन्द करवा कर अपने कार्ड चलवा कर अपनी जेबें गर्म करने का काम करते हैं। इससे बड़ा समर्पण और त्याग का उदाहरण और क्या हो सकता है ? मान्यवर, आज जहां इन्सान चांद पर पहुंच गया है, वहीं पर हमारे इस प्रदेश की आम जनता को, इस प्रदेश में 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को परिवहन की सुलभ व्यवस्था भी नहीं दी जा सकी है, यह अत्यन्त दयनीय और चिन्तनीय स्थिति है। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

* श्री पूर्णमासी देहाती--

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, मैंने बजट को पढ़ा है, जनता की सुविधा के लिए उसमें कई तरह के प्राविधान किए गए हैं और मान्यवर, इधर परिवहन विभाग में काफी सुधार भी हुआ है। मान्यवर, पहले जिन रूटों पर बसें नही चलती थीं और बीच में जो बसें बन्द कर दी गई थीं उन रूटों पर बसों का चलना शुरू हो गया है। लेकिन मान्यवर, कुछ और सुधार की आवश्यकता है और मान्यवर, यह सही है कि कहीं-कहीं बस अड्डों की व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन पहले के बनिस्बत काफी सुधार हुआ है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके जमाने में राजस्व भी बढ़ा है जब कि परिवहन विभाग हमेशा घाटे में रहता था। मान्यवर, हमारे यहां जनपद कुशीनगर को बने हुए काफी समय हो गया है, पडरौना में बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है उसमें भी कार्य शीघ्र होना चाहिए।,इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 गंगा बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, निश्चित रूप से परिवहन विभाग में बहुत सुधार हुआ है मैं नरेश अग्रवाल जी को और माननीय राज्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई दूँगा। मान्यवर, जो रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं उसमें कुछ रूट्स ऐसे हैं, जिनसे बसें विथड्रा कर ली गई है जिस कारण वहां यात्रियों को कठिनाई होती है। मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में और ऊसर सुधार योजना में बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं और 10-11 गांव एक सड़क से जुड़ गये है लेकिन वहां आवागमन की सुविधा नहीं है आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूँगा कि इन मार्गो पर यदि रोडवेज की बसें बेड़े में कम हैं और उनको वहां नहीं लगाया जा सकता है तो प्राइवेट बस ओनर्स को इसका परमिट दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे उन्नाव जनपद में एक पुरवा अचलगंज मार्ग है और एक लाल कुँआ ध्यानी खेड़ा उच्च गांव मार्ग है इन मार्गो पर पैसेन्जर्स को बसों के अभाव में काफी परेशानी होती है क्योंकि वहां पर आवागमन की सुविधा के नाम पर प्राइवेट बस भी नहीं है और रोडवेज की बस भी नहीं है। मान्यवर, पुरवा रूट पर एक भी बस नहीं चलती है। इन रूटों पर अगर आपके बेड़े में बस की कमी है तो प्राइवेट बस ओनर्स को परमिट दिया जाए, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, निश्चित ही किसी भी प्रदेश की तरक्की का परिवहन एक साधन होता है और जिस देश और प्रदेश में परिवहन की सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं वह किसी भी कीमत पर तरक्की नहीं कर सकता है। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने लगातार परिवहन के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। यहां अच्छी बसें आई हैं लेकिन मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई ओम प्रकाश जी ने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार की बात कहीं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल में 12 बस डकैतियाँ पड़ी थी जिसमें पांच बस डकैतियाँ बस्ती जनपद में पड़ी थी और उसमें लोगों की हत्या भी हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं जब आपके समय मे बस यात्री तक सुरक्षित नहीं थे तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में कोई क्या कहे ? मान्यवर, हमें तो बहुत खुशी है कि आज हमारे बस यात्री सुरक्षित रूप से सफर कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के सारे प्रबन्ध किये जा रहे हैं। मान्यवर, बसों में निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अगर बस में सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो लोग रेलगाड़ियों से यात्रा करेंगे और ऐसी स्थिति में प्रदेश की आमदनी में कमी ही होगी। मान्यवर, दूसरे प्रदेशों के नहीं बल्कि अपने प्रदेशों के लोग ज्यादा ट्रेनों से जाना पसन्द करेंगे इसलिए बसों की सुरक्षा होनी चाहिए और जिस तरीके से मैं समझता हूँ 8000 के लगभग जो बसें चल रही हैं। इसमें निगम और प्राइवेट दोनों की बसें चल रही हैं। इसे भी बढ़ाने की जरूरत है लकिन मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के किसी भी जनपद में वहां के साथ अन्याय न किया जाय चाहे पक्ष के विधायक बैठें हों या विपक्ष के विधायक बैठे हों, मैं यह बात सबके लिए कह रहा हूँ। मान्यवर, मेरे बस्ती जनपद में, खुकरौती से दिल्ली के लिए मैंने बस चलाने के लिए आदेश करवाया था, नम्बर भी मिल गया था लेकिन

माननीय मंत्री जी आपके अधिकारियों ने मिलकर वह बस का नम्बर काट दिया। हमारे बस्ती से दिल्ली जाने के लिए करीब 600-700 किलोमीटर लम्बी दूरी है। वहां से बस चलेगी तो राजस्व का फायदा होगा। इसलिए हमारे क्षेत्र से बस दी गयी थी वह दुबारा नम्बर दिया जाय और वह बस बस्ती सुकरौली से दिल्ली जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिवहन विभाग का सबसे बड़ा घाटा होता है इसके कारण संबंधित ड्राइवर हैं। ये ड्राइवर, प्राइवेट टेक्सी ड्राइवर और उसके मालिकों से मिले रहते हैं, इसको देखने की जरूरत है। मान्यवर, जहां भी जिला हेडक्वार्टर है वहां 20 कि0मी0 की दूरी में सिटी बस चलाई जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित हो सके जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे राजधानी हो या धार्मिक नगर हो उनके लिए स्पेशल बसें चलाई जायं ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवहन विभाग को लाभ हो सके और आने-जाने वाले लोग धार्मिक स्थलों पर जा सकें।

मान्यवर, उत्तरांचल अलग हो जाने के बाद काफी बसें हमारे प्रदेश की वहाँ गयी हैं उसकी पूर्ति के लिए जरूरी है विभाग के बजट में प्राविधान करके बसें बढ़ाई जायं। जितनी बसों का जाल बढ़ेगा उतना ही शहर और गांव की तरक्की होगी और हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार होगा। इसके साथ ही जो जनप्रिय बजट माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो प्राइवेट बसों का परमिट वह जिस साथ से जिस स्थान के लिए चलती है वहाँ उस स्थान को टच नहीं कर रही है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसके कारण बिशुनगढ़ घटियाघाट पर बस नहीं जाती है। बहुत लिखापढ़ी अधिकारियों से की गयी है तो यह देखा जाय कि जिस स्थान से जिस स्थान का परमिट हो उस स्थान से वह संचालित हो। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़कें बन गयी हैं लेकिन उन सड़कों पर काफी दूर-दूर तक वाहन नहीं है उन पर वाहन चलाया जाय। धन्यवाद।

*श्री अकीलुर्रहमान खान--

मान्यवर, आपने परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट पर श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र जनपद मुरादाबाद में बहजोई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कई बार कहा कि हमारी सरकार में कोई काम बदले की भावना से नहीं होता। सबका बराबर विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र संभल संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से माननीय मुख्य मंत्री जी भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मेरे जनपद में 5 विधान सभा हलके हैं, जिसमें एक क्षेत्र मेरा भी है। मेरे क्षेत्र में सिरसी कस्बा है, जहाँ की आबादी 50 हजार है, लेकिन वहाँ कोई बस अड्डा नहीं है। इसी तरह बहजोई कस्बा नगरपालिका परिषद् है, जहाँ भी 50-55 हजार की आबादी है, वहाँ भी न कोई बस अड्डा है और न कोई अन्य सुविधा है। बाकी चार विधान सभा क्षेत्रों में ऐसे पार्टी के मजबूत किस्म के लोग पलटवार मारने वाले सदस्य हैं जो अगर पलटवार मार दें तो जैसे परिवहन मंत्री भी पलट मार के पहुँचे हैं। मेरा कहना यह है कि प्रदेश की उन तमाम विधान सभाओं की तरह मेरे यहाँ भी विकास होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूँगा कि सरकार बहजोई और सिरसी के लिये एक-एक बस अड्डे की सुविधा करने का काम करे और उसके लिये इस बजट में प्राविधान करे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं माननीय ओ0 पी0 सिंह द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आज स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा जाना है, ऊर्जा का रखा जाना है, परिवार कल्याण का रखा जाना है और श्रम विभाग का बजट रखा जाना है। इस सदन में आधिकारिक चर्चा हो, इससे हमारा ज्ञानार्जन भी होगा और समस्याओं को हल करने में सुविधा भी होगी। कठिनाई यह है कि जो महत्वपूर्ण दूसरे विभाग हैं, पता यह चलेगा कि उन पर कोई विचार नहीं आ पायेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर कटौती रखने वाले माननीय सदस्य को बुला लें और फिर अगली मद की ओर ले चलें।

(पुन: विपक्ष के सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, सदस्यों की भावना है, एक-एक मिनट बुला लें।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, दो-दो मिनट बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

फिर आप लोग चिकित्सा पर नहीं बोल पायेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य आज अपने सुझाव नहीं दे सके हैं, वह लिखकर दे दें। मैं सदन में विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वह किसी दल के हों, परिवहन व्यवस्था में सुधार के संबंध में जो भी सुझाव आयेंगे, उनका निश्चित हम पालन करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पाये हैं, वह लोग अपनी समस्याओं को लिख करके माननीय मंत्री जी को दे दें।

(सभी सदस्यों के बार-बार आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अच्छा आप लोग एक-एक मिनट में अपनी बात रख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरि प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर हम प्राइवेट वाहनों को 16 किलोमीटर के लिए परमिट देते हैं। मान्यवर, 16 किलोमीटर में कोई भी मार्ग मुख्यालय से नहीं जुड़ पाता है। इसलिए इस सीमा को बढ़ाकर 25 किलोमीटर कर दीजिए ताकि तहसीलें सम्बन्धित मुख्यालय से जुड़ सकें। हमारे यहाँ पर तीन बसें चलायी गई थीं, लेकिन तीनों बसें बन्द पड़ी हैं। पहली है प्रतापगढ़ से करारा गुलाबसिंह पूरे सुखदेव, दूसरी है प्रतापगढ़ मानधाता से कानपुर और तीसरी है प्रतापगढ़ मानधाता इलाहाबाद वाया कुल्हीपुर।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर पुनः व्यवधान)

*श्री अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू :--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बरेली से बीसलपुर का मार्ग गोला तक जाता है और लम्बे समय से यह माँग रही है कि वहाँ पर एक बस स्टैण्ड बनाया जाए। मैं निवेदन करूँगा कि बीसलपुर में 80 हजार की आबादी है और यह एक धार्मिक स्थान होने की हैसियत से भी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि इस पर विचार कर लें और अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर एक बस स्टैण्ड स्थापित करवा दें और बसों की व्यवस्था करवा दें।

*श्री अक्षयवर लाल--

मान्यवर, श्रावस्ती एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, लेकिन श्रावस्ती से भिन्गा जाने के लिए कोई बस नहीं है, यहाँ पर बस चलवा दी जाए और श्रावस्ती से लखनऊ के लिए भी बस की व्यवस्था कर दी जाए। मान्यवर, हमारे यहाँ पर आर0टी0ओ0 आफिस में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, वहाँ पर मैंने लाइसेंस देने के लिए एक पत्र लिखा था, हमारी चिट्ठी अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई है, मेरा अनुरोध है कि कृपया इसे दिखवा लें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्यों ने परिवहन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर जितने भी सुझाव रखे, सभी में एक ही बात सामने निकलकर आयी कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ माँगने का ही काम किया। इससे साफ जाहिर होता है कि परिवहन विभाग प्रदेश की 17 करोड़ जनता को, जिसमें से 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, सस्ती परिवहन की व्यवस्था दे पाने के सपने को साकार नहीं कर पाया है। मान्यवर, अभी आदरणीय राम करन आर्य जी कह रहे थे, वैसे तो विषयान्तर हो गये थे, बस डकैतियों के बारे में इशारा कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ चूँकि मंत्री जी ने कह दिया कि समर्पण और त्याग की भावना से परिवहन विभाग को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। जो अभी तक बेरोजगार थे, अब रोजगारयुक्त हो गये हैं। इसलिए अब निश्चिंत रहिये, किसी भी तरह की बस डकैतियाँ होने वाली नहीं है। चूँकि इस सरकार में परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर इनकी कोई चिंतनशीलता नजर नहीं आयी है, प्रदेश में 17 करोड़ जनता को सुलभ, सुदृढ़ और सुरक्षित परिवहन देने की कोई कार्य योजना नहीं है। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन के समक्ष श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) ने कटौती का प्रस्ताव रखा। माननीय राम करन, आर्य जी, डा0 गंगा बक्श सिंह, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू आदि ने अपनी-अपनी बातें रखीं। हमारे साथी श्री ओ0पी0सिंह जी ने जल परिवहन की बात कही है। मैं भाई श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जल परिवहन उत्तर प्रदेश सरकार का विषय नहीं है इसलिए कदाचित् उन्हें अपनी जानकारी में सुधार करना उचित होगा। जहाँ तक त्याग और समर्पण की परिभाषा का सवाल है जो सरकार कल्याणकारी और जनकल्याणकारी होती है, वह जबावदेह होती है। वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और जन सुविधाओं के लिए त्याग और समर्पण की भावना से काम करती है। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने यह साबित किया है और एक ईमानदार सरकार देने में कामयाब रहे हैं जिसकी प्रदेश की जनता वाहवाही कर रही है। इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। हम उस छतरी के नीचे बैठे हैं जहाँ बैठ करके आप राग अलाप रहे हैं। मुझे सारी चीजें मालूम है कि कैसे-कैसे दोहन किया जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, सुनेंगे तो दाँतों तले उंगली दबा जाओगे। आप सब लोग जानते होंगे। परिवहन निगम के पिछले 5 सालों के आँकड़े हमारे पास है, मुझे मालूम है कि किस तरह इसे घाटे में किया गया है। 40 हजार लोगों के बेरोजगार होने की नौबत आ गयी थी। परिवहन निगम में रिकार्ड है, आँकड़े हैं, आडिट होती है। त्याग और समर्पण से तरक्की होती है, बिना इसके नहीं हो सकती। जहाँ तक विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट और सड़क सुरक्षा समितियों की बात है, सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है। सड़क सुरक्षा समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जहाँ तक कमेटी की रिपोर्ट और अध्ययन का सवाल है या उसकी रिपोर्ट लागू करने का सवाल है। निरन्तर रूप से परिचर्चा होती रहती है और जो सुझाव अमल करने लायक होते हैं। उन्हें यू0पी0एस0आर0टी0सी0 अमल में लाती है। बात आयी कि गोल्डेन कार्ड योजना बंद कर दी, क्या हमने बंद कर दी ? भारत सरकार ने बन्द कर दी। किसकी सरकार थी। गोल्डेन कार्ड योजना भारत सरकार ने दबाव दे करके बंद कराया। रोड फण्ड का 320 करोड़ रुपया रोक दिया, इसलिए रोक दिया कि हम गोल्डेन कार्ड योजना बन्द कर दें। प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये हमने सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम चलायी और उसके माध्यम से रेवेन्यू एकत्र किया। हम आज भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार अनुमति दे तो गोल्डेन कार्ड योजना चलायें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी डकैती की समस्या की बात आयी। हमारे पास तो रोजगार है। आपको निश्चित रूप से कष्ट होता है। आप भी हमारे पास आये थे, चाय मीठा खा करके और दस्तखत करके चले गये। हमें रोजगार मिल गया और आपको रोजगार नहीं मिला। अब हम आपको रोजगार नहीं दे सकते और अब आओगे तो सदस्यता भी चली जायेगी। फिर भी आपके मन में यह यहाँ आने की बात है तो हम आपका स्वागत करेंगे तहे मन से। आप भले लोगों में रहें, सुसंस्कृत लोगों में रहना सीखें आपको फायदा होगा। मान्यवर, यह कहा गया कि गांवों में 80 फीसदी जनता रहती है जिसकी ओर यह सरकार संवेदनशील नहीं है। माननीय नरेश जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यह पहली सरकार है जिसने जनता बस सेवा उपलब्ध कराई है, इसका किराया सामान्य किराये से कम है। आप जानते हैं कि आपके यहाँ बस जाती है या नहीं और यह बस सेवा कौन सी है और उसका किराया कितना है ? आप अपने जिले में जायें और गरीब से पूछें तो वह आपको बतायेगा कि मुलायम सिंह की सरकार ने क्या किया है ? आपने 15 महीने कुड़क अमीन की तरह काम

किया और अच्छा माल खाया, अब आपको उसकी याद आयेगी और जब याद आयेगी तो आप रोयेंगे, और जब रोयेंगे तो किलकारियां मारेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं ? मान्यवर, निजी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यहाँ बात उठायी गयी है। मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग और अराष्ट्रीय मार्ग के बीच में कुछ टुकड़े ऐसे हैं, कुछ भू-भाग ऐसा है जिसकी वजह से बसों के संचालन में दिक्कत होती है। इसलिए राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत मार्गों के बीच में पड़ने वाली सड़कों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए सरकार अग्रसर है। मैं यह मानता हूँ कि कस्बों को बसों से जोड़ने की आवश्यकता है, इसीलिए सरकार ने 1200 नई बसें खरीदने का निर्णय किया है। इसमें से 750 बड़ी बसें और 500 मिनी बसें खरीद रहे हैं जिससे कि ग्रामीण जनता जो सुदूर अंचलों में रहती है और जहां निजी बस आपरेटर अपनी बसें नहीं चलाते हैं वहां ग्रामीण जनता को सुविधा मिले। सरकार एक योजना पर विचार पर कर रही है कि जो कस्बे हैं, जो तहसीलें हैं, जो धार्मिक महत्व के स्थल हैं, जो ब्लाक हैं उनको हम जिला मुख्यालय से, कमिश्नरी से और कुछ नगर ऐसे चयन किए हैं जिनको हम राजधानी से जोड़ दें, ताकि गांव का आदमी अपने मुख्य मंत्री जी के दर्शन करके अपना काम कराके अपने गांव जा सके। मैं ओ0पी0 सिंह जी से कहूँगा कि आप बेकार कटौती का प्रस्ताव लाये हैं इसको वापस लें और प्रदेश सरकार का सहयोग करें और अपने ज्ञान में वृद्धि भी करें।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूँगा, अगर मंत्री जी ने जो कहा कि मैंने अपने दस्तखत किये और दो दिन बाद चला गया, अगर आप दस्तखत दिखा दें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूँगा। जिस तरह से परिवहन विभाग का यह बजट [x x x] है, उसी तरह [x x] बोलने के आधार पर वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मान्यवर, [x x x] शब्द असंसदीय है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मंत्री जी अगर कोई भी दस्तखत दिखा दें तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूँगा और इस प्रदेश की विधान सभा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊँगा। मान्यवर, [x x x] की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे आरोप लगा देना [x x x] बोलना, इसलिए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय ओ0 पी0 सिंह जी ने एक बात कही, उनका और मेरा रंगरूप, शक्ल-सूरत मिलती है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उनको दस्तखत दिखा दूँ और वह सुल्तानपुर वापस चले जायें।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

आप दो दिन तक साथ रहे और अपनी भूमिका तलाशते रहे।

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

नोट:--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 35,54,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-9-- ऊर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,18,13,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विभाग है रोजाना प्रश्नकाल में जिस दिन ऊर्जा विभाग उत्तरित होना होता है तमाम बातें सदन में उठती हैं अगर हम कहें कि ऊर्जा जीवन का आवश्यक अंग है तो कोई अतिशयोक्ति न होगा। बिजली गई तो सरकार मुर्दाबाद और बिजली आई तो सरकार जिन्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से लिविंग स्टैण्डर्ड रहने की स्थिति में सुधार हुआ है उसमें ऊर्जा क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। अगर हमने बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया या ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की बात नहीं की, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का मतलब जनरेशन क्षेत्र हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र हो चाहे ट्रांसमीशन क्षेत्र हो इन तीनों क्षेत्रों में ऊर्जा सुधार की प्रक्रिया निरन्तर नहीं चलती गई तो उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं।

आज डिमांड 7 हजार मेगावाट से ऊपर पहुँच गई है और जनरेशन के नाम पर हमारी इंस्टाल कैपिसिटी 3900 मेगावाट है सेन्ट्रल सेक्टर से बिजली मिलने के बाद भी 1500 मेगावाट की कटौती करनी पड़ेगी। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जैसे ही सरकार आई उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा नीति बनाई। ऊर्जा नीति 2003 को संशोधित करके ऊर्जा नीति 2004 बनाई। हम ऊर्जा क्षेत्र में लोगों को आमंत्रित कर सुविधा देकर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि आज लोग इस सम्बन्ध में दलों के आधार पर बोल रहे हैं दिलों के आधार पर नहीं बोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जब सबेरे रिलायंस की बात उठी थी मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ जो लोग रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं। हम हिडेन में काम नहीं करते हैं हमने पालिसी बनाई है कि एक हजार से ढाई हजार करोड़ रुपये लगाने वाले में उत्तर प्रदेश सरकार 20 प्रतिशत लैण्ड कास्ट बियर करेगी। ढाई हजार से पाँच हजार करोड़ लगाने वाले मामले में 40 प्रतिशत लैण्ड कास्ट सरकार बियर करेगी और पाँच हजार करोड़ से ऊपर जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें 60 प्रतिशत लैण्ड

कास्ट सरकार बियर करेगी। उत्तरांचल में भारत सरकार ने एक्साइज और अन्य छूटें दे रखी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में यह छूट नहीं दी गई है इसलिए आज उद्योग उत्तराचंल जा रहे हैं। गुजरात सरकार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे ? एन0आर0आई0 की बैठक में सबसे ज्यादा लोग मुलायम सिंह जी के प्रति आकर्षित हुए हमने ऐसी नीति बनाई है और आज हमारी सरकार को तो उद्योगपतियों की सरकार कहा जा रहा है। माननीय मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर इसको उत्तम प्रदेश बनाने जा रही है। हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का नारा दिया था और उसी ओर हम प्रयासरत हैं कि कैसे हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। हम दो रुपये में बिजली देने की बात कर रहे हैं तो इनको नाराजगी क्यों है। नये पावर स्टेशन चाहे वह श्रीनगर में हो या विष्णु प्रयाग या रोजा या आनपारा कोई भी लगायेंगे तो कहीं भी दो रुपये कीमत नहीं आयेगी। ऊर्जा क्षेत्र को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते ? माननीय टण्डन जी स्वयं ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी तो उस गणित को समझा होगा। हमारी सरकार दो रुपये में बिजली देने की बात कर रही है। हम भारत सरकार से जो अतिरिक्त बिजली लेते हैं वह हम 5-6 रुपये के हिसाब से लेते हैं और इस वर्ष 1228 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली हमने खरीदी है क्योंकि हमारी यह घोषणा थी कि हम 14 घंटे गाँवों को और 14 घंटे तहसीलों को बिजली देंगे। 16 घंटे हम जिलों को बिजली देंगे। आज यह माना गया है कि जहाँ बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी। किसानों को बिजली मिलेगी तो उसकी उपज अच्छी होगी। उद्योगों को बिजली मिलेगी तो रोजगार के तमाम अवसर मिलेंगें। यह सत्य है और इस सत्य को जानने के बाद भी आप उसका विरोध करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि खुले मंच पर जनता के बीच में बहस हो जाय। हम निजी क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जनता के सामने सब खुले रूप से जाना चाहिए। हमने रिलायंस को जमीन दे दी तो उस पर आपत्ति हो गई। सब उसका विरोध करने लगे। पी0जी0आई0 के सामने भाऊराव देवरस के नाम पर सिंचाई की जमीन पट्टे पर दे दी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। मथुरा में भी आपने पट्टे पर जमीन दे दी उससे क्या फायदा हो रहा है? हम तो पावर प्रोजेक्ट के लिये जमीन दे रहे हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रिलायंस जैसे और कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहेगा तो हम उसको भी देंगे क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है और इसको लागू करना हमारा परम कर्तव्य है।

हमने ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया है। इसी तरह से बताना चाहता हूँ कि कुमार मंगलम बिड़ला जी ने, मैं बताना चाहता हूँ सुरेश खन्ना जी को जो बहुत चिन्तित थे, बराबर रोजा के बारे में पूछा करते थे। यह हमारे और आपके दोनों के नजदीक हैं। इस प्रोजेक्ट की इन्होंने फिर से स्वीकृति भेज दी है। यह सोनभद्र नहीं जा रहे हैं रोजा में जो उनकी अधूरी थी उसको फिर से शुरू करने जा रहे हैं। आनपारा सी-1000 की हम शुरू करने जा रहे हैं। आर0एफ0पी0 रिसीव कर ली है और इसके लिये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। थर्मल क्षेत्र में विष्णु प्रयाग की योजना में 2006-2007 में उत्पादन शुरू कर देंगें। यह उत्तरांचल में जरूर है लेकिन उत्तर प्रदेश को साढ़े बारह परसेन्ट बिजली मुफ्त दे रहे हैं रेस्ट जितना उत्पादन होगा वह हमको मिलेगा। श्रीनगर प्रोजेक्ट श्रीमन्, उत्तरांचल में स्थापित है और उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसका कार्य शुरू होने जा रहा है 2005 में यह लगकर तैयार हो जायेगा। पारीछा में 420 मेगावाट की दो यूनिट बन रही है जिसमें काम शुरू हो रहा है और दो साल के अन्दर इसमें उत्पादन शुरू हो जायेगा। ओबरा की पाँच मशीन

पुराना हो गया है जिससे उत्पादन कम हो रहा है, इन्हें फिर से रनोवेट करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार हरदुआ में 500 मेगावाट यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है सारा क्लीयरेंस हो गया है और इसमें शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। गैस और पेट्रोल पर आधारित संयंत्र स्थापित करने पर कोई उद्यमी यदि राजी होगा तो हम विचार करेंगे। हम चाहते हैं कि इन्डस्ट्रीज लगे और इन्डस्ट्रीज को बिजली मिले जिससे उद्योग बढ़ेंगे और उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और फिर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूँ। 2005-2006 में जो कुल अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी वह 773 मेगावाट होगी। रिहन्द तापीय परियोजना से जो अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी वह 365 मेगावाट होगी। टेहरी जलीय परियोजना से 350 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। धौली गंगा (प्रथम) से 58 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। इस तरह जो कुल अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी वह 773 मेगावाट होगी। वर्ष 2006-2007 में परीक्षा तापीय से 420 मेगावाट, ऊँचाहार तापीय (तृतीय) से 72 मेगावाट, कहलगाँव द्वितीय से 121 मेगावाट, कहलगाँव तृतीय से 65 मेगावाट, विष्णुप्रयाग से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी कुल 1078 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। रिलायन्स से अलग बिजली प्राप्त करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कहते हैं वह करते हैं ऐसा नहीं कि स्वप्न देखें और पूरा न करें। जो स्वप्न हम सोते देखते हैं वही हम जागते हुए देखते हैं। हमारी सरकार बिजली उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देगी तो बिजली कहां से आएगी ? हम वितरण में क्रान्तिकारी प्राविधान करना चाहते हैं गाँव में वितरण होना चाहिए। शत-प्रतिशत गाँव को हम ऊर्जीकृत करेंगे। ए0आर0ई0पी0 योजना है उत्तर प्रदेश में कुल गाँव 97917 हैं ऊर्जीकृत गाँव 67099 हैं। जो गाँव ऊर्जीकृत नहीं हुए हैं उनकी संख्या 29741 है। जो ए0आर0डी0पी0 की योजना है इसकी स्वीकृति हो गई है। सारे गाँव उत्तर प्रदेश के तीन वर्षों में ऊर्जीकृत करेंगे। इसके लिए 523 करोड़ रुपये मिल गये हैं हमने पाँच-पाँच विधायकों के गाँव को ऊर्जीकृत कराने की घोषणा की है। ताकि हर क्षेत्र का विकास हो ऐसा नहीं है कि विपक्ष में हैं तो वहां का विकास नहीं होगा हम तो समग्र उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। श्रीमन्, हमने यह भी निर्णय लिया है कि 191 नए 33/11 के0वी0 के सब-स्टेशन बनवायेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो पुराने तारों से बिजली कैसे जाएगी ? ऐसा न हो कि उत्पादन तो बिजली का हम कर लें और शहर गाँव में बिजली प्रवाहित न कर सकें इसलिए गाँव और शहरों को विकसित करना है। 33/11 के0वी0 सब स्टेशन के अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा है। नये सरकिट लाइनें बनाई जा रही हैं ताकि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्रदेश के लोगों के बीच हम पहुंच सकें। शहरी क्षेत्र में विकास होना चाहिए यह सही है कि शहर की आबादी का लोड बढ़ा है। नगर विकास का बजट आ रहा था। हमने ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 27 जनपदों को चयन किया है इसके लिए 824.13 करोड़ की स्वीकृति हो गयी है पांच शहरों में 183 करोड़ की योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। हरदोई व बदायूँ के लिए योजना भेजी गई है आपको आपत्ति होगी लेकिन उनको भेजी गई है। प्रक्रिया में बड़ी ढिलाई थी प्रक्रिया में तेजी आए इसका प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार की जो घोषणायें हैं उनमें समय से काम पूरा हो इन योजनाओं के तहत हम धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को लाना चाहते हैं ताकि विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार हो विद्युत का जो वितरण क्षेत्र है, उसमें हम ज्यादा काम करें, यह सही है कि लाइन लॉस हमारा कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। कल ऊर्जा विभाग की एक बैठक हुई थी, कुछ क्षेत्रों में 70 प्रतिशत तक लाइन लॉस आया, कुछ फीडर में। यह चिन्ता का विषय है और यदि यह नहीं रुका तो विद्युत सुधार की जो योजना हम लागू कर रहे हैं, कहीं उसको धक्का तो नहीं लग जायेगा। निजी क्षेत्र में देने का,

[illegible] आमंत्रित करने का मुख्य कारण यही था कि हम लाइन लॉस को कम से कम करें। एवरेज लाइन लॉस 33.6 है। अगर हम सत्यता में जायें तो बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं, फीडर हैं जो 80 प्रतिशत तक लाइन लॉस में गए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो खराब मीटर पूरे प्रदेश में है, उनको 3 महीने में बदल दें। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि एन0ए0/एन0आर0 बिल यदि एक सर्किल से ऊपर भेजे जायेंगे तो जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। अगर 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत एन0ए0/एन0आर0 वाले बिल भेज रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। हम 60 प्रतिशत से अधिक लाइन लॉस वाले फीडर को निजी क्षेत्र में ठेके पर देने पर विचार भी कर रहे हैं। इसको हम एक एक्सपेरीमेन्ट के रूप में करना चाहते हैं। बिलिंग भी निजी क्षेत्र को देने जा रहे हैं। यह भी शिकायत रही है कि बहुत जगह बिल नहीं पहुँचते हैं, उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं और हम एरियल बंच कन्डक्टर लगाने पर विचार कर रहे हैं। जहाँ बिजली की चोरी अधिक है। उस चोरी को रोकेंगे। ट्रान्समिशन में भी विचार किया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को सेल्फ डिपेन्ड बना लें ताकि जो भी ऊर्जा पैदा हो, उस ऊर्जा को अपनी लाइन के आधार पर प्रदेश में वितरित कर सकें। इसमें भी हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार को सिर्फ 18 महीने हुए हैं तो हमसे 18 साल का हिसाब क्यों माँगा जा रहा है ? 18 महीने का हिसाब माँगा जाए तो हम तैयार हैं। अपनी लीपापोती, अपनी करनी को भी हमसे पूछ रहे हैं। अगर हिसाब पूछोगे तो बहुत सी चीजें निकल आयेंगी। आपने क्या किया यह मैं नहीं देखता, एक चैलेंज हमको मिला है, जनता ने एक विश्वास दिया है, हमारी सरकार का एक लक्ष्य है, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, हमारी सरकार का एक उद्देश्य है। हम उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें यह हमारी सरकार का उद्देश्य है, इसलिए हम आपकी पिछली सरकार के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व से भागना भी नहीं चाहते हैं। जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। आप ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के अच्छे सुझाव दें, स्वागत है लेकिन पार्टी के स्तर पर तो आपको विरोध करना ही पड़ेगा, राजनीतिक रूप से, यह शब्द मैंने पार्लियामेंटरी रूप से कहा है। लेकिन जो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं उसका स्वागत भी करें। अगर हम उत्तर प्रदेश के सभी गाँवों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, 27 भेजे हैं, 5 और ले रहे हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की नई लाइन लगा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी तारीफ भी कर दें। लगेगा कि यहाँ पर निष्पक्ष बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर पार्टी के आधार पर कहा गया तो वह बहुत अच्छा नहीं होगा। वैसे तो सब लोग बोलने के लिए स्वतन्त्र हैं। हम भी जब विपक्ष में थे तो हमने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अगर हमने विभाग संभाला तो इस विभाग में जो कमियाँ थी उसे हमने उजागर किया। मैंने सदन में कहा कि मैं क्वेश्चन आवर में अधिकारियों की कमियों को छिपा नहीं रहा हूँ। अगर सरकार की कमी निकलती है, अधिकारी की कमी निकलती है तो उसे हमने दूर किया है। हम अधिकारियों की कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बीक में जो कहा वह आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप कटौती का प्रस्ताव न लाकर इस बजट को सर्वसम्मति से पास करें तो इस प्रदेश के लिए ठीक होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो भी घोषणाएं की गयी हैं वह पूरी होंगी। प्रदेश की जनता खुशहाल होगी। मैं चाहूंगा कि यदि आप कटौती का प्रस्ताव रखना ही चाहते हैं तो विरोध के साथ अच्छे कार्यों के लिए थोड़ी तारीफ भी करें।

श्री अध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत किया। वह बहुत बड़े विद्वान हैं इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बहुत बड़े दिलवाले भी हैं, दिलफेंक भी हैं और इतने दिलफेंक हैं कि कभी कांग्रेस में, कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन उसमें रहे हैं सरकार में। और कह रहे हैं कि 18 महीने की सरकार है। जब आप हर पिछली सरकार में रहे हैं और विशेष रूप से ऊर्जा मंत्री ही रहे हैं तो जवाब कौन देगा ? इसलिए आपकी काबिलियत की हम दाद देते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करेंगे। आपने अपनी मंशा जाहिर की कि दो रुपये में बिजली देना चाहते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन यह घोषणाएं कब तक चलती रहेंगी ? क्या केवल घोषणाओं से हम जनता को बिजली देने में कामयाब हो पाएंगे। और मान्यवर, इनके ऊर्जा विभाग की जो भाषण प्रति है उसे मैंने देखा और पढ़ा है। अगर पिछले 4-5 सालों के भाषणों को देखा जाये तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी कमियों को दूर करने के लिए कोई न कोई बहाना या उपाय सुनाया करती है। उत्तर प्रदेश में कभी वर्ष 1957 में ऊर्जा विभाग हुआ करता था। उसको यह कहकर कि उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ऊर्जा विभाग काम नहीं कर पा रहा है उसको मान्यवर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का काम किया।

एक सदस्य--

यह 1957 की बात कर रहे हैं। 1957 होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, 1957 ठीक है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। तो यह बोर्ड बना था यह आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में जन आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है इसलिए इसका गठन किया गया है। आज आप फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर यह आरोप लगा रहे हैं और आपने नाम परिवर्तित कर दिया उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद, उ0 प्र0 विद्युत कारपोरेशन। ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य ठीक हुआ है, क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होगी तो प्रदेश का सम्यक विकास नहीं हो पायेगा। यह इतना जनहित का और महत्वपूर्ण विभाग है कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है और जो हमारी योजनाएं बनायी गयी हैं उसको व्यावहारिक स्वरूप देने की आवश्यकता है, उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। लेकिन जब भी सरकार इस तरह का बजट प्रस्तुत करती है, कुछ घोषणाएं करती है, जो जनहित में होती हैं उनका एक का भी क्रियान्वयन नहीं होता है, यह दुख की बात है। मान्यवर, आज भी ऊर्जा मंत्री ने कहा था और इसी सदन में माननीय नेता सदन ने भी घोषणा की थी कि हम चौदह घंटे बिजली देंगे। अच्छी बात होती यदि वह कहते कि हम प्रदेश को चौबीस घंटे बिजली देंगे। आज हकीकत क्या है चौदह घंटे की बात कही गयी, मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में देखता हूँ वहां पर चौबीस में से चार घंटे बिजली आती है।

[x x x] की आवाजें।

श्री अध्यक्ष--

[x x x] शब्द असंसदीय है। आप 'असत्य' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल दिवास्वप्न दिखाने से कि बिजली दो रुपया में जनता को मिलेगी तो यह मिलने वाली नहीं है। चौदह घंटे बिजली देने की घोषणा कर देने से प्रदेश की जनता को चौदह घंटे बिजली नहीं मिलेगी। मान्यवर, यदि हमारे प्रदेश में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो घोषणा क्यों करते हैं ? अपने दिल में हाथ रखकर बोलें। सही बात रख देने से आप रह नहीं पायेंगे। मान्यवर, आज प्रदेश में भयंकर बिजली की कटौती हो रही है और अभी भी हो रही है। जबकि इधर ठंडी है तो यह हाल है गर्मी में जाने क्या होगा। पिछली बार गर्मी में जो आलम था उसको तो आपने देखा ही होगा। इसी सदन में उस पर चर्चा भी हुई थी। प्रदेश के तमाम शहरों में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए थे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि सही मायने में सही बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जो उत्तर प्रदेश की मांग है उसके मुताबिक बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज मान्यवर, मांग है लगभग 6150 से लेकर के 6800 मेगावाट की। मान्यवर, और हम कुल पैदा करते हैं 68 सौ मेगावाट के सापेक्ष लगभग 54 सौ मेगावाट यानी 14 सौ मेगावाट बिजली की कमी है और जब यह कमी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

वह तो मैं बता ही रहा हूँ कि इतनी कमी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

तो इस कमी की भरपाई के लिए हमारे पास कारगर उपाय भी होने चाहिए। मैं उपाय भी बताता हूँ, तो मान्यवर, क्योंकि आज पूंजी निवेश के लिए हम बड़े-बड़े पूंजीपतियों को आमंत्रित करते हैं, यहां कोई क्यों आए ? अपने उद्योग लगाने के लिए, यहां बिजली है नहीं, इन्फ्रास्ट्रक्चर है नहीं और कानून व्यवस्था है नहीं तो अपने करोड़ों रुपये लगाकर उसको बरबाद करने का काम कोई क्यों करेगा ? इसलिए मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगें तो उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को सुधारना होगा। अभी तो आप 14 घंटे बिजली देने की घोषणा करते हैं और मिल रही है, तीन-चार घंटे। तो 24 घंटे बिजली हम कैसे देंगे ? इसके लिए हमें अपना दिल और दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश में बिजली जितनी ज्यादा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही ज्यादा कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतम किसानों की फसलों की सिंचाई बिजली के माध्यम से होती है और मान्यवर, जब गांवों में तीन घंटे-चार घंटे बिजली आयेगी तो गांव के किसान अपनी फसलें कैसे सींचेंगे ? इस पर सवालिया निशान है और मैं चाहूंगा कि जो यह प्रदेश की समस्या है यह केवल हमारी और आपकी समस्या नहीं है यह पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है और इसके समाधान के लिए आप जो भी सतर्कतापूर्वक कदम उठायेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सकारात्मक कदम तो होना चाहिए। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ आज जो प्रदेश में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था है इसको सही करने के लिए कारगर तरीके से आपको

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लगाम कस ना पड़ेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज अगर बिजली नहीं है तो स्वाभाविक है कि हम चाहेंगे कि इसके लिए कारगर योजना आप तैयार करें। मान्यवर, प्रदेश में औद्योगिक रेट्स तीन प्रतिशत है, जिसको बढ़ाकर सात प्रतिशत करना है क्योंकि इस तीन प्रतिशत औद्योगिक रेट्स के सहारे हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हमें बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए इस औद्योगिक रेट्स में बिजली की वृद्धि करनी पड़ेगी और कम से कम जब हम इसको दस प्रतिशत ले जायेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मान्यवर, आज हम कृषि को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और महत्वपूर्ण है भी क्योंकि प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारे बिजली का प्रतिशत कितना है ? मात्र 19.14 प्रतिशत और मान्यवर, कुल मिलाकर के उद्योग में 22.33 प्रतिशत, घरेलू उत्पाद में 34.3 प्रतिशत और अन्य उत्पाद में 24.14 प्रतिशत और कृषि उत्पाद के लिए 19.14 प्रतिशत।

मान्यवर, हमें इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। लगभग 18 महीने की सरकार हो गयी है आपकी जो भी योजनाएं हैं वह सब सन् 2006 या 2007 में पूरी होने जा रही है। मान्यवर, 18 महीने की सरकार में एक भी किलोवाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन नहीं किया गया है फिर आप काहे का अपनी छाती पीट रहे हैं। पहले जो उत्पादन हुआ है उसी के आधार पर अपनी छाती आप पीट रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार ने कुछ भी नया करके नहीं दिखाया है केवल भाषणबाजी से उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति विफल होने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं अगर कमर कस लेंगे तो कामयाबी मिलेगी। मान्यवर, बड़े मिल कारखाने वाले बिजली की चोरी करते हैं और करोड़ों रुपये की बकाया राशि उन पर बनी रहती है और राजस्व वसूली के लिए आपका अभियान नहीं चलता है और अगर कभी चलता है तो छोटे किसान पर चलेगा या खुमचे वालों पर चलेगा। मान्यवर, लखनऊ में आपका लेसा है वहां पासवर्ड चोरी का मामला प्रकाश में आया था और 19 खाते धारक जांच में पाये गये हैं इसमें लगभग 80 लाख रुपये के बिल वाउचरिंग उन्होंने गलत तरीके से करके सरकार को चूना लगाया है विभागीय अधिकारी ने एफ0आई0आर0 भी लिखाई है लेकिन कोई कारगर कार्यवाई नहीं हुई है। यह तो केवल एक वितरण खण्ड का मामला था रेजीडेंसी लखनऊ का अगर आप उत्तर प्रदेश में पूरी कड़ाई के साथ देखें तो बहुत से मामले प्रकाश में आयेंगे अगर आप अपने राजस्व में राजस्व की वसूली में बढ़ोत्तरी कर लें तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी और चाहे जितनी बिजली आप चाहें, ले सकते हैं और जनता में बिजली की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बड़े-बड़े बकायेदारों को और बिजली चोरों को बचाने का काम किया जाता रहेगा तो राजस्व की वसूली कभी नहीं हो पाएगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 1,17,452 गांव हैं जिसमें से 57,115 गांव विद्युतीकृत हैं और लगभग 50,000 से ऊपर गांव अभी विद्युतीकृत नहीं हैं। माननीय मंत्री जी को भारत सरकार ने दिवास्वप्न दिखा दिया है कि भारत सरकार इसमें आपको सहयोग देगी और आप 2007 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कर लेंगे। हमें भी खुशी है कि दो साल में पूरा उत्तर प्रदेश विद्युतीकृत हो जायेगा। मान्यवर, आप देखें कि 57 साल में जब हम मात्र 50,000 गांवों का विद्युतीकरण कर पाये हैं तो अगले दो सालों में शेष 50,000 गांवों का विद्युतीकरण कैसे कर पायेंगे ? आपने एक विधायक की संस्तुति पर पांच गांव विद्युतीकरण करने की बात कही थी तो यदि सभी माननीय सदस्यों और माननीय विधान परिषद के सदस्यों को इसमें जोड़ लिया जाए तो 2245 गांवों का विद्युतीकरण हम एक साल में कर पायेंगे आपने 2004-2005 का सौ प्रतिशत कार्य अभी विधायकों की संस्तुति का नहीं कराया है। 2005-2006 में आपकी योजना है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी दिलवाले हैं आपने अभी तक 2005-2006 के

लिए पांच-पांच गांवों की बात नहीं कही है। वह घोषणा आप करें और आपको 2004-2005 के लिए भी पांच-पांच गावों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस पर आपको हम सब की वाहवाही लूटनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी हमारी बात नहीं मानेंगे और बड़ी चालाकी से मीठी-मीठी बातें करके बोलेंगे जो सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आपकी जो प्रतिभा है उसका संदेश जाना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा जिस तरीके से एक वर्ष में 3812 गांव विद्युतीकृत किये जाने की इनकी जो पलिसी है, कार्ययोजना है उसको मैंने देखा है और इस गति से 2007 तक यह 50,000 गांव कैसे संतृप्त कर लेंगे ? दूसरी मुझे यह दोहरी बात समझ में नहीं आ रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह 5 साल की अल्पावधि में 7 हजार करोड़ का घाटा आपके बिजली विभाग को हो चुका है आपने इस घाटे पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत दरों में 55 प्रतिशत वृद्धि कर दी फिर भी कोई कारगर उपाय नहीं निकला, नियंत्रण नही हुआ। मान्यवर, उसका कारण क्या है ? कारण यह है कि इसमें लाइनलास के नाम पर जो लाइनलास आप कहते हैं कि 35 से 32 पर ला दिया, एक साल के अन्दर 950 करोड़ रुपये का बिजली का लाइनलास बढ़ जाता है और लाइनलास के नाम पर बड़े-बड़े विद्युत चोरी करने वाले लोग भी इस लाइनलास का लाभ लेते हैं और लाइनलास के नाम पर छूट पाते हैं और बिजली चोरी करते हैं सरकार को चूना लगाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसे उत्तर भाषण में कहियेगा। पहले माननीय सदस्यों के विचार आ जायं तो फिर अपनी बात कहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मात्र 5-10 मिनट में सब कह देंगे। ऐसे लोग लाखों रुपये का चूना सरकार को लगा रहे हैं उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मान्यवर, जो कार्पोरेशन आपने बनाया यह उत्तर प्रदेश में कोई पहला प्रयोग नही है जो छाती पीटकर कह रहे हैं। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में यह फेल हो चुका है तो जब अन्य प्रदेशों में वह फेल हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में कैसे काम चलेगा ? इसीलिए वही ढाक के तीन पात। जब तक उस पर कठोर नियंत्रण नहीं होगा चोरी पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा। जब तक उत्पादन वृद्धि पर आपका प्रयास नहीं होगा तब तक नाम परिवर्तन कर देने से कोई उपाधि मिलने वाली नहीं है।

मान्यवर, 2003-04 की बात कर रहा हूं 5827.60 करोड़ रुपये का बकाया था और वसूली हुई 5059.13 और बकाया राजस्व का लेखा 5112.33 करोड़ और 2004-05 का बकाया 4310.00 करोड़ और इसके विपरीत वसूली किया है 3527.27 करोड़ और बकाया राजस्व का लेखा 5984.48 करोड़ है। इसी तरह से कारपोरेशंस पर जो बकाया है, वह है 1315 करोड़, यह वसूली कैसे होगी ? इतना बड़ा राजस्व आपका जो बकाया रह गया है करोड़ों रुपये का, इसके लिये कौन से उपाय हैं ? कौन सी आपकी कार्य-योजना है ? जिसके लिये आप तत्पर दिखाई पड़ते हों। मान्यवर, यह सरकार इसके लिये जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, आई0ए0एस0 प्रबन्धन और सही राजस्व वसूली का न होना जिम्मेवार है। आपको जो रोज बिजली [illegible] रोना पड़ता है, यह इसी वजह से रोना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

अब बाकी उत्तर भाषण में कह दीजियेगा। कुछ और माननीय सदस्य बोल लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, उत्तर भाषण में तो एक मिनट बोल देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अभी रोक दें, उत्तर भाषण में जो अवशेष हों, वह कह दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

हम तो चाह रहे थे कि पूरी बात हो जाती तो माननीय मंत्री जी को भी कुछ मिल जाता।

श्री अध्यक्ष--

फिर सदस्य नहीं बोल पायेंगे। अपने क्षेत्र की समस्या नहीं कह पायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं अनुशासित सिपाही हूं। जैसे आपके निर्देश हों।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आप क्या चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

ठीक है, मान्यवर, उत्तर भाषण में कह दूंगा।

*श्री राकेश पाण्डेय--

मान्यवर, आपने मुझे बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जलालपुर, अम्बेदकरनगर की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां जलालपुर सब-स्टेशन पर एक ट्रांसफारमर बदला गया और 10 एम0वी0ए0 का लगाया गया। वहां पर एक 5 एम0वी0ए0 का ट्रांसफारमर फालतू पड़ा है और जंग खा रहा है। मैं चाहता हूं कि उस 5 एम0वी0ए0 के ट्रांसफारमर को नवादा में लगा दिया जाय इससे क्षेत्र की वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जायेगा और जो ट्रांसफारमर फालतू पड़ा है, जंग खा रहा है, जिससे सरकार का धन बरबाद हो रहा है, वह काम आ जायेगा। धन्यवाद।

*श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा। सरकार बुन्देलखण्ड में किसानों को सब्सिडी देती है और उसी के तहत निजी नलकूप के कनेक्शन दिये जाते हैं किन्तु एक तरफ तो सरकार वहां छूट दे रही है और दूसरी तरफ बुन्देलखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पूरे प्रदेश में जहां 60 रुपये प्रति हार्सपावर के हिसाब से निजी नलकूप पर बिल लिया जाता है, वहीं बुन्देलखंड में 120 रुपये प्रति हार्सपावर विद्युत मूल्य ले रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल और मध्यांचल की भांति बुन्देलखंड के किसानों से भी निजी नलकूप पर उसी दर पर विद्युत मूल्य लिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सिद्ध गोपाल साहू--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब से माननीय नेताजी की सरकार आई है, प्रदेश को भरपूर बिजली मिल रही है। इनको कष्ट इस बात से होता है कि अम्बेदकर नगर को बिजली क्यों दी जा रही है। यह जानते हैं कि उस समय यह कितना संतुष्ट थे और अब कितना संतुष्ट हैं। लोकसभा क्षेत्र में विधान सभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाकर माननीय मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो ऊर्जा मिल रही है, जो नेतृत्व मिल रहा है, उसमें हम संतुष्ट हैं, यह घोषणा जनता ने कर दी है। एक सुझाव है कि प्रत्येक माननीय विधायक को पांच राजस्व ग्रामों की घोषणा की गयी है, मगर बिजली विभाग कुछ कमियां निकाल लेता है, जैसे बहुत गांव ऐसे हैं, जहां पर दसों साल से विद्युतीकरण तो हुआ है लेकिन विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। जब हम ऐसे गांवों को लिख करके देते हैं तो कह दिया जाता है कि इन गांवों को नहीं लेंगे, इनका विद्युतीकरण हो चुका है। यदि कोई राजस्व ग्राम नहीं है, जो बड़े-बड़े मजरे हैं, यदि हम उनको प्रस्तावित करते हैं तो उनको शामिल कर लिया जाए। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में भीषण गर्मी होती है, कभी-कभी 50 डिग्री तक टेम्प्रेचर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि बुन्देलखंड पर पहले भी बहुत अधिक कृपा की जा चुकी है, इसमें इतनी और कृपा कर दी जाए कि बुन्देलखंड को कटौतीमुक्त घोषित कर दिया जाए। बुन्देलखण्ड में पूर्व में बी0डी0आर0 उद्योगों में कर दी थी, अब पुन: कृषि और हर क्षेत्र में बी0डी0आर0 की घोषणा कर दी जाए। मान्यवर, चित्रकूट मण्डल में तार काटे जाते हैं और बिजली को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, इन कामों में जिला स्तर के अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती है, इसलिए अनुरोध है कि इसमें भी कुछ कारंवाई की जाए।

*श्री अक्षयवर लाल--

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री जी बार-बार घोषणा करते हैं कि 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। मान्यवर, बिल्कुल सही है यदि सप्ताह में देखें तो 12 से 18 घण्टे बिजली पहुंच जाती है। रोस्टर प्रणाली जो रविवार से सोमवार तक चलती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे जिले के बगल के रहने वाले हैं, इन्होंने सच्चाई को स्वीकार भी कर लिया है, यह ढपोलशंखी योजनाएं हैं।

(मा0 मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह के ताली बजाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, अब मुझे एहसास हो गया है कि पंडित जी इतने ज्ञानी हैं कि सही बात पर ताली बजा देते हैं, इन्होंने इनकी बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री अक्षयवर लाल--

हम लोगों ने जो पैसा दिया था तथा वर्ष 2000, 2001 और 2002 में जो प्रस्ताव दिया था, उसका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ, अभी जो प्रस्ताव दिया है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। विद्युतीकरण के लिए विधायक निधि से जो पैसा देते हैं, तो वहां के एक्सियन कहते हैं कि आप विधायक निधि से पैसा न दीजिए, हम विद्युतीकरण नहीं कर पायेंगे। तीन वर्ष पूर्व 10 लाख रुपया इकौना नगर के लिए भिजवाया था, वहां के तार बहुत जर्जर हो गये हैं, लेकिन मान्यवर, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह दिया जाता है कि हमारे पास तार वगैरह नहीं है। जो रोस्टर प्रणाली है, उसे बेहतर बनाया जाए, उसमें जो दिन में बिजली मिलती है, उसे 6 घण्टे दिन में और 6 घण्टे शाम से 11 बजे रात तक दी जाए।

*श्रीमती सुखदेवी वर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे समर्थन में बोलने का समय दिया। मैं आभारी हूं। मेरे लखना (इटावा) विधान सभा क्षेत्र के महेबा ब्लाक में एक विद्युत सब-स्टेशन नया खोला जाना है, वह खुल नहीं पा रहा है। अत: मैं चाहूंगी कि उसे जल्दी खोल दिया जाए, ताकि क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री रिजवान अहमद खां--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बिजली के कटौती के बारे में बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका कभी जिक्र भी नहीं आता है। पुरानी लाइनें 11 हजार वोल्ट की हैं, तमाम क्षेत्रों में अवैध हो गयी हैं और उनके बीच में आबादी हो गयी है जिससे आये दिन घटनायें होती रहती हैं। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र कस्बा काँठ में एक बहुत बड़ा मोहल्ला है चौक बाजार, उस मोहल्ले की आबादी 10 हजार है। उसमें 11 हजार की लाइन निकली हुई है। मेरे क्षेत्र के आलावा भी दीगर क्षेत्रों में भी लोग शिकायत करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और पुरानी लाइनें हैं उनको बदलवाये। क्योंकि पुरानी लाइनों से बहुत नुकसान हो रहा है। तमाम लोग मर रहे हैं, जानवर मर जाते हैं और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि इसको बदला जाये। दूसरे उपकेन्द्रों के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात है। 200-250 केन्द्रों से काम नहीं चलेगा। उपकेन्द्रों की बहुत जरूरत है क्योंकि एक-एक फीडर इतना फैलाव में आ गया है कि वोल्टेज नहीं रहता है। थोड़ी हवा चलती है तार हट जाता है और बिजली होते हुये भी बिजली नहीं मिल पाती है। इसलिए मान्यवर, लाइन कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि उप केन्द्र बनना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें और इस पर ध्यान दें। बिजली की इतनी कमी नहीं है जितनी लाइनों की कमी है। मैं चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इसी के साथ में कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छोटे लाल यादव--

माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो ऊर्जा का बजट पेश किया है और जो अपने विचार माननीय सदन को दिये हैं वह ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बढ़िया पहल है। इसके लिए मैं अपने विद्वान ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय नेता जी ने जिस समय उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली उसी समय से बिजली क्षेत्र में सुधार पूरी तरह से हुआ है। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे और शहरों में 18 से 22 घण्टे बिजली प्रतिदिन आती है। बिजली जैसी मूलभूत समस्या, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मा0 नेतागण हो या किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो सबके जीवन से जुड़ी हुई बिजली की समस्या है। आज मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता जी को कि उन्होंने बिजली के क्षेत्र में जो सुधार लाने की योजना बनायी है वह काफी सराहनीय है। विपक्ष के विद्वान साथी 8 साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

6 महीने सरकार में रहे। लेकिन इन्होंने न किसान की सुधि ली न बिजली सुधारने की कोई नीति बनायी। आज जब बिजली सुधारने की योजना बनी है तो कटौती का प्रस्ताव लाये हैं। 8 साल 6 महीने में इन्होंने बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया और समस्या के सुधार के लिए कोई योजना नहीं बनायी।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

आज किसान खुशहाली के रास्ते पर है। हमारे नेता जी ने दादरी गाजियाबाद में एक बड़ा बिजलीघर बनाने की घोषणा की है जिसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और अपने विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बजट में यह जो अच्छी बातें हुई हैं उनका समर्थन करिये। इसी के साथ आपने मुझे जो बजट भाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आपने जो मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने विद्युत सुधार योजना के बारे में बताया और उनकी चिन्ता जनरेशन के बारे में है। उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जो ग्राउण्ड रिअलिटी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, या शहर के, जब उनके घर पर बल्ब जलता है तभी उनको मालूम होता है कि बिजली 4-10-16 घंटे मिल रही है। वास्तव में बिजली की स्थिति बहुत खराब है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप सुधार करेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं 3-4 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले तो यह कहना चाहता हूं कि जो ए0पी0डी0आर0पी0 योजना है यह केन्द्र की योजना है। वह दिसम्बर, 2003 में स्वीकृत हुई। जब भी मैं सवाल लगाता हूं पता चलता है कि टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है। पहले उसमें 5 जिले थे अब 27 जिले हो गये हैं। इस योजना को पूरा करायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुमार मंगलम बिड़ला हर 6 महीने में हां कर देते हैं और अगले 2 साल के लिये मना कर देते हैं। पिछले 8 सालों से यही हो रहा है। 1996 में पावर परचेज एग्रीमेन्ट हुआ था लेकिन अभी तक योजना पूरी नहीं हुयी। मान्यवर, 567 मेगावाट की यह योजना है और ढाई हजार करोड़ रुपया इस पर लगना है। मंत्री जी से जब पूछा जाता है तो यह कह देते हैं कि बिड़ला साहब ने हां कर दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब उत्तर भाषण दें तो बतायें कि फलां तारीख से इस योजना पर काम प्रारम्भ कर देंगे। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो तार की चोरी होती है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उसके लिए परमानेन्ट व्यवस्था होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर जब रिपोर्ट लिखाने जाये तो तत्काल उसकी रिपोर्ट लिखी जाये ताकि खम्भों में तार लग सके। मान्यवर, चौथी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों में भी मलिन बस्तियाँ बढ़ रही हैं, मोहल्ले बढ़ रहे हैं तो जिस तरह से विद्युतीकरण के लिये 5 गांवों को लिया जा रहा है उसी प्रकार की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में भी हो।

श्री अध्यक्ष--

यह बातें आप सदन में कई बार कह चुके हैं। नियम 51, नियम 56 में कई बार इसको उठा चुके हैं। जल्दी खत्म करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

गांव का जब विद्युतीकरण होता है तो जहां 36 खम्भे लगने हैं उसकी जगह पर 25 खम्भे लगा देते हैं और विद्युतीकरण हुआ मान लिया जाता है जबकि गांव का 75% विद्युतीकरण होता है। विद्युतीकरण की यही ग्राउण्ड रियलिटी है कि 3/4 गांव का विद्युतीकरण होगा और 1/4 गांव छोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, परसनाल्टी के आधार पर विद्युत कटौती से मुक्ति नहीं दी जानी चाहिये बल्कि विद्युत कटौती मुक्ति का आधार क्षेत्र की आवश्यकता होना चाहिए। मान्यवर, ट्रांसफारमर 72 घंटे में बदलने का एक शासनादेश चला आ रहा है यह निष्प्रभावी हो गया है। अगर इसको पुनर्जीवित करा दें और 72 घंटे में ट्रांसफारमर बदलवा दें तो उससे बहुत सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष--

खन्ना जी कितना बोलेंगे ? अब खत्म करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, अन्तिम बात। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय सब बन्द हैं उनके अपने कोई संसाधन नहीं जिससे वह चल सकें। उनके यहां बिजली दर साढ़े तीन से घटाकर दो कर दें जिससे पुस्तकालय चल सकें। वह मेन्टीनेन्स के अभाव में बन्द हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

खन्ना जी, आप यह सब प्रश्नों, नियम 301, नियम 51 में देते रहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

एक बात और कहना चाहूंगा बिजली के करेंट से जो लोग मर जाते हैं तो इस संबंध में बहुत पुरानी नीति है रोज बिजली के करेंट से लोग मरते हैं इस संबंध में एक स्थायी नीति बननी चाहिए कि बिजली के करेंट से मरने पर इतना रुपया दिया जायेगा मेरी एक भी बात गैर जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। अब आप बैठ जायं।

श्री छोटे लाल यादव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ यहां पर पक्ष और विपक्ष के सारे विद्वान लोग बोल लेते हैं लेकिन नए लोगों को एक मिनट का मौका मिलता है तो वह लोग एक मिनट में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समय और संख्या निर्धारित कर दें। यह भी निर्धारित कर दें कि पक्ष से और विपक्ष से कितने-कितने लोग बोलेंगे। मैं आप की व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था नहीं है। श्री रामलाल अकेला जी दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री राम लाल अकेला--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे सामने के साथी विद्युत आपूर्ति को लेकर बड़ी-बड़ी लम्बी बातें कर रहे थे लेकिन मैं

आपके माध्यम से इनको अवगत कराना चाहता हूँ कि 18 महीने पहले का आप इतिहास उठाकर देखें गांव में लोग यह कहने लगे थे कि हमारा कनेक्शन कटवा दें। विद्युत की आपूर्ति कहीं देखने को नहीं मिल रही थी लेकिन जब से माननीय मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सम्भाली है उत्तर प्रदेश के अन्दर 14-16 घंटे बिजली किसानों और गरीबों को मिल रही है। अभी माननीय खन्ना साहब बोल रहे थे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेलने का काम किसने किया था ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? टांडा, ऊंचाहार विद्युत परियोजना को किसने बेचने का काम किया ? और पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों को 24 घंटे अंधेरे में रखने का काम किसने किया ? आज हमारी सरकार ने जब ए0पी0आर0पी0 और डी0आर0पी0 की कार्य योजना प्रारम्भ की इसके टेंडर हो गए हैं और 30 जनपदों के विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ हो गया है। हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी विद्युतीकरण के बारे में बोल रहे थे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी सरकार के समय विधायकों को कितने गांव विद्युतीकरण के लिए दिए थे ? आपने पार्टी के आधार पर बिजली देने का काम किया लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बगैर किसी भेदभाव के विद्युतीकरण कराने का ऐतिहासिक काम किया है। मैं अपने जनपद रायबरेली के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ टेलीफोन इण्डस्ट्री, मोदी और काटन मिल आदि तमाम औद्योगिक केन्द्र हैं अत: इस औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुए मेरा निवेदन है कि रायबरेली जनपद को विद्युत कटौती से मुक्त रखने का काम किया जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों में बिजली के खम्भे पड़े हैं उनको खड़ा कराकर उनके अन्दर से तार खिंचवा कर विद्युत आपूर्ति करने का काम किया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरांवा विकास खण्ड में एक केन्द्र स्थापित करने का काम किया जाय क्योंकि लखनऊ से करीब यह बहुत बड़ा कस्बा है। यदि 132 के0वी0ए0 का केन्द्र लगाने का काम किया जायेगा तो यहाँ पर बिजली की समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। इसी तरह से मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूँ कि कुटीर ज्योति के लिए गरीबों को विद्युत कनेक्शन देने का काम किया गया था लेकिन आज अधिकारियों के कारण उन लोगों को जिनको कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये गये थे बिल भेजने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गरीबों को जो बिल भेजा जा रहा है उसे वापस लेने का काम किया जाय और इनके विद्युत कनेक्शन को रेग्युलराइज करने का काम किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम लाल अकेला--

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कह पाया हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कई गांवों जैसे बसकटा खुर्द, कोटवा नटई आदि हैं कई वर्षों से बिजली के नंगे खम्बे खड़े हैं न उनमें तार है न विद्युत आपूर्ति हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे बछरावां-91 के अन्दर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें खम्बे खड़े हैं लेकिन उनमें तार नहीं लगे हैं अत: उनमें तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति की जाय। वहाँ पर सब स्टेशन में केवल एक अवर अभियन्ता है, तीन सबस्टेशन के अन्तर्गत फीडर बेकार हो गया है, केबिल सड़ गये हैं इसलिये नये केबिल डालकर सब स्टेशन में व्यवस्था ठीक कराने का काम किया जाय। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

(कई सदस्यों के बोलने पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री बघेल का नाम पुकारने पर)

* श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सेठ किशन लाल बघेल-

आप बैठिये। मुझे मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, राम इकबाल सिंह जी, यह सदस्य कभी बोलते नहीं हैं, अभी बील रहे हैं इसलिये इनको बोलने दीजिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, सुन लें। मेरा सभी माननीय विधायकगण से अनुरोध है कि हम अपने क्षेत्र से आते हैं। जितने सीनियर नेता हैं वे बोल लेते हैं और 10-10 विभाग का बजट एक दिन रखा गया है। इन्होंने तो अपनी जिन्दगी पार कर ली । लेकिन हम अपने क्षेत्र में जाकर क्या जवाब देंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भी मजबूरी है कि आप एक-दो मिनट का समय देंगे। हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिये हम जा रहे हैं।

(श्री राम इकबाल सिंह सदन से बाहर जाने लगे)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राम इकबाल जी रुकिये। मान्यवर, जो परिस्थितियां बताई गई थी उस हिसाब से विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया। 24 दिन के बजाय 6 दिन में सारे विभाग की मांगों को पारित कराना स्वीकार कर लिया। इसमें थोड़ी सी उदारता आप भी दिखा लें।

(श्री राम इकबाल सिंह सदन से चले गये)

श्री अध्यक्ष-

जितनी देर आप बोले हैं उसमें अगर थोड़ा समय कम कर देते, तो राम इकबाल जी भी बोल लेते ? थोड़ा धैर्य रखें, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं वे जीरो आवर में भी बोलते हैं। समस्या उठाते हैं यही बात जो आपने कही है बिजली के सम्बन्ध में, कई बार उठाई है थोड़ा खन्ना जी, आप कम कहते तो राम इकबाल जी बोल लेते।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

शायद माननीय मंत्री जी को पता नहीं है जो बजट निर्धारित हुए हैं इनके प्रतिपक्ष के नेता की स्वीकृति के बाद निर्धारित हुए हैं। प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष ने जिस दिन बजट की स्वीकृति दी उस दिन आये हैं। उनकी स्वीकृति के बाद विरोध है, दल में मतभेद है तो अलग बात है।

सेठ किशन लाल बघेल-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विद्युतीकरण के लिये जो पांच गांव दिये हैं उनमें अभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक कार्य पूरा नहीं किया गया है। कहते हैं तार नहीं है। कहीं खम्भे नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है बहुत जगह विद्युत नहीं है। मान्यवर, किसानों के ट्यूबवेल का बिल शहरी क्षेत्रों के बिल की तरह 18 हजार वर्ष कर दिया गया है जो छोटे काश्तकार हैं जिनके पास पांच बीघा जमीन है वह ट्यूबवेल कटवाने को मजबूर हैं और भुखमरी के कगार पर हैं मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह पुराने बिल पर विद्युत उपलब्ध करावें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा बजट का समर्थन करता हूँ। आपके माध्यम से कुछ समस्यायें मेरे क्षेत्र की हैं वह कहना चाहता हूँ। मान्यवर, देवरिया जनपद जहां से रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ कुशीनगर जनपद तब नहीं बना था तब दोनों जनपद में जितनी चीनी मिल हैं एशिया में सबसे ज्यादा हमारे यहां चीनी मिलें और चीनी उत्पादन होता रहा है। पेट्रोलियम का डिपो वैतालपुर (देवरिया) में बना दिया गया है। देवरिया जनपद बिहार से सटा है और नेपाल के सीमा से भी सटा है।

श्री अध्यक्ष--

बिजली पर बोलें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

वहां माओवाद की समस्या है ऐसी परिस्थिति में उक्त सीमा क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तमाम सदस्य विपक्ष के बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में, अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे ....

श्री अध्यक्ष--

अपने विषय बोलें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

सरकार के ऊर्जा बजट के समर्थन तथा पक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं। हम नये सदस्य हैं एक-दो मिनट की बात है मैं कहना चाहूँगा विपक्ष के लोग तो अपने दु:ख से नहीं दुखी है बल्कि इस मुलायम सिंह के सरकार में किसानों के सुख से परेशान हैं उन्हें कैसे यह सरकार अन्य सुविधाएं एवं बिजली दे रही है। कैसे सब स्टेशन लग रहे हैं ? मान्यवर, पेट्रोलियम डिपो हमारे यहाँ वैतालपुर देवरिया में बना है इसके बावजूद देवरिया को "बी" ग्रेड का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं मांग करता हूँ देवरिया जनपद को "सी" ग्रेड से "बी" ग्रेड में लाया जाए जितने पावर स्टेशन हैं, जितने सब-स्टेशन हैं वह वर्षों पुराने हैं वह जर्जर हैं, तार खम्भे पुराने हो गए हैं, उसका नवीनीकरण कराया जाए और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, आपने बिजली विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज विद्युत प्रदेश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ 14 घंटे से 16 घंटे, 18 घंटे की बात की जाती है। कहा जाता है 14 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, आवश्यकता तो इस बात की है कम से कम 24 घण्टे बिजली मिले

इसके लिए चाहे और कार्य में कटौती करनी पड़े। मेरा मानना है कि 24 घंटे बिजली देने का प्रदेश सरकार प्रयास करे तो यह बेरोजगारी, कुटीर उद्योग आदि जो हैं, इससे सारी चीजें निहित है। लेकिन यह आपकी सोच है, आप जैसा करना चाहें। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ, कहा जाता है कि पैसा नहीं है, पिछली सरकार में विद्युतीकरण होता था, 3 कनेक्शन पर एक पोल दिया जाता था, वह सब खत्म हो गया है। पिछले दिनों विश्व बैंक का पैसा मिला था, उसको भी इन्होंने पूरा यूटीलाइज नहीं किया। 258 करोड़ रुपया वापस हो गया। यह निकम्मापन है, यह भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। सुल्तानपुर में जो 3.5 करोड़ रुपया आया था, मैंने प्रयास भी किया था, क्वीश्चन के माध्यम से, नियम 51 के माध्यम से कि यह 3.5 करोड़ रुपये का यूटी लाइजेशन कैसे होगा ? यह वापस हो गया, मुश्किल से एक करोड़ रुपये का यूटीलाइजेशन हुआ है। यह निकम्मापन है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, विधायक निधि से पैसा दिया जाता है, 6-6 महीने, साल-साल हो जाता है, कहा जाता है कि पैसे लाकर दें। आप पिछले 4-5 साल मंत्री रहे हैं, एक चीज पर केन्द्रित हो जाए तो भ्रष्टाचार का जो कोढ़ है, वह ठीक हो जायेगा। हम अपने क्षेत्र में क्या कहेंगे, लोग कहते हैं कि बिजली नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

पाण्डेय जी, आपकी बात आ गयी है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

मान्यवर, रूरल के विद्युतीकरण के लिए पैसा आया है, उसमें मात्र उन्हीं गांवों की सूची बनायी है, जो 20-30 साल पहले की चयनित सूची में है। मजरों के राजस्व गांवों का विद्युतीकरण हो जायेगा लेकिन जो पुरवे बसे हैं, यदि उनको भी समायोजित कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। एक विद्युत सबस्टेशन मेरे क्षेत्र में स्वीकृत हुआ है, पयागीपुर में, इसको जल्दी शुरू करा देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अध्यक्ष जी, हम विधायक निधि से विद्युत प्रणाली सुधार के अन्तर्गत जो पैसा देते हैं, वह लखनऊ नहीं आना चाहिए। मैं पुन: आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विश्राम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो अनुरोध करना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र बिलग्राम की बिजली को आपने उन्नाव से हरदोई जोड़ने का वायदा किया है, इसके 58 लाख के बजट को इसी बजट में शामिल कर लें। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जब भाजपा सरकार में आप विद्युत मंत्री थे, हरिपालपुर जाकर पलिया में शिलान्यास किया था। मैंने प्रश्न भी लगाया था और आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि यह कार्य प्रस्तावित है। आप इस कार्य को करा दें। आप शिलान्यास कर आए थे, अब उद्घाटन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामहेत--

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव, इमलिया सुल्तानपुर में जहाँ पर 25 किमी0 दूर से भवानीपुर फीडर से बिजली सप्लाई की जाती है, यह ग्रामीण इलाका है, इमलिया सुल्तानपुर में 35/11 के0वी0 का एक सब स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरगाँव कस्बे, सीतापुर में 33 के0वी0 का सब स्टेशन प्रस्तावित है, उसे बनवा दें। जो हरगाँव कस्बा है यहाँ पर बिजली लखीमपुर खीरी से आती है।

मान्यवर, हुसैनगंज पावर स्टेशन है। बिजली पहले वहां से होकर लखीमपुर को जाती है उसके बाद हरगांव को दी जाती है। एक लम्बी दूरी पर है। जबकि जिला मुख्यालय से हरगांव केवल 22 किमी0 की दूरी पर है। मेरा अनुरोध है कि बिजली सीधे हुसैनगंज पावर स्टेशन से हरगांव कस्बे को दी जाये। इसी तरह से हमारे यहां लखनऊ से दिल्ली जाने वाली रोड पर महोली कस्बा है। सीतापुर जिला मुख्यालय से वहां फीडर को बिजली सप्लाई होती है। 40 किमी0 की दूरी है उसके बाद महोली कस्बे को बिजली सप्लाई की जाती है। इसलिये जिला मुख्यालय से सीधे महोली कस्बे को बिजली सप्लाई दी जाये। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि ग्रामीण अंचल में गांवों को कटिया कनेक्शन दिये गये थे। उसको ग्रामीण लोगों को बिना सूचना दिये परमानेंट कर दिया गया और उनको लम्बे-लम्बे बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि परमानेंट कनेक्शन के हिसाब से सही ढंग से उनका बिजली का बिल लिया जाये। और मान्यवर, उनके 2-3-4-5-6 साल पहले गांवों के ट्रान्सफार्मर, तार चोरी हो गये उनके यहां भी बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं। उनके भुगतान के लिये बिल भेजे जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि उनके बिलों को माफ किया जाये। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री जंग बहादुर सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं पहली बार सदन का सदस्य हूं यदि बोलने में कोई त्रुटि हो जाय तो क्षमा कीजियेगा। मान्यवर, आध्यात्मिक जीवन के लिये और भौतिक जीवन के लिये प्रकाश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। माननीय नेता सदन ने प्रदेश को जो 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया है और इसके लिये जो नीतियां बनायी हैं वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं। हमारे विपक्ष को चिन्ता इस बात की नहीं है कि बिजली नहीं है बल्कि चिन्ता इस बात की है कि भविष्य में अगर 24 घण्टे बिजली मिलेगी तो इस सरकार की साख और बढ़ जायेगी इस बात की चिन्ता है। अगर आप देखें तो विपक्ष की तरफ से एक भी नीतिगत सुझाव नहीं आया है कि आप नीति में यह संशोधन कर लें। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां एक करोड़ की लागत से गौरीगंज से जामों के लिये विद्युत लाइन और जामों व पनियार पावर स्टेशन पर 6 लाख की लागत से 2 फीडर लगे हैं। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से वह कनेक्शन नहीं हो सका। वह कहते हैं कि अभी 3 महीने केबिल खरीदने में लगेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केवल 100 मीटर केबिल की कमी से यह बन्द है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे जल्दी से जल्दी जुड़वा दें और एक सुजानपुर में सुझाव है कि वहां पर तार चोरी हुआ था वह अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है, कृपया इसे जुड़वा दें।

* श्री विद्यासागर गुप्ता-

बिजली कटौती पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के और सदस्य नाराज हो जायेंगे। माननीय श्री राम इकबाल सिंह बोलना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्यासागर गुप्ता--

मान्यवर, प्रदेश के उद्योगों को पच्चीस प्रतिशत बिजली मिलती है और वह पैंतालीस प्रतिशत राजस्व देता है। लेकिन जब भी बिजली कटौती की बात आती है तो जो इण्डस्ट्रियल स्टेट हैं या उद्योग हैं उन पर कटौती लगा दी जाती है। प्रदेश में उद्योग कम होते चले जा रहे हैं। अगर इसी तरह से नाइंसाफी होगी तो उद्योग कम हो जायेंगे और दूसरे प्रदेशों से उद्योग नहीं आयेंगे। श्रीमन्, तीन बार बिजली के रेट दो सालों में उद्योगों पर बढ़ाये गये हैं। आज की तारीख में आठ रुपया प्रति यूनिट, जबकि घरों में यह दर तीन रुपया प्रति यूनिट है, यह भार है जबकि अगल-बगल के प्रदेशों में छः रुपया प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योगों पर बिजली का रेट कम से कम दो रुपया प्रति यूनिट कम होना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की दो समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र अमीनाबाद और गनेशगंज में मार्टिन वर्ड के जमाने में पचपन सालों से बिजली के तार पड़े हैं। वह इतने क्षतिग्रस्त हैं कि आये दिन वहाँ पर आग लग जाती है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम पांच करोड़ रुपया अमीनाबाद, गनेशगंज के जो पुराने तार हैं उनको बदलने के लिए दिया जाय ताकि नये तार लगाये जा सकें।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल--

आपने मुझे बिजली विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर लोकबन्धु राज नारायण जी विधान सभा क्षेत्र है। यहाँ पर 132 केवीए राजातालाब का सब स्टेशन है। यहाँ पर 6 फीडर चलते हैं और हर फीडर की लम्बाई लगभग चालीस किलोमीटर है। जो जखनी फीडर है वह बुरी तरह से प्रभावित है। इसका प्रस्ताव जिला योजना से विद्युत् विभाग के पास लम्बित है। अगर इसमें 33/11 केवीए का सब स्टेशन लग जायेगा तो यह 132 केवीए का सब स्टेशन बच जायेगा। मान्यवर, हमारे लहरतारा में, अराधना फ्लोर मिल में 150 केवीए का कनेक्शन है। वहाँ पर बिजली विभाग की गलती के कारण चालीस की जगह पचास की सीटी लग गयी और मुझसे गलत भुगतान करा लिया गया। कई बार कम्प्लेन के बाद भी जो भुगतान किया गया है उसको वापस नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी जांच कराकर जो मेरा अधिक भुगतान लिया गया है उसको अगले बिल में समायोजित या वापस एडजस्ट करायें।

श्री अध्यक्ष--

5.20 से इस पर बहस चल रही है। 16 लोग इसमें विचार रख चुके हैं। मौर्या जी, आपको भी समय लगेगा और माननीय मंत्री जी भी कुछ समय लेंगे। अब जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह जब माननीय मंत्री जी बोल लें तो एक-एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से कर लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आपने हमें बोलने का अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा न कि आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा।

माननीय राम इकबाल सिंह जी, एक मिनट में आप अपनी बात कहियेगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं विद्युत् कटौती के बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, श्रीमन् यह इतना महत्वपूर्ण बजट है कि माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि विधायक नहीं भागने के लिए तैयार है, चर्चा पर रहेंगे आप थोड़ा समय ज्यादा दे दीजिएगा। मान्यवर, हर विधायक का एक सा मत है, हर आदमी आज सबसे ज्यादा परेशान है किसी विभाग से तो वह विभाग है बिजली विभाग। श्रीमन् कभी बिजली रही होगी उत्पादन की वस्तु लेकिन आज यह हमारी मूल-भूत आवश्यकता हो गई है।

मान्यवर, बलिया जनपद इस राज्य के टेल पर है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका जनपद भी राज्य की टेल पर नहीं है, लेकिन आज इतना हमें समय नहीं देंगें ? राज्य की टेल पर हम लोग रहते हैं अगर सरकार अपने बजट में लोक नायक जय प्रकाश नारायण की भरपूर प्रशन्सा करती है, उन्हीं लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जनपद में बिजली जाते-जाते चार-पांच घण्टे रह जाती है। श्रीमन् मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, कुछ जिलों में विशेष रूप से बिजली दी जा रही है। बलिया जिला को 24 घन्टे बिजली अगर समाजवादियों की सरकार में नहीं दी जा सकती है, तो क्या हम कांग्रेस की सरकार से और बसपा की सरकार से उम्मीद रखें ? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, जिसके नाम का समाजवादी पार्टी के लोग दम्भ भरते रहते हैं, उनके जिले को 24 घण्टे बिजली दे देगी तो शायद यहां की जनता का भला हो जाएगा। श्रीमन् अगर आप टाइम बाउण्डेड काम नहीं करेंगे तो चाहे आप जीवन भर मंत्री रहें आपका विभाग नहीं चलेगा। आपके विभाग में इतनी बड़ी अकर्मण्यता है, इतने बड़े चोर हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चालीस प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। मान्यवर मैंने एम0डी0 को फोन करके कहा कि अगर ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ठेकेदारों के टेण्डर निरस्त करायें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ठेकेदार प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमारे यहां एक सब सटेशन तीन साल से बन रहा है, कमीशन खोरी का आलम यह है कि वहां आज तक न तो खम्भे खड़े हुए हैं और न ही तार खींचे गए हैं, सारा काम रुका पड़ा है। श्रीमन् लाइन मैनों का आलम यह है कि वह खम्भे पर चढ़ कर काम नहीं करते हैं वह अपने काम के लिए प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं और वह जब उनसे काम के बदले पैसा मांगते हैं तो वह कहते हैं उल्टे आप हमें 50 रुपये अलग से दें क्योंकि हम आपको काम सिखा रहे हैं। मान्यवर, विभाग में जूनियर इन्जीनियरों की भारी कमी है, उनकी कमी को सरकार पूरा नहीं करती है। मान्यवर, छोटे-छोटे उपभोक्ता तो बिजली के बिलों का भुगतान कर देते हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े उपभोक्ता हैं, जो कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, फ्लोर मिल चलाते हैं, जिनके ऊपर लाखों रुपये का बिल होता है, नहीं देते हैं और जो देना भी चाहते हैं तो विभाग के लोग उन्हें बिल नहीं देते हैं, वे उनसे कहते हैं कि आप क्यों बिल देना चाहते हैं, हम इसे ठीक कर देंगे। मान्यवर, उन पर बिल बकाया होता है तीन-तीन लाख रुपये और वह बिल देते हैं, तीन-तीन हजार रुपये में। मैंने इस सम्बन्ध में पिछली बार भी जिक्र किया था लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई । मान्यवर, आप अपने लाइन मैनों को, उनके जिले से बाहर कर दें या तहसील से बाहर कर दें तो समस्या का कुछ हल हो जाएगा क्योंकि लाइन मैन लोकल ही होते हैं अगर उनसे कुछ कहा जाए तो वह दबंगई पर उतर आते हैं, वह लाठी-डण्डे लेकर खड़े हो जाते हैं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक दर्जन से ऊपर गांव हैं। मान्यवर, जैसे पकड़ी है, नरायण हैं, सोरवां है आदि स्थान हैं, जहां 1960 के जमाने के लकड़ी के तार के खम्भे लगे हुये हैं जो कभी टूटते हैं

तो उसमें आदमी मर जाता है। मान्यवर, उसको बदलवाया जाये इसके अलावा मुझे यह कहना है कि जो आप विधायकों को विद्युतीकरण के नाम पर 5-5 गांव दे रहे हैं उसमें मेरे हिस्से के पांच गांव अवश्य दे दें। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो सब स्टेशन पिछले तीन साल से बन रहा है उसको प्रयास करके तीन महीने में शुरु करा दें। इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट का समर्थन करने का अवसर दिया है। मान्यवर, हमारे यहां छोटी काशी के नाम से गोला गोकर्ननाथ सबसे मशहूर है जहां बहुत बड़ा मेला भी लगता है। मान्यवर अभी जो हमारे यहां एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल हिन्दुस्तान शुगर मिल के नाम से जानी जाती है ने विद्युत् परिषद् को अपना एक प्रस्ताव दिया है कि वह गोला को 14-15 मेगावाट बिजली उत्पादित करके दे सकती है क्योंकि वहां 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति की आवश्यकता है। मान्यवर, वह 20 मेगावाट विद्युत् उत्पादन करके नगर को सप्लाई करने के लिये तैयार हैं। मान्यवर, गोला गोकर्ननाथ एक पौराणिक तीर्थ स्थल है वहां सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है और प्रतिमाह वहां लोगों का आवागमन बना रहता है। वहां की इस महत्वपूर्ण स्थिति से मा0 अग्रवाल साहब भी परिचित हैं। मान्यवर, गोला गोकर्ननाथ के महत्व को देखते हुये वहां नगर की आपूर्ति एच0वी0-1 से एच0पी0-2 किया जाय। इसके अलावा 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र, गोला की क्षमता (1x3x1x5) से (1x5x1x8) एम0वी0ए0 की जाये और दो अतिरिक्त 11 के0वी0 पोषकों का निर्माण कराया जाये। इसी तरीके से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, परगना मगदापुर के अन्तर्गत ग्राम-बस्तोली (अमीर नगर) का निर्माण कराया जाय। इसी तरह से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सिकन्दराबाद का निर्माण कराया जाय। इसी तरह से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र रेहरिया की क्षमता वृद्धि (1x5 एम0वी0ए0) से 2x5 एम0वी0ए0 की जाये और संबंधित लाइन का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, गोला नगर की जर्जर लाइनों व पोलों आदि को बदलने व कुछ नये एल0 टी0 केन्द्रों का निर्माण आवश्यक है। इसी तरह से 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र, गोला की लगभग 50 साल पुरानी ओ0सी0वी0 बदलने का कार्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

गिरि जी, आप लिखित रूप में अपने सुझाव मंत्री जी को दे दें।

श्री अरविन्द गिरि--

मान्यवर, बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र अलीगंज का निर्माण कराया जाये। इसी तरह से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र, मोहम्मदी की क्षमता वृद्धि (2 × 5 + 1 × 8) एम0वी0ए0 से 2 × 5 + 1 × 10 एम0वी0ए0 की जाये। इसी तरह से 33/11 उपकेन्द्र, मोहम्मदी से निकलने वाले कुम्भी व रेहरिया पोषकों के मगदापुर में जर्जर तारों को बदलने का कार्य किया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव जो स्वीकृत हैं, उसके कार्यान्वयन के लिये ध्यान देने का कष्ट करें और धन आवंटित कराने का कष्ट करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री अक्षयवर लाल, श्री रिजुवान साहब, श्री खन्ना जी, बघेल साहब, ओ0पी0 पाण्डेय जी, श्री राम देव जी, श्री विद्या सागर जी, श्री राम इकबाल जी और अप्रत्यक्ष रूप से कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन देने के

नाम पर श्री पाण्डेय जी, श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री छोटे लाल यादव जी, श्रीमती सुखदेवी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, श्री जंग बहादुर पटेल, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, और श्री अरविन्द गिरि जी ने अपने विचार इतने कम समय में रखें और अपने क्षेत्र की समस्याओं के माध्यम से अपनी बातों को सदन के समक्ष रखा है। मान्यवर, इसी से इसकी महत्ता समझ में आती है और तमाम खामियों की ओर भी यह बातें इंगित करती हैं जिनको 20 मा0 सदस्यों ने अपने भाषण के माध्यम से यहां पर व्यक्त किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, उ0 प्र0 मात्र 188 कि0 वाट घंटा प्रति व्यक्ति बिजली देता है। जब कि केरल में 285, राजस्थान में 291, पश्चिम बंगाल में 225, मेघालय में 301, जम्मू एवं कश्मीर में 316, झारखंड में 310, उत्तरांचल में 312, उड़ीसा में 346, कर्नाटक में 463, आंध्र प्रदेश में 468, हरियाणा में 580, हिमांचल प्रदेश में 420, गुजरात में 838, महाराष्ट्र में 539, छत्तीसगढ़ में 516, दिल्ली में 739, तमिलनाडु में 645, पंजाब में 870, गोवा में 1161 प्रति किलोवाट घंटा विद्युत् प्रति व्यक्ति उपभोग है यह वहां का आंकड़ा है। इससे जाहिर है कि उत्तर प्रदेश कहां पर है ? इस पूरे देश में उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है इसकी जो अधिष्ठापित क्षमता है 6000 मेगावाट, महाराष्ट्र इससे बहुत कम आबादी वाला प्रदेश है इसका आधा है वहां की अधिष्ठापित क्षमता 13180.36 मेगावाट है इससे भी मैं यह कह देना चाहता हूं हम कहां पर हैं ? यह हमारी तस्वीर प्रकट करता है और मान्यवर, हम जो यहां पर विद्युत् उत्पादन करते हैं, उत्पादन हम कितना करते हैं ? उत्पादन हम कितना करते हैं उत्तर प्रदेश में ? हम उत्पादन करते हैं 2 लाख 23 हजार 772 किलोवाट घंटा और हम उसका उपभोग करते हैं 251844 किलोवाट प्रति घंटा जब कि अन्य प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र में पैदा करते हैं 634491 और उपभोग हैं 499443, गुजरात में है उत्पादन 371141 और उपभोग है 344278 पंजाब में उत्पादन है 223414 और उपभोग है 211134, राजस्थान में उत्पादन है 171711 और उपभोग है 145693 किलोवाट प्रति घंटा, पश्चिम बंगाल में उत्पादन है 219791 और उपभोग है 167637, मध्य प्रदेश में उत्पादन है 154847 और उपभोग है 151760 किलोवाट प्रतिघंटा।

श्री अध्यक्ष--

यह किलोवाट को स्पष्ट कर दें यह यूनिट है कि किलोवाट है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सांख्यकीय का आंकड़ा है। इससे जाहिर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन कम है और उपभोग ज्यादा है जबकि इन प्रदेशों में जिनको प्रस्तुत किया गया है वहां पर उत्पादन ज्यादा है और उपभोग कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसा अभी हमारे तमाम माननीय सदस्य सत्तापक्ष ने कहा कि खम्भे खड़े हैं पावर नहीं है, तार है बिजली नहीं आ रही है। प्राब्लम क्या है ? जिस गांव में एक भी ट्यूबवेल चल जा रहा है उसको विद्युतीकृत मान लेते हैं। अगर 100 घर की आबादी है और एक घर में बिजली आ गयी तो विद्युतीकृत मान लिया इसलिए यह स्थिति है। बिजली है तो खम्भा नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, खम्भे खड़े हैं पावर नहीं है तार नहीं है यह हाल है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 56 हजार 731 गांव विद्युतीकृत है लेकिन विद्युतीकृत का प्रतिशत है मात्र 57.92 है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में [illegible] गांव विद्युतीकृत हुये हैं, वह शतप्रतिशत हुये हैं, इसी तरह गुजरात में शतप्रतिशत, [illegible] में शतप्रतिशत, केरल में शतप्रतिशत, महाराष्ट्र में शतप्रतिशत, पंजाब में शतप्रतिशत, तमिलनाडु में शतप्रतिशत और दिल्ली में शतप्रतिशत है।

इसी तरह गोवा में शतप्रतिशत, सिक्किम में भी शतप्रतिशत है। इसके अलावा जो बचे हैं, जैसे हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम आदि, इन सभी में भी 92 से 99.4 प्रतिशत तक गांव ऊर्जीकृत हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी अपने 18 महीने के शासनकाल में जो यह उपलब्धि की बात करते हैं, तो वह केवल रिलायंस समूह की। हम स्वागत करते हैं, आप करिये, बिजली मिलनी चाहिये। लेकिन इसके पहले भी तमाम इस तरह की घोषणायें हुयी है। विष्णुप्रयाग जल विद्युत् परियोजना का समय 2006 तक पूरा होगा, श्रीनगर जल विद्युत् परियोजना 2009 तक, राजा तापीय विद्युत् परियोजना 2007 तक, जवाहर परियोजना का समय ही तय नहीं है, बिरला-टाटा समूह जो एक-एक हजार का है, उसमें उनकी अभिरुचि ही नहीं है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल रिलायंस से क्या होगा ? आज ही आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अभी आपने रिलायंस को केवल एक हजार एकड़ जमीन मुहैया कराई है, वह भी 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति एकड के हिसाब से 99 साल की लीज पर। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत केवल रिलायंस को जमीन देने की है या विद्युत् उत्पादन कराने की भी है। इस पर भी आपका रूख स्पष्ट होना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जो सबस्टेशन जगह-जगह स्वीकृत है, सरकार की तरफ से उनका पैसा भी चला गया है, लेकिन राजस्व विभाग उसमें यह कहता है कि हम जमीन नहीं देंगें। तो मान्यवर, जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आप पर है, इसके लिये अगर राजस्व विभाग से बात करनी पड़ती है तो कर लें। हमारे सुल्तानपुर के ओ0पी0 सिंह ने जीताजागता नमूना दिया कि वहां वीर सिंहपुर में सब स्टेशन स्वीकृत है और जमीन नहीं मिल रही है।

(विपक्ष के माननीय सदस्य रिजावन अहमद द्वारा बेल से होकर सत्ता पक्ष की ओर जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य रिजवान अहमद साहब, यह यहां से जाने की परम्परा नहीं है, अगर उधर जाना है तो पीछे से जाकर उधर जाया जाता है, कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आप रिलायंस समूह पर बहुत मेहरबान हैं, अगर आप इसका 1/10 भी मेहरबान हो जायें तो मैं कहना चाहता हूं। कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं, वह अपने कारखाने को चलाने के लिये विद्युत् पैदा करती है। इस समय प्रदेश में 103 चीनी मिलें हैं, अगर एक-एक चीनी मिल को आप सहयोग करें तो वह तैयार भी हैं, वह केवल यह चाहते हैं कि हमसे जो बिजली कहीं दिलाई जाय, उसके राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सरकार की हो । तो एक-एक चीनी कारखाना यदि 10 किलोवाट भी बिजली पैदा करता है तो इस तरह से 103 चीनी मिलों से कम से कम एक हजार किलोवाट बिजली आपको बिना किसी खर्च के मिलेगी, केवल इस गारण्टी पर कि विद्युत् विभाग इस राजस्व की वसूली करें। वहां बड़े-बड़े टरबाइन लगे हैं, आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। इसी के साथ-साथ हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पर भी ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे स्थापित करने में पैसा तो लगाना पड़ेगा लेकिन इसमें बिजली की दर बहुत कम होगी और सस्ती पड़ेगी। यदि इस पर सहमति हो तो आपको हिमांचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे राज्यों से बात करनी चाहिये, जहां पर इस प्रकार की योजनाएं कारगर हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी नदियां जैसे घाघरा, राप्ती, गण्डक, सरयू के पानी के लिए भी आपको योजना करने का प्रयास करना चाहिए। पूरे विश्व का लगभग एक-तिहाई यूरेनियम पूरे भारत में पैदा होता

है, उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए और एटामिक इनर्जी के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए। कुछ साथियों ने कहा कि जब आप थे, तब आपने क्यों नहीं किया ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कभी चार महीने, कभी छः महीने और कभी 15 महीने चली और उसमें भी घूम-फिरकर ऊर्जा विभाग हमारे पास नहीं रहा, कुछ दिनों के लिए यह विभाग हमारे पास आया था तथा कुछ सुधार भी शुरू हुआ था लेकिन फिर हट गया। अब जब हम अगली बार आयेंगे, तब इसे सुधार देंगे, हम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल लोक-लुभावने नारे देने से ही बिजली नहीं पैदा होती है, इसके लिए कठोर संकल्प के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल रिलायंस को खुश करने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अपने सरकारी तन्त्र को मजबूत करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको ऊर्जा मिल सकती है। जब प्रदेश को ऊर्जा मिलेगी, तभी उद्योग लगेंगे, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी प्रदेश खुशहाल बनेगा। आपने ऊर्जा के क्षेत्र में कोई भी कारगर उपाय नहीं किये हैं, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, मैं स्वागत करता हूं, उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो सुझाव आये हैं, जो क्षेत्र की बातें आपने बतायी हैं, यदि आप उन्हें लिख करके हमें दे देंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। मौर्या जी ने उस दल में रहकर बिजली के संबंध में कुछ सीखने का प्रयास किया, यह खुशी की बात है। कुछ फीगर, मेगावाट, किलोवाट, जो वह बोल रहे थे, यदि वह हमसे कल मिले होते तो हम उन्हें कुछ सुझाव अवश्य दे देते। क्यों शंका प्रकट की जा रही है हमारी सरकार पर, हमसे 18 महीने का हिसाब मांगिये, 57 वर्षों का हिसाब हमसे क्यों मांग रहे हैं ? हमारी जो पालिसी है, अगर वह ठीक पालिसी न होती तो शायद निवेश की बात उत्तर प्रदेश में नहीं होती

(समय 7 बजकर 20 मिनट पर)

तो जनरेशन की बात उत्तर प्रदेश में नहीं होती, लोगों को बिजली की उपलब्धता की बात नहीं होती और उत्तम प्रदेश बनाने की बात इस प्रदेश में नहीं होती। आपने जनरेशन की बात कही है, जनरेशन की हमारी बड़ी स्पष्ट पालिसी है। हमने जनरेशन वालों से कहा है कि एम0ओ0यू0 साइन करिये। भारत सरकार ने रु0 2.25 प्रति यूनिट 5 प्रतिशत इन्क्रीज प्रतिवर्ष पर देने की बात कही है लेकिन हम जनरेशन की बिजली ग्रिड पर लेंगें। 132 के0वी0ए0 की जहां तक बात है तो मिल मालिक आये थे, उन्होंने समझौता किया था कि जो बिजली की लाइन होगी 50 प्रतिशत राज्य विद्युत् परिषद् और 50 प्रतिशत मिल मालिक वहन करेंगे। हमने एक-एक चीज, कितना इस वर्ष मिलेगी, कितना अगले वर्ष मिलेगी, कौन-कौन से प्लाण्ट लग रहे हैं, सबके बारे में बताया है। खन्ना जी ने एक बात कही कि हर बार बिड़ला जी चिट्ठी भेज देते हैं और फिर पलट जाते हैं। 21 तारीख को श्री कुमार मंगलम बिड़ला जी लखनऊ आ रहे हैं, उनकी टीम लखनऊ में है।

श्रीमन्, हमने बताया कि कौन सी बिजली यूनिट लगा रहे हैं और कौन से प्रस्ताव हैं ? अभी मौर्या जी ने कहा कि 6 हजार मेगावाट है, हमने तो खुद कहा कि हमारी इंस्टाल्ड कैपिसिटी 3900 थर्मल की है, 500 हाइड्रो की है। पी0एल0ए0 51-52 से ऊपर नहीं जाता है। 2500 मेगावाट थर्मल की जनरेशन हम कर रहे हैं। केन्द्रीय सेक्टर से जितनी बिजली ले रहे हैं, मांग उतनी तेज से बढ़ रही है। हम कोई बात छिपा नहीं रहे हैं। सब लोग सहयोग करेंगे तो इस क्षेत्र में अच्छा काम

होगा। सारे माननीय विधायक लोग बोलना चाहते थे, उनके क्षेत्र की समस्यायें हैं। लेकिन श्रीमन्, सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिये। ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत हमने प्रदेश के सारे गांव ले लिये हैं। 7 हजार गांव इस वर्ष लेंगे और योजना हम पास कराकर लाये हैं। हमने योजना स्वीकृत करायी है उसमें 90 प्रतिशत अनुदान मिला है, 10 प्रतिशत सरकार लगा रही है। 537 करोड़ रुपये अभी तक हमको मिल चुका है गांवों को ऊर्जीकृत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हवाई योजना बता दी हो। हमारी योजना स्वीकृत है। खन्ना जी ने ए0पी0डी0आर0पी0 की बात कही है। खन्ना जी आपका 7 करोड़ रुपये का टेण्डर स्वीकृत हो गया है। हमने 27 शहरों को लिया है, 5 और ले रहे हैं, दो का प्रस्ताव भेज रहे हैं और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को ले रहे हैं। मैं विश्राम सिंह जी को बताना चाहता हूं कि हरपालपुर-पलिया की बात जो उन्होंने उठायी है, सिमरा चौराहे से बिलग्राम तक लाइन बिछेगी। 150 सब-स्टेशन, 33 के0वी0ए0 के नये बना रहे हैं और 200 सब-स्टेशनों को 33 के0वी0ए0 में अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो। मान्यवर, हमने शुरू में इस बात को कहा था कि खाली उत्पादन कर लें और वितरण व्यवस्था न हो या ट्रांसमिशन की व्यवस्था न हो तो कोई फायदा नहीं होगा। तीनों क्षेत्रों को एक साथ, एक सर्किल में ले करके काम नहीं करेंगे तब तक विद्युत् क्षेत्र में परिवर्तन नहीं नजर आयेगा। मान्यवर, अगर कोई पावर स्टेशन लगाने की अनुमति दे दी जाए तो मिनिमम 3 वर्ष लगेगा। राधामोहन जी आप समझा दीजिए मौर्या जी को कि मिनिमम 3 साल लगेगें। हाइड्रो में मिनिमम 5 साल लगेंगे। हम 18 महीने में कहां से उत्पादन शुरू कर दें ?

मान्यवर, हमने योजना की स्वीकृति दी है और योजना को अंतिम रूप दिया है। हमने विद्युत् चोरी को रोकने के लिए उपाय बताये हैं। हम केन्द्र सरकार से बात कर रहे हैं। हम थ्रेफ्ट ऐक्ट अलग से बनाने पर विचार कर रहे हैं उसके लिए भारत सरकार से परमीशन लेनी होगी। हम चोरी रोकना चाहते हैं। जहां तक वसूली का प्रश्न है हमने बिजली मूल्य के लिए एक भी किसान को बन्द नहीं किया है। हमारी सरकार का आदेश है कि कोई किसान यदि वह बकायेदार है तो वह जेल के सीखचों के पीछे नहीं जायेगा। अगर किसान 31 मार्च तक एक मुश्त पैसा जमा कर देगा तो अधिभार पर 70-80 प्रतिशत छूट देंगे। हम केवल गरीबों को छूट दे रहे हैं और बड़े लोगों पर शिकन्जा कस रहे हैं। 4000 करोड़ रुपये बकाया है। पिछले बकाये की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली जाती है लेकिन हम कार्यवाही कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वसूली के लिए कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आज पूरे देश में बिजली की कमी है, देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां बिजली की कमी न हो। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश में ऊर्जा नीति और ऊर्जा के विकास की नीति एक तरह की होनी चाहिए। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए बिजली मूल्य को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज आदमी 24 घण्टे बिजली पैसा देकर लेना चाहता है आज किसान मुफ्त बिजली नहीं लेना चाहता है। मैं गांव जाता हूं और किसानों में मेरी बात होती है तो किसान कहते हैं कि हमको 24 घण्टे बिजली दें और हमारे घर पर [illegible] दें। आज आदमी अच्छी जिन्दगी जीना चाहता है और 24 घण्टे बिजली चाहता है इसलिए हमें अपनी नीति [illegible] परिवर्तन करना होगा। हमने जो काम अच्छे किये हैं उनकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। केवल निगेटिव एप्रोच से बोलेंगे और खिलाफत करेंगे तो उचित नहीं मैं तो चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में जो हमारे पावर स्टेशन आ रहे हैं उसके बारे में जनता के मंच पर चर्चा हो उस मंच पर मैं पहले खड़ा मिलूंगा मुख्य मंत्री जी बाद में आयेंगे। उसमें मीडिया के लोग भी आ जायं और चर्चा हो जाए और सारी बात जनता के सामने आ जाए। माननीय मौर्या जी को अभी जमीन का अन्दाजा नहीं है क्योंकि उनको वोट नीतियों के आधार पर नहीं जाति के

आधार पर हासिल होता है। अगर सभी धर्मों, वर्गों को जोड़ कर उनको साथ लेकर चलें और तब महसूस होगा कि कुछ कार्य किया है और उसके बाद कटौती का प्रस्ताव रखेंगे तो अच्छा होगा। किसी दूसरे की कृपा पर रह कर चलेंगे तो आपको क्या मालूम होगा कि अपनी खुद की जमीन क्या होती है ? खुद की रीढ़ की हड्डी मजबूत न हो तो आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जाति और पार्टी के नाम पर वोट लेना अलग कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर खड़े हैं ? इस असलियत पर आने के बाद आप बात करेंगे तो आपको सत्यता का पता चल जायेगा। श्रीमन्, हमारे एक सदस्य ने कहा कि गांवों में मजरों को भी शामिल किया जाए। हम पहले गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं उसके बाद मजरों को भी शामिल किया जायेगा हमारे माननीय सदस्य कांठ ने 11 के0वी0 लाइनों के नीचे मकान बने होने के संबंध में बात कही। यह लाइनें आज की नहीं बनी हुई हैं यह बहुत पुरानी हैं, लोगों ने जमीन हड़पने की नीयत से और सस्ती जमीन लेने की प्रवृत्ति के कारण 11 के0वी0 लाइनों के नीचे मकान बना लिए हैं और खुद खतरा मोल ले रहे हैं। हम कितनी लाइनों को हटायेंगे। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब तक लोगों के दिमाग में सस्ती जमीन लेने का लोभ होगा तब तक यह खतरा रहेगा। हम इस संबंध में भी कार्यवाही कर रहे हैं और हमें इस संबंध में लोगों को बताना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने हर चीज को बड़े स्पष्ट रूप से इस सदन के माध्यम से जनता में रखने का प्रयास किया है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी जुबान स्पष्ट है, मेरी सोच स्पष्ट है। हमारी कथनी स्पष्ट है हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम किसी का दबाव नहीं मानते हैं। सौदेबाजी करते नहीं हैं। जहां सम्मान की बात आएगी, वहां किसी से समझौता करेंगे नहीं। कुछ लोगों ने मुकदमा वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से समझौता किया, सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दाखिल किया। हमने केन्द्र सरकार से समझौता नहीं किया। जहां उत्तर प्रदेश के हित की बात आएगी, जहां प्रदेश के विकास की बात आएगी वहां हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर समझौता करते तो मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ही मुख्य मंत्री पहले से होते। मैं समझता हूं कि श्री मौर्य जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और सर्वसम्मति से इसको पास होने देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अध्यक्ष जी सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हैं। श्री अग्रवाल जी बेकार में उपदेश दे रहे हैं। यह तो हर चुनाव में दल बदलकर लड़े हैं। मैं नीतियों और सिद्धान्तों में विश्वास रखता हूं। हम बिकने वाले नहीं हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। यह तो हर साल बिकते हैं। हमें सीख दे रहे हैं हम तो निर्दलीय भी जीतकर आए हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय मंत्री जी कुंठा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में निराशा जाहिर की है। इन्होंने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,18,13,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 25, 26, 27, 28, 29 एक साथ प्रस्तुत कर दें।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज मंत्री (श्री जयवीर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,76,98,99,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,49,32,16,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,30,83,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 65,12,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,92,54,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री जयवीर सिंह--

मान्यवर, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य ऐसे बिन्दु हैं जो हमारे व्यक्ति विशेष के लिये, प्रत्येक इकाई के लिये, किसी समाज के लिये, प्रदेश और देश की व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण अंग हैं। विकास की कोई भी अवधारणा, परिकल्पना इसके बिना नहीं की जा सकती जब तक कि हम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ नहीं करते। आज इसी को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमारी प्रदेश सरकार जिसके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं उन्होंने सरकार के बनने के तत्काल बाद ही चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 8 रुपये के पर्चे को 1 रुपये का करने का काम किया और जनरल वार्ड में शैया शुल्क माफ करने का काम किया था और यह बताया था कि हम डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के कृतसंकल्प को आगे बढ़ायेंगे जिनका यह नारा था कि 'दवा पढ़ाई मुफ्त हो रोटी कपड़ा सस्ता हो ' इसी नारे पर चलते हुए अपनी दृढ़ निष्ठा को दोहराने का काम किया था और उसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अपने उपलब्ध संसाधनों को व्यवस्थित करने का काम किया। प्रदेश सरकार ने यह निश्चय किया कि जो सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं जिनके पास आज भी दो जून की रोटी के लिये पैसा नहीं है, दवा खरीदने की बात तो दूर इतना पैसा नहीं है कि किराया खर्च करके वह सरकारी अस्पताल तक पहुंच सकें और अपनी चिकित्सा सुनिश्चित करा सकें। ऐसे व्यक्ति के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए सारे अस्पतालों में सुचारु रूप से दवा मुहैया कराने का काम किया और उसी के तहत यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध रहें और आम रोगी और गरीबों को मिल सकें। ग्रामीण अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में डाक्टर, नर्स कम्पाउन्डर और पैरा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम किया और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। दवा के रूप में और मानव संसाधन के रूप में जो भी मशीनरी और उपकरण उपलब्ध है उनको चालू हालत में करके हर हालत में आम मरीजों की चिकित्सा में उपलब्ध कराने का काम किया है। इसी के साथ-साथ हमने एक नीति बनाई है।

हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बेहतर और आधुनिकतम स्थिति में आये कि जो सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में उपलब्ध हैं उन संसाधनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने का काम करें। जो संसाधन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहुंचाने का काम करें और इसके लिये हम काम कर रहे हैं। इसके लिये हमने अपना काम करने का रवैया बदला है और सरकार ने उसके लिये ठोस कदम उठाने का काम किया है। बार-बार यहां पर यह सवाल उठता था कि गांवों में अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं और डाक्टरों की कमी की बात भी आती थी क्योंकि आयोग के द्वारा डाक्टरों की तैनाती नहीं हो पा रही थी। एक हजार से अधिक डाक्टरों को हमने संविदा पर तैनात करने का काम किया है। मान्यवर, इस साल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिछली सरकारों में एक काम किया गया पुराने अस्पतालों का निर्माण न कराकर नई स्वीकृतियां दीं। नये काम शुरू कराये लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लेते हुए यह निश्चय किया कि किसी की सरकार हो, किसी सरकार के आधे-अधूरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों उनको पूरा करने के लिए काम किया है। हमने निश्चय किया है कि 227 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 91 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आगे [illegible] वर्ष तक पूर्ण हो जायेंगे। इसी के साथ इस सरकार ने यह भी निर्णय लिया [illegible] माननीय मुख्य मंत्री जी

ने एक नई बजट जेन्डर योजना को शामिल किया है। उसके तहत हम लोगों ने निश्चय किया है कि गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पांच लाख महिलाओं को इस वित्तीय वर्ष में लाभ पहुंचाया जाएगा। इस बीमा योजना के लिए पांच करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, साथ ही हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो आमतौर से विधायकों को शिकायत रहती थी उसको देखते हुए स्वास्थ्य मेले लगाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में निश्चय किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उनके प्रस्ताव के आधार पर एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराने का काम करेंगे। मान्यवर, महिला जिला चिकित्सालयों और पुरुष जिला चिकित्सालयों में मेडिकल कालेज के स्तर के समान सुविधायें उपलब्ध कराई जाई जाएंगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जो आधे-अधूर निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पड़े हैं उनको पूरा कराने के लिए 93 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था का निर्णय लिया है। इस वर्ष हम 227 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस वर्ष पूर्ण करायेंगे। इसी के साथ हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि हमारे मरीज जाते हैं अल्ट्रा साउन्ड के लिए अस्पताल जाते हैं तो मशीन खराब रहती है। एक्सरे की मशीन खराब रहती है। कहा जाता है इसको बाहर से करा लो, हमने पूरे प्रदेश में यह सरकुलेट कराया है चाहे एक्सरे मशीन हो चाहे अल्ट्रासाउन्ड की मशीन हो। उसको चालू हालत में रहना चाहिए। अगर मशीन चालू स्थिति में नहीं है तो निश्चित अवधि के अन्दर प्रक्रिया पूरी करके उसको कंडम कर दें और नई मशीन के लिए प्रस्ताव भेजें तो उनको नई मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। 7 करोड़ 46 लाख की व्यवस्था इसके लिए की गई है। प्रदूषण की समस्या होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई बार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नोटिस मिलती है कि मेडिकल वेस्टेज जो होता है उससे प्रदूषण बढ़ता है। एक करोड़ का प्राविधान इसके लिए किया गया है। तकनीकी कोई दिक्कत न आए इसके लिए हमने व्यवस्था की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए व्यवस्था की गई है। 17 करोड़ की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है । इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि सेण्टर फार एक्सीलेंस बनाकर आधुनिक मशीनों के द्वारा अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे। बलरामपुर में नेत्र रोग की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में हृदय रोग की और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हड्डी रोग के लिए सेण्टर फॉर एक्सीलेंस का काम किया है। इसी प्रकार 18 जिलों में एक ही छत के नीचे गुणवत्तापरक टेस्टिंग और उच्च स्तरीय उपचार और जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया गया है। लोगों को यह शिकायत रहती थी और देखा भी जाता था कि जो विशेषज्ञ डाक्टर हैं, जिनकी उपलब्धता डिस्ट्रिक्ट पर होनी चाहिए, उनकी तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो जाती थी और जिनकी तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो सकती थी, उनकी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में हुआ करती थी। इसी कारण तमाम उपचार की बाधा आती थी। इस बाधा को दूर करने के लिए हमने इनका अलग-अलग कैडर बनाने का निर्णय लिया है, विशेषज्ञ और नान-विशेषज्ञ, पुरुष और महिला। 31 मार्च तक हम इसको पूरा करने जा रहे हैं और मई-जून तक उनकी विशेषज्ञता के आधार पर तैनाती करने का प्रयास करेंगे ताकि जिला

चिकित्सालयों में अच्छी सुविधा मिल सके। मान्यवर, साथ ही साथ यह शिकायत भी रहा करती थी कि जो डाक्टर हैं और जो अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ है, वह जनता की सेवा में कम रूचि लेते हैं, वह अपने निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसको खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार मनोबल के साथ जनहित में एक कठोर निर्णय लिया है कि 10 साल से अधिक समय से जो डाक्टर एक ही जगह पर तैनात थे, उनको हटाकर दूरस्थ स्थानों पर भेजने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारी चिकित्सीय सुविधाएं बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचे और हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हमें आशा है कि पूरे सदन का अपेक्षित सहयोग इसमें मिलेगा।

मान्यवर, रोज शिकायत आती थी, अब भी आती है, बाजपेयी जी चले गये हैं, वह हमेशा लैबोरेटरी और नकली दवाओं पर प्रश्न उठाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की नकली दवाओं को रोकने के लिए, उनकी बिक्री पर रोक लगाने और अपमिश्रण पर कार्यवाही करने के लिए प्रदेश सरकार ने कठोर से कठोर कानून बनाने का काम किया है और जो कानून पहले से उपलब्ध हैं, उनका पालन कराने का काम किया है। मेडिसिन की टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैबोरेटरी जो लखनऊ में स्थापित है, उसको और बेहतर बनाने के लिए और आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया है। मेरठ और बनारस की लैबोरेटरी को भी मेडिसिन की टेस्टिंग का काम दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अपमिश्रण की कोई शिकायत उत्तर प्रदेश में न रहे और ऐसे लोग जो यह कर रहे हैं, चाहे खाद्य सामग्री में हो या नकली दवाओं के बारे में हो, हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही कर रहे हैं और करेंगे और हम भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपमिश्रण हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, आपके संज्ञान में है, अभी जो ड्राप्सी के मामले आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें कठोर कार्यवाही करने का काम किया और लैबोरेटरी के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उनके नमूनों की टेस्टिंग से परिणाम देने का काम किया है। आपको बताना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के 28 जिले यूपीएचआईजी योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं। उनमें वर्ल्ड बैंक से 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था और दिनांक 31 मार्च, 2005 तक 200 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है। उस योजना के अंतर्गत जिले में एक महिला चिकित्सालय, एक पुरुष चिकित्सालय, एक पीएचसी, एक सीएचसी, दवाओं की आपूर्ति, ट्रेनिंग आदि का काम सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सजग है। जहां कहीं भी संचारी रोग या अन्य रोग की सूचना मिलती है तो उसमें तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। हम चाहते हैं कि विपक्ष का पूरा सहयोग और उनका मार्गदर्शन हमें मिले। हम बिना किसी भेदभाव के जो भी सहयोग उनके लिए होगा हम करने के लिए तैयार हैं और चिकित्सीय सेवाओं के लाभों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष इसमें कटौती का प्रस्ताव न लाकर आम सहमति से इसे पास कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें मद संख्या-9(35) में अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) का बजट लगा है। क्या आप चाहेंगे कि इसी में रखवा दें ?

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, दो लोगों ने रखा है। इसको अलग-अलग रखवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, यह बात उठायी जाती रही है कि उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कालेज हैं वह एन0सी0आई0 के मानक के अनुसार नहीं है। किस तरह से गोरखपुर मेडिकल कालेज की बात उठी थी। मान्यवर, हमारी सरकार ने तय किया है कि एन0सी0आई0 के मानक के अंतर्गत 6 मेडिकल कालेजों में 60 करोड़ रुपये उपकरण के लिए देंगे और दो करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए दिये जाएंगे। यद्यपि 2 करोड़ रुपया बहुत कम है इसलिए इसको बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्री बजट में व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अगर बजट की व्यवस्था कम होगी तो जो स्वरूप हम मेडिकल कालेजों का चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। एस0जी0पी0जी0आई0 जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण यूनिट है उसके लिए 25 करोड़ रुपये आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत किये हैं। के0जी0एम0सी0 के लिए 66.30 करोड़ रुपये प्लान के अंतर्गत और 40 करोड़ रुपये सुदृढ़ीकरण के लिए दिये हैं ताकि के0जी0एम0सी0 में हृदय रोग के उपचार की सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं और अच्छी हो सकें। इसी प्रकार के0जी0एम0सी0 डेण्टल के लिए 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही एस0जी0पी0जी0आई0 के सब सेन्टर सैफई के लिए 150 करोड़ रुपये, राम मनोहर लोहिया के लिए 125 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और पहली बार एस0जी0पी0जी0आई0 में लीवर ट्रान्सप्लान्टेशन के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक चिकित्सा और होम्योपैथिक चिकित्सा को भी हम आगे बढाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, यूनानी पद्धति है, होम्योपैथिक पद्धति है, बहुत से गांवों में मांग की जाती है कि यहां पर ये चिकित्सालय खोले जायें तो हमने इसके लिये बजट में प्राविधान किया है। हमारी सरकार यह चाहती है कि इसको आगे ले जायें और अच्छे मानक के डाक्टर उत्तर प्रदेश में पैदा करें। यह एक परिवर्तित सूची है। सरकार चाहती है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी लिविंग स्टैन्डर्ड हो तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज जिन्होंने निजी क्लीनिक खोल दी है हम चाहते हैं कि अस्पताल में अच्छी गुणवत्ता मिले, अच्छी दवाएं मिलें और इस हेतु हमने यह बजट रखा है। मुझे उम्मीद है कि मौन स्वीकृति के साथ, जो भी माननीय सदस्य कटौती रखेंगे, मैं जानता हूँ कि दिल से वह विरोध नहीं कर पायेंगे लेकिन उनकी बाध्यता है विरोध करने के लिये, वह मौन स्वीकृति से पास करायेंगे। मान्यवर, माननीय परिवार कल्याण मंत्री जी भी इसी में अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या 35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

*परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,57,84,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, परिवार कल्याण कार्यक्रम चार बिन्दुओं पर चलता है। सबसे पहला है पल्स पोलियो जिसमें बच्चों को टीकाकरण और पल्स पोलियो की ड्राप पिलाना है, दूसरा है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य। मान्यवर, मैं सबसे पहले पल्स पोलियो के बारे में बताना चाहूँगा कि जब से हमारी सरकार आयी है पल्स प्रोग्राम में तेजी आयी है। हमने साढ़े तीन करोड़ बच्चों को पोलियो की ड्राप पिलायी है। 2002 में पोलियो के लगभग 12 सौ केसेज थे और यह 65 जिलों में फैला हुआ था। हमारी सरकार की कोशिशों के चलते और माननीय मुलायम सिंह जी की रुचि के कारण, उनके मार्ग दर्शन के कारण जो 1242 केसेज थे वह 2003 में 88 तथा 2004 में 82 रह गये हैं। इसकी चर्चा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनेवा में भी हुई और मुलायम सिंह जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। इस पोलियो प्रोग्राम के बारे में पूरा विश्व चिंतित था। पहली बार अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान लोग करीब अस्सी प्रतिशत लोगों ने इसका स्वागत किया, जो पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो धर्मगुरू थे, उन्होंने अपील की और उसके कारण जो प्रतिरोध था, जो भ्रम फैला हुआ था, दस सालों से जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे माननीय मुख्य मंत्री जी की कोशिशों के कारण यह भ्रम टूटा और उन लोगों ने पोलियो की ड्राप खुशी-खुशी पिलायी। इसक कारण यह था कि अल्पसंख्यक लोगों का विश्वास माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर है और इसका असर यह हुआ कि दस सालों से रेजिस्टेन्स था वह टूट गया और वह इस सरकार को अपनी सरकार समझते हैं। इतनी बड़ी बीमारी से 2005 के आखिरी तक इस पूरी बीमारी से प्रदेश को निजात मिल जायेगी, यह हमारी सरकार का संकल्प है। इसमें बुनियादी तब्दीली की गई है, सबसे बड़ी तब्दीली यह की गई है कि दस सालों के अंदर, जितने पोस्टर छपे थे, जितने लिटरेचर छपे थे वह सारे के सारे अंग्रेजी में छपे थे, माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश पर, पहली बार मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दी और उर्दू में सारे लिटरेचर छापे गये ताकि प्रदेश की हर जगह पर, हर आवाम तक इसकी जानकारी हो सके, वह इसे पढ़ सके। मान्यवर, एक चीज और हमनें प्रायर्टी पर चेक की कि जो पोस्टर पिछली सरकारों में 77 रुपये तक में छपे हैं वही पोस्टर आज 27 रुपये में छपते हैं, यानी हर पोस्टर पर सीधे-सीधे पचास रुपये की बचत होती है इस तरह से हमने लोगों के करोड़ों रुपये बचाये और उन्हीं करोड़ों रुपये से, 97 हजार देहात हैं, जो आबाद गांव हैं अभी एक लाख छः हजार बूथ हमने बनाये हैं। पिछली सरकारों ने बूथ नहीं बनाये थे। हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम करके और पोस्टरों से जो पैसा बचाया था, जहां पर इस तरह के बूथ नहीं थे, वहां इस पैसे से बूथ बनाये जायेंगे, कोई इलाका बाकी नहीं रह पायेगा। मान्यवर, दूसरी सबसे बड़ी बुनियादी तब्दीली यह है कि बच्चों और मां का स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो प्रदेश स्वास्थ्य हो जायेगा और इसके लिए साधन की बहुत कमी थी। 18 हजार से ऊपर केन्द्र थे और सिर्फ छः हजार भवन बने हैं बाकी किराये पर हैं। इसी एक साल में माननीय मुख्य मंत्री जी की मेहरबानी से उत्तर प्रदेश में 1944 नए उपकेन्द्र खोले जायेंगे। मान्यवर, यही नहीं, जो भवन थे वह बहुत खराब हालत में थे उनका किराया बहुत कम था, लेकिन इस सरकार ने ढाई सौ रुपये कर दिया है जो पहले सौ रुपये था। ए0एन0एम0 की सारी भर्तियां खोल दी गई हैं और चार हजार पुरुष और 35 सौ महिलाएं ए0एन0एम0 इसी साल भर्ती की जाएंगी और जितनी ट्रेनिंग में ए0एन0एम0 हैं वह सारी के सारी 2005 में ही भर्ती की जाएंगी। 1990 से जो सेंटर बन्द थे वह सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं और 1014 महिलाएं ट्रेनिंग के लिए भेज दी गई हैं। सबसे बड़ी चीज है इस सरकार के जमाने की कि अभी तक जो इंजेक्शन लगाये जाते थे, पुराने तरीके से लगाये जाते थे, पहली बार इस सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वतः नष्ट होने वाले इंजेक्शन जो बड़े लोगों को ही मिलते थे वह प्राइमरी अस्पतालों में लोगों को दिए

जायेंगे। मान्यवर, यही नहीं बल्कि एक ऐसी स्कीम खोली जा रही है आशा नाम की, कि हर गांव में एक महिला ए0एन0एम0 टाइप की नर्स मौजूद रहेगी। सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि जो चीजें हैं परिवार नियोजन के अलावा जनसंख्या के नियंत्रण की, उनको अमल में लाया जाएगा, चूंकि यह सरकार समझती है कि जब लोग शिक्षित हो जायेंगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी तब भी जनसंख्या के कंट्रोल पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मान्यवर, एक कमेटी उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने बनायी है हम लोग उसका संकलन कर रहे हैं। इसलिये इस फील्ड में बहुत अच्छा काम होगा। मान्यवर, हम सारे सदस्यों से अपील करेंगे कि यह एक बुनियादी समस्या है। गांव और गरीबों से संबंधों की बात है और इसमें गांवों और गरीबों को सारी सहूलियतें भी देने का सवाल है। इसलिये मैं अनुरोध करूँगा कि इसमें कटौती का प्रस्ताव न रखा जाये तो उपयुक्त होगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव तो मा0 ओ0पी0 सिंह जी रख देंगे और उस पर भाषण डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी करेंगे।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना है तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना है तथा सुझाव देना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का आभारी हूं, कि जिन्होंने अपनी कटौती के प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया और आपका आभारी हूँ कि आपने इसकी स्वीकृति प्रदान की। मान्यवर, आज यहां चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट माननीय नरेश अग्रवाल जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह जी यहां बैठे हुये थे और उनके चेहरे पर दुख के भाव झलक रहे थे और उन्होंने माननीय अग्रवाल जी से पूछा भी कि क्या वह इस पर नहीं बोलेंगे। मान्यवर, यह जो दो पुस्तकें, एक पीले रंग की और एक मा0 मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण हमारे सामने है, इसमें हमने पढ़ने का प्रयास किया तो कुछ नाम ही पढ़ने को मिले हैं जैसे सैफई को उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सेट लाइट केन्द्र बनाने के लिये 150 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। इसी तरह से यहां स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय को संजय गांधी के सेट लाइट केन्द्र से जोड़ने के लिये 121 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि लखनऊ के मेडिकल कालेज को 7 करोड़ रुपये विशेष अनुदान के रूप में और शताब्दी विश्वविद्यालय बनाने के लिये 40 करोड़ रुपये और दन्त विश्वविद्यालय बनाने के लिये 30 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं और जो अन्य मेडिकल कालेज हैं जिनकी मान्यता खतरे में है केवल लखनऊ के के0जी0एम0यू0 की मान्यता खतरे में नहीं है। उनको 60 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। मान्यवर, आज गोरखपुर में जो मेडिकल कालेज है उसमें मई में एम0सी0आई0 की टीम आयेगी और जो वहां सुविधायें हैं उसको देखते हुये उसकी मान्यता नहीं खत्म होगी यह सम्भव नहीं है। अगर मान्यवर इस बजट को नहीं ठीक किया गया और वहां की व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो मान्यता निरस्त हो जायेगी। तो सामूहिक रूप से अन्य मेडिकल कालेजों को 60 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिये दिये जा रहे हैं यह कुछ अजीब सा प्रस्ताव है। मान्यवर, इस पुस्तिका में 13 पेज अन्य मेडिकल कालेजों के लिये हैं और 26 पेज के0जी0एम0यू0 के हैं। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि से सब कुछ आज लखनऊ में केन्द्रित हो रहा है और आप यह मान कर चल रहे हैं कि अगर लखनऊ में सब कुछ हो जाता है तो पूरे प्रदेश में सब कुछ हो जायेगा। मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी हमारे गोंडा के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और मुझे कहना पड़ेगा कि ये मंत्रिमंडल में थे तो हम लोग विश्वास करते थे कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं कुछ बेहतर करेंगे। बी0आर0बी0 मेडिकल कालेज की मान्यता निरस्त होने के बारे में इस पुस्तिका में कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, नरेश अग्रवाल जी जो कुछ कह गये हैं उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह विभागीय मंत्री हैं नहीं। यह चर्चा हो गयी है 154 प्रोफेसर होने चाहिए और 72 हैं 82 की कमी है, 217 रीडर होने चाहिए 119 हैं 98 की कमी है इसी तरह से 395 लेक्चरर होने चाहिए जिसमें 208 हैं 187 की कमी है। जवाब दे दिया गया है वही रटारटाया कि अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है और जैसे-जैसे नियुक्तियां होंगी तैसे-तैसे लोगों को ज्वाइन कराया जायेगा। इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात को हम लोग बार-बार कहते रहते हैं कि लोक सेवा आयोग एक नियुक्ति करने में 2 साल का समय लगा देता है। एक डाक्टर जो आज पढ़कर निकलता है दो साल बैठकर इंतजार नहीं करता है जब तक आवेदन-पत्र देकर नियुक्ति होती है तब तक वह किसी नगर का प्रतिष्ठित डाक्टर हो चुका होता है और उसे अपनी जमीजमाई प्रैक्टिस छोड़कर नौकरी की जरूरत नहीं होती है। मान्यवर, जब मैंने नियम 56 लगाया था तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मेडिकल कालेज को 60 करोड़ रुपया मात्र स्वीकार किया है लेकिन उसकी असली समस्या शिक्षकों की कमी है। यह कमी तब तक दूर नहीं होगी जब तक यह सरकार एक निर्णय न ले ले कि मेडिकल शिक्षकों को हम देंगे और इसके लिए उसकी नियुक्ति के तौर तरीकों में परिवर्तन न कर लिया जाय। क्योंकि कोई डाक्टर दो साल इंतजार नहीं करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकती है और न होगी और मान्यता निरस्त होकर रहेगी। घोषणाएं आपने की हैं माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री गोरखपुर आये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग डाइरेक्ट नियुक्ति कर लेंगे और उसे लोक सेवा आयोग नहीं करेगा तो कैबिनेट से पास करा लेंगे। यह गोरखपुर के अंदर की घोषणा है, सदन के अंदर घोषणा नहीं की है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप सदन के अंदर घोषणा करें कि शिक्षकों की एडहाक नियुक्ति करने का निर्णय लेंगे और लोक सेवा आयोग उसको नहीं करता है तो कैबिनेट से निर्णय लिया जायेगा। शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए उनकी नियुक्ति की जाय जब तक यह नहीं होगा कमी दूर नहीं होगी।

मान्यवर, टिक्कू कमेटी के बारे में घोषणा की थी गोरखपुर में जाकर, अध्यक्ष जी आप भी जानते रहे हैं गोरखपुर मेडिकल कालेज में आपने लगातार माननीय मुख्यमंत्री और डाक्टरों के बीच में एक समझौता और बातचीत का प्रयास किया है जो आपके विधान सभा अध्यक्ष के नाते बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आपने किया है, मैं आभारी हूँ। मान्यवर, उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि टिक्कू कमेटी लागू कर देंगे। गोरखपुर मेडिकल कालेज में अधिकांश लोग लेक्चरर हैं कुछ रीडर हैं और कुछ प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए हैं जब तक नीचे के लोग ऊपर नहीं जायेंगे नीचे के पद खाली नहीं होंगे। फिर कहीं पर से हम सोंचे कि कानपुर मेडिकल कालेज का गोरखपुर चला जायेगा तो कोई गोरखपुर में कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ को छोड़कर नहीं जायेगा। इसलिए आवश्यक है कि गोरखपुर में जो रीडर में पड़े हुए हैं उनको प्रमोशन दिया जाय। मान्यवर, के0जी0 मेडिकल कालेज में तो यह टिक्कू कमेटी लागू कर दी गयी तो मान्यवर, जो नियम के0जी0 मेडिकल कालेज के लिए बनाया जायेगा वह प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों के लिए क्यों नहीं बनाया जायेगा ? कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में रेडियोलाजी विभाग चलता ही नहीं है। माननीय राज्य मंत्री विनोद तिवारी जी सुन रहे होंगे, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इस संबंध में कार्यवाही अवश्य करेंगे। पिछले 3-4 साल में वहां कोई एक्सरे मशीन चलती हो, ऐसा हम लोग जानते ही नहीं। ब्लड बैंक वहां 24 घंटे उपलब्ध ही नहीं है, यह सत्य है और एक मंत्री के रूप में आपका यह दायित्व है कि जो मरीज वहां भरती होते हैं, कम से कम उनकी आवश्यकता पर खून तो मिले। आप जिला चिकित्सालय को मेडिकल कालेज जैसी सुविधा देने का वायदा कर रहे हैं। तो यह बेहतर है कि यह वायदा न किया जाय। माननीय मुलायम सिंह जी स्वयं मेडिकल कालेज, गोरखपुर में प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन करके आये थे, लेकिन वहां का प्रधानाचार्य इतना अक्षम अयोग्य है, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद इस तरह की बातें कह रहा हूँ। उसने अखबार में बयान दिया कि 12 लाख की कमी के कारण, जिस प्राइवेट वार्ड का

उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया था, वह प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। यह कहे मुझे यहां 15 दिन हो गये। अगर सरकार चेती होती तो इन 15 दिनों में 12 लाख रुपये भेज दिये होते और यदि यह 12 लाख रुपये भेजने के बाद भी वह प्राइवेट वार्ड चालू न होता तो मेडिकल कालेज के उस प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया गया होता। मान्यवर, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में पिछले 10 साल से कोई प्रधानाचार्य है ही नहीं और अधिकारियों की भी यही मंशा है कि वहां कोई पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नियुक्त न हो। वहां पिछले 10 साल से कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त होते रहे हैं और कार्यवाहक प्रधानाचार्य की यह हैसियत और हिम्मत नहीं होती कि वह यहां सचिवालय आकर दबाव बनाकर कोई बात कह पाये। लिहाजा जो वहां के डाक्टर्स होते हैं, उनको भड़का-भड़काकर वह लखनऊ भेजते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर दबाव बनाओ। वह लोग यहां से लौटकर कहते हैं कि आई0ए0एस0 के लोग वहां हैं, वह हमारी बात नहीं सुनते हैं। मान्यवर, इस पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विभाग एलोपैथिक चिकित्सा का है। राज्यसभा में एक प्रश्न हुआ था 162 नं0 पर, जिसके उत्तर में उत्तर प्रदेश में 486 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आंकड़ा बताया गया। इन आंकड़ों को मैं सिद्ध करता हूँ। इन आंकड़ों के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कुल 53.9 प्रतिशत प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में वैकसीन कैरियर्स है। कुल 39.9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वास्तव में लेबर रूम के इक्यूपमेंट उपलब्ध नहीं हैं। मात्र आठ प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों में आई0ओ0डी0 फैसिलिटी उपलब्ध है। कुल 14 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिलीवरी केस उपलब्ध हैं। कुल 3.9 प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रों पर इमरजेन्सी केयर सेवा है। सिर्फ 14 प्रतिशत केन्द्रों पर ओरल पिल्स है। इसी प्रकार 16 प्रतिशत केन्द्रों पर मिडिल वैक्सीन उपलब्ध है। यह सारे आंकड़े राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर में आये हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का हम चाहे जो मूल्यांकन कर लें, लेकिन पूरा देश कैसा मूल्यांकन करता है ? इसका फल क्या है ? मान्यवर, आज प्रदेश की स्थिति क्या है ? आज ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव के पूर्व 69.9 प्रतिशत महिलायें इनर केयर कराती ही नहीं है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में 34.1 प्रतिशत महिलायें कराती हैं। केरला जहां प्रति व्यक्ति आय 21,310 रुपये है, आज वह हमसे बहुत बेहतर हैं। केरल में इनर केयर के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में मात्र .4 प्रतिशत महिलायें नहीं कराती हैं और शहरी क्षेत्रों में तो सभी कराती हैं। इसी तरह से जो लोग संस्थागत डिलीवरी कराते हैं, उसके मामले में हमारे प्रदेश में सिर्फ 11 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत डिलीवरी होती है और नगरीय क्षेत्रों में 36.9 प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी होती है। जबकि केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में 91 प्रतिशत और शहर में 99 प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी होती है। आज स्थिति यह है कि हम जन्म दर और मृत्यु दर के मामले में पूरे देश में 14वें स्थान पर हैं। 14वां स्थान उन बड़े राज्यों में है, जिनकी कुल जनसंख्या 95 प्रतिशत बनती है (समय 8 बजकर 20 मिनट)। आज स्थिति यह है कि हमारे यहां एक वर्ष के बच्चे जो मर जाते हैं, उनकी संख्या 80 है, जबकि केरल में यह संख्या 10 है। एक विचारक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुई बालिका को केरल में पैदा हुई बालिका के मुकाबले में मरने की संभावना आठ गुना अधिक रहती है। प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर के आंकड़े दिये जाते हैं, यह भी बहुत विषम है। यही वह आंकड़े हैं, जिनसे स्थिति का पता चलता है, जिस प्रकार से एक गृहणी चावल का एक दाना निकालती है और बताती है कि चावल पका है या नहीं। उसी प्रकार से ये आंकड़े प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बताते हैं। एक लाख महिलाओं में प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की

संख्या का औसत देश में 404 है। आपने पर्चे के दाम घटा दिये हैं, यह अच्छी बात हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, आज जिला अस्पतालों में जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, वहां कोई जाना नहीं चाहता है। अस्पतालों में सेवाएं इतनी खराब हो गई हैं कि लोगों ने वहां पर जाना भी छोड़ दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गरीबों से चार्ज लिया जाए।

एक चर्चा विधान सभा में हुई थी डाक्टरों की प्रैक्टिस के बारे में, उस समय मैं इस पर बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया था, मैं आज इस पर भी बोलूँगा। अभी भी समय है जब हम लोग समझें और अस्पतालों में सुबह के समय चार्ज गरीबों को देखकर लिया जाए और शाम के समय उन्हीं डाक्टरों से जो अलग मरीजों को देखना चाहते हैं, दूसरे रेट पर मरीजों को दिखवाया जाए, इसमें ऐसे लोग होंगे जो पैसा खर्च करना चाहते होंगे। इसमें से जो आय हो, उसका एक हिस्सा डाक्टर को आप दे दीजिए और दूसरे हिस्से की आय को अन्य सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं। अन्यथा यह मेडिकल प्रैक्टिस सरकारी डाक्टरों की रुकने वाली नहीं है, मरीज जाएंगे तो डाक्टर तो उन्हें देखेगा ही, और आप उन्हें रोक नहीं पायेंगे। जिस प्रकार से काले धन को सफेद धन बनाने के लिए केन्द्र सरकार काम करती है, उसी प्रकार से आप इनको रेगुलराइज कर दीजिए, जो डाक्टर घरों में मरीजों को देखते हैं, अगर उन्हें मरीजों को देखना है तो वह अस्पतालों में ही उन मरीजों को देखें। तीसरी बात परिवार कल्याण मंत्री के बारे में है। जनसंख्या दर पूरे देश में 25.8 और 21.54 प्रतिशत हमारे यहां पर है, इसी से पता चलता है कि हम कहां पर हैं ? बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले यह तो सब मानते हैं कि अधिक शिक्षित हैं, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड की जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22.8 है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26.25 है। मैं इसलिए आंकड़े पेश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम भ्रम पैदा करते हैं, इन भ्रमों को दूर होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी बात माननीय मंत्री जी ने पोलियो के बारे में कही है। आपने कहा कि एक ऐतिहासिक काम किया धर्म गुरुओं का प्रयोग करके। लोगों के मन में जो अविश्वास था उसको दूर किया। सच बात है, इसका रिजल्ट निकला क्योंकि वर्ष 2002 में जहां 1264 पोलियो के केसेज प्रकाश में आये थे, आज प्रदेश इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि वह पोलियो फ्री है। यह एक साल में नहीं हुआ। जहां वर्ष 2002 में पूरी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश तनाव का विषय बना हुआ था और अगर एक दो साल में कोई केस प्रकाश में नहीं आया तो तनाव फ्री हो जायेगा। आपने जो बात कही है, सत्य है लेकिन क्या यह केवल पोलियो के लिये ही प्रयोग किया जायेगा, परिवार नियोजन के लिए क्यों नहीं प्रयोग किया जाता ? हम धर्म गुरुओं का उपयोग करके पोलियो के बारे में समझदारी पैदा कर सकते हैं तो हम उन्हीं धर्म गुरुओं, अभिनेताओं के माध्यम से, मुस्लिम नेताओं के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में भी समझा सकते हैं। परिवार नियोजन जबरिया नहीं किया जाना चाहिए। आपने कहा कि हमने हिन्दी और उर्दू में पोस्टर छपवाये। अच्छी बात है। हिन्दी और उर्दू में लिखा जाना चाहिए जिसमें लोग समझ सकें। जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी और आप लोग इधर थे तो तमाम नकली दवाओं के संदर्भ में कहा था कि डाक्टरों को मजबूर करिये कि वह पर्चे हिन्दी में लिखें। मैंने पूरी जिंदगी पर्चे सिर्फ हिन्दी में लिखे। कम से कम सरकारी डाक्टरों को यह बाध्यता होनी चाहिए, प्राइवेट डाक्टरों के लिए भी आप कर सकते हैं। हर देश में पर्चे मातृभाषा में ही लिखे जाते हैं। अगर आपका बच्चा रूस में डाक्टरी पढ़ना चाहता है तो वह पहले 6 महीना रसियन सीखता है उसके बाद वह डाक्टरी रसियन में पढ़ता है। रूस की जनसंख्या अगर जोड़ लिया जाये तो आज के दिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से

ज्यादा होगी। हम अपने बच्चे को हिन्दी में पढ़ने के लिए नहीं कह पाते, रूस का आदमी, जर्मनी, पुर्तगाली का आदमी कह लेता है, दूर क्यों जाइये पाकिस्तान का आदमी कह लेता है। मैं उन देशों के बारे में बता सकता हूँ जहां सिर्फ उनके अपनी भाषाओं में डाक्टर पर्चे भेजते हैं। इसलिए परिवार कल्याण मंत्री जी से यह भी आग्रह करूँगा कि धर्मगुरुओं, शिक्षित राजनेताओं, बड़े-बड़े अभिनेताओं का प्रयोग करके पोलियो में क्रांतिकारी सफलता मिली है तो परिवार नियोजन के क्षेत्र में भी सफलता पाने का प्रयास करें।

डा0 पी0 के0 राय--

माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुर्वेद और होम्योपैथी के बजट पर बोलने के लिए आपने मुझको अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले मेरे पुराने मित्र राधा मोहन दास अग्रवाल साहब ने बड़े खूबसूरती से आंकड़ों की बात यहां पर कही है और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि पूर्व में बनी हुई सरकारों की प्राथमिकताओं में कभी भी चिकित्सा-स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, विभाग नहीं रहे हैं। यही वजह है कि देश में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में 19वें नम्बर पर, साक्षरता में सबसे नीचे, परिवार कल्याण की स्थिति भी वही है। मान्यवर, ये आंकड़े पुराने हैं, पुरानी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नहीं रखा इसलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से यह सरकार बनी है तब से जो कल्याणकारी सरकार के दायित्व हुआ करते हैं, उनका निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर रखने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। आंकड़े बताते हैं कि इसके पहले कभी भी चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र मे इतने रुपयों का प्राविधान नहीं किया गया है। संजय गांधी संस्थान के सेकेण्ड फेज के लिए और वहां पर छः सुपर स्पेसिलिटीज को खोलने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ। संजय गांधी संस्थान सेटेलाइट के माध्यम से इटावा को जोड़ने की जो शुरुआत की गई है वह स्वागतयोग्य है। आज इटावा के सैफई और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल को जोड़ा गया है तो कल दूसरी जगहें भी जुड़ेंगी। हमें मांग करनी चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाय। यह एक अच्छी शुरुआत की गई है। गरीबों के इलाज के लिए के0जीएम0सी0 को स्ट्रेंथेन किया जा रहा है तो इसके पीछे माननीय मुख्य मंत्री की मंशा यह है कि संजय गांधी संस्थान में जाने वाले मरीज को हर चीज के दाम देने पड़ते हैं जबकि के0जीएम0सी0 में इलाज के लिए बहुत कम दाम देने पड़ते हैं या वह निःशुल्क होता है। मान्यवर, कार्डियोलाजी के लिए सिविल अस्पताल चुना गया है मैंने वहां पर इंटर्नशिप की है इसलिए मैं सिविल हास्पिटल कह रहा हूँ।। आज उसका नाम डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। बलरामपुर अस्पताल आँख के लिए और राम मनोहर लोहिया आर्थोपेडिक के लिए उच्चीकृत हो रहा है। इन अस्पतालों में जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ने काफी विस्तार से स्वास्थ्य योजनाओं से सदन को अवगत कराया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर निर्माण हो रहे हैं वहां निर्माण के साथ-साथ स्थापना का कार्य भी किया जाना चाहिए ताकि भवन कार्य होने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा मिल सके। मान्यवर, जनपद कुशीनगर जिला बने दस साल हो गये हैं, यू0पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भवन तैयार हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जिला चिकित्सालय की स्थापना नहीं हुई है इसकी वजह से वहां पर विशेषज्ञों के पद सृजित नहीं हुए हैं जो जिला अस्पताल वहां चल रहा है उसमें पडरौना

के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर को अटैच करके अस्पताल को चलाने का काम किया जा रहा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। परिवार कल्याण के मामले में दक्षिण के जो प्रदेश हैं वहां पर अच्छा काम किया है। हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। चाहे मातृ शिशु कल्याण की बात हो चाहे वह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात हो, चाहे जनसंख्या स्थिरीकरण की बात हो, महिला सशक्तीकरण की बात हो, इंफैक्ट मार्टलिटी रेट की बात हो इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। मैंने पहले भी इस सदन में एक बार कहा था इसे बेहतर करने के लिए सदन में दोनों तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों को इसमें आगे आना होगा। इसके ऊपर चर्चा करनी होगी तभी यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के जो कार्यक्रम हैं उन पर कुछ कर पाने की स्थिति में हम होंगे। और इस प्रदेश को आगे ले जाने की स्थिति में आएंगे। अध्यक्ष जी एक महत्वाकांक्षी योजना जो विश्व बैंक की है पहले भी सदन में मैंने कहा था अध्यक्ष जी मैं दो मिनट और लूँगा। विश्व बैंक द्वारा 478 करोड़ रुपये से यू0पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सन् 2000 में प्रारम्भ हुआ था एक तरह से यह लोन है प्रदेश सरकार के ऊपर इसको गंभीरता से लें। क्योंकि मैं खुद यह देख रहा हूँ यह जो पैसा आपको मिला है यह पैसा कभी न कभी वापस करना होगा। हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट माफ हो जायं लेकिन यह पैसा कर्ज के रूप में मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में 28 जनपद और 117 चिकित्सा इकाइयां चिन्हित की गई हैं इसके तहत भवनों का निर्माण भी है, उपकरण भी है लेकिन मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज से नहीं सन् 2000 जब से यह प्रारम्भ हुआ है उपकरणों की खरीद जो की गई है वह अधोमानक है। मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ और यह मांग करता हूँ कि कोई ऐसी समिति बनाई जानी चाहिए जो कर्ज के मिले हुए पैसे व विश्व बैंक की जो मंशा है और जिस तरह के उपकरण खरीदे गए हैं वह उपकरण मानक के अनुसार हैं या नहीं इसके लिए कौन जवाबदेह है इसके लिए जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता को यहां मिल सके। इसी में एम्बुलेंस दी गई है। यू0पी0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टेम्पो ट्रेवलर खरीदी गई है मैंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि जब से यह एम्बुलेंस आई हैं एक भी मरीज को नहीं ढोया है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर है तो इस तरह के जो भी गलत कार्य पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा किए गए उनकी समीक्षा होनी चाहिए और इसमें सुधार और इसका निराकरण भी किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र के बारे में माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं यहां पर जो विशेषज्ञ के पद सृजित हैं उसके अनुरूप वहां पर तैनातियां नहीं हुई हैं इसको कराने की कृपा करें। इसी के साथ मेडिकल कालेज के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारा यह सौभाग्य है कि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और अब पीठ पर बैठे हैं। आपने इसमें चाहे मेरे अनुरोध पर या अन्य डाक्टरों के अनुरोध पर काफी ध्यान दिया था और इसकी गहराई में जाने का काम किया था। और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का प्रयास किया था। मैंने खुद भी वहां के जूनियर डाक्टर्स को लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराई थी। निश्चित तौर से कहीं न कहीं मैं इसके लिए ब्यूरोकेसी को दोषी मानता हूँ कि मेरे इतना प्रयास करने के बाद भी जो संस्तुतियां पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी गई उनमें निश्चित तौर से कुछ न कुछ कमियां रहीं जिससे वापस हो गयी। टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू करने के लिये जिस टिक्कू समिति के लिये बराबर यहाँ हल्ला होता रहा और मेडिकल कालेज की यह दुर्दशा एक दिन और एक साल में नहीं हुई। हमारी सरकार तो डेढ़ साल की है लेकिन मेडिकल कालेज की यह

दुर्दशा पिछले दशकों में हुई है और बद से बदतर होती चली गई और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू करने की बात थी, मैंने तब नेता सदन जो उस समय बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार में थीं उनसे जब नियम 49 के तहत चर्चा लगी थी, मैंने कहा था और नेता सदन से अनुरोध किया था कि टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू कर दीजिये इसका और कोई भी समाधान नहीं है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय नरेश अग्रवाल जी आ गये हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे भी कहना चाहता हूँ क्योंकि यह ताकतवर मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा के बारे में इन्होंने ही अपने विचार रखे हैं। मेडिकल कालेज को आप केवल उपकरण दे देंगे तो उससे एम0सी0आई0 के मानक पूरे नहीं होंगे। 50 प्रतिशत प्रोफेसर से लेकर लेक्चरर के पद रिक्त पड़े हुए हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिये सबसे आसान तरीका यह है कि टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू कर दीजिये। इस तरह से पदों पर भर्ती हो जायेगी। अभी जैसा राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा एडहाक के लिए लेकिन आप एडहॉक नहीं कर सकते हैं, आप डेप्युटेशन पर कर सकते हैं, कान्ट्रेक्ट बेसिस पर कर सकते हैं, इस तरह से एम0सी0आई0 के मानक पूरे हो जायेंगे। गोरखपुर के जो पोस्ट ग्रेज्युएट लड़के हैं उनको दिल्ली जाने पर वहां पोस्ट ग्रेज्युएट नहीं माना जाता है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित तौर से इसको गंभीरता से लेते हुए इसको भी जोड़ने का प्रयास करियेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई--

श्रीमन्, मैं आभारी हूँ कि आपने चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के बजट पर माननीय ओ0पी0 सिंह द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा उस पर विस्तृत विवेचना करने के बाद कटौती का जो प्रस्ताव था उस पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अभी ड्राप्सी का मामला चला था, उसके पीछे का एक मात्र कारण मुनाफाखोरों को अधिक मुनाफा कमाने का था। जन विशेषज्ञ प्रयोगशाला में परीक्षण न करने की क्षमता होने के कारण क्षेत्रीय विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं को बनारस, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में स्थापित कर दें। इनको साधन सम्पन्न बनाने की बात थी लेकिन वह कर नहीं पाये हैं इनको सक्षम बनाया जाय। इन प्रयोगशालाओं को क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किया जाय। मेरठ मेडिकल कालेज की दुर्दशा के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहां के वार्ड्स, वहां के शौचालय, वहां के बिस्तर, वहां की दवा की व्यवस्था सब कुछ सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं है और न ही गरीबों के अनुरूप हैं। इसकी जांच कराई जानी चाहिए और जो आवश्यक हो सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण और पोलियो पर बहुत कम कर रहे हैं। जन संख्या नीति जो 2000 में घोषित की गई थी उसमें आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। पोलियो के बारे में जिस तरह से जन प्रतिनिधियों की उसमें भूमिका होनी चाहिए वह आपके सरकारी अधिकारी नहीं करा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण और पोलियो के क्षेत्र में इसको और प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को शामिल करके इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी रूप देना चाहिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार से मेडिकल कालेज के रिक्त पदों पर चिन्ता व्यक्त की गई और टिक्कू समिति की सिफारिशें लागू करने की बात कही है उसी तरह से आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सालयों में 60 प्रतिशत पद 15 सालों से रिक्त हैं मुझे शंका नहीं है लेकिन भाषण सबके एक जैसे आते हैं। सब कहते हैं कि अधियाचन भेज रखा है। पद रिक्त हैं पद भरना मृग मारीचिका हो रहा है। नये चिकित्सक निकलकर आ रहे हैं कान्ट्रैक्ट बेसेज पर

चिकित्सकों को रखने की बात कही गई है जिस तरह से शिक्षकों के पद लोक सेवा आयोग को जा रहे हैं उसी तरह से इस पर विचार होना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सालय, यूनानी चिकित्सालय की दशा बहुत खराब है। जनपदों में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों के जो भवन हैं उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बात पोस्टर के संबंध में मंत्री जी ने कही यह 77 रुपये से 27 रुपये पर आ गए हैं तो 77 रुपये में जो अधिकारियों के कार्यकाल में पोस्टर छपे हैं सरकार इसमें जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे और सदन में अवगत कराये। जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर आयुर्वेद में एक घोटाला हुआ था। यह शिवराज सिंह आयुर्वेद के घोटाले के नाम से जाना जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सरकार समय रहते चेत गई तो जो कठिनाई आयुर्वेद और यूनानी में आने वाली है उससे बच सकेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आयुर्वेदिक यूनानी में फार्मेसिस्ट की नियुक्ति 1991 में हुई थी उसके बाद उनके विनियमितीकरण पर बराबर सवाल उठते रहे। यह लोग उच्च न्यायालय में गए। 2003 में उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र सरकार की तरफ से दिया गया। पहले रिक्त पदों पर 1991 में तदर्थ नियुक्ति फार्मेसिस्टों की गई थी इसमें मान्यवर पहले विनियमितीकरण करेंगे उसके बाद रिक्त पदों पर तैनाती करेंगे यह शपथ-पत्र हाई कोर्ट में सरकार द्वारा दिया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया लेकिन 21 तारीख से नई भर्ती फार्मेसिस्टों की होने जा रही है। 360 पर 1991 में जो तदर्थ थे जिनके विनियमितीकरण की प्रक्रिया के संबंध में उच्च न्यायलय में शपथ दिया गया था उच्च न्यायालय का फैसला इसमें लागू नहीं हो रहा है। 21 तारीख के पहले शपथ-पत्र के आधार पर उनका विनियमितीकरण होना चाहिए। एक तरफ भर्ती पर रोक है दूसरी तरफ कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हो रही है। 200 कनिष्ठ लिपिकों की आवश्यकता नहीं है आदेश जारी हो रहे हैं 200 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति होगी तो एक फौज खड़ी हो जायेगी फिर उच्च न्यायालय में जायेंगे फिर 10-12 साल प्रक्रिया चलेगी। इसलिए इस समय का उपयोग करते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो उच्च न्यायालय का हवाला देते हैं और दूसरी तरफ गलत तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं। एक तरफ खुद निदेशक जिनके बारे में 3 मार्च को उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इनको हटाकर वरिष्ठतम सूची में से निदेशक की नियुक्ति करनी चाहिए उसका पालन करने में निदेशक कतरा रहे हैं। एक तरफ उच्च न्यायालय के आदेश पर नौकरी दे रहे हैं तीन मार्च के आदेश हैं इसका पालन होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरठ में किसी लैब की स्थापना की घोषणा की है, उच्चीकरण करने की घोषणा की है, मैं उस समय लाइब्रेरी में था, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूँ। पिछले वर्ष जिला योजना से नगरीय क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेण्टर स्थापित करने के संबंध में निर्णय हुआ था और वहां पर हमने भूमि की उपलब्धता करा कर अपनी विधायक निधि से 5-5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव भी दे दिया था लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेण्टर स्थापित नहीं हो पाये हैं। इस बार भी जब जिला योजना की बैठक हुई तो कहा गया कि संभवत: ऐसा नहीं होगा। यदि नगरीय क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेण्टरों की स्थापना के लिए जहां भूमि भी उपलब्ध है और पैसा भी है तो यह क्यों नहीं बन पा रहे हैं ? मैं इस संबंध में मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वह इसको देखें। यदि इस कठिनाई को दूर कर लेंगे तो नगरीय क्षेत्रों में प्राइमरी हेल्थ सेण्टर स्थापित हो जायेंगे और यह एक अच्छा कदम होगा। अध्यक्ष जी, एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मेरठ के राजकीय अस्पताल में, प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में एक सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ

लेकिन मैं जानकारी चाहता हूँ और मंत्री जी ने यह भी कहा था कि इसी वित्तीय वर्ष में खरीद ली जाएगी मैंने पूछा था कि तकनीकी विशेषज्ञ के साथ वह मशीन स्थापित होगी या केवल वहां पर मशीन चली जायेगी और बाद में उसके तकनीकी विशेषज्ञ के नाम पर कठिनाई पैदा होगी तो मंत्री जी ने कहा था कि तकनीकी विशेषज्ञ के साथ जायेगी। इसलिए मैं पुन: कहना चाहता हूँ कि जहां भी सी0टी0 स्कैन मशीन जा रही हों, कृपा करके तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भेजें ताकि जिनके लिए आप भेज रहे हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैंने सरकार को कुछ सुझाव दिए, कुछ कदमों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया; कुछ निवेदन भी किए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ओ0 पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ लेकिन जो चिन्ता मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में माननीय राय साहब, राधामोहन दास अग्रवाल जी ने व्यक्त की है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री राम कृष्ण--

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जयवीर सिंह, माननीय श्री नरेश जी और सम्मानित परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन करते मैं बोल रहा हूँ। आज प्रदेश भर में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधाओं से राहत मिली है, दवाओं की जो पहले स्थिति थी, उसमें काफी सुधार आया है और आज बेहतर सुविधा मिल रही है। डाक्टर भी समय से पहुँच रहे हैं। डाक्टरों का स्थानांतरण हुआ है और अब अच्छे डाक्टर जिला चिकित्सालयों में पहुँचे हैं, इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मुख्य मंत्री जी की जो मंशा है कि गांवों को, कमजोर लोगों को अच्छी सुविधा मिले, उन्हें अच्छी दवाइयाँ मिले, वह भी अब उपलब्ध हो रही है। इसके लिए मैं मंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। जनपद सीतापुर में, माननीय अध्यक्ष जी आप और काफी लोग जानते होंगे, आँख का चिकित्सालय है जिसके स्वर्गीय डा0 महेश प्रसाद नेहरे संस्थापक थे। वहां पर हिन्दुस्तान भर से लोग इलाज के लिए आते थे और लखनऊ मेडिकल कालेज से ज्यादा वहां बिल्डिंग भी बनी हुई है। मान्यवर, करीब-करीब पिछले जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे हैं सभी लोग वहां पर आए है और उन्होंने अस्पताल का सहयोग किया है। कुछ न कुछ देकर गये है। मान्यवर, आज अस्पतालों में मरीज आना पसन्द नहीं करता। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह इस अस्पताल का परीक्षण करा लें और मैं चाहूँगा कि सीतापुर आंख का अस्पताल को आँख का मेडिकल कालेज बनवाने की कार्यवाही की जाये जिससे वहां की जो भव्य बिल्डिंग है जो कि लखनऊ मेडिकल कालेज से कम नहीं है। उसका सदुपयोग हो सके तथा वहां पर शिक्षा पाकर आंख के चिकित्सक उस अस्पताल का नाम रोशन कर सकें और मान्यवर, श्री डा0 नेहरा जी का नाम भी रोशन हो सके। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार उस बिल्डिंग का अधिग्रहण करके मेडिकल कालेज बनवायें। इसी प्रकार सीतापुर में जो जिला चिकित्सालय है वहां पर हृदय रोग का कोई डाक्टर नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वहां पर हृदय रोग चिकित्सक की व्यवस्था की जाये। वहां पर लखीमपुर के आसपास के लोग भी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मान्यवर, अधिकारी भी बैठे हैं उनके भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वह लोग इसका परीक्षण करा लें। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा में गांव मधवापुर है और उचलाई न्याय पंचायत का गांव गोपालपुर है। जहां पर 15-15 किमी0 की दूरी तक कोई अस्पताल नहीं है। मैंने इसी वर्ष में जिला योजना से मधवापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया था। मैं कहना चाहूँगा कि

किन्हीं कारणों से यह नहीं खुल पाया है। अत: मैं चाहूँगा कि मधवापुर और गोपालपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम किया जाये ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। वहीं पर इस क्षेत्र मिश्रिख और नैमिषराण्य है। मुझे जानकारी है कि मिश्रिख और नैमिषराण्य में अच्छी एक्सरे मशीनों की व्यवस्था नहीं है। वहां पर देश भर के लाखों लोग आते हैं। अच्छी व्यवस्था के लिए आपसे निवेदन है कि आप वहां पर एक्सरे मशीन व अन्य उपचार की व्यवस्था करा दें। माननीय परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि वर्ष 1988 में ए0 एन0 एम0 की ट्रेनिंग हुयी थी। लेकिन उन सबकी नियुक्तियां नहीं हुयीं, कृपया उसको दिखवा लें ओर जो शेष हैं उन्हें भी नियुक्त कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आज प्रात:काल के0 जी0 एम0 यू0 की चर्चा हुयी ऐसा लग रहा है कि सारा धन लखनऊ के के0 जी0 एम0 यू0 और पी0 जी0 आई0 को मिल गया है। मैं अभी के0 जी0 एम0 यू0 से चला आ रहा हूँ। वहां पर आर्थोपैडिक विभाग ओ0 टी0 दो महीनों से बंद है, क्योंकि वहां पर उपकरण नहीं है। सारा पैसा जो यहां से जा रहा है वह भवन निर्माण पर खर्च हो रहा है। छात्रावास में जो छात्र हैं वह ऐसे भवन में रह रहे हैं जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आयुर्वेदिक कालेज का छात्रावास गिरने की हालत में है उसे बनवाने की आवश्यकता है। पी0 जी0 आई0 के बारे में भी कहा गया है तो मैं यह बताना चाहूँगा कि यहां पर 14 डायलेसिस मशीनें है जिसमें से आठ खराब पड़ी है, गेस्ट्रो सर्जरी विभाग की मशीनें, गामा कैम्रे हैं, जिनसे कैन्सर डिटेक्ट किया जाता है, वह खराब पड़ी हैं और बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि इतना करोड़ रुपया संजय गांधी या के0 जी0 एम0 यू0 को दे दिया गया । मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र राजाजीपुरम में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से राजकीय चिकित्सालय है। इस अस्पताल को सौ बेड का बनाने की घोषणा की गयी थी, यहां पर बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, सरकार ने इसे पूरा कराने का प्रयास नहीं किया है। यहां की तीन लाख की आबादी इससे प्रभावित होती है। यहां पर हृदय रोग, हड्डी रोग, क्षय रोग, एनस्थीसिया के और पैथालिजिस्ट के पद स्वीकृत नहीं है, मेरी आपसे मांग है कि यह पद स्वीकृत कराये जायें और वहां पर डाक्टरों की पोस्टिंग हो। बलरामपुर अस्पताल में एक केस आया, जो डिस्पोजेबुल पुरानी सिरिंज होती है उनको कूड़ा उठाने वाले उठा लेते हैं और नयी पैकिंग करने के बाद फिर अस्पतालों में वह सप्लाई हो रही है इससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है, मेरी मांग है कि इसको रोका जाय। मैं केवल एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मान्यवर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सारे अस्पतालों में और नर्सिंग होम्स में इन्सुरेटर और आटो ट्रेप ट्रीटमेंट लगाया जाय। इसको अनिवार्य कर दिया जाय। मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेज के लिए केन्द्र सरकार ने धन दिया है। एक करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है कि इसको माडल इंस्टीट्यूट बनाया जाय लेकिन सरकार ने इसका पैसा डाइवर्ट कर दिया है और यह माडल इंस्टीट्यूट नहीं बन पाया है। होम्योपैथिक के बारे में कहना चाहूँगा कि राजकीय होम्योपैथिक कालेज में भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। लैब नहीं है जिसके कारण एम0 डी0 की कक्षाएं नहीं चल पा रही है और वहां पर डाक्टरों में रोष है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे।

*चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह)--

मान्यवर, अभी कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने कहा मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए कि इसमें प्राविधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि एम0 सी0 आई0 मानक पूर्ण करने के लिए 6 राजकीय मेडिकल कालेज में 5584 लाख की जरूरत है और 60 लाख का प्राविधान बजट में कर दिया गया है। यह देखे नहीं हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि आगरा के लिए 434 लाख, इलाहाबाद के लिए 734 लाख, गोरखपुर के लिए 1155 लाख, झांसी के लिए 2302 लाख, कानपुर के लिए 846 लाख, मेरठ के लिए 119 लाख का प्राविधान कर दिय गया है। दो करोड़ और बढ़ाया है। 15 साल से यह मांग इनकी पड़ी थी कि मेडिकल कालेज की मान्यता खतरे में है और एम0 सी0 आई0 मानक पूरा कराया जाए, लेकिन पिछली सरकार जो बनी उसकी या 15 साल में किसी भी सरकार की हैसियत नहीं हुई कि यह कार्य पूरा करा दें, इन्हें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने सात करोड़ रुपये का प्राविधान इसके लिए किया है, जहां तक टीचरों की भर्ती का सवाल है, टिक्कू कमेटी लागू करने के लिए, उपकी सारी जानकारी है गोरखपुर मेडिकल कालेज न चलने पाए इसके लिए पता नहीं आपने क्या-क्या किया है, लेकिन इस सरकार का पूरा प्रयास है यह मेडिकल कालेज चलेगा, टीचरों की भर्ती का मामला अधियाचन में गया है और वह लागू भी हो जाएगा, फुल टाइम टीचर रखने की योजना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई है, तो टीचरों की समस्या भी हल कर ली जाएगी। इन्होंने अभी यह आरोप लगाया था कि प्रधानाचार्य वहां का बड़ा भ्रष्ट है, अगर ऐसा है तो आप लिख कर दीजिए हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हमारी सरकार का प्रधानाचार्य नहीं है। आप यह जो अंगौछा ओढ़ कर यहां बैठे हैं, आप जाकर अपने सांसद से पूछे, उन्होंने आठ बार फोन किया है कि प्रधानाचार्य बहुत अच्छा है। यह उन्ही सांसद ने कहा है जिनके चलते आप यहां बैठे हुए हैं अगर वह अपना हाथ खींच ले तो आपका यहां पर बैठना मुश्किल हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह वह लोग हैं जो असल में वहां पर मेडिकल कालेज चलने ही नहीं देना चाहते हैं, यह लोग वहां पर अपना मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं, इसलिए यह लोग चाहते हैं कि किसी तरह से वह मेडिकल कालेज खत्म हो जाए और हमारा मेडिकल कालेज खुल जाए, लेकिन यह सरकार इन लोगों के मन्सूबे कामयाब नहीं होने देगी। गोरखपुर मेडिकल कालेज चलेगा और वह एम0 सी0 आई0 के मानकों को पूरा करेगा। मान्यवर, हमने स्वयं तीन-चार बार आपको बुला कर के कहा है कि हम चलें और आप भी वहां चले, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। यह न तो किसानों के बारे में, न नौजवानों के बारे में, न छात्रों के बारे में, किसी के बारे में भी ये बोल नहीं सकते हैं, अगर यह क्षेत्र में जाएं तो जनता इनको खदेड़ देगी। इनको बधाई देना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इतना बड़ा बजट चिकित्सा शिक्षा में कभी 50 सालों में कभी नहीं हुआ, बस सिर्फ आलोचना करने का काम यह लोग करते हैं, आलोचना करने से जनता का भला नहीं होता है। मैं अनुरोध करूँगा कि आलोचना बंद करके अग्रवाल साहब कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। आपको भी जनता के बीच में जाना है नहीं तो आपके सांसद आपको पार्टी से निकाल देंगे और दोबारा टिकट भी नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) अंतिम भाषण करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेश कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय ओ0 पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और लखीमपुर-खीरी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि अधूरे कार्यों को पूरा कराने का बजट में प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सेमरई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वह अभी भी अधूरा पड़ा है, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरई को भी इसमें पूर्ण करने की कृपा करें और दूसरे बिजुआ में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधूरा पड़ा है उसको भी पूरा कराने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे यहां ब्लाक बेहजम के ग्राम सकेतू में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राइवेट भवन में चल रहा है। हमारे यहां नीम गांव एक सेन्टर प्लेस है उसको वहां पर रखा जाये। वहां पर थाना भी है और इण्टर कालेज भी है और जगह भी उपलब्ध है तो वहां पर उसका भवन बनाने की कृपा करें। उसको वहां से नीम गांव स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां मैनाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है और जिला योजना से भी पास हो गया है। उसको धन दिलाने का कष्ट करें ताकि उस पर निर्माण कार्य हो सके।

श्री अध्यक्ष--

आप मा0 राजेश जी बैठ जायें और मा0 ओ0 पी0 सिंह जी को लिख कर दे दीजिये वह बोल लेंगे। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा। मा0 जनसेवक जी आप लिख करके दे दीजिये अपने सुझाव।

*श्री अमर जीत सिंह "जनसेवक"–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बजट चर्चा पर बोलने के लिए अधिक समय न मिलने पर श्री राजेश कुमार सदन त्याग कर चले गये)

श्री अमर जीत सिंह "जनसेवक"–

मान्यवर, विकलांगों को सर्टीफिकेट देने के लिए एक बोर्ड बना हुआ है और जिसके हेड मुख्य चिकित्साधिकारी हुआ करते हैं, मान्यवर, यदि किसी किसान और गरीब मजदूर का बेटा या बेटी विकलांग हो गये हैं तो उनको मुख्यालय पहुँच कर सर्टीफिकेट बनवाना पड़ता है जिसके लिये वह सक्षम नहीं होते हैं और जो मुख्यालय की स्थिति है उसमें जो मूक, बधिर, विकलांग हैं उनकी जांच के लिये जनपदों में स्पेलिस्ट मंगाये जाने की व्यवस्था की जाती है। मेरा आग्रह है कि जो मूक और बधिर विकलांग हैं, उनके परीक्षण के लिये ब्लाक स्तर पर बोर्ड गठित किया जाये क्योंकि ऐसा हम सब जानते हैं जो 40% से अधिक विकलांगता के होते हैं उन्हीं को शासन से लाभ प्राप्त होता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अमर जीत सिंह "जनसेवक"–

मान्यवर, हमारे यहां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी जी का हम जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो मेरा अनुरोध है कि उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिन्दकी का नामकरण सोहन लाल द्विवेदी जी के नाम पर कर दिया जाये। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, मैं अपका आभारी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनसे जो दवाइयों की सूची आती है वह बुलन्दशहर में दवायें नहीं दी जा रही है और सी0 एम0 ओ0 मेरठ से उसे परचेज कर रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय छबीला में है उसके भवन का निर्माण कराया जाये। इसी तरह से एक होम्योपैथिक का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहमदगढ़ में है। वहां लोगों को दवायें सुचारू रूप से मिलें। मान्यवर, उसकी व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाये। मान्यवर, पहले मलेरिया विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाते थे और स्लाइड बनाते थे तथा खून की टेस्टिंग किया करते थे और दवाओं का वितरण किया करते थे लेकिन आज वह सब व्यवस्था खत्म सी हो गयी है। मान्यवर, उन लोगों को गांव-गांव जाकर स्लाइड बनानी चाहिये। मान्यवर, इसी तरह से गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नकली दवाइयां मिल रही हैं उनका निरीक्षण किया जाये और नकली दवाओं के वितरण पर रोक लगायी जाये। इसके अलावा गरीबों को पूरी दवा मिले और सस्ती दवायें मिलें। मान्यवर, राष्ट्र निर्माण के लिये चरित्र निर्माण का होना आवश्यक है तभी हम उत्तम प्रदेश बनाने की कल्पना कर सकते हैं। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि सी0 एच0 डब्लू0 जन-स्वास्थ्य रक्षक किट की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाय।

*श्री विद्या सागर गुप्ता--

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कैंसर की बीमारी बुरी तरह से फैल रही है। मेडिकल कालेज, लखनऊ में जो कैंसर की रोकथाम के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए कोबाल्ट यूनिट है, इसकी दो यूनिट हैं। 18 करोड़ की आबादी में 2 यूनिट है और जब मरीज जाता है तो कहते हैं कि एक माह के बाद आइये रेडियोथिरैपी लगेगी और एक माह के बाद वह बीमारी 3 गुना बढ़ जाती है। एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हास्पिटल मेरे विधान सभा क्षेत्र में है इसमें मेरी मांग है कि एक कैंसर हास्पिटल खोला जाय और उसमें दो कोबाल्ट यूनिट लगाई जाय। दूसरी मेरी मांग है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में दो यूनिट की जगह 10 कोबाल्ट यूनिट होना चाहिए। मान्यवर, दवा, मरहम, पट्टी न हो तो एक बार काम चल जायेगा लेकिन कैंसर का इलाज नहीं होगा तो आदमी बचेगा नहीं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आधुनिक मशीनें लगायेंगे। मान्यवर, ट्रामा सेन्टर पर मशीनें लगी हैं वेन्टीलेटर लगे हैं वह सब खराब पड़े हैं एक भी वेन्टीलेटर नहीं चल रहा है। वहां डाक्टरों की मिलीभगत रहती है और बाहर दलाल खड़े रहते हैं और गरीब मरीज को बाहर ले जाते हैं जहां उनसे 10-20 हजार रुपया ले लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वह एक आम नागरिक के नाते वहां जाकर देखें कि मशीनों का क्या हाल है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मैं आभारी हूँ मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र नगर बस्ती के पल्हागांव में 8 साल पहले बिल्डिंग बनकर तैयार है उसको हैण्डओवर करा दें। दूसरी बात यह है कि मेरा पिछड़ा इलाका है इसलिए मेरे क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अकारी के लिए खोला जाय और अभी जैसा माननीय डाक्टर साहब ने कहा है। मान्यवर, हमारा गोरखपुर मेडिकल कालेज लगभग दो करोड़ की आबादी को प्रभावित करता है। इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय। यह नैपाल को भी प्रभवित करता है उसको ज्यादा से ज्यादा धन अन्य मेडिकल कालेज की बराबरी में दिया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि आप मुझे समय नहीं देते हैं इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहकर मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, कटौती के इस प्रस्ताव पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जिसमें माननीय डा0 पी0 के0 राय, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सीतापुर के रामकृष्ण जी और साथ में अपने चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा। मैं कुछ बिन्दुओं का जिक्र करके जल्द से जल्द अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहली बात यह है कि मुझे अवसर बसपा पार्टी की ओर से दिया गया था और यह प्रश्न माननीय मंत्री जी ने पूछा और पी0 के0 राय जी ने पूछा कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है भाजपा और बसपा की सरकार ने ? तो वह तो किसी ने किया ही नहीं।

(समय 9 बजकर 20 मिनट)

इसलिये पूरे मेडिकल कालेजों को सोसाइटियों में बदलने का काम हुआ था और इसी सदन में इस सरकार का समर्थक होने के बावजूद मैंने नियम 56 इस विषय पर लगाया था तो उस समय मुझसे कहा गया कि आप समर्थक हैं और नियम 56 नहीं ला सकते। फिर मैं इसे नियम 52 में लेकर आया, पी0के0 राय जी इसके गवाह हैं। तब नियम-52 में चर्चा कराने की बात हुयी थी और नियम 52 में चर्चा हुयी। मान्यवर, यह मायावती जी की ही सरकार थी, जिसने समस्त मेडिकल कालेजों को, जो सोसाइटियों में पूर्व में परिवर्तित कर दिया गया था, को पुन: राजकीय मेडिकल कालेज के रूप में परिवर्तित किया। मैं इस मंच से मायावती जी व उनके समस्त मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ। धन्यवाद देता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) --

यह भी बता दीजिये कि इन मेडिकल कालेजों को सोसाइटी बनाने का काम किसने किया था ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मैं उस समय सदस्य नहीं था, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सुश्री मायावती जी की सरकार नहीं थी। बसपा की सरकार नहीं थी। किसकी थी यह आप बताइयेगा, यह मेरा विषय नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

जिसका आप दुपट्टा ओढ़े हुये हैं, उसी की सरकार थी, जिसने मेडिकल कालेजों को सोसाइटी में कन्वर्ट किया था।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं। मैं तो भाजपा की जमानत जब्त कराकर सदन में आया हूं। दूसरी चीज जो एक बात पी0के0 राय जी ने कही, मैं उनका आभारी हूं। एक यू0एच0डी0एस0पी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना और अधोमानक उपकरणों के बारे में उन्होंने कहा। मान्यवर, 3 महीने पहले जिला चिकित्सालय में आपरेशन हो रहा था, आपरेशन के दौरान ही टेबिल टूट गयी और मरीज नीचे गिर गया। इससे ज्यादा घटिया उपकरण और क्या हो सकता है ? यह गोरखपुर जिला चिकित्सालय की बात मैं बता रहा हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण आप लोग बात मत करें।

तीसरी चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग कभी भी सिर्फ आलोचना में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने कई चीजों के लिये धन्यवाद दिया, जैसे आपने एक रुपये का परचा कर दिया। मैंने इस बात के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा भी की कि पीलिया की रोकथाम के लिये उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया। हम लोग सकारात्मक समालोचना में विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या की चर्चा ही न की जाय तो फिर ऐसे प्रतिपक्ष की जरूरत ही क्या है ? हम संजय गांधी संस्थान या के0जी0एम0सी0 का विरोध नहीं करते हैं, वहां के बारे में माननीय सुरेश जी ने बता दिया है। मान्यवर, जैसा दुष्यंत कुमार ने कहा है-- यहां तक आते-आते सूख जाती है, कई नदियां .....

लखनऊ में जो पानी ठहर गया है, इसे बहाकर गोरखपुर, मेरठ तक पहुंचाया जाय। मैं इसके साथ अपने आपको जोड़ता हूँ। आप मेडिकल कालेजों के चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक नहीं पायेंगे, चाहे आप जितनी बहस कर लें। इसके लिये आपको कोई व्यावहारिक रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिये। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उसके लिये मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्हें आभास तो हुआ कि हम चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हूं, क्योंकि बेचारे बैठे हुये थे और परिवहन मंत्री नरेश अग्रवाल जी इनके विभाग का बजट रखकर चले गये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ने तो आपको 11 करोड़ दिये जबकि आप तो 5 करोड़ ही मांग रहे थे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मैं फिर से कह रहा हूं कि मेडिकल कालेज की समस्या अगर पैसा देने से हल हो जाय, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इस सरकार ने कुछ किया है तो मैं इसके लिये खुलेआम धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर के अखबारों में आप देखिये, कभी-कभी मुझे पर आरोप लग जाते हैं, लेकिन सत्य कहना चाहिये, सत्य से परहेज नहीं करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने एक-दो बातें हल्की कही, जो इन्हें शोभा नहीं देतीं ....

श्री अम्बिका चौधरी (बैठे हुये)--

अरे छोड़िये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

छोड़ कैसे दूं, आप जब कहें तो सब अच्छा है और जब मैं कहूं तो छोड़िये। चलिये संसदीय कार्यमंत्री जी की सीट पर अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि छोड़िये, अगर आप

उसको गलती मान रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मैं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने इतना गुस्से में मेडिकल कॉलेज के समाधान की बात कही है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप हनुमान जी हैं, अब आप यह समझ गये हैं कि आप चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं और अब आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अगर आप सचमुच में टिक्कू कमेटी की समिति की रिपोर्टों को ईमानदारी से लागू करते तो यह चीज इन किताबों में भी लिखी जाती, हम तो इन किताबों को ही पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

श्रीमन् उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, एलोपैथ, होम्योपैथ, उसी में यूनानी भी जोड़ लें, इन सभी पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। यह ठीक है कि औपचारिकता पूरी है, इस बात की भी कहीं-कहीं पर प्रशंसा हुई है। इस सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, हमने इसमें 40 परसेंट की बढ़ोत्तरी की है। इस बार सभी तहसीलों में जितनी पी0एच0सी0 हैं उनको सी0एच0सी0 में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से मान्यवर, एक परिवर्तन का दौर चल रहा है, मैंने ऊर्जा विभाग के बजट में कहा था कि हमसे बहुत जल्दी हिसाब मांगा जा रहा है, जो योजनाएं हम बना रहे हैं, उन्हें उन्नत होने में समय लगेगा। हम आपसे वायदा करते हैं कि जो शंका व्यक्त की जा रही है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज मई तक समाप्त हो जाएगा। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि कोई मेडिकल कॉलेज समाप्त नहीं होगा, इसके लिए चाहे हमें सप्लीमेंट्री क्यों न लाना पड़े ? टिक्कू कमेटी की दो रिपोर्ट हैं, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें डी0पी0 के माध्यम से करने के लिए सहमति हो गई है और यह कैबिनेट में जा रही है, एक-डेढ़ महीने में इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जो 175 पद रिक्त हैं और कमीशन के हैं, उन पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा, यह आपका सुझाव भी था, इसके लिए कैबिनेट में नोट जा रहा है, जल्दी ही इनकी नियुक्ति शुरू कर दी जाएगी। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि अगर हमें चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार नहीं करना होता तो एक हजार से अधिक डॉक्टरों को वहां न भेजा जाता। जिला अस्पतालों में स्पेस्लिस्ट रहने चाहिए, देखा यह गया है कि स्पेस्लिस्ट गांवों में नहीं जाना चाहते हैं, इन्हें गांवों में, जिलों में भेजा गया है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि गांव के स्तर पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध हों, लोगों को अच्छा उपचार मिले। लगभग दो वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने एम0पी0 के क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य मेला लगाने का फैसला लिया था, उसमें विधायक को कहीं नहीं पूछा गया था, तो यह मेला सभी विधायकों के क्षेत्रों में क्यों नहीं लग सकता ? अगर यह मेला लगता है तो लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी मिलेगी। आज भी तमाम मौतें जानकारी न होने से हो जाती हैं, इस प्रकार से जानकारी दे करके हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।

हम भी इस प्रदेश में एक नई चिकित्सा का प्रयोग कर सके। मैं यह भी चाहूँगा कि परिवार कल्याण के संबंध में कुछ सुझाव आ जायें। इस संबंध में कोई सुझाव नहीं आये। यह भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, हम आबादी बढ़ाते चले गये। बाजपेयी जी को याद है उनकी सरकार दिल्ली में थी। परिवार कल्याण की कमेटी बनी तो एक हजार लोगों की कमेटी बना दी, जब इतने लोगों की कमेटी बन जायगी तो बैठक कहां से होगी ? कमेटी बन गयी लेकिन उसकी बैठक नहीं हुई । मैं तो चाहूंगा कि सभी दलों को वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर चिन्तन करना चाहिए।

जब तक शिक्षा के माध्यम से इसको नहीं चलायेंगे तब तक जबरिया आप समाज में किसी के ऊपर नहीं थोपा जा सकता है। इसमें लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। हम मेडिकल एजुकेशन के साथ पल्स पोलियो चला रहे हैं। यद्यपि कई रोड़े भी आये लेकिन सरकार का एक अभियान है, एक सोच है कि एक भी बच्चा उत्तर प्रदेश में पोलियो ग्रस्त नहीं होना चाहिए और इसको लागू करने में सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किया है। हर 10 वें, 15 वें दिन अभियान चलाया है। आप सबका सहयोग मांगता हूं कि अगर सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी होंगे तो जो सरकार का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जल्दी ही पूरा कर सकेंगे। श्रीमन्, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने टेस्ट लैब के लिए कहा है। दो टेस्ट लैब को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं भी देख रहा था कि नकली दवाओं के लैब हैं, उसकी जांच नहीं हो पाती है। आज ही अखबारों में पढ़ा कि सी0बी0आई0 ने छापा मारकर नकली दवायें पकड़ी। यह एक अभिशाप है, सरकार यह विचार कर रही है कि नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। नकली दवायें भी मृत्यु के समान है और लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमने जिलों में ए0डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटी है जो महीने में लगातार छापे मारेगी। उत्तर प्रदेश में 5 लैब हैं अगले वर्ष तक हम इनको अपग्रेड कर देंगे ताकि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की कमी न हो और हम टेस्टिंग के अभाव में नकली दवा के कारोबार पर कार्यवाही न कर सकें। बाजपेयी जी ने एक बात उठायी कि डायरेक्टर के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसको लागू नहीं किया गया। यह ठीक है कि मा0 उच्च न्यायालय का आदेश है, था। उनका कहना था कि वरिष्ठतम प्रधानाचार्य को कार्यभार दिया जाये। लॉ विभाग की राय मांगी गयी है, जैसे ही ओपिनियन आ जायेगी तुरन्त कार्यवाही कर दी जायेगी। फार्मेसी की नियुक्ति निदेशक स्तर से हो रही है। आपने सुझाव दिया है उसका समावेश करते हुए नतीजा निकालेंगे और हम चाहते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उनको वरीयता मिलनी चाहिए। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में चौमुखी प्रगति की है।

मान्यवर, हमारी सोच गांवों की भी है और शहरों की भी है कि वहाँ पर अच्छी चिकित्सा हो। पता नहीं राधा मोहन सफई से इतना ज्यादा क्यों परेशान हैं ? मुख्य मंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अगर हम सब लोग अपने-अपने घर को रंग-पोत कर ठीक कर लें तो प्रदेश खुद ही ठीक हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं संकल्प लेते हैं ? इतनी विधायक निधि है, अगर पांच करोड़ रुपये विधायक निधि से एक प्रोजेक्ट पर लगा दें तो देखने के लायक हो जाएगा लेकिन हमारी प्राथमिकताएं अन्य रहती हैं तो निधि का दुरूपयोग होगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, अगर एक प्रोजेक्ट पर लगा देंगे तो यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पाँच साल बाद आपको वोट मांगने की जरूरत नही पड़ेगी। जो हालत हैं, "जय श्री राम" की जगह "राम नाम सत्य" को याद करना पड़ेगा। मान्यवर, राधा मोहन दास जी पढ़े-लिखे और डाक्टर भी हैं, हमने उनके सुझावों को स्वीकार किया। मैं जानता हूं कि वह अनौपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव रख रहे हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको वापस ले लें और हम सहयोग के साथ आगे बढ़ें।

श्री अध्यक्ष--

ओम प्रकाश जी, आप वापस लेते हैं ?

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

नहीं ।

श्री अहमद हसन--

मान्यवर, मेरे पहले भाषण की, बड़ी हिम्मत अफजाई हमारी हुई उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय रामकृष्ण जी ने कहा कि सन् 1988 से ए0एन0एम0 बेरोजगार हैं, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रेन्ड ए0एन0एम0यू0पी0 भर में हैं उनको रेगुलर और संविदा पर रख लिया जाएगा। राधा मोहन अग्रवाल साहब ने अच्छा भाषण दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पोलियों के खात्मे के लिए धर्म गुरूओं का इस्तेमाल किया गया और उसका अच्छा असर रहा लेकिन परिवार नियोजन में धर्म गुरूओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि परिवार नियोजन में फर्क है। हम जबरन नसबन्दी के पक्ष में नहीं हैं। इन्दिरा गांधी जी ने ऐसा किया था और उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा था। यह मुल्क सभी धर्मों के लोगों का है, सभी के सेंटीमेंट्स को देखकर एक रणनीति बनाई जा रही है और हम जनसंख्या नियंत्रण करके दिखा देंगे। जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनकी आबादी ज्यादा नहीं है। इण्डोनेशिया मुस्लिम देश है लेकिन उसकी आबादी नहीं बढ़ रही है। आबादी से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक कमेटी बना करके अध्ययन कर रहे हैं, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार जबरन नसबन्दी के खिलाफ है। आबादी बढ़ने के और तमाम कारण हैं, बेरोजगारी, एजूकेशन और कुछ अन्य कारण हैं जिनसे आबादी बढ़ रही है। इसका क्या तरीका अपनाया जाय, उस सिलसिले में हम आपसे भी सलाह लेंगे। आखिर में एक निवेदन और कर दूं, पूरी दुनिया पोलियों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश को देख रही है, मुलायम सिंह यादव की भूरि-भूरि प्रशंसा जेनेवा में हुई है। मैं चाहूंगा कि सदन कोई प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री को बधाई दे तो एक संदेश जाएगा और अच्छा असर पड़ेगा, इस पर विचार कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,76,98,99,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 12,49,32,16,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,30,83,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 65,12,04,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,92,54,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,57,84,64,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी मद संख्या-9 (30, 31) एक साथ प्रस्तुत कर दें।

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल भंग (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,24,63,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,14,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-9 (30) पर कटौती का प्रस्ताव नहीं है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि .....

(श्री अध्यक्ष के प्रश्न उपस्थित करने पर माननीय सदस्य के कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं इतनी देर से कह रहा हूँ तो कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा है। इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करने लगा। आप प्रोसीडिंग देख लीजिये, मैंने पूछा लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। चलिये रखिये।

*श्री अक्षयवर लाल--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, यह नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का सम्मिलित बजट रखा गया है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सीमित है, इसलिये मेरा कहना है कि इसको हर जिलों में लागू किया जाय। होम गार्ड का जो बजट है, मैं इसके बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर को होम गार्ड दिवस मनाया जाता है और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रत्येक वर्ष यह 6 दिसम्बर को मनाया जाता था। मैं भी इसका मंत्री रहा हूं और मैंने इसकी घोषणा की थी। दुःख की बात है कि होम गार्ड डे नहीं मनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी को पता नहीं मंत्री जी पर विश्वास क्यों नहीं था कि जो घोषणा करेंगे उसको लागू करेंगे। प्रदेश में 1 लाख 20 हजार होम गार्ड्स हैं। 4 हजार वेतनभोगी कर्मचारी हैं और मंहगाई प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन वह लागू नहीं हुई। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1962 से 2005 तक होमगार्ड्स के आधुनिकीकरण के नाम पर पैसा आता था लेकिन वह पुलिस विभाग के पास जाता था। मैं तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास गया था और उनसे अनुरोध किया था कि यह पैसा गृह विभाग में जाता है और होमगार्ड्स को नहीं मिलता है। हम अपने होमगार्ड्स की वर्दी, कमान्डेन्ट्स को रिवाल्वर जो आधुनिकीकरण के नाम पर नहीं दे पाते हैं। कहीं पर डकैती पड़ती है तो दरोगा जी होम गार्ड को बैठा ले जाते हैं। अब डंडा चलाना जिसको आता है वह आधुनिक शस्त्र नहीं चला सकता है क्योंकि उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसके पास वह शस्त्र नहीं है। तत्कालीन गृह मंत्री ने अनुकम्पा की थी और 6 करोड़ रुपये होम गार्ड विभाग के लिये दिये थे जो कि जिला कमान्डेन्ट और उनकी गाड़ियों के रख-रखाव में खर्च हो गया। होमगार्ड्स वाले 85 रुपये, 90 रुपये पाते हैं, उनका मानदेय बढ़ाने की योजना बनाई जाय। इनसे काम के बदले इनको जो पैसा मिलता है उससे इनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कटौती के प्रस्ताव पर माननीय अक्षयवर लाल जी ने कहा कि इस प्रदेश में 1 लाख 20 हजार होमगार्ड्स हैं। जबकि भारत सरकार ने 1 लाख 17 हजार 9 की स्वीकृति दी है। माननीय गौड़ साहब होमगार्ड विभाग के मंत्री रहे हैं और सदन में इतनी जल्दबाजी में सब भूल जाना ठीक नहीं है। एक सवाल इन्होंने किया है हमारे होमगार्ड डंडा लेकर चलते हैं। जबकि 10 हजार हमारे सशस्त्र जवान होमगार्ड प्रदेश में आज भी हैं। 3,417 महिला होमगार्ड की संख्या है। एक सवाल होमगार्ड के बारे में कहा है मैं आपको अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। इसलिए कभी 6 दिसम्बर को होमगार्ड दिवस नहीं मनाया गया है। कभी 8 तारीख को, कभी 12 तारीख को, कभी 14 तारीख को, कभी 16 तारीख को मनाया गया है। इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस वीक को भी आगे बढ़ा दिया था। हाल में उन्होंने पुलिस वीक मनाया है। कल 12 तारीख को होमगार्ड डे के लिए समय दिया है। जबकि हमारे विभागीय अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे। इतनी जल्दी में माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए परेड की व्यवस्था कैसे होगी ? इसलिए विभाग ने अनुरोध किया है मुख्य मंत्री जी से, इस तिथि को अगली तिथि में रख दें ताकि वह अच्छी तरह तैयारी कर सकें। मैं गौड़ जी को बताना

चाहता हूं वह इस विभाग के मंत्री रहे हैं जब-जब इस प्रदेश क माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री रहे हैं जब-जब उनकी सरकार बनी है उनके अतिरिक्त होमगार्ड विभाग के लिए किसी सरकार ने देखा तक नही है। हमेशा उपेक्षा की है। होमगार्ड मुख्यालय के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप मंत्री जी रहे हैं कभी भी होमगार्ड मुख्यालय की स्थापना नहीं कराई है माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन हैं उन्होंने 1993 में केन्द्रीय प्राइवेट संस्थान की स्थापना की है वह मौजूद है आप स्वयं मंत्री जी रहे हैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1993-94 में प्रदेश बागडोर अपने हाथ में ली इन्होंने सूती बर्दी की जगह टेरीकाट की वर्दी देने का प्राविधान किया। ड्यूटी भत्ते में भी इन्होंने बढ़ोत्तरी की। आपकी सरकार जब थी माननीय कल्याण सिंह जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे दो रुपया मानदेय होमगार्डों का बढ़ाया गया था। हमारी सरकार ने रोजगार के अवसर दिए। निगमों के माध्यम से प्रतिष्ठानों के माध्यम से रोजगार के अवसर होमगार्डों को दिए। होमगार्ड की ड्यूटी के लिए 1993-94 में आदेश दिए कि सार्वजनिक निगमों, प्रतिष्ठान में, किसी संस्था में अगर होमगार्ड की आवश्यकता होगी, अभी पी0जी0आई0 में 100 होमगार्ड मांगे गए हैं। 28 हजार होमगार्ड प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी देते हैं। 2003-2004 में सरकार बनी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है इन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती कराई हैं इन्होंने आदेश दिया और पूरे प्रदेश में 5600 स्वयं सेवकों की भर्ती की गई है और उनको प्रशिक्षण दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब आप देकर गए थे, उस समय 28 रुपया प्रशिक्षण में मिलता था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे 50 रुपया कर दिया है। अधिकारी मेस नहीं थी, आपने इसके लिए 50 लाख रुपये दिए हैं और वह निर्माणाधीन है। मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से चतुर्थ श्रेणी के जो रिक्त पद हैं, उनको भरने की अनुमति दी गई है और 525 पद भरे जा रहे हैं। उसकी प्रक्रिया चल रही है। कनिष्ठ लिपिक के 50 पद रिक्त थे, आपने संस्तुति कर दी है और आदेश दिया है कि इन रिक्तियों को फिलअप कर दिया जाय। इस प्रदेश में बी0ओ0 के 231 पद रिक्त थे, इसकी स्वीकृति भी दे दी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार जब-जब थी, तब-तब आप मानदेय के रूप में 2 रु0, 3 रु0, 5 रु0 बढ़ाकर इस होमगार्ड विभाग को उपेक्षित करते रहे। यदि कोई शख्सियत इसके लिए संवेदनशील है, वह हमारे मुख्य-मंत्री जी हैं और उन्होंने होमगार्ड के स्वयं-सेवकों के लिए बहुत कुछ किया है और करेंगें। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे होमगार्ड के जवान इस प्रदेश में ड्यूटी के अतिरिक्त के बाहर के भी प्रदेशों में भी आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवाएं देते हैं। चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, पांडिचेरी हो, यहां पर जितना भी मानदेय मिलता है, उस मानदेय में मेरा स्थान पूरे देश में छठवें-सातवें नम्बर पर है। हम 85 रु0 जिले के अन्दर और 90 रु0 जिले के बाहर ड्यूटी करने पर देते हैं। जैसे ही संसाधन बढ़ेंगे, इनके मानदेय भी बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे जवान, चाहे जनरल चुनाव हो, प्रदेश के बाहर ड्यूटी करने की बात हो, करते हैं। पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तरांचल भी हमारे जवान गये हैं और आपदा तथा बड़े मेलों में भी इनकी जरूरत पड़ती है और इनकी सेवाएं ली जाती है। आपने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, उस पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चूँकि आप इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आपने कटौती का प्रस्ताव किया है, आपकी संवेदनशीलता इसी से प्रकट होती है कि एक रुपये का प्रस्ताव आपने किया है। आप इस विभाग के मुखिया रहे हैं इसलिए यह आपको शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

गोड़ जी, आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अक्षयवर लाल--

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा है कि कल्याण सिंह के समय 2 रुपया बढ़ाया गया लेकिन राजनाथ सिंह के समय का नहीं बताया जब 10-15 रुपया बढ़ाया गया था। आपने यह नहीं बताया जो हम लोगों ने ट्रेनिंग का मानदेय बढ़ाया था और सबसे बड़ी बात आप यह भूल गये जो 6 करोड़ रुपये में लाया था, यह माननीय आडवाणी जी की देन है कि प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपये दिए जिससे उनका आधुनिकीकरण किया गया और जो संसाधन उपलब्ध हैं, उससे आप करें। कटौती का मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूँ कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। एक कारीगर 150 रुपया पाता है, मैं चाहता हूँ कि उनका मानदेय भी डेढ़ सौ रुपये कर दीजिए। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,24,63,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,14,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-22, खेल विभाग

*खेल कूद, युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 क0 चौधरी)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 31,23,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शब्बीर--

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें विवाद नहीं होना है। जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं वह माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, खेल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 31,23,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 80,48,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,23,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(श्री धर्मपाल सिंह के द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगने पर।)

श्री अध्यक्ष--

धर्मपाल जी, आपका नाम इसमें नहीं है।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

मान्यवर, यह तो कोई भी रख सकता है।

डॉ0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, श्रम विभाग, श्रमिकों के कल्याण का विभाग है, और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल निर्देशन में नए उद्योग खोले गये हैं और जो पिछली सरकारों में उद्योग बंद हो गये हैं उन्हें भी खोलने का काम किया गया है। मान्यवर, त्रिवेणी से लेकर 8 उद्योग ऐसे हैं जिन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल निर्देशन में खोला गया है। डंकन 31 तारीख को खुल जाएगा। श्रमिकों के लिए चीनी उद्योग में काम करने वाले कर्मियों के लिए समिति की संस्तुतियों को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है इससे 1 लाख कर्मी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाभान्वित होंगे। वर्ष 1989 के बाद आज पहली बार श्रमिकों के बारे में सोचा गया है और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भारत में श्रमिकों को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वह उत्तर प्रदेश होगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बीड़ी उद्योग में 6 लाख मजदूर थे उनके वेतन पुनरीक्षण का मामला कई वर्षों से लम्बित था। राज्य सरकार ने उनकी मजदूरी में बढ़ोत्तरी की। अब उन्हें 43.50 प्रतिहजार के रूप से उनका मानदेय दिया जाएगा। मान्यवर, इससे 6 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस के अतिरिक्त हमारी सरकार ने निरन्तर प्रयास किया है कि जो भी उद्योग उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार की खराब नीतियों के कारण बन्द हो गये थे उनको प्रयास करके खुलवाने का काम हम कर रहे हैं। आईटीआई से जो छात्र पढ़कर निकलता है उसे वही फ्लोर पर नौकरी मिल जाय ऐसा हमने प्रयास किया है।

मान्यवर, औद्योगिक विकास तभी संभव है जब औद्योगिक शांति बनी रहे। इस दृष्टिकोण से सेवायोजकों और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच संराधन प्रक्रिया को अपनाकर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में शांति बनाये रखने का विशेष प्रयास किया है। इलाहाबाद स्थित मेसर्स त्रिवेणी ग्लास लि0, हमीरपुर स्थित मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि0, उन्नाव स्थित मेसर्स किंग्स इण्टरनेशनल लि0, ललितपुर स्थित मेसर्स भारत एक्सप्लोसिव लि0, मऊ स्थित मेसर्स उ0प्र0 राज्य कताई मिल्स कम्पनी लि0 में औद्योगिक शांति बनाने के प्रयास किये हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हजारों श्रमिक बेकार पड़े है क्योंकि हमारी यह सोच है कि उद्योग चलेंगे नहीं तो श्रमिकों को भला होने वाला नहीं है, यह कल्याणकारी सरकार है, सरकार इनके लिए भी कृत संकल्प है। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके नियोजकों को अत्यन्त कम प्रीमियम रुपया एक सौ प्रति श्रमिक तथा रुपया दो प्रति नियोजन पर उक्त बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु तथा पूर्ण स्थाई अपंगता की दशा में बीमित धनराशि का शत प्रतिशत धनराशि का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जाता है। योजना के अन्तर्गत श्रमिक नियोजित न करने वाले नियोजकों को एक लाख रुपया तथा श्रमिक नियोजित करने वाले नियोजकों को दो लाख रुपया तथा कार्यरत श्रमिकों में से प्रत्येक को एक लाख रुपया सामूहिक बीमा कराया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इतना कल्याणकारी यह बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुए इसे पास करायें।

श्री अध्यक्ष--

कोई कटौती रख रहा है ?

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

*श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे श्री ओ0पी0 सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, प्रदेश में श्रमिकों, मजदूरों और नौजवानों की सर्वाधिक समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 2003 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी, इसमें किताब में है, एक जी0ओ0 है, इंस्पेक्टर राज को मुअत्तल किया जाता है। यह गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और सबसे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका गला घोट दिया जो उनकी बात नहीं सुनते। इंस्पेक्टर राज को तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

एक सदस्य--

इंस्पेक्टर राज को तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था ? राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)

इंस्पेक्टर राज को किसने खत्म किया था ?

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

इंस्पेक्टर राज को किसने खत्म किया था ?

श्री धर्मपाल सिंह--

यह माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने ही समाप्त किया था। निरीक्षण की एक पद्धति थी, श्रम विभाग में जहां कहीं किसी फैक्ट्री के निरीक्षण की जरूरत पड़ती थी, श्रम विभाग के अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमति लेकर निरीक्षण किया करते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने, जो गरीबों के मसीहा भी हैं, जो निरीक्षण अधिकारी, जिलाधिकारी से अनुमति लेकर किया करते थे, उनको भी समाप्त कर दिया है। जिस सरकार का यह लोग दम्भ भरते थे कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, श्रमिकों की सरकार है, किसानों की सरकार है, सच कहा जाए तो यह सरकार पूंजीपतियों की रखवाली करने वाली सरकार है। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के हितों के लिए कानून का एक भी प्रावधान किया है ? कोई अधिनियम उनके हितों के लिए बनाया है ? माननीय मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि श्रमिकों की सुरक्षा करने के लिए कितने सामाजिक अधिनियम बनाये गए हैं ? उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, श्रमिकों के हितों में कितने अधिनियम प्रयोग कर रहा है, उनके बजट में कहीं कोई इसका उल्लेख नहीं आया। न ही उसमें श्रमिकों को रोजगार देने की कोई योजना है। किसी भी फैक्ट्री में, खतरनाक उद्योग में काम करते समय किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जो दुर्घटना बीमा योजना का प्राविधान है, वह लाभ भी उन्हें नहीं दिया जाता है, तो इसे किसी भी स्थिति में श्रमिकों की हितैषी सरकार नहीं कहा जा सकता है ? यह तो पूँजीपतियों की ही हितैषी सरकार है। जब से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने शपथ ली है, तब से किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मजदूर को बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने इस बजट में कारखानों के निरीक्षण के लिए बजट का प्राविधान कर लिया है, अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले गरीबों के बड़े हमदर्द थे अब पता नहीं क्या हो गया ? अभी कारखानों के निरीक्षण के लिए 310.79 करोड़ मात्र था अब उन्होंने इसको बढ़ाकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वर्ष 2005-2006 में कारखानों का निरीक्षण करने हेतु बजट में 359.63 लाख का उल्लेख किया है। मान्यवर, जब कारखानों का निरीक्षण होगा नहीं कहीं पर, इन्स्पेक्टर फैक्ट्रियों में देखने जा नहीं सकते हैं, तो इतने बजट की जरूरत क्या है ? मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यह बजट को काटे नहीं, इस बजट में यह गरीबों के पुनर्वास के लिए, मजदूरों के पुनर्वास के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, उसमें उल्लेख कर दें और इसी तरह से प्रदेश में साप्ताहिक बन्दी हुआ करती थी, प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई है, तब से साप्ताहिक बन्दी नहीं हुई है, दुकानें सभी दिन खुली रहती हैं क्योंकि श्रम विभाग की भनक नहीं रह गई है। प्रदेश में लगभग 24 चीनी मिलें, 30 साल के पट्टे पर ली जा रही हैं, ठीक है। मान्यवर उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो श्रमिकों के हिमायती हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि उन श्रमिकों को, जो वहां काम कर रहे हैं, उनको कहीं आप समायोजित करेंगे ? या उनकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे ? या उनके लिए कोई और संविधान बनायेंगे ?

मान्यवर, बजट में बंधुआ मजदूरों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जिनसे जबरन काम कराया जाता है। मान्यवर, यहां बाल श्रमिकों के बारे में भी कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाल श्रमिक छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों से काम कराना कानून अपराध है। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है तब से किसी भी खतरनाक उद्योग का निरीक्षण ही नहीं हुआ है और न ही किसी को इसके लिए प्रतिबन्धित किया गया है। मान्यवर यह सरकार बच्चों के हितों में काम नहीं कर रही है। मान्यवर, श्रमिकों, कामगारों को न्याय देने के लिए श्रम न्यायालय बने हुए हैं न्यायाधिकरण बने हुए हैं उनमें अभी जजों की नियुक्ति नहीं है कहीं-कहीं तो बहुत वाद लम्बित रहते हैं इसमें जजों की नियुक्ति हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेण्डर बजटिंग की बात कही थी वह बहुत सराहनीय है। लेकिन माननीय श्रम मंत्री जी महिला कर्मचारियों के बारे में कुछ करते तो ज्यादा अच्छा रहता। मान्यवर, राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल हमारे हैं। मान्यवर जो हमारे दूसरे सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें एक रुपया पंजीकरण शुल्क लगता है और दवा मिल जाती है। लेकिन जो हमारे बीमा के चिकित्सालय हैं उनमें जो बीमांकित व्यक्ति हैं उनके वेतन से पैसा कटता है उनको बेहतर दवाई मिलनी चाहिए। मान्यवर, जो वहां पर ब्रांडेड कम्पनियों की दवा देने की व्यवस्था की गई थी अब उसमें कटौती की जा रही है मेरा अनुरोध है कि गुणवत्ता की दवायें वहां दी जाएं यह जरूरी है। इसके अलावा उन अस्पतालों को कुछ आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित किया जाए जैसे एक्सरे हैं और दूसरी मशीनें हैं जिनमें जंग लग रही है उन्हें ठीक किया जाए।

मान्यवर, जो हमारे प्रान्तीय चिकित्सा सेवा सम्वर्ग में डाक्टर काम करते हैं उनके प्रमोशन की व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालयों के डाक्टरों के लिए भी होनी चाहिए क्योंकि दोनों की योग्यताएं समान हैं। उनके भी प्रमोशन उसी भांति किये जाने चाहिए जिस तरीके से प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के डाक्टरों के किये जाते हैं। मान्यवर, सेवायोजन के बारे में मुझे कहना है कि 29 अगस्त, 2003 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप मंत्री जी बतायें कि इन सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से कितने नौजवानों को रोजगार दिया गया है ? मान्यवर, यह जो सेवायोजन कार्यालय हैं, यह मात्र पंजीकरण का ही काम करते हैं और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जो उनमें कैरियर काउन्सिलिंग की व्यवस्था चलाई गई थी अगर उसे चालू रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान्यवर, आई0टी0आई0 के बारे में कहना चाहता हूँ कि डब्लू0 टी0 ओ0 लागू हो जाने से और इस

भूमण्डलीकरण के समय में प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। आई0 टी0 आई0 में प्रशिक्षण का बेहतर माहौल बने इसको देखने की आवश्यकता है मान्यवर जो हमारे यहां एन0सी0बी0टी0 के आई0टी0आई0 हैं अभी प्रदेश में उसमें कुछ कमी हो जाती है लेकिन जो आई0सी0बी0टी0 के आई0 टी0 आई0 हैं उनको एन0 सी0 बी0 टी0 में कन्वर्ट करने का काम कर देंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, आज आई0 टी0 आई0 का डिप्लोमा बिल्कुल आई0 ए0 एस0 की तरह है वहां के पढ़े छात्र कहीं भी ट्रेनिंग करके नौकरी पा सकते हैं । आप आई0 सी0 बी0 टी0 को एन0 सी0 बी0 टी0 में कन्वर्ट करके यह व्यवस्था चलायेंगे तो अच्छा होगा। इसमें गांव के गरीब बालक आई0 टी0 आई0 की शिक्षा प्राप्त करके कहीं न कहीं नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। मान्यवर, आज आई 0 टी0 आई0 कई जनपदों में खुल रहे हैं यह अच्छी बात है लेकिन अगर पूरे प्रदेश में आप तहसील स्तर पर इनके खोले जाने की व्यवस्था कर देंगे तो गरीब छात्रों को पढ़ने और प्रशिक्षण की सुविधा मिल जायेगी। इस बजट में आपने बरेली के पास बदायूँ में आई0 टी0 आई0 खोलने का उल्लेख किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और भी जगहों का इसमें उल्लेख है मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि इन्हें एक ही रुपया बजट के रूप में दिया जाय और उससे काम चलाएं क्योंकि यह सरकार श्रम विरोधी है।

(समय 10 बजकर 20 मिनट)

डा0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, माननीय धर्मपाल सिंह जी के बहुत अच्छे सुझाव थे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2003 में इंस्पेक्टर राज इसलिए मुअत्तल किया था कि विभाग को कुछ आदमियों को पीड़ित करने की शिकायत मिली थी। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्रमिकों के लिए हमारी सरकार जागरुक है। 14-12-2004 को शासनादेश करके उस निलम्बित प्रक्रिया को कुछ प्रतिबन्धों के आधार पर शुरू कर दिया जिसमें 4 अधिकारी जिलाधिकारी से पूँछकर वहाँ जाँच कर सकते हैं। दूसरी बात हमने जो खतरनाक उद्योग थे उनमें कहीं भी रुकावट नहीं थी छोटे बच्चों को जाना, काम कराना प्रतिबन्धित था यह हमारी सरकार की सोच थी। हमने सारे श्रमिकों की रक्षा के लिए इसे निलम्बित किया था और आज दुबारा शुरू कर दिया श्रमिकों का हित देख लिया, समन्वय बठा लिया। आज उद्योगपति उद्योग खोल रहे हैं और श्रमिकों को रोजीरोटी मिल रही है। यह मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच थी। बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए राज्य बाल श्रम परियोजना के अन्दर 47 जिलों में विशेष विद्यालय चलाने की व्यवस्था की गयी है। खतरनाक उद्योगों में बच्चों को काम न करना पड़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें यह सरकार का संकल्प है और आपने अभी यह बात की थी उद्योग न्यायाधिकरणों की, चूँकि सुप्रीमकोर्ट का एक आदेश था जिसके अन्तर्गत हमारी सरकार उन्हें परामर्श से रख सकती थी कल ही परसों वह खत्म हो गया था, 6-7 न्यायाधीश थे सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी आशा है कि जल्द ही उन वादों को पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (मुख्यमंत्री)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मपाल सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि आप जानकार भी हैं, अनुभवी भी हैं अच्छे सुझाव दिये। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, इंस्पेक्टर राज को बहुत सोचसमझकर सस्पेण्ड किया था। 96 हजार से लेकर एक लाख तक मुकदमें थे और उनमें अध्यक्ष महोदय, केवल दो फीसदी के ही खिलाफ कार्यवाही हो सकी और बाकी में एफआर लग गयी। तो

यह शोषण, अत्याचार था इंस्पेक्टरों का। और दूसरी तरफ जहाँ तक सरकार का, हमारा सवाल है, इस हिन्दुस्तान के अन्दर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सुविधाएँ इस उत्तर प्रदेश में है। आपके नेता लोग कानून व्यवस्था, बिजली के बारे में कल ही सभा में बोले हैं अनजाने में । मैंने दिल्ली और बम्बई में भी बातें कही थीं। 18 मार्च को दुनिया भर के विशेषज्ञ इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने मुझे भी निमंत्रण दिया है। व्यापारियों के हित में हमने काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की एशोसियेशन के अध्यक्ष ने कल हमें निमंत्रण दिया है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हमको बुला रहे हैं। हम 19 तारीख को वहाँ जायेंगे। हमने इंस्पेक्टर राज को खत्म किया था। आप आये और आपने उसे लागू कर दिया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ खड़ी हो गयी तो उसे आपको खत्म करना पड़ा। अब आप देखें कि वैट का कानून कौन लाया था दिल्ली में ? केवल समाजवादी पार्टी ही उसके विरोध में खड़ी हुई और हम अकेले खड़े हुए और कम से कम 14 मिनट लोकसभा की कार्यवाही को बन्द रखा और प्रश्नकाल नहीं चल सका। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के अन्दर माहौल बनाया और खुराना जी को मंच पर नहीं आने दिया। खुराना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और संसद में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने आकर मुझसे दुःख व्यक्त किया। आप अकेले में पूँछ लेना। आज जो समस्यायें उद्योगपतियों की है, व्यापारियों की है, वह सब आपको पता है और आज वह कांग्रेस सरकार के हाथ में पड़ गये हैं। मैं महिला बिल के पक्ष में हूँ, महिलाओं के पक्ष में हूँ। लेकिन जब महिला बिल पास हो जायेगा, तब आपको पता चलेगा। हम इस विधेयक में संशोधन चाहते थे और हमने संशोधन रखा था। अगर हमारा संशोधन मान लिया जाता तो हम आज स्वतंत्र होकर बैठते। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिये फिर लड़ेगी और हो सकता है कि कुछ और पार्टियाँ साथ दें। हम संशोधन चाहते थे। हम चाहते थे कि सीटें आरक्षित न होकर इनको पार्टीवाइज कर दिया जाय। पार्टियाँ अपने हिसाब से इसको तय करें। यह भी सही है कि माननीय अटल जी और अडवाणी जी ने हमारे संशोधन को मान लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं माना। अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। केवल वोट की खातिर ऐसा नहीं करना चाहिये। क्या हमारा वोट कम हो गया ? हमारे लिये तो बहुत कहा गया कि मुलायम सिंह महिला विरोधी हैं। आप भले ही हो गये 87 की जगह 37। क्या महिलाओं ने हमें वोट नहीं दिया ? खूब वोट दिया। हम लोग तो राज्यसभा में चले जायेंगे, विधान परिषद् में चले जायेंगे, लेकिन आपको पता चल जायेगा मौर्य जी। इसीलिये हम चाहते थे कि इसको पार्टी के हिसाब से कर दिया जाय। 33 फीसदी आरक्षण के पक्ष में हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को उनका हक मिले। महिलाओं का हजारों साल से शोषण हुआ है, केवल इस देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर यह 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गयीं तो फिर बैकवर्ड, अनुसूचित और अल्पसंख्यक सब मांग रहे हैं आरक्षण, तो उसके हिसाब से 57 प्रतिशत हो जायेगा और आखिर में अपर बैकवर्ड के लिये मात्र 33 प्रतिशत ही बचेगा। इसमें वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिये, इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत इसके पक्ष में थी। मैं उनके घर गया। उनको समझाया। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने पूरे हिन्दुस्तान के सामने कहा कि मुलायम सिंह के सुझाव से मैं सहमत हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि सीटें आरक्षित न की जायें। मैं फिर कह रहा हूँ कि सीटें आरक्षित होने पर आपको पता चल जायेगा। पिछले 6 साल में आप लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को बरबाद कर दिया था। जिनकी सरकार आज दिल्ली में है, वह भी उसमें शामिल हो गये। शिवपाल न बनने पाये, इसके लिये आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। इसके लिये आप लोगों ने दलित सीट कर दी। जब दलित नहीं मिला तो कोर्ट चले गये। हम लोगों की भावनायें

इस तरह की नहीं हैं। जो लोकतांत्रिक परम्पराओं में पिछले दिनों गिरावट आई थी, जो नैतिक मूल्यों, राजनैतिक मूल्यों को आपने ध्वस्त किया था इनके साथ रहकर, अब भले ही इनमें थोड़ा सुधार हो रहा है, अब थोड़ा बैठने लगे हैं, आप इनका साथ देने लगे थे, केवल वोट के लिये। मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। हम कभी जातिगत सम्मेलनों में नहीं जाते हैं। आज तक यादव महासभा में नहीं गये और न जायेंगे। पिछड़ी जाति में हम जाते हैं। धर्मपाल सिंह जी, आपको पता है। आपकी जाति में मुझे कई बार बुला चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं। अवन्तीबाई का नाम कोई नहीं जानता था। हम उनको लाये और फर्रुखाबाद में सम्मान समारोह हमने किया। इतिहास में ऐसे लोगों को लाया ही नहीं गया। आजम खाँ साहब ने अभी अमीनाबाद में एक मूर्ति का अनावरण किया है। एक ऐसे किसान की मूर्ति है जिसने झण्डा फहराया था। हम मूल्यों को पुनर्विस्थापित कर रहे हैं। मूल्यों को ध्वस्त किया है आप लोगों ने। वोट की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी अमर नहीं रहती है, अमर रहता है व्यक्ति का कार्य। क्या डा0 लोहिया कभी प्रधानमंत्री बने थे ? केरल से कश्मीर तक चले जाइये, डा0 लोहिया का नाम ले करके लोग भावुक हो जाते हैं। हमने अपने साथियों से बार-बार कहा है। हम लोग न जाति के बल पर, न धर्म के बल पर और न धन के बल पर आये हैं। हम लोग संघर्ष के बल पर आये हैं। जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धन के नाम पर वोट माँगने वाले हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। व्यापारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो आपने जिक्र किया है, इसलिए मुझे कुछ हस्तक्षेप करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि अच्छे वातावरण में ये लोग सीख कर जायें। हमें समय मिल गया तो बीच में हम यहाँ आ गये। चूँकि विधान सभा चल रही थी इसलिए माननीय विधायक सब यहीं थे, अन्यथा अगर 10-15 सदस्य पहुँच जाते तो हम यहाँ नहीं आ पाते। धर्म पाल सिंह जी, हमारा प्रदेश बहुत विशाल है। लेकिन आपकी पार्टी ने कोशिश की है कि भाईचारा खत्म हो। जब आप बोल रहे थे तो यह लग रहा था कि आप किस पार्टी में पहुँच गये हैं। तब नहीं लग रहा था कि आप बी0जे0पी0 के हैं। आप अपने नेताओं को समझाइये, वोट की राजनीति, मन्दिर-मस्जिद की राजनीति खत्म करें, कुछ अपने कार्यक्रमों व नीतियों को आधार बनायें। हम किसी पर अटैक करते नहीं, करना शुरू कर दें तो समाजवादी रुकते नहीं, फिर ध्वस्त कर देते हैं। अच्छे-अच्छे लोगों की इमेज खराब करने में देर नहीं लगती है। एक बहुत बड़े नेता थे, उनके खिलाफ हमने 4 बार प्रेस-कान्फ्रेंस करके उन्हें ठीक कर दिया। ज्योति बाबू ने कहा कि आपने इनका इमेज 4 दिन में खत्म कर दिया। एक मुम्बई में, एक पटना में, एक कोलकाता में और एक मोती लाल बोरा जी के पिता जी की तेरहवीं में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में प्रेस कांफ्रेंस की। आप अपने नेताओं को समझाइये कि नीति और कार्यक्रम जनता के बीच रखें और देश और प्रदेश में संघर्ष करें। जनता बहुत समझदार है। अपने साथियों को देख करके और धर्मपाल सिंह जी के भाषण से प्रभावित होकर के हम खड़े हो गये। ब0स0पा0 के लोग तो सुधरेंगे नहीं। वहाँ तो झण्डा चलेगा चुनाव जीतने की लालच में कि दलितों का वोट मिल जाये। हमें दलितों के वोट की चिन्ता नहीं है दलितों के वोट तो हमें अपनी नीतियों से मिलेंगे ही। आप यहाँ पर जितनी गाली हमें देंगे, उतनी ही शाबासी आपको मिलेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम आपको गाली नहीं दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

लेकिन आप लोग अपने नेता के सामने मिमियाते हो। हमारे यहाँ कोई भी विधायक मिमियाता नहीं है। वह देखिये हमारी पार्टी में है, हमारे ही ऊपर हमला कर दिया और कहा कि

आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना, मैं खुश हो गया कि कम से कम अपने नेता के सामने कहने की हिम्मत तो है आपमें। यह है लोकतन्त्र और यह है लोकतान्त्रिक पार्टी। यह सच है कि अनुशासित रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी को कोई डर नहीं है और न ही हमारे यहाँ पर पकड़े जाते हैं । हमें आपके बीच बोलने का मौका मिला। हम यही चाहेंगे कि लोकतान्त्रिक परम्पराएं मजबूत हों। पहले क्या होता था ? लोग यहाँ पर लड़ते थे, आलोचना करते थे और बाद में हजरत गंज में साथ-साथ बैठकर जूस भी पीते थे। उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। यह एक स्वस्थ परम्परा थी। हम उसी परम्परा को कायम रखना चाहते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लीजिए।

(कटौती का प्रस्ताव वापस न लिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 80,48,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,23,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 11 मार्च, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना, पंजीठ एवं ऊँचागांव के विद्युत घर के ओबीसी विगत कई महीनों से खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप होने एवं फसलों की सिंचाई न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर के त्रिलोचन बाजार में गंगदारी टैक्स वसूलते समय व्यवसायी कन्हैया लाल गुप्त की गोली लगने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री राकेश

पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के नेवादा विद्युत उपकेन्द्र का ट्रान्सफारमर 3 एम0बी0ए0 के स्थान पर 5 एम0बी0ए0 का किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम में स्थानीय निकायों की नामावली के पुनरीक्षण में अनियमितता किये जाने एवं मतदाता सूची में लाखों लोगों का नाम सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के रेवती कस्बे के पास श्री राम नाथ पाण्डेय के 7 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिये जाने के सम्बन्ध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है। 6ठी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के ग्राम गुलड़िया गौरीशंकर के श्री अमर सिंह लोधी एवं उसकी पत्नी के साथ बदमाशों द्वारा लूटपाट करने एवं विरोध करने एवं श्री लोधी की गोली मार कर हत्या किये जाने व मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। 7वीं सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अस्पतालों एवं औषधालय में दवा की खरीद पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। 8वीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में अनुसूचित जाति के छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी है। 9वीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली में ओलावृष्टि एवं तूफान से हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने एवं किसानों की फसलों का मुआवजा देने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है। श्री बीजू पटनायक, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री श्याम देव राय चौधरी, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री अशोक कुमार सिंह चौहान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री राम चन्द्र यादव, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री भगेलू राम, श्री नवाब सिंह नागर, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री जयराम विमल, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, श्री अब्दुल मन्नान, श्री राम करन आर्य, श्री कपिल देव यादव, श्री रामहेत, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री मुंशीलाल गौतम तथा श्री जगदीश नारायण राय की सूचनाओं को अस्वीकृत किया गया है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम खोह, तहसील कर्वी में पुलिस लाइन के निर्माण में किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत करके मुआवजा न देने के सम्बन्ध में डी0 प्रसाद अहिरवार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[श्री ददद् प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस में यह कहा गया है कि जनपद चित्रकूट में ग्राम खोह, तहसील कर्वी में पुलिस लाइन का निर्माण कराया गया है। पुलिस लाइन के निर्माण के दौरान लगभग 40 किसानों का भूमिधरी कृषि योग्य भूमि को अनधिकृत रूप से कब्जा करके पुलिस लाइन परिसर के अन्दर कर लिया गया था। किसानों के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए उ0प्र0 विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति ने अधिग्रहीत भूमि का किसानों को मुआवजा देने के आदेश दिये थे। तदनुसार गृह विभाग ने लगभग 86.00 लाख रु0 स्वीकृत करके विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा, चित्रकूट को मुआवजा वितरण हेतु प्रदान किया था। लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी किसानों

को मुआवजा धनराशि का वितरण नहीं किया गया है जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। नोटिस में मुआवजा वितरण कराने तथा अनधिकृत कब्जा करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा अब तक किसानों को मुआवजा न वितरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

उक्त नोटिस में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि 16.43 एकड़ भूमि का अधिकतर भाग जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के मध्य पड़ता है जिसके कारण अधिग्रहीत भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के कारण उक्त भूमि स्वत: पुलिस लाइन के भीतर हो गयी। प्रकरण प्रकाश में आने पर कथित 16.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, बांदा से मुआवजे की धनराशि का आगणन कराने के उपरान्त धन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, चित्रकूट के माध्यम से उनके पत्र दिनांक 29-7-2003 द्वारा शासन में दिनांक 1-8-2003 को प्राप्त हुआ था जिसके अनुपालन में मुआवजे की धनराशि रु0 21,81,904.00 की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 6-1-2004 द्वारा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को प्रदान की गयी थी जिसे चेक द्वारा दिनांक 26-2-2004 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, बांदा को उपलब्ध कराया जा चुका है। यह धनराशि वर्तमान में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा के पास उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा धारा 4(1) 17 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन में दिनांक 5-7-2004 को उपलब्ध कराया गया था जिसमें कतिपय सूचनाओं की ओर आवश्यकता थी जो जिलाधिकारी, चित्रकूट से उनके पत्र दिनांक 31-12-2004 द्वारा शासन में दिनांक 17-1-2005 को प्राप्त हुई है। प्रकरण में धारा 4(1)17 की विज्ञप्ति जारी करने हेतु उच्चानुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात् धारा 4(1)17 की विज्ञप्ति प्रकाशित करने के उपरान्त भूमि अर्जन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण होने के पश्चात् भू-स्वामियों को मुआवजे की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा द्वारा ही की जायेगी।

अनधिकृत रूप से बिना मुआवजा दिये भूमि अधिग्रहण किये जाने के दोषी अधिकारियों सर्वश्री देवेन्द्र दत्त मिश्र तथा डी0 के0 ठाकुर, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।]

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस का रजिस्ट्रेशन बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[श्री श्याम देव राय चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 2-3-2005 को नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई थी कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस का रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया है। डायलिसिस की 14 में से 8 मशीनें खराब होने के कारण गुर्दा प्रत्यारोपण के मरीजों को ही यह सुविधा दी जा रही है। उत्तर भारत के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक पी0जी0आई0, लखनऊ में नेफ्रोलाजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी जैसे विभागों में लगातार खराब होते उपकरणों ने दूर दराज से आने वाले मरीजों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। नेफ्रोलाजी विभाग की 14 में से 8 डायलिसिस मशीने उम्र पूरी होने के कारण बन्द कर दी गई हैं जिससे बची मशीनों पर गुर्दा प्रत्यारोपण कराने वाले मरीजों की लम्बी भीड़ रहती है दूसरी तरफ मशीनों की कमी के चलते सैकड़ों सामान्य गुर्दा रोगियों को डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पा रही है और इनका रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया है। पी0जी0आई0 के बाहर कई सेण्टरों पर डायलिसिस की सुविधा है लेकिन वहां खर्च दो गुना है। गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में पिछले कई माह से दूरबीन विधि से आपरेशन बन्द है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में लगे दो गामा कैमरे पिछले 03 वर्ष से काम नहीं कर रहे हैं जिससे जांच के लिए आने वाले मरीजों को लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि अति महत्वपूर्ण मशीनों के खराब हो जाने से गरीब मरीजों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। सभी प्रकार के मशीनों की सुविधा को बहाल करने एवं उनमें बढ़ोत्तरी करने की दिशा में सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पहल करना लोक महत्व की दृष्टि से अत्यावश्यक है! लोकमहत्व के उक्त अविलम्बनीय सूचना पर मा0 सदस्य विधान सभा ने वक्तव्य दिये जाने की मांग की है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 की अव्यवस्था के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि संस्थान में वर्तमान में डायलिसिस की कुल 14 मशीने स्थापित हैं जिसमें 07 मशीने क्रियाशील हैं एवं 07 मशीनों की मरम्मत होनी है। मरम्मत का कार्य विचाराधीन है एवं प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्रातिशीघ्र मशीनों की मरम्मत कराई जाय। जहां तक केवल गुर्दा प्रत्यारोपण के मरीजों की ही डायलिसिस किये जाने का प्रश्न है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मरीजों की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल गुर्दा प्रत्यारोपण के मरीजों को ही उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

संस्थान में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग में दूरबीन विधि से आपरेशन किये जाने वाली मशीन वर्तमान में क्रियाशील नहीं है एवं उक्त मशीन से सम्बन्धित स्पेयर क्रय किये जाने के आदेश किये जा चुके हैं तथा आपूर्ति प्रतीक्षित है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में वर्तमान में दो गामा कैमरा क्रियाशील है एवं 02 अन्य गामा कैमरा क्रय किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। संस्थान में सी0टी0 स्कैन व एम0आर0आई0 मशीने क्रियाशील हैं एवं मरीजों की जांच की जा रही है।]

जनपद मुजफ्फरनगर के कण्डेला में पर्याप्त क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[जनपद मुजफ्फरनगर के कण्डेला में पर्याप्त क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कण्डेला में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र दिनांक 10-2-2003 में चालू किया गया था तथा इसकी क्षमता 2 × 5 एम0वी0ए0 थी। वर्तमान में दोनों परिवर्तकों पर क्षमता से कम भार है तथा सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भली-भांति की जा रही है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद में स्थित शंकरघाट कालोनी, तेलियरगंज के शवदाह गृह की चिमनी को ऊँचा करने के सम्बन्ध में डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि शंकरघाट कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद में कई वर्षों पूर्व शवदाह गृह का निर्माण कराया गया था, उस समय यहाँ की आबादी बहुत कम थी। इस समय इस मुहल्ले की आबादी लगभग दस हजार हो गयी है तथा लोगों का आवास शवदाह गृह के पास तक है। जब शव का दहन शवदाह गृह में किया जाता है तो असहनीय बदबू फैल जाती है तथा वहाँ के निवासियों के घरों तक राख उड़कर आ जाती है। इससे वहाँ नागरिकों का रहना दुष्कर हो गया है। प्रदूषण के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। वहाँ के निवासियों से प्राप्त प्रतिवेदन को अपने पत्र के साथ दिनांक 21-02-05 को आयुक्त, इलाहाबाद मंडल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। अत: उक्त शवदाह गृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करना आवश्यक है परन्तु जब तक यह नहीं होता है तब तक शवदाह गृह की चिमनी मानक के अनुसार ऊँची करा दी जाय।

2--इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा शंकर घाट कालोनी, तेलियरगंज, इलाहाबाद के विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 में कराया गया है। यह निर्माण गंगा एक्शन कार्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था केन्द्रीय गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार शवदाह गृह फरनेस की चिमनी को निर्धारित मानक ऊँचाई का निर्मित कराया गया था। पूर्व में चिमनी की ऊँचाई एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई एतराज स्थानीय निवासियों को नहीं रहा है, अन्यथा इस प्रकार की शिकायत रहते वहाँ पर लोगों द्वारा रहने के लिये आवास नहीं बनाये जाते। नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा शवदाह गृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करना अपने वित्तीय स्रोतों से सम्भव नहीं है।

3--विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत योजना के अनुरूप कराया गया है। अत: इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन/परिवर्द्धन सम्भव नहीं है।]

जिला सोनभद्र के ग्राम पड़रछ में वन अधिनियम की धारा 4 की कार्यवाही रोक कर बालू मौरंग के खनन पट्टे के नवीनीकरण में अनापत्ति जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी है :--

उक्त आराजी में बालू व्यवस्थित है विगत 10 वर्षों से जिलाधिकारी द्वारा खनन परमिट एवं खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता रहा है क्योंकि वन विभाग के कथनानुसार विगत 52 वर्षों से धारा 4 की कार्यवाही आज तक लम्बित है, इतने दिनों के बाद धारा 4 की कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता क्योंकि उक्त क्षेत्र से करोड़ों रु0 की रायल्टी व ट्रान्जिट शुल्क प्राप्त होता रहा है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसकी उक्त कार्यवाही से क्षति सुनिश्चित है। इसी से सटा हुआ क्षेत्र ग्राम ससनई की गाटा संख्या 161 धारा 4 से पृथक् हो चुका है जब कि दोनों आराजी की प्रकृति एवं संरचना एक जैसी है वन भूमि के योग्य नहीं है और न ही समुचित वन है, गाटा संख्या 161 में नीलाम पट्टा बिना व्यवधान के चल रहा है। आराजी संख्या 1 में अनापत्ति न मिलने से गरीब मल्लाह बेरोजगार एवं भूखमरी के कगार पर है, इनमें रोष व्याप्त है। नीलाम पट्टेदार को लाभ पहुँचाया जा रहा है साथ ही सरकार की भारी क्षति की जा रही है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि परगना अगोरी में सन् 1933 में जमींदारी विनाश होने के बाद जो भूमि राज्य सरकार में निहित हुई थी, उसमें ग्राम पड़रछ की आराजी संख्या 1 भी सम्मिलित थी। उक्त आराजी संख्या 1 अन्य भूमि के साथ शासनादेश संख्या 4768/14-695/1933, दिनांक 10-10-1953 के अनुपालन में दिनांक 16-11-1953 को तत्कालीन जिला अधिकारी, मीरजापुर द्वारा प्रश्नगत भूमि वन विभाग के प्रबन्धन हेतु दी गयी। तब से निरन्तर उक्त भूमि वन विभाग के प्रबन्धन व नियंत्रण में चली आ रही है। अत: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।]

जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित अम्बेडकरनगर, पुरौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित अम्बेडकरनगर, पुरौली में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त आख्या के अनुसार विधान सभा क्षेत्र 96--डलमऊ रायबरेली के मालिन का पुरवा मजरे बहेरवा विकास खण्ड ऊंचाहार व पूरेमाफी व अम्बेडकरनगर मजरे कुरौली बुधकर विकास खण्ड दीनशाह गौरा इत्यादि के विद्युतीकरण हेतु रुपये 26.19 लाख धनराशि मिली थी। उक्त धनराशि से विद्युतीकरण होने वाले ग्रामों का नाम एवं विद्युतीकरण होने की तिथि उनके सम्मुख अंकित है :--

क्रमांक	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	पूरे भीटी व पूरे कोएहार मजरे मेलखा	15-7-2004
2	पूरे माफी व अम्बेडकरनगर मजरे कुरौली	15-7-2004
3	मालिन का पुरवा मजरे बहेरवा	15-7-2004
4	पूरे टीकाराम मजरे इटौरा सुजुर्ग	25-6-2004
5	धर्मापुर बैली व पुरे रम्भा मजरे सुक्ठाहरदो	26-6-2004
6	पूरे मियां व पूरे ठकुराइन मजरा अमरा	30-1-2005
7	पासिन का पुरवा मजरे पकरा अमीरन	30-1-2005

इनमें से अभी तक 5 ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। पूरे माफी व अम्बेडकरनगर मजरे कुरौली का विद्युतीकरण दिनांक 12-7-2005 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। मात्र एक ग्राम मालिन का पुरवा मजरे बहेरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया जा सका है, जिसका शीघ्र विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महोबा के डाक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में सर्वश्री प्रमोद कुमार एवं प्रदीप जैन "आदित्य" नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रदीप जैन आदित्य, मा0 सदस्यगण विधान सभा द्वारा दिनांक 2-3-2005 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जो कि जनपद महोबा के डाक्टर भानु प्रताप सिंह राजपूत की निर्मम हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी न होने, दो जुड़वा बहनों कु0 सुनीता साहू व विनीता साहू की हत्या एवं एक सप्ताह पहले डा0 राम प्रकाश गुप्ता की हत्या किये जाने की घटनाओं से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 अध्यक्ष द्वारा केवल वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उपर्युक्त घटनाओं की पुलिस अधीक्षक, महोबा से प्राप्त आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :--

1--जनपद महोबा में कुछ समय पहले हत्या की कुछ घटनायें घटित हुयी है इन सभी घटनाओं का जनपद पुलिस द्वारा अनावरण कर लिया गया है तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। स्थानीय पुलिस की लापरवाही के संबंध में दो पुलिस कर्मियों को निलम्बित व तीन पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। जहां तक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक की लापरवाही एवं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अत्याचार का आरोप है, इस सम्बन्ध में उल्लिखित करना है कि महोबा शहर में दो जुड़वा बहनों की हुई हत्या को लेकर दिनांक 27-2-05 को शहर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जुलूस व प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ एवं कचहरी में वकीलों के छप्परों में आग लगा दी तथा सरकारी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया। इस संबंध में थाना कोतवाली महोबा में मु0 अ0 सं0319/05 धारा 147/342/435/436/427 भा0 दं0 वि0 व 3/10 पब्लिक प्रापर्टी डैमेज ऐक्ट व 7 क्रि0 ला0 एमेन्डमेन्ट ऐक्ट का अभियोग 35-40 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस घटना के दौरान मौके पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस प्रकार यह कहना कि शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों का क्षेत्राधिकारी द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, गलत है। यद्यपि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जनपद महोबा को क्षेत्राधिकारी नगर के पद से हटाकर क्षेत्राधिकारी, कार्यालय के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

2--वादी श्री सतीश सिंह राजपूत पुत्र डा0 भानु प्रताप सिंह निवासी मो0 ड्योढ़िपुरा, कस्बा जैतपुर (बेलाताल) ने थाना कुलपहाड़ पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 26-2-05 को 19.45 बजे उसके पिता भानु प्रताप सिंह सायंकाल 5.30 बजे टहलने जा रहे थे जब बाइपास तिराहे पर मोहन कुशवाहा की दुकान के पास आमरोड पहुंचे तो वहां पर पहले से घात लगाये 5 व्यक्तियों ने उसके पिता को घेर कर,ताबड़-तोड़ फायर करके हत्या कर दी और मारुति वैन में बैठकर भाग गये। वादी की सूचना के आधार पर थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 154/05 धारा 147/148/149/302 भा0दं0वि0 का अभियोग बनाम 5 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। दिनांक 4-3-05 को थाना प्रभारी कुलपहाड़ मय हमराही फोर्स के उक्त मुकदमे के अभियुक्तों की पतारसी, सुरागरसी में मामूर थे कि समय करीब 12.30 बजे दिन में मगरौल

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कला रोड पर संदिग्ध अवस्था में अभियुक्तगण रामरूप द्विवेदी पुत्र स्व0 चेतराम द्विवेदी व सुरेश कुमार मिश्रा पुत्र प्रागी लाल को एक-एक अदद तमंचा 315 बोर व दो-दो अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने डा0 भानु प्रताप सिंह राजपूत की हत्या का जुर्म स्वीकार किया तथा डा0 भानु प्रताप सिंह राजपूत से पुरानी रंजिश बताया। अभियुक्तों से पूंछ-तांछ करने पर घटना का पर्दाफाश हो गया तथा सम्प्रति दो अभियुक्त रामरूप द्विवेदी व सुरेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

3--दिनांक 26-2-05 को वादी श्री नारायण पुत्र परमानन्द साहू निवासी मो0 बड़ी हाट थाना कोतवाली महोबा ने थाना कोतवाली महोबा में अपनी दो पुत्रियों की हत्या एवं सोने के झुमके, सोने का मंगलसूत्र, पायल इत्यादि अज्ञात बदमाशों द्वारा ले जाने की सूचना पर थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 318/05 धारा 394/302 भा0दं0वि0 का अभियोग बनाम अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया गया। दिनांक 2-3-05 को विवेचनाधिकारी द्वारा दीपक साहू पुत्र नारायण साहू निवासी बड़ी हाट, शहर महोबा (मृतकाओं का भाई) को गिरफ्तार किया गया जिसने उक्त अपराध को स्वीकारोक्ति की है। छोटी बहनों के अपशकुनी होने के बारे में एक तांत्रिक द्वारा बतायी गयी युक्ति के दृष्टिगत दिनांक 26-2-05 को दीपक साहू द्वारा अपनी बहनों की हत्या कर दी गयी। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल चाकू व टिफिन पुलिस द्वारा बरामद किया गया और अभियुक्त दीपक साहू को जेल भेजा गया।

4--दिनांक 19/20-2-05 की रात्रि में मो0 जारीगंज, शहर महोबा में डा0 राम प्रकाश गुप्ता के मकान में अज्ञात बदमाशों द्वारा घुसकर लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली महोबा में दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 308/05 धारा 394/302 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 23-2-05 को अचानक हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान भईयन उर्फ हुसैन पुत्र शेखू उर्फ शेख मुहम्मद व सलीम पुत्र बाबू को एक-एक अदद तमंचा व भारी मात्रा में कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना कोतवाली महोबा पर मु0अ0सं0312/05 धारा 307 भादंवि(पु0मु0) व अपराध संख्या 313, 314/05 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूंछ-तांछ पर उन्होंने डा0 राम प्रकाश गुप्ता की हत्या व उनके घर में की गयी लूट-पाट का जुर्म इकबाल किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उपरोक्त घटनाओं में पुलिस अधीक्षक, महोबा द्वारा की गयी कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि इन मामलों में तत्परता से कार्यवाही पुलिस द्वारा की गयी है। ये घटनायें एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं हैं फिर भी इनका अनावरण हो चुका है। जनपद में स्थिति सामान्य है और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है।]

श्रम विभाग में सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत उ0 प्र0 कारखाना विभाग के अधीन मा0 मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से कारखाना प्रभाग में सहायक निदेशक कारखाना के 08 पदों पर जनवरी, 1987 में

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था। एक वर्ष बाद एक दिन का अंतराल करके इन्हें दूसरी बार तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया। पुन: अगले वर्ष एक दिन का अंतराल देकर तीसरी बार तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था। तब से लेकर तदर्थ रूप से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त सभी अभ्यर्थी उनके सहायक निदेशक कारखाना के पद पर विनियमित होने तक (दिनांक 15-11-95 तक) निरन्तर रूप से सेवारत रहे। उक्त तदर्थ अधिकारियों को विनियमित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान महामहिम राज्यपाल के आदेशों के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों पर लागू विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए सीधे विनियमितीकरण का आदेश दिनांक 15-11-95 निर्गत कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ज्येष्ठता निर्धारण की समस्या उत्पन्न हुयी, जबकि विनियमितीकरण नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति का गठन एवं अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता की अवधारणा करते हुए विनियमितीकरण के आदेश जारी करने होते हैं।

उक्त वर्णित स्थिति में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर दिनांक 17-1-03 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गयी। चयन समिति द्वारा संबंधित अधिकारियों की प्रथम, द्वितीय तदर्थ नियुक्तियों की तिथि पर भी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार किया गया, परन्तु इन नियुक्तियों के मध्य व्यवधान उपस्थित रहने के कारण इसे ज्येष्ठता का आधार नहीं बनाया जा सका। यद्यपि कि शासन द्वारा उक्त व्यवधान को मर्षित करने हेतु आदेश दिनांक 11-8-97 को निर्गत किया गया है। परन्तु इन आदेशों में मात्र सेवा नैवृत्तिक लाभ ही अनुमन्य कराये गये हैं। अत: तृतीय तदर्थ नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को ही ज्येष्ठता निर्धारण को उपयुक्त पाया, क्योंकि इन तिथियों से उक्त अधिकारियों की सेवायें विनियमित होने की तिथि तक अबाध रूप से चलती रहीं। समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ही विभाग में सहायक कारखाना निदेशकों की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु जारी अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधी आदेश सं0 130/36-4-03-18/2002, दिनांक 20-1-03 को निर्गत किये गये।

इस सम्बन्ध में कुछ सहायक कारखाना निदेशकों की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिन पर श्रमायुक्त से आख्या मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है।]

जनपद देवरिया की ग्राम पंचायत लाहिलपार उर्फ रतनपुरा स्थित स्कूल भवन को पंचायत भवन बनाये जाने एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री दीनानाथ कुशवाहा, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री जी का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[ग्राम पंचायत लाहिलपार उर्फ रतनपुरा, विकास खण्ड देवरिया, सदर जनपद देवरिया के पूर्व प्रधान द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवन को पंचायत भवन दिखाकर सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत दिनांक 15-5-97 पर तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया द्वारा जांच की गयी। उक्त जांच आख्या दिनांक 23-6-97 के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट देवरिया ने प्रधान ग्राम

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंचायत लाहिलपार उर्फ रतनपुरा को रु0 25,000 का दुरुपयोग एवं रु0 30,000 दण्ड ब्याज सहित कुल रु0 55,000 जिला गांव फण्ड में जमा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में प्रधान ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 24179/1997 योजित की। मा0 न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-1-98 में प्रधान को अपना पक्ष जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट को 3 माह में तर्कसंगत आदेश के माध्यम से प्रकरण निस्तारित करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रधान द्वारा दिनांक 24-3-98 को जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रत्यावेदन पर विचार कर एवं प्रधान का पक्ष सुनने के पश्चात् दिनांक 20-9-2002 को कुल रु0 55,000 की वसूली का आदेश पारित किया गया, किन्तु प्रधान के इस प्रार्थना-पत्र पर कि उनके द्वारा मा0 आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के यहां अपील की गयी है, दिनांक 28-9-02 के आदेश के द्वारा वसूली स्थगित कर दी गयी। मा0 आयुक्त के आदेश दिनांक 7-5-04 द्वारा पुन: जांच हेतु एक टीम जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया, उपनिदेशक (पंचायत) गोरखपुर मंडल एवं अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देवरिया थे, गठन करने का आदेश दिया गया तथा प्रधान को आरोप पत्र निर्गत कर एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। जांच टीम की जांच आख्या में मुख्य विकास अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के द्वारा रु0 25,000 का दुरुपयोग दर्शाया गया है, जबकि उप निदेशक (पंचायत) गोरखपुर मण्डल के द्वारा रु0 7096 का दुरुपयोग दर्शाया गया है। संयुक्त जांच टीम की आख्या के आधार पर प्रधान को कारण बताओं नोटिस दिनांक 20-1-05 को निर्गत किया गया। प्रधान के द्वारा कारण बताओं नोटिस का उत्तर दिनांक 25-2-05 को प्रस्तुत किया गया है। मा0 आयुक्त न्यायालय के उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई हेतु दिनांक 15-3-05 की तिथि निर्धारित की गयी है, जिसकी सूचना संबंधित को दे दी गयी है।]

जनपद गोरखपुर स्थित धर्मशाला बाजार रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत 02-03-2005 को दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि जनपद गोरखपुर स्थित धर्मशाला बाजार के पास रेलवे क्रासिंग पर वर्ष 2002 में रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था। यह रेलवे क्रासिंग शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है। उक्त रेलवे क्रासिंग पर निर्मित किये जा रहे रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण लगभग रोक दिया गया है। उक्त क्रासिंग से प्रतिदिन दो लाख से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। निर्माण कार्य रोक देने के कारण महानगर के निवासियों एवं मेडिकल कालेज वाले मरीजों को अत्यन्त ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा महानगर के नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2--उक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि गोरखपुर स्थित धर्मशाला बाजार के पास रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 13-12-2002 द्वारा प्रदान की गयी थी। रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु नगर निगम/पूर्वांचल विकास निधि/लोक निर्माण विभाग से धनराशि प्राप्त होनी थी। नगर निगम एवं पूर्वांचल विकास निधि से धन प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा फरवरी 2003 तक 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया था। फरवरी, 2003 में मुख्य सेतु से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाइन रेलवे को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में रेलवे द्वारा यह मांग की गयी कि बाक्स गर्डर की ड्राइंग एवं डिजाइन कन्सलटेन्ट राइट्स " आई0आई0टी0 से चेक कराकर प्रस्तुत की जाय। रेल विभाग के परामर्श के अनुसार बाक्स गर्डर की ड्राइंग एवं डिजाइन राइट्स से चेक कराकर रेलवे विभाग को दिनांक 23-07-04 को प्रेषित की गयी जिस पर रेलवे द्वारा दिनांक 18-12-2004 को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। रेलवे की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है एवं माह फरवरी, 2005 तक सेतु पहुंच मार्ग का 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 की अवशेष धनराशि का भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना, पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

[मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा के वर्तमान सत्र 2005 के प्रथम सत्र में नियम 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :--

जनपद गोण्डा में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 में सहायता राशि 44.90 लाख (चौवालिस लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किया गया था। जिसमें विभाग द्वारा इस मद में गत वित्तीय वर्ष में रुपया 34.20 (रुपया चौंतीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित होने के कारण 343 व्यक्तियों को लाभ दिया गया। शेष 106 लोग सहायता राशि से वंचित रह गये हैं। वर्ष 2004-05 में उक्त योजनान्तर्गत मात्र 36.70 लाख (छत्तीस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) आवंटित किया गया है, जिसमें मात्र 112 लोगों को लाभ मिल पाया। उक्त आवंटन से संबंधित शासन से आदेश भेज दिया गया कि माह जनवरी, 2004 केवल जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हीं को धनराशि दे दी जाय। जबकि इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिये धन आवंटित हुआ था एवं लाभार्थियों ने समय से आवेदन भी किया था; यदि जनपद में अवशेष धनराशि से वर्ष 2003-04 में जिन गरीब परिवारों ने समय से उक्त सहायता राशि हेतु आवेदन किया है, उन्हें आवंटित करने की अनुमति दे दी जाये एवं वर्ष 2004-05 की अवशेष धनराशि आवंटित कर दी जाये तो जिन गरीब परिवारों का आवेदन स्वीकृत है, उन्हें सहायता राशि मिल जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 सदन को अवगत कराये जाने हेतु टिप्पणी निम्नवत् है :--

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद गोण्डा को रु0 44.90 लाख की धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा को रुपया 34.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी। जनपद स्तर पर 341 लाभार्थियों को 33.95 लाख रुपये की धनराशि सहायता के रूप में वितरित की गयी तथा रुपये 5000 की धनराशि समर्पित की गयी। धनराशि के अभाव में 106 व्यक्तियों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं। वर्ष 2004-05 में 36.70 लाख रुपये की धनराशि उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित की गयी, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में 367 आवेदकों को 36.70 लाख रुपये की धनराशि सहायता के रूप मे वितरित की गयी। इस प्रकार वर्ष 2003-04 के 106 आवेदकों के आवेदन-पत्र तथा वर्ष 2004-05 के 169 आवेदन-पत्रों (कुल 275 आवेदन पत्र लम्बित हैं) का निस्तारण लम्बित है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि रुपया 98.64 करोड़ में से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु रुपया 22.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की जाती है। उक्त धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत करते हुए निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0 के निवर्तन पर रखी जाती है। उक्त धनराशि को प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसंख्या के अनुपात में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आवंटित किया जाता है। तद्नुसार ही जनपद गोण्डा को वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमश: रुपया 34.00 लाख एवं रुपया 36.70 लाख आवंटित किया गया है, जिसमें से प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त पर पात्र लाभार्थियों को धनराशि स्वीकृत की जाती है। अतएव उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा आवंटित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लम्बित आवेदन -पत्रों का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 10 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 11 मार्च, 2005।

पी०एस०यू०पी०–एल० 93 विधान सभा –22-7-05–813 प्रतियां (डी०टी०पी०)।